खण्ड–524, अंक–02
बुधवार, 08 अग्रहायण, शक संवत् 1945
(दिनांक 29 नवम्बर, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र, 2023)

(खण्ड 524 में 04 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	1-6
प्रदेश में धान खरीद व डेंगू से हुई मौत सम्बन्धी सूचना को नियमों को शिथिल करते हुए सर्वप्रथम सुने जाने की माँग ...		...	7
प्रश्नोत्तर ...	...	...	8-153
वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ...	...	...	153
उत्तराखण्ड में निर्माणाधीन सुरंगों में फँसे उ0प्र0 के मजदूरों को सकुशल वापसी पर उन्हें सरकारी नौकरी, आवास व धनराशि प्रदान किये जाने की माँग	...	...	154
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	...	...	154-156
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत कोहडौर तिराहा से अमेठी बार्डर तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	157
जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बक्शी का तालाब स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरकपुर में सम्पर्क मार्ग तथा स्कूल की बाउण्ड्री बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...		...	157
जनपद शामली के ग्राम कुड़ाना-भोराकला मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़ाना तक सम्पर्क मार्ग बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	157-158
विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में सैदापुर से मंझी मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	158
जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नूर अलीपुर भगवन्त एवं बनवारीपुर में याकूब प्रधान के घर से छोटी नहर तक नाला बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	158-159
जनपद सन्तकबीनगर के धनघटा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शिवबखरी में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...		...	159

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बिजनौर के चाँदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जलीलपुर-छाछरी मार्ग से मीरपुर सीकरी गुरूद्वारा साहिब तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	159
जनपद उन्नाव के सफीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों तथा नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	159-160
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत मार्ग के निर्माण हेतु राज्य सड़क निधि से स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	160
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार न किये जाने की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	160-161
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के खरीद दरौली घाट पर बन रहे पुल का पिलर बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के नगर पंचायत अगवानपुर चिरागी घाट से राम गंगा नदी के ऊपर पैंटून पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161-162
जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम गादला से बसेडा ननहेड़ी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	162
जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा लाभार्थियों के घर स्मार्ट मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	162
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में निर्मित आश्रम पद्धति विद्यालय को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनिया को दो लेन मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	163
विद्युत सेवा आयोग से सम्बन्धित सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के आदेश का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163-164

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत बांसडीह से पर्वतपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर में स्थित घुइसरनाथ धाम में स्थाई पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164-165
जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ पट्टी के ग्राम भरोखन में इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	165
विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत ब्लाक-कोड़वार के ग्राम ऊँचगाँव में पावर हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	165-166
शिक्षकों तथा राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	166
प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम पर व्यय की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	166
पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत बजट की शेष धनराशि के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	166-167
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ	167
दो माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्य दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	167-169
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	169
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	169
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	169
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (सदन के पटल पर रखा गया)	170

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुनर्विचार हेतु वापसी की सूचना)	170
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1074/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-223-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(277)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	170
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1075/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-224-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(278)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	170
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1076/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-225-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(279)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	171
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1077/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-226-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(280)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	171
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1078/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-227-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(281)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	171
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1054/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-219-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(282)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	171-172
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1053/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-218-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(283)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	172
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1055/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-220-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(284)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	172
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1056/ग्यारह -2-23-9(47)-17-टी0सी0-221-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(285)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	172

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1057/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-222-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(286)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	173
उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लिमिटेड की बत्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 एवं तैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 (सदन के पटल पर रखी गयी)	173
निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 (सदन के पटल पर रखा गया)	173
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	173-174
उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-2023 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	174
उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का 2014-2015 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा (सदन के पटल पर रखा गया) ...	174
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 2023 (सदन के पटल पर रखी गयी)	174
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)... ...	174
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	175
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	175
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	175
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	175
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ...	175

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	176
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	176
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)... ...	176
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)...	176
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	176-177
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	177
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	177
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	177
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	177-178
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	178
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	178
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	178
उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	178-179
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	179

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	179
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (राज्यपाल महोदय से अनुमति की सूचना)	179-180
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	180-181
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ	181-201
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुनर्विचार हेतु वापसी की सूचना)	201-202
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)	202
उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित) ...	202-203
उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)	203
उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)	203
उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित) ...	204
उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (पुरःस्थापित)..	204
आज पुरःस्थापित विधेयकों पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदों को आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	204-205
उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित) ...	205-208
उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 (जारी) ...	208-209
इच्छुक सदस्यों द्वारा विधेयकों के संशोधनों पर अपना अभिमत देने के सम्बन्ध में व्यवस्था	209-214
उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 (पारित) ...	214-231
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित)..	231-240
याचिकाओं का उपस्थापन	240

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	240
श्री राजीव कुमार सिंह ''बब्बू भईया'', सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	240-241
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	241
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	241
डा0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	241
श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	241
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	241
डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	242
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	242
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	242
श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	242
डा0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	242
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	242-243
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	243

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	243
श्रीमती आशा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	243
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	243
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	243
श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	244
डा0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	244
श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	244
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	244
श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	244
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)... ...	244
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	245
श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	245
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	245
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	245

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	245
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	245
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	246
डा0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	246
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	246
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	246-248
नत्थियाँ	249-284

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2023 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-362

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — संतकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय, श्री — गोण्डा
6. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
7. अजय सिंह, श्री — बस्ती
8. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
9. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
10. अताउर रहमान, श्री — बरेली
11. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
14. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — संतकबीरनगर
15. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
16. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
17. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
18. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
19. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
20. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
21. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
22. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
23. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
24. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
25. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
26. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
27. अरमान खान, श्री — लखनऊ
28. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
30. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
31. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
32. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
33. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
34. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
35. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
36. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
37. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
38. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर
39. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
40. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
41. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
42. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
43. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
44. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
45. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
46. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
47. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
48. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर
49. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
50. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
51. उमर अली खान, श्री — सहारनपुर

52. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
53. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
54. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
55. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
56. ओमकुमार, श्री बिजनौर
57. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
58. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
59. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
60. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
61. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री, आजमगढ़
62. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
63. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
64. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
65. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
68. कैलाश, श्री चन्दौली
69. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
70. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
71. गणेश चन्द्र, श्री संतकबीरनगर
72. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
73. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
74. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
75. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
76. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
77. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
78. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
79. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
80. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
81. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
82. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
83. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
84. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
85. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
86. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
87. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
88. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
89. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
90. जयमंगल, श्री महराजगंज
91. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
92. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
93. जाहीद, श्री भदोही
94. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
95. जियाऊर्रहमान, श्री मुरादाबाद
96. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
97. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
98. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
99. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
100. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
101. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
102. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
103. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
104. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
105. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
106. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
107. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
108. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया
109. दुधराम, श्री बस्ती
110. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
111. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
112. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
113. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
114. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
115. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
116. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
117. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
118. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
119. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद

120. नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी'', श्री प्रयागराज
121. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
122. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
123. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
124. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
125. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
126. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
127. नाहिद हसन, श्री शामली
128. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
129. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
130. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
131. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
132. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
133. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
134. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
135. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
136. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
137. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
138. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
139. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
140. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
141. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
142. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
143. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
144. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
145. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
146. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
147. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
148. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
149. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
150. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
151. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
152. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
153. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
154. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
155. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
156. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
157. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
158. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
159. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
160. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
161. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
162. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
163. बाबूराम, श्री पीलीभीत
164. बाबूलाल, श्री आगरा
165. बावन सिंह, श्री गोण्डा
166. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
167. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
168. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
169. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
170. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
171. बेदी, श्री गाजीपुर
172. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
173. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
174. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
175. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
176. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
177. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
178. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
179. मदन भैया, श्री मुजफ्फरनगर
180. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
181. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
182. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
183. मनीष रावत, श्री सीतापुर
184. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
185. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली

186. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
187. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
188. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
189. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
190. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
191. महबूब अली, श्री अमरोहा
192. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
193. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमरोहा
194. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
195. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
196. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
197. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
198. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
199. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
200. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
201. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
202. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 फिरोजाबाद
203. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
204. मूल चन्द्र सिंह, श्री जालौन
205. मेघश्याम, श्री मथुरा
206. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
207. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
208. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
209. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
210. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
211. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
212. योगेश धामा, श्री बागपत
213. योगेश वर्मा, श्री खीरी
214. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
215. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
216. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
217. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
218. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
219. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
220. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
221. रमेश सिंह, श्री जौनपुर
222. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
223. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
224. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
225. रवि शर्मा, श्री झांसी
226. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
227. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
228. रश्मि आर्य, डॉ0 झांसी
229. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
230. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
231. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
232. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
233. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
234. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
235. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
236. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
237. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
238. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
239. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
240. राजमणि, श्री प्रयागराज
241. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
242. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
243. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
244. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
245. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
246. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
247. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
248. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
249. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
250. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
251. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
252. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर

253. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
254. रामकेश निषाद, श्री बांदा
255. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
256. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
257. रामदुलार, श्री सोनभद्र
258. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
259. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
260. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
261. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
262. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
263. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
264. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
265. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
266. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
267. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
268. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
269. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
270. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
271. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
272. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
273. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
274. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
275. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
276. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
277. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
278. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
279. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
280. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
281. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
282. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
283. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
284. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
285. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
286. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
287. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
288. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
289. विपुल दुबे, श्री भदोही
290. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
291. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
292. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
293. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
294. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
295. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
296. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
297. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
298. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
299. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
300. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
301. शशांक वर्मा, श्री खीरी
302. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
303. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
304. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
305. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
306. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
307. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
308. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
309. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
310. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
311. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
312. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
313. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
314. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
315. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
316. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
317. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
318. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़

319.	संदीप सिंह, श्री	प्रयागराज
320.	सचिन यादव, श्री	फिरोजाबाद
321.	सतीश चन्द्र शर्मा, श्री	बाराबंकी
322.	सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
323.	सत्यपाल सिंह राठौर, श्री	कासगंज
324.	सभाकुंवर, श्री	देवरिया
325.	समरपाल सिंह, श्री	अमरोहा
326.	सरवन कुमार निषाद, इंजी0	गोरखपुर
327.	सरिता भदौरिया, श्रीमती	इटावा
328.	सरोज कुरील, श्रीमती	कानपुर नगर
329.	सर्वेश सिंह, श्री	फिरोजाबाद
330.	सलोना कुशवाहा, श्रीमती	शाहजहांपुर
331.	साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री	बाराबंकी
332.	सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री	प्रयागराज
333.	सीताराम वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
334.	सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
335.	सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद
336.	सुनील पटेल, डॉ0	वाराणसी
337.	सुभाष त्रिपाठी, श्री	बहराइच
338.	सुरभी, डॉ0	फर्रुखाबाद
339.	सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री	कुशीनगर
340.	सुरेन्द्र चौरसिया, श्री	देवरिया
341.	सुरेन्द्र मैथानी, श्री	कानपुर नगर
342.	सुरेश कुमार, श्री	अमेठी
343.	सुरेश राही, श्री	सीतापुर
344.	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
345.	सुशांत सिंह, कुँवर	बिजनौर
346.	सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
347.	सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री	गाजीपुर
348.	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
349.	सैय्यदा खातून, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
350.	सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0	मेरठ
351.	सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
352.	सौरभ सिंह सोनू, श्री	खीरी
353.	स्वामी ओउ्मवेश, श्री	बिजनौर
354.	हंसु राम, श्री	बलिया
355.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	खीरी
356.	हरिओम, श्री	कासगंज
357.	हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
358.	हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं
359.	हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज
360.	हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
361.	हिमान्शु यादव, श्री	बदायूं
362.	हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़

नोट :-नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ए0 के0 शर्मा), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जे0पी0एस0 राठौर), आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'), अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ राज्य मंत्री (श्री दानिश आजाद अंसारी), पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप) एवं मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-1

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश में धान खरीद व डेंगू से हुई मौत से सम्बन्धित सूचनाओं को नियमों को शिथिल करते हुए सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में धान की खरीद शून्य की स्थिति में जा रही है। डेंगू से हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गयी। किसी को कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए पहले इसे सुन लिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं, डेंगू से सैकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

आपने इसके लिए पहले से कोई नोटिस दिया है। अगर आपका कोई नोटिस हो तो बताइए।

(विपक्ष के कई सदस्य वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे-घपलेबाजों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यू0पी0 में रेवेन्यू सरप्लस, शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला क्यों। योगी सरकार चुनाव में मस्त है, जनता त्रस्त है। पी0डी0ए0 का हक बहाल करो। दलित उत्पीड़न बन्द करो, बन्द करो। जैसे कई नारों से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनता ने इन लोगों को पांच साल दिये थे। इन्हीं कारनामों की वजह से यह लोग लौटकर नहीं आये। नियम और कानून इनके लिए कुछ भी नहीं है। यह लोग सदन में केवल शोर मचाने का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी सीट पर चले जाएं। नेता प्रतिपक्ष से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपने जो भी नोटिस दी हैं, मैं सभी नोटिस को सुनूंगा और आपका जो भी आदेश होगा उसे करूंगा।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मान्यवर, हम लोग सदन में शोर नहीं मचा रहे हैं। जो सरकार बहरी हो जाए, उसको जगाने का काम कर रहे हैं।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

***1-श्री पंकज कुमार मलिक-**

[02-शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या-17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में किसानों का बकाया गन्ना भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में

***2-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों से गन्ना किसानों का कितना गन्ना भुगतान बकाया है ? क्या सरकार ने उक्त किसानों का गन्ना बकाया भुगतान किये जाने की कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

प्रदेश में गन्ना मूल्य की देयता पेराई सत्रवार आगणित की जाती है। तद्नुक्रम में दिनांक 20-11-2023 की स्थिति के अनुसार विगत पाँच पेराई सत्रों की गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :-

पेराई सत्र	गन्ना मूल्य (करोड़ रु0)			
	देय	भुगतान	अवशेष	भुगतान %
2018-19	33,048.06	33,048.06	0.00	100.00
2019-20	35,898.85	35,898.85	0.00	100.00
2020-21	33,014.44	33,014.44	0.00	100.00
2021-22	35,201.34	35,162.03	39.31	99.89
2022-23	38,051.45	36,278.28	1,773.17	95.34

पेराई सत्र, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में कोई गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष नहीं है। पेराई सत्र, 2021-22 में संचालित 120 चीनी मिलों में से 119 चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है, मात्र 01 चीनी मिल कप्तानगंज (कुशीनगर) पर गन्ना मूल्य अवशेष है, जो गत पेराई सत्र, 2022-23 से बन्द चल रही है। चीनी मिल कप्तानगंज पर उक्त बकाये की वसूली हेतु गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के स्तर से चीनी मिल कप्तानगंज के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत है। पेराई सत्र 2022-23 के अवशेष के गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 21-04-2023, 19-05-2023, 09-06-2023 एवं 22-06-2023 को नोटिसें तथा सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त चीनी मिल मलकपुर (बागपत) के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के सम्बन्ध में इस प्रश्न पर हमें अनुपूरक पूछने की अनुमति दी है। मा0 अध्यक्ष जी, हम आप और पूरा सदन और पूरे प्रदेश के लोग यह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्षेत्र सीधे गन्ना से जुड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में अन्नदाता एक बड़े संकट से गुजर रहा है, वह चौतरफा मार खा रहा है। एक तरफ जब बुआई का समय आयेगा तो नहर में पानी नहीं है। जब खाद की आवश्यकता पड़ेगी तो खाद उपलब्ध नहीं है। नकली खाद लेने के लिए वह मजबूर है और जब उसे बेचने का समय आयेगा तो धान क्रय केन्द्र की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है यह आगे आयेगा और पूरा सदन इस बात को जानेगा। लेकिन जिस गन्ना को उसने मिलों को दे दिया और उसका पूरा सपना उसी गन्ना के खेत में है। बेटी के हाथ पीले करने हैं तो वह उस खेत को देखता है। टूटे हुये मकान को बनाना है, टूटी हुयी छत को बनाना है, तो उसी खेत को देखता है, बूढ़ी माँ का इलाज कराना है तो वह भुगतान की तरफ टकटकी लगाकर देखता है। मा0 गन्ना मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि 2021-2022 और 2022-2023 में अभी गन्ना का बकाया अवशेष है। जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने कई पत्र और नोटिसें दी हैं। लेकिन सवाल गन्ना के किसानों के भुगतान का है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और मा0 गन्ना मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 2021-2022 और 2022-2023 का जो किसानों का बकाया है, सरकार इस सदन को आश्वस्त करेगी कि 15 दिन के अन्दर हर हालत में इन दोनों वर्षों का भुगतान वह किसानों तक पहुंचायेंगे। दूसरा अनुपूरक यह है कि क्या सरकार ऐसा कोई निर्णय लेगी और इस सदन को अवगत करायेगी कि गन्ना के किसानों का भुगतान जो वर्ष 2023-24 का बकाया है, यह सुनिश्चित करेगी कि जो पहले से समय-सीमा तय है उस समय-सीमा से एक दिन भी लेट नहीं होगा। अगर लेट होगा तो चीनी मिल के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या आने वाले समय में समय से भुगतान हो जायेगा। यह दो अनुपूरक मा0 मंत्री जी से है।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2017 में जबसे हमारी सरकार आयी है तबसे मा0 पाण्डेय जी ने पूछा है। मैं मा0 पाण्डेय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 में हमारा गन्ने का भुगतान शत-प्रतिशत है। 2021-22 में हमारा 99.89 प्रतिशत पेमेंट हो चुका है, सिर्फ कप्तानगंज में एक कैंडिडेट कभी सपा का प्रत्याशी रहा उसकी शुगर मिल थी, जिस पर 21 करोड़ रुपये बाकी है, उसकी आर0सी0 जारी है। 2022-23 की जहाँ आपने बात की है उसमें मैं अवगत कराना चाहूंगा कि हमने 38051.45 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा जिसमें 36278 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। 95.34 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। 1773 करोड़ रुपये आज भी बाकी है। एक बात और अवगत कराना चाहूंगा कि हमारी

118 फैक्ट्री में से हमारी 95 ऐसी शुगर फैक्ट्री हैं जिन्होंने 14 दिन की जगह 10 दिन में भी पेमेंट किया है और वीकली पेमेंट किया है। हमारी 2-3 फैक्ट्री बाकी हैं उनके बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि उन फैक्ट्रियों की आर0सी0 जारी है। उनसे शीघ्र और भुगतान होगा। 95 प्रतिशत से ज्यादा भुगतान हमने करा दिया है

मा0 अध्यक्ष जी, हमने 95 प्रतिशत से ऊपर भुगतान करा दिया है और जो वर्तमान पेराई सत्र चल रहा है, इसमें हमने अब तक 1393 करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा है, जिसमें से 1373 करोड़ रुपये का भुगतान करा दिया है और वह भुगतान 14 दिन से पहले हो रहा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा यह सवाल ही नहीं था। आज बकाया धनराशि 1773.17 करोड़ रुपये है, इसकी वसूली कब तक हो जायेगी यह मा0 मंत्री जी बता दें।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं बकाया धनराशि के बारे में भी बता दूंगा, मैं यह भी बता दूंगा कि वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2017 तक, दस साल में 01 लाख 43 हजार करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा गया और हमने केवल 06 साल में 02 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का गन्ना खरीदा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में कितनी नई शुगर मिल लगाई गयी हैं, लेकिन कोई भी नई शुगर मिल नहीं लगाई गयी है।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए आप अलग से प्रश्न लगा लीजिएगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, शुगर मिल आदरणीय नेता जी के समय में लगी थीं, हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी के समय में बन्द शुगर मिल शुरू हुईं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य पाण्डेय जी बहुत विद्वान सदस्य है।

श्री अध्यक्ष-

अति विद्वान सदस्य हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2007 से लेकर वर्ष 2012 तक 19 शुगर मिल बेंची गयीं और वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2017 तक 11 शुगर फैक्ट्री बन्दी की गयी हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि हमने जितनी नई फैक्ट्रियां चलाई हैं उनमें गागलहेडी, बुलन्दशहर, मझावली,

पिपराइच, मुंडेरवा, टोडरपुर, बिडवी एवं चांगीपुर, यह आठ शुगर मिल हमने नई चलाई हैं। गजरौला और छाता में नई शुगर मिल लगने जा रही है, रमाला जो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र है, उसकी क्षमता वृद्धि की गयी है, मोहद्दीपुर की क्षमता वृद्धि की है।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, पिछले सदन में भी मा0 मंत्री जी ने यही कहा था। आज बोल रहे हैं कि वर्ष 2012-17 तक यह शुगर मिल बेंची गयी हैं और वर्ष 2017-22 तक यह शुगर मिल बन्द कर दी गयीं। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जितना कुछ आप बता रहे हो, क्या हम यह स्वीकार कर लें कि गन्ना किसानों की आय दोगुनी हो गयी ? दूसरी बात यह है कि कम-से-कम आप यह सूची उपलब्ध करा दीजिए कि किस सरकार में कौन-सी शुगर मिल बन्द हुई और किस सरकार में कौन-सी शुगर मिल बेंच दी गयी हैं, यह तो आप बता दीजिए और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब शुगर मिल बेंची गयी हों तब आपने सरकार से हाथ मिलाकर रखे हों।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, हाथ तो पता नहीं आपके कितनी बार मिल चुके हैं। भतीजे-बुआ भी बन चुके हैं, भाई-बहन भी बन चुके हैं। यह हाथ तो मिलते रहते हैं और अलग भी होते रहते हैं।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, राखी भी बांधी गयी थी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप गन्ना भुगतान पर उत्तर दीजिए।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, यदि आप शुगर मिल बेचने और बन्द करने की बात कर रहे हैं तो मैं उसकी आपको पूरी सूची दे सकता हूँ और सदन में सूची पढ़कर सुना सकता हूँ कि कौन-कौन सी शुगर मिल बन्द हुईं और कौन-कौन सी शुगर मिल बेंची गयी हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा स्पेसिफिक प्रश्न था और आपने वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में भुगतान के बारे में बता दिया है, हम भुगतान की बात नहीं कर रहे हैं। हम बकाये की बात कर रहे हैं, अगर एक किसान का भी बकाया है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है। अगर एक किसान भी आत्महत्या कर रहा है और एक किसान के घर में उसकी बेटी के हाथ पीले नहीं हो रहे हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है। 1,773 करोड़ रुपये बकाया है...

श्री अध्यक्ष-

वे कह रहे हैं कि बकाया भुगतान करा देंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

आप यह सुनिश्चित करिए कि आप यह भुगतान कितने दिन में दे देंगे, क्या आप 15 दिनों में भुगतान सुनिश्चित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

उसका उत्तर आ गया है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, उसका उत्तर नहीं आया है, आप इसका उत्तर दिला दीजिए, हम सन्तुष्ट हो जाएंगे कि आप 15 दिनों में बकाया भुगतान दे देंगे।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मैंने बताया है कि जिन एक-दो फैक्ट्रीज ने पेमेण्ट नहीं किया है, उनकी आर0सी0 जारी कर दी गयी है, शेष भुगतान तत्काल कराया जा रहा है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, इस प्रश्न का जवाब दिला दीजिए कि क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गयी है ?

श्री अध्यक्ष-

यह बात इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

***3-श्री विनोद चतुर्वेदी-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के किसानों के हितार्थ गन्ने का राज्य परामर्शिता मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

***4-डॉ0 अजय कुमार-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों का वर्तमान में कितना गन्ना भुगतान अवशेष है ? क्या सरकार बढ़ती कृषि लागत तथा महंगाई के दृष्टिगत गन्ना किसानों के हितार्थ गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य बढ़ायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

पेराई सत्र, 2022-23 के अन्तर्गत दिनांक 20-11-2023 की सूचना के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों के कुल देय गन्ना मूल्य रु0 38,051.45 करोड़ के सापेक्ष

रु0 36,278.28 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जो कुल देय का 95.34 प्रतिशत है। वर्तमान में उक्त सत्र का रु0 1,773.17 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

राज्य सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन से सम्बन्धित सुसंगत पहलुओं के आलोक में हितबद्ध पक्षों को सुन कर सम्यक् विचारोपरान्त कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रत्येक पेराई सत्र हेतु गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य का निर्धारण किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

डॉ0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के 65 लाख गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने मा0 मंत्री जी से जानना चाहा था कि वर्तमान में कितना गन्ना भुगतान अवशेष है ? क्या प्रदेश सरकार गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य बढ़ायेगी ? मा0 मंत्री जी ने गोल-मोल सा जवाब दिया है। मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि रु0 1,773.17 करोड़ पिछले सत्र का बकाया है और इस सत्र का कितना बकाया है इसके बारे में वे मौन रहे।

श्री अध्यक्ष-

अभी अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बता दिया है।

डॉ0 अजय कुमार-

जहां तक गन्ना भुगतान की बात है, डिजिटल युग में हम जी रहे हैं। यह 14 दिनों में गन्ना भुगतान का जो पुराना नियम है, उसे बदलने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी बहुत से पुराने नियम बदले हैं, तो यह नियम भी बदला जाना चाहिए। एक तरफ गन्ना डाले और दूसरी तरफ किसान के खाते में पैसा चला जाए। सदन को इस बात से सहमत होना चाहिए और सरकार को भी इस बात के लिए सदन को आश्वस्त करना चाहिए कि गन्ना मूल्य भुगतान की बार-बार की समस्या का स्थायी समाधान हो। जहां तक राज्य परामर्शित मूल्य की बात है, वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और 14 दिनों में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान का वायदा एवं 400 रु0 गन्ने का दाम तय करने की बात करके सत्ता में आई थी, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना है कि आज भी 350 रुपये प्रति कुन्टल गन्ने का भाव है। यदि आंकड़ों से देखा जाए तो लागत पर ही गन्ना मूल्य तय किया जाता है। आदरणीय स्वामीनाथन जी ने, जिनका स्वर्गवास सितम्बर माह में हो गया था, उनको नमन करके यहां कहना चाहूंगा कि उन्होंने सिफारिश की थी कि जितनी लागत हो, उस पर 50 प्रतिशत लाभांश जोड़कर किसान को उसका एम0एस0पी0 दिया जाना चाहिए। जहां तक गन्ने का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष गन्ना शोध संस्थान, शाहजहांपुर की रिपोर्ट कहती है कि 306 रुपये प्रति कुन्टल गन्ना की पैदावार में लागत आ रही है...

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिए, दो-ढाई मिनट हो गये हैं।

डॉ0 अजय कुमार-

मान्यवर, शुगर केन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, लखनऊ है, जो भारत सरकार की संस्था है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि एक कुन्टल गन्ना को पैदा करने में 311 रुपये की लागत आती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 306 एवं 311 रुपये की लागत आती है और किसान को 350 रुपये दिया जा रहा है, वह किस अनुपात में दिया जा रहा है, वह मुझे समझ में नहीं आता है। स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार 50 प्रतिशत भी अनुपात लगाया जाए तो लगभग 450 रुपये प्रति कुन्टल से अधिक की दर से गन्ने का भाव इस वर्ष तय किया जाना चाहिए। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप सदन को आश्वस्त करेंगे कि किसानों को इस वर्ष राज्य परामर्शित मूल्य (एस0ए0पी0) का लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। यदि हां, तो वह कबसे दिया जाएगा और नहीं, तो क्यों ? और दूसरा मेरा एक अनुपूरक है कि आज मिलों में चीनी के अलावा प्रेसमड, एथेनॉल आदि सह उत्पाद बनाये जा रहे हैं, मिलें घाटे में नहीं हैं। किसान को बर्बाद होते नहीं देखा जा सकता है, चाहे चीनी के दाम भी बढ़ाने पड़े, एम0एस0पी0 आपको बढ़ाना ही होगा।

यह आप सुनिश्चित करें और मैं यह जानना चाहूँगा, बहुत बार जिक्र करके इस सदन में आपने भी और नेता सदन ने भी कि चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि रमाला में हमने विस्तारीकरण कर दिया, बड़ा ढिंढोरा पीट रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 04 वर्ष उसके विस्तारीकरण के हुए हैं, आज वह चीनी मिल 600 करोड़ रुपये के घाटे में है।

श्री अध्यक्ष-

साढ़े चार मिनट हो गए हैं, अगर आपको उत्तर सुनना है, तो अपनी बात समाप्त करें।

डॉ0 अजय कुमार-

क्या माननीय मंत्री जी रमाला सहकारी चीनी मिल में एथेनॉल प्लान्ट लगाने पर भी विचार करेंगे ? यह मेरे दो अनुपूरक हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

डाक्टर साहब बहुत विद्वान सदस्य हैं और जहाँ पैदा हुए और जहाँ पले हैं, वह हिन्दुस्तान में गन्ने का सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। डाक्टर साहब ने खुद कहा कि लखनऊ के गन्ना रिसर्च सेण्टर ने 311 रुपये प्रति कुन्तल उत्पादन लागत बतायी है और शाहजहाँपुर के रिसर्च सेण्टर ने 306 रुपये प्रति कुन्तल उत्पादन लागत बतायी है। मान्यवर, 350 रुपये प्रति कुन्तल गन्ने का मूल्य हमारा है। आपको अच्छी तरह से पता है, एक कमेटी होती है, वह सभी

तथ्यों पर विचार करते हुए, सभी पक्षों से विचार करते हुए संस्तुति करती है, तब कैबिनेट में गन्ने का मूल्य तय किया जाता है और जब तय किया जाता है तो जो सत्र प्रारम्भ होता है, तभी से वह मूल्य माना जाता है। इसमें जो भी मूल्य होगा, हमारा पेराई सत्र जब से प्रारम्भ हुआ है, वह उसी समय से लागू होगा। दूसरी बात आप कह रहे थे कि ढिंढोरा पीट रहे हैं, डाक्टर साहब, ढिंढोरा पीटने की तो कोई बात नहीं है। रमाला की क्षमता वृद्धि की है, यह सबको मालूम है और शत-प्रतिशत पेमेण्ट रमाला का है, यह भी आपको मालूम है।

डॉ0 अजय कुमार-

अध्यक्ष जी, वह चीनी मिल 600 करोड़ रुपये के घाटे में है और उसका चीनी परता भी कम है।

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न पूछा है, उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री लक्ष्मी नारायण-

अध्यक्ष जी, पर्टिकुलर रमाला चीनी मिल के बारे में तो कोई प्रश्न है ही नहीं, इसमें गन्ने के एम0एस0पी0 के बारे में ही बात पूछी गयी है। आप भी कह रहे हैं और जिस तरह से हमने रमाला चीनी मिल की क्षमता वृद्धि की है, उसी प्रकार रमाला चीनी मिल जिस तरह से भी प्रॉफिट में आयेगी, वह भी काम करने का निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा। एथेनॉल प्लान्ट लगाने के बारे में आपने पूछा है, एथेनॉल प्लान्ट हमने कई लगाये हैं और भी लगायेंगे और आपकी शंका को दूर करेंगे। जब रमाला चीनी मिल की क्षमता वृद्धि की है और हन्ड्रेड परसेण्ट पेमेंट किया है तो उसका भी प्रयास जरूर करेंगे।

प्रदेश में कृषि में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों, खाद एवं कीटनाशक दवाओं पर लगने वाले जी0एस0टी0 को समाप्त करने के सम्बन्ध में

***5-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों के क्रय-विक्रय पर कितना प्रतिशत जी0एस0टी0 निर्धारित है ? क्या सरकार इसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार किसानों के खेती में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों, खाद एवं कीटनाशक दवाओं पर जी0एस0टी0 समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी हाँ।

जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि में उपयोग होने वाले विभिन्न कृषि उपकरणों पर कर की दरें भिन्न-भिन्न हैं।

जी हाँ।

हाथ से संचालित या पशु चालित कृषि उपकरण जैसे कुदाल, फावड़े, मटके, गैंती, कांटे और रेक, कुल्हाड़ी, बिल हुक, हंसिया, घास काटने की चाकू, बाड़ काटने की कैंची, लकड़ी की कीलें आदि को जी0एस0टी0 से कर मुक्त रखा गया है, जबकि हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग मशीन और ट्रैक्टर जैसे मोटर संचालित उपकरणों पर कर की दर 12% है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-279 (A) की उपधारा-4[†] के अन्तर्गत वस्तुओं पर कर की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा निर्णय लिया जाता है, जिसमें समस्त राज्यों एवं केन्द्र का प्रतिनिधित्व है, जी0एस0टी0 की दरों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय काउंसिल की बैठक में पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त ही लिए जाते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, कृषि में जो उपयोगी उपकरण लगते हैं, उसके सम्बन्ध में हमारा प्रश्न था। मान्यवर, उत्तर आया है कि कुदाल, फावड़े, मटके, गैंती पर हम टैक्स मुक्त हैं। हम कहना चाहते हैं कि मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 70 प्रतिशत लोग खेती-किसानी पर आश्रित हैं। यह सरकार भी किसानों की लागत का दूना लाभकारी मूल्य देने के आश्वासन पर आयी है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ट्रैक्टर जो 5 लाख से 10 लाख के बीच में मिलता है, उस पर आप 12 परसेण्ट जी0एस0टी0 लेते हैं, 01 लाख रुपया ट्रैक्टर पर जी0एस0टी0 है। कम्बाइन जो 25 लाख की है, उस पर आप 18 परसेण्ट जी0एस0टी0 लेते हैं, उस पर लगभग 01 लाख 20 हजार लेते हैं। थ्रेसर लगभग 01 लाख के आस-पास मिलता है, उस पर 18 परसेण्ट जी0एस0टी0 है, उस पर आप 18 हजार जी0एस0टी0 लेते हैं। हैरो लगभग 50 हजार का मिलता है, उस पर 18 परसेण्ट जी0एस0टी0 है, लगभग 9 हजार लेते हैं। कल्टीवेटर लगभग 20 हजार का मिलता है, उस पर 18 परसेण्ट जी0एस0टी0 है, उस पर आप 3,600/- रुपये लेते हैं। भूसा मशीन साढ़े तीन लाख की मिलती है, 18 परसेण्ट उस पर जी0एस0टी0 है, उस पर आप 63 हजार लेते हैं। लेबलर, लेजर, डिस-प्लाऊ, मिट्टी लोडर, ट्राली, इन सबको अगर मिला लिया जाए तो मान्यवर, जो अनुमानित लागत है, उस पर 07 लाख 54 हजार रुपये सरकार जी0एस0टी0 के रूप में एक किसान से टैक्स लेती है। मान्यवर, इतना ही नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी चिन्तित है, हम सारे लोग चिन्तित हैं। जो पराली नष्ट करने वाले यन्त्र हैं।

नोट :-[†] देखिये नत्थी (क) का उत्तर आगे पृष्ठ-249-251 पर।

मान्यवर, सुपर सीजर 3 लाख 50 हजार का मिलता है, 12 परसेण्ट जी0एस0टी0 है और इस पर 42 हजार जी0एस0टी0 लेते हैं। पैडी इन्स्टाचापर 3 लाख का मिलता है, जिस पर 36 हजार रुपये टैक्स है, मल्चर 50 हजार का मिलता है और इस पर छः हजार का टैक्स है, मान्यवर, अगर इस तरह से जोड़ा जाए तो लगभग 8 लाख रुपया एक किसान से सरकार टैक्स लेती है और दूसरी तरफ यह कह रहे कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य दोगुना देंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि टैक्स की दरें कम होनी चाहिए। अभी अक्षय ऊर्जा के लिए इन्होंने तर्कसंगत कर दिया 5 परसेण्ट टैक्स और कृषि उपकरणों पर 12 परसेण्ट से ले करके 28 परसेण्ट जी0एस0टी0 है, यह बहुत ज्यादा है, जो कि किसानों के लिए मुश्किल है। दूसरी तरफ मैं यह कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर0के0वी0आई0 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एन0एफ0एस0एम0 द्वारा जो स्कीमें चलाई जाती हैं कस्टम हायरिंग सेण्टर सी0एच0सी0 में इसके लिए कह रहे हैं कि 50 परसेण्ट हम देंगे। मान्यवर, आज आबादी बढ़ रही है, किसान के जोत की भूमि कम हो रही है, इसीलिए व्यक्तिगत तौर पर जो किसान के उपकरण हैं ट्रैक्टर है, थ्रेसर है इन सभी पर जी0एस0टी0 ज्यादा है, इसीलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि जी0एस0टी0 को शून्य किया जाए या तर्कसंगत किया जाए, जिससे किसानों को उसका बेहतर लाभ मिल सके। हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश में खेती, किसानी में जो मशीनीकरण की दर है वह मात्र 45 परसेण्ट है, वहीं अमेरिका में 95 परसेण्ट कृषि उपकरण उपयोग में रहते हैं, ब्राजील में 85 परसेण्ट है, चाईना जैसी जगहों पर 60 परसेण्ट कृषि उपकरण उपयोग हो रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से लागत कम करने के लिए आग्रह है, क्योंकि अगर लागत कम होगी तभी किसानों को लाभ होगा और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि जैसे खाद है, बीज है, कीटनाशक है इस पर भी जी0एस0टी0 है, इन सभी चीजों पर जी0एस0टी0 इतनी ज्यादा है कि लाभकारी मूल्य तो मुश्किल है, लागत मूल्य भी नहीं आ रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार कृषि में उपयोग आने वाले कृषि उपकरणों, कीटनाशक दवाओं व बीज पर तर्कसंगत ढंग से जी0एस0टी0 शून्य करेगी या अन्य तरीके से जिस तरीके से आपने अक्षय ऊर्जा में किया है, 5 परसेण्ट करेगी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने लम्बा-चौड़ा भाषण दिया और उसके बाद एक सवाल पूछा खाद और कीटनाशक पर, 5 परसेण्ट पहले से ही टैक्स है और जहां तक सवाल यह है कि हाथ से संचालित या पशु चालित कृषि उपकरण जैसे कुदाल, फावड़ा, मटके, गैंती, कांटे, रैक, कुल्हाड़ी, हंसिया और घास काटने के चाकू यह सब कर मुक्त हैं। एक-एक विषय पर जी0एस0टी0 कौंसिल में जब तक कॉमन कन्सेंसस नहीं बनाया जाता तब तक निर्णय नहीं होता, वहां बकायदा एक लीगल कमेटी बनी हुई है और दूसरी फिटमेंट कमेटी बनी है, अगर कोई लीगल मैटर है तो लीगल कमेटी में जाएगा अगर फिटमेंट कमेटी वाला मैटर है, यानि मेरिट के

ऊपर है तो मेरिट वाले उसको देखेंगे कि इसके क्या प्रॉस एण्ड प्रॉन्स होंगे और इसके क्या ऑफ्टर इफेक्ट्स होंगे। मान्यवर, यह जो 12 परसेण्ट रखा गया है यह अगर नहीं रखेंगे तो यह कृषि यंत्र और महंगे होंगे, तब किसानों की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा, इसका आई0टी0सी0 यह इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से, क्योंकि आयरन में 18 परसेण्ट है और 18 परसेण्ट इसीलिए कृषि को खासतौर से छोड़ा गया, यह जो उपकरण इसमें दिए गए हैं 12 परसेण्ट वाले, अगर यह 12 परसेण्ट वाला आई0टी0सी0 उसको मिलता है, जिसकी वजह से किसान की जेब के ऊपर बोझ कम पड़ेगा और अगर यह नहीं होगा तो लोग इम्पोर्ट करके इस्तेमाल कर लेंगे, इन चीजों का इम्पोर्ट भी कर लेंगे और साथ-साथ किसान की जेब के ऊपर बोझ ज्यादा पड़ेगा, इसलिए इस पर बहुत मंथन करने के बाद और कई मीटिंगों में इस बात को स्थगित करने के बाद तब यह 12 परसेण्ट हुआ, क्योंकि आई0टी0सी0 इस पर मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है जो भी वह देता है, उसको वह वापस मिलता है अगर यह नहीं होगा तो फिर किसानों को ये दाम और महंगे पड़ेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, सरकार इनकी केन्द्र में भी है और इन्हीं की सरकार प्रदेश में भी है तो फिर किसानों से जुड़े ये गवर्नमेण्ट रेट कौन तय करेगा ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 राजेन्द्र जी, जी0एस0टी0 काउंसिल सारे प्रदेशों से मिल करके बनती है, सिर्फ एक प्रदेश से नहीं।

श्री अखिलेश यादव-

बात तो समझ में आ गई कि जी0एस0टी0 कम कैसे होती है ? अध्यक्ष महोदय, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब आपका रेवेन्यू सरप्लस है। अध्यक्ष महोदय, जब मा0 मंत्री जी यह कहते हैं कि उनका रेवेन्यू सरप्लस है और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो मा0 सदस्य यह कह रहे हैं कि किसानों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए। इसलिए जिस सरकार का रेवेन्यू सरप्लस है तो अगर आप जी0एस0टी0 कम नहीं कर पा रहे तो फिर किसान को सीधे-सीधे सब्सिडी क्यों नहीं दे देते ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, किसान को एक-एक बोरी खाद के ऊपर कितनी बड़ी सब्सिडी देते और जहाँ तक खाद और कीटनाशक की बात कही तो यह बात आपने ही कही, आपकी ही जुबान में तो उसके ऊपर केवल पाँच परसेण्ट है, जो सबसे मिनिमम है, क्योंकि जी0एस0टी0 काउंसिल में कोई एक आदमी बैठ करके सारे निर्णय नहीं ले लेता। इसमें एक भी विषय ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें अपोजीशन के स्टेट्स भी हैं, उसमें वेस्ट बंगाल भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है और वे स्टेट्स भी हैं जो खासतौर से ज्यादा वोकल हैं, उसमें बिहार भी है। मान्यवर, मेरा

कहना यह है कि जिसमें, जब, जहाँ पर, जैसी आवश्यकता होती है तो सारे इश्यूज़ को देखकर, व्यापक विचार-विमर्श करके निर्णय लिया जाता है और यह निर्णय कोई एक व्यक्ति या एक स्टेट नहीं करती और इसमें जी0एस0टी0 काउंसिल यूनियन गवर्नमेण्ट को रिकमेण्ड करती है। कोई ऐसा नहीं है कि जी0एस0टी0 काउंसिल अपने आप रिकमेण्ड करके टैक्स लगा देती हो। इसकी एक तय प्रक्रिया है और यह जो कुछ हुआ है, यह काफी मंथन के बाद हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की वज़ह से अगर यह नहीं होगा तो कृषि यंत्र और ज्यादा महंगे होंगे, एग्रो मशीनरी और ज्यादा महंगी मिलेंगी जिससे किसान की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी गोल-गोल क्यों घुमा रहे हैं ? मा0 सदस्य ने सिर्फ यह पूछा कि जिन एग्रो एक्विपमेण्ट्स पर जी0एस0टी0 यह है, मा0 सदस्य भी यह जानते हैं और मैं भी यह बात मानता हूँ कि इसमें जी0एस0टी0 काउंसिल है, स्टेट काउंसिल है तो आप उसमें अकेले निर्णय नहीं ले सकते हैं, लेकिन मा0 मंत्री जी जब आप यह कहते हैं कि आपका बजट रेवेन्यू सरप्लस है, अगर आपका बजट वास्तव में रेवेन्यू सरप्लस है तो आप बताइए कि आप ट्रॉली में 24 हजार रुपये क्यों वसूल रहे हैं, आप गिट्टी लोडर पर 54 हजार रुपये वसूल रहे हैं। इसलिए किसान को सुविधा देने के लिए यह डबल इंजन की सरकार इस बात पर सोचेगी कि जिस स्टेट गवर्नमेण्ट का रेवेन्यू सरप्लस है तो क्या ऐसी गवर्नमेण्ट किसानों को सुविधा देगी, क्योंकि अगर आप किसानों को सुविधा देंगे तो उससे किसानों की आय बढ़ेगी, दोगुनी आय तो सपना है, लेकिन इससे कम से कम उनकी आय बढ़ेगी तो। क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने बहुत से स्टेप्स उठाए, जिन सिंचाई योजनाओं को 50-50 साल हो गए और फिर भी वे पूरी नहीं हुईं, उसमें आपकी भी सरकार रही। आप भी इन कृषि सम्बन्धित सिंचाई योजनाओं को पूरा नहीं कर पाए और हमने सन् 70, 75 और 77 तक की योजनाओं को पूरा किया, योगी सरकार ने पूरा किया। जहाँ तक सब्सिडी की बात है तो आज नैनो यूरिया हमारी देन है, हम आधी बोतल यूरिया से एक बोरी यूरिया का काम कर रहे हैं। हमारे किसान आधी बोतल नैनो यूरिया में यह काम कर रहे हैं। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है तो इस सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ सब्सिडी दी है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो देंगे। आज पूरे कृषि उत्पादन में सबसे ज्यादा एम0एस0पी0 बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया, हमारी केन्द्र सरकार ने किया इनको यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए और आपको भी स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 सदस्यों से पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर यह बात सच है तो आज धान की खरीद कितनी हो गई है ?

श्री अध्यक्ष-

यह आगे आएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

धान की खरीद हो रही है।

श्री अखिलेश यादव-

क्या गेहूँ सरकार ने खरीदा या फिर प्राइवेट कम्पनियों को खरीदवा दिया, इसलिए आप बात बढ़ाइए मत। मा0 मंत्री जी, मैं आपसे केवल यह निवेदन कर रहा हूँ कि मा0 सदस्य ने यह पूछा है कि फार्मर्स के एग्रो एक्विपमेण्ट्स जिन पर 12 से लेकर 18 परसेण्ट तक जी0एस0टी0 लागू है, आप उन पर इतने परसेण्ट जी0एस0टी0 ले रहे हैं तो क्या डबल इंजन की सरकारें, रेवेन्यू सरप्लस सरकारें, लगातार चलती हुई सरकारें दिल्ली में 10 साल और यू0पी0 की लगभग 7 साल से चल रही सरकार, क्या आप किसान की मदद के लिए जी0एस0टी0 कम करेंगे। आप अपने खजाने से यह सुविधा किसानों को देंगे या नहीं देंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जी0एस0टी0 कम करना हमारे हाथ में नहीं है और जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, वहाँ सब्सिडी भी दी जाती है और किसानों की मदद भी की जाती है और पूरा सहयोग किसानों का किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ गया है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो 12 से 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 किसानों के इक्यूपमेंट्स पर लग रही है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर पर लग रही है, हैरो पर लग रही है, कल्टीवेटर पर लग रही है।

श्री अध्यक्ष-

वह कम नहीं कर पाएंगे। जी0एस0टी0 का अधिकार इनको नहीं है। वह लग तो रही है, लेकिन जब उनका राइट ही नहीं है तो वह उसका उत्तर कैसे दे देंगे।

प्रदेश के अन्य जिला मार्गों को 7 मीटर चौड़ीकरण (2 लेन) डामरीकरण करने की योजना के सम्बन्ध में

***6-श्री स्वामी ओउ्मवेश-**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्य जिला मार्गों का 7 मीटर चौड़ीकरण (2 लेन) डामरीकरण करने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

प्रदेश के मार्गों को 7 मीटर चौड़ीकरण (2 लेन) करने हेतु आई0आर0सी0 64-1990 के अनुसार निर्धारित पी0सी0यू0 एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित 6000 से 15000 तक पी0सी0यू0 के मानक निर्धारित हैं, जिसके अनुसार मार्गों का चौड़ीकरण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रदेश के अन्य जिला मार्गों का 7 मीटर चौड़ीकरण (2 लेन) डामरीकरण करने की योजना पर सरकार विचार करेगी, प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं स्वामी ओउ्मवेश आपका कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मा0 अध्यक्ष महोदय, महाना ही नहीं, अपितु आप महान भी हो।

श्री अध्यक्ष-

यह सड़क चौड़ी करने से इसका क्या मतलब है ?

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

विपक्ष के आर्य सन्यासी का भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप सत्ता पक्ष वालों का करते हैं। मान्यवर, अध्यक्ष जी, माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, प्रदेश के मार्गों को 7 मीटर चौड़ीकरण (2 लेन) करने हेतु आई0आर0सी0 64-1990 के अनुसार निर्धारित पी0सी0यू0 एवं उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित 6000 से 15000 तक पी0सी0यू0 के मानक निर्धारित हैं, जिसके अनुसार मार्गों का चौड़ीकरण किया जाता है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में जो 23, चाँदपुर है, चाँदपुर-बास्ता से मानपुर-अहरौला मार्ग प्रदेश के अन्य जिला मार्गों की श्रेणी में ही आता है। मा0 मंत्री महोदय के उत्तर के अनुसार चाँदपुर से बास्ता-मानपुर अहरौला मार्ग इसी श्रेणी में आता है। इस मार्ग का पी0सी0यू0 11000 है, जो मानकों को पूरा करता है। अतः इस मार्ग का चौड़ीकरण 7 मीटर होना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, यह मार्ग इतना खराब हो चुका है कि लाखों लोगों की समस्या का समाधान तभी हो सकता है, जब इसका ठीक तरह से चौड़ीकरण हो जाए। मा0 महोदय जी, मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलकर इस बारे में निवेदन भी किया है, मैंने लोक निर्माण मंत्री जी से भी इस सड़क के चौड़ीकरण कराने के लिए निवेदन किया है। मा0 मंत्री जी से दो बार चाँदपुर-बास्ता रोड के चौड़ीकरण के लिए मैंने मेरे अन्दर जितनी भी नम्रता है, जितनी भी शालीनता है, उस सबका प्रयोग करके मैंने निवेदन किया था। मा0 मंत्री महोदय ने भी उसी नम्रता का प्रयोग करके मुझे कहा था कि स्वामी जी मैं जरूर बनवा दूँगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इन्होंने कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ऐसा लगता है कि याद नहीं रहा होगा झूठ तो नहीं बोलते हैं मा0 मंत्री जी, लेकिन याद नहीं रहा होगा। मा0 अध्यक्ष महोदय जी मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि क्या मा0 लोक निर्माण मंत्री मेरे विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर, बिजनौर

के चाँदपुर-बास्ता-मानपुर-अहरौला मार्ग को 7 मीटर चौड़ीकरण, 2 लेन डामरीकरण करने की योजना बनाएंगे, मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

श्री जितिन प्रसाद-

मा0 अध्यक्ष जी, सही कहा मा0 सदस्य ने कि यह सरकार झूठ नहीं बोलती है, जो कहती है उसे पूरा करती है और यह मैं मा0 सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह सड़क जिले की प्राथमिकता में शामिल कर ली गई है। मगर सरकार को यह ध्यान रखना पड़ता है कि उपयोगिता, आवश्यकता, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस तमाम चीजें, बिल्कुल सही बात है कि धन के जो संसाधन हैं, वह सीमित हैं। इसलिए जो मैंने कहा है कि थोड़ा विलम्ब हो सकता है, मगर आपकी जो सड़क है, चूंकि पी0सी0यू0 निर्धारित होने के बाद ही चौड़ीकरण होता है, यदि उस मानक में आती है तो प्रयास किया जायेगा कि जो सरकार की नीति है, जैसे जो प्राथमिकताएं हैं, उनको पूरा करते हुए उसके बाद आपकी सड़क जरूर ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

इनकी सड़क उस नीति में है या नहीं है ?

श्री जितिन प्रसाद-

मान्यवर, नीति में है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, आश्वासन हो गया है।

श्री जितिन प्रसाद-

मान्यवर, अगर नीति में नहीं हो पायेगी, चूंकि सड़कें ज्यादा हैं और धन कम है तो प्राथमिकता दी जायेगी। जो पी0सी0यू0 है, उसके आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, आपका आश्वासन बन गया है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस वित्तीय वर्ष के अभी 2-3 महीने बाकी हैं। हम मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि कितने बजट पर, कितना पैसा इस वित्तीय वर्ष में खर्च हुआ है और कितना बाकी है तथा कितनी सड़कें हैं ?

श्री अध्यक्ष-

वह अलग से सूचना दे दी जायेगी, चूंकि अभी इस उत्तर में तो होगा नहीं। मा0 मंत्री जी यदि यह जानकारी आपके पास हो तो दे दें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात सही है कि महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इससे सम्बन्धित नहीं है, तो मा0 मंत्री जी के पास इसकी जानकारी हो तो दे दें।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

आपका आश्वासन हो गया है।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात साफ नहीं हुई है। मेरे लिए पैसा नहीं है, बाकी सबके लिए पैसा है ? मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए पैसा क्यों नहीं है ?

श्री अध्यक्ष-

अरे कब कहा कि पैसा नहीं है ?

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

आप मुझे बतायें कि मा0 मंत्री जी सड़क बनवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी बनवायेंगे।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, और कितने दिन में बनवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, इसको प्राथमिकता पर बनवायें।

श्री जितिन प्रसाद-

मान्यवर, ठीक है।

प्रदेश के सभी जनपदों में बिजली के बिल की स्पष्ट एवं पारदर्शी योजना जनहित में लागू करने के सम्बन्ध में

***7-श्री अभय सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के बिल समय पर न उपलब्ध कराने तथा बार-बार गलत एवं बढ़ा हुआ बिल भेजने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी जनपदों

में बिजली के बिल की कोई स्पष्ट एवं पारदर्शी योजना जनहित में लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ए0 के0 शर्मा)-

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं को समय पर रीडिंग आधारित बिल उपलब्ध कराये जाने हेतु बिलिंग एजेन्सियाँ कार्यरत हैं, जिनके मीटर रीडरों द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर पर जाकर मीटर रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल निर्गत किये जाते हैं।

विद्युत बिल समय पर उपलब्ध कराने हेतु लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल जारी होने से बिल भरने तक उपभोक्ताओं को सात बार एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित करने की टेक्नोलॉजी आधारित व्यवस्था हाल में बनायी गयी है।

कुछ स्थितियों में त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल की शिकायतें प्राप्त होने पर उन्हें शीघ्रातिशीघ्र उपखण्ड/खण्ड कार्यालयों द्वारा नियमानुसार संशोधित कर दिया जाता है। मीटर तेज चलने की शिकायत प्राप्त होने पर चेक मीटर की स्थापना कर आवश्यकतानुसार विद्युत बिलों का संशोधन किया जाता है।

कतिपय प्रकरणों में त्रुटिपूर्ण बिल सृजित हो जाने की स्थिति में उपभोक्ताओं द्वारा बिल संशोधन सम्बन्धी शिकायत पंजीकृत करने की निम्नवत् व्यवस्था लागू है :-

1-उपभोक्ता द्वारा बिल संशोधन सम्बन्धी शिकायत के निराकरण हेतु निकटतम विभागीय कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कराये जाने की व्यवस्था।

2-उपभोक्ता द्वारा स्वयं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की अधिकृत वेबसाइट (एचटीटीपी/डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट यू0पी0पी0सी0एल0 डाट ओआरजी) पर त्रुटिपूर्ण बिल की शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था उपलब्ध है।

3-उपभोक्ता स्वयं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकृत मोबाइल ऐप (यू0पी0पी0सी0एल0 कन्ज्यूमर ऐप) के माध्यम से त्रुटिपूर्ण बिल की शिकायत स्वयं पंजीकृत कर सकते हैं।

4-विभाग के सम्भव पोर्टल पर भी त्रुटिपूर्ण बिल सहित अन्य शिकायतों की सुनवाई त्रिस्तरीय (जिला, डिस्काम एवं मंत्री स्तर पर) व्यवस्था के तहत करते हुए निस्तारण किया जाता है।

5-बिल न मिलने एवं त्रुटिपूर्ण बिल की समस्या के निवारण हेतु उपभोक्ता पर विश्वास रखते हुए इस वर्ष में ट्रस्ट बिलिंग की व्यवस्था भी की गयी है। इसके तहत यह व्यवस्था है कि घरेलू एवं वाणिज्यिक विधा के 9 किलोवाट भार तक के उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन

की अधिकृत वेबसाइट (एचटीटीपी/डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट यूपीपीसीएल डाट ओआरजी) पर लागइन करके अपने मीटर की रीडिंग अंकित कर अपना बिल स्वयं बना सकते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 08-11-2023 से 31-12-2023 तक प्रदेश में एकमुश्त समाधान योजना लागू है, जिसके अन्तर्गत बकायेदार उपभोक्ताओं के अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। इस योजना में पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं के बिल त्रुटिपूर्ण होने की दशा में बिल को संशोधित कर ओ0टी0एस0 का लाभ दिया जा रहा है।

विद्युत वितरण निगमों के अन्तर्गत प्रति माह लगभग 3.28 करोड़ उपभोक्ताओं के बिल निर्गत किये जाते हैं। इस प्रकार इस वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक कुल लगभग 22.96 करोड़ बिल निर्गत किये गये हैं, जिसमें से 9.39 लाख त्रुटिपूर्ण बिलों की शिकायत प्राप्त हुई है, जो कि उक्त अवधि में कुल निर्गत बिलों का मात्र 0.40 प्रतिशत है। इनमें से 9.15 लाख बिलों को संशोधित कर दिया गया है।

उपभोक्ता को त्रुटिपूर्ण बिल निर्गत होने से रोकने के लिए एक व्यवस्था यह भी है कि यदि कोई वर्तमान बिल प्रति किलोवाट रु0 10,000 प्रतिमाह से अधिक है अथवा बकाया सहित कुल बिल रु0 1,00,000 प्रति कि0वा0 से अधिक है तो ऐसे बिलों को बिलिंग प्रणाली में रोक कर विशेष जांच की जाती है। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा बिल संशोधन के उपरान्त ही त्रुटि रहित बिल निर्गत किये जाते हैं।

श्री अभय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ कि आपने जो 'ग्रामीणवासी मीटर रीडरों की बदमाशी की वजह से बिजली बिलों से परेशान हैं', इस मुद्दे पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जब गाँव में जाते हैं तो वहां पर ग्रामीण हमारे संज्ञान में लाते हैं कि जो बिजली मीटरों के रीडर हैं, वह एक स्थान पर बैठकर बिजली के बिल बना लिये करते हैं, जो कि किसानों के पास जाता है तो किसान परेशान होते हैं, विद्युत केन्द्रों पर दौड़ते हैं, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हो पाता है चूंकि उनके पास सीमित संसाधन होते हैं, दो बार, चार बार दौड़कर परेशान होकर वह बेचारे उस बिजली के बिल को जमा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो बिजली मीटर रीडर होते हैं, उनके मोबाइल पर बिलिंग कम्पनियों द्वारा एक आई0डी0 जेनरेट की जाती है। आई0डी0 जेनरेट होने के बाद यह जांच करायी जा सकती है कि किस तरह से वह एक स्थान पर बैठकर पूरे गाँव के लोगों का बिजली बिल निकाल दिया करते हैं। उनकी लोकेशन एक घर से दूसरे घर पर जाकर जांच करने में कम से कम 5 मिनट का समय लगता है परन्तु आप जब भी समय की जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि आधे घण्टे में 2-2 सौ, 3-3 सौ बिल बना दिया करते हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है, चूंकि सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन जो बिजली मीटर रीडर हैं, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध

है कि जो बिजली बिल की कम्पनियां हैं, जो बिल भेज रही हैं, इनकी मॉनिटरिंग करायी जाये और जिस तरह से ग्रामीणवासी परेशान हैं, वह गाँव में रहने वाले मजदूर, किसान लोग हैं, उनके मोबाइल पर जो आई0डी0 खोली जाती है, उस आई0डी0 की लोकेशन के आधार पर और समय के आधार पर सरकार से मेरा प्रश्न है कि क्या उनकी जांच सरकार करायेगी ? जिससे गाँव में रहने वाले किसानों को सही बिजली का बिल मिलेगा और उनको लाभ होगा।

श्री ए0 के0 शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य की चिन्ता बहुत वाजिब है और इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं, जिसे दूर करने का हम लोग निरन्तर प्रयास भी कर रहे हैं। जहां तक मा0 सदस्य ने बताया कि मीटर रीडर की बदमाशी के चलते यह सब हो रहा है, तो एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा।

मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर से कहना चाहूंगा कि ये बबूल आप ने ही लगाया है, जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर सदन में व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, उत्तर आ जाने दीजिये। उत्तर सुन लीजिये।

श्री ए0 के0 शर्मा-

मैं साथ में यह भी कह रहा हूँ कि हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक बिल गलत आने की बात है, उसके लिए मैंने बार-बार उपभोक्ताओं से कहा है और इस सदन में भी कहा है कि उनको शिकायत करने के लिए हमने अनेक अवसर और अनेक प्लेटफार्म दिये हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह बात समझने जैसी है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी उपभोक्ता को अगर ऐसा लगता है कि हमारा बिल गलत आया है, तो उसके लिए हमने 4-5 मैकेनिज्म बनायी हुई है। मैं बार-बार अपने सोशल मीडिया और मीडिया से यह बात कह भी रहा हूँ कि बिलिंग काउण्टर पर प्रत्यक्ष जा करके या ऑनलाइन सुधार करवा सकते है। कन्ज्यूमर एप के जरिए अपने बिल की शिकायत कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्वीकार किया कि यह समस्या है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इस पूरे दुष्चक्र व समस्या से निकलने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ट्रस्ट बिलिंग या सेल्फ बिलिंग की भी शुरुआत की है। इसका मतलब यह है कि हमारे विभाग की वेबसाइट पर जा करके कोई उपभोक्ता अपना कनेक्शन नम्बर, अपने मीटर की रीडिंग जो स्वयं उसने देखी हो, अगर वह डालता है तो 24 घण्टे के अन्दर बिल उसके मोबाइल फोन पर या उसने जो एस0एम0एस0 का नम्बर या ई-मेल दिया है उस पर आ जायेगा। अगले महीने से यह व्यवस्था चालू होने जा रही है। आप यह भी कहेंगे और यह बात सच भी है कि सभी उपभोक्ता ऑनलाइन नहीं जा सकते, सभी उपभोक्ता कन्ज्यूमर एप का, जो हमने दिया है

उसका उपयोग नहीं करते। माननीय अध्यक्ष जी उसके लिए हमने एक दूसरी टैक्नॉलॉजी का उपयोग करते हुए एक व्यवस्था बना दी है, मई से इसकी शुरुआत भी हुई है और सभी माननीय सदस्यों को अनुभव भी आ रहा होगा कि इस तरह की शिकायतें, गलत बिल होने की शिकायतें उत्तरोत्तर घट रही हैं। मेरा अपना अनुभव भी है कि शिकायतें उत्तरोत्तर घट रही हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर सदन में व्यवधान)

कुछ गाँव में लोग बिल नहीं देते थे, उनके लिए समस्या बढ़ रही होगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमने मई से कम्प्यूटर आधारित रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम की एक बहुत ही सक्षम व्यवस्था बनायी है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी उपभोक्ता के कनेक्शन का लोड एक किलोवाट तक का है और उसका मन्थली बिल रु0 10,000 से ज्यादा जेनरेट हुआ है तो कम्प्यूटराइज व्यवस्था में उसको ऑटो स्टॉप कर दिया जायेगा, आटोमेटिक ढंग से रोक दिया जायेगा। इतना ही नहीं अगर प्रति माह उसका बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा का आ रहा है तो भी कम्प्यूटराइज व्यवस्था के तहत उसका बिल रोक दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस महीने में अभी 1-2 दिन बाकी है। इस महीने हम लोगों ने कम्प्यूटराइज व्यवस्था में 1 किलोवाट कनेक्शन के ऐसे 1,75,000 बिल जो रु0 10,000 से ज्यादा के थे उनको हमने रोककर रखा है। दूसरी कैटेगरी रु0 1,00,000 से ज्यादा बकाया वालों की है। हमने सेल्फ चेकिंग के जरिए लगभग ऐसे 8 लाख बिल रोककर रखे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस समस्या का निराकरण सेल्फ बिलिंग से है। इस समस्या के निराकरण पर हमारा पूरा ध्यान है। सभी माननीय सदस्यों के संज्ञान के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इस समय जो हमारी एकमुश्त समाधान योजना चल रही है उसमें हमने छोटे उपभोक्ताओं, घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को 100 प्रतिशत तक अधिभार पर छूट देने की, मुक्त करने की घोषण की है। वह योजनाएं चल रही हैं।

कल शाम तक की जो फीगर है, 14 लाख लोगों ने उसका लाभ लिया है। उसमें जब कोई व्यक्ति अपना बिल ले करके हमारे काउण्टर पर आता है, अगर वह अपने बिल से सन्तुष्ट नहीं है, अगर उसको लगता है कि उसका बिल अनर्गल आया है, गलत आया है तो वह अपनी बात भी काउण्टर पर कह सकता है। उसके बिल को सुधारने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि मीटर रीडर गलती करता है, जाता नहीं है, गलत बिल बनाता है, बिना गये टेबिल पर बैठ कर रीडिंग नोट लेता है, ये सारी बातें संज्ञान में हैं और इसीलिए जो बबूल हमने काटे हैं, उसका भी हम थोड़ा सा ब्योरा दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, जो विषय है, जितना पूछा गया है, उसी पर उत्तर दीजिए, हमें आगे भी प्रश्न लेने हैं।

श्री ए0 के0 शर्मा-

मान्यवर, जहाँ भी मीटर रीडर की लापरवाही या गलती पाई जाती है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे 2508 मीटर रीडरों की हमने सेवायें समाप्त कर दी हैं, उनको बर्खास्त कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा जी का है।

(सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय एवं अन्य विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ अनुपूरक पूछने का प्रयास करने पर)

इस प्रश्न के ऊपर बहुत डिस्कशन हो गया है और पूरा उत्तर आ गया है। पाण्डेय जी, आप हमेशा खड़े हो जाते हैं, आप बैठिये।

प्रदेश के सभी शहरों, कस्बों, ग्राम सभाओं, मजरों व ठारों पर विद्युतीकरण कार्य समयबद्ध अवधि में पूर्ण करने के सम्बन्ध में

***8-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी शहरों, कस्बों, ग्राम सभाओं, मजरों व ठारों पर दिनांक 28-08-2023 तक विद्युतीकरण का कार्य कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त में विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार प्रदेश में विद्युतीकरण कार्य समयबद्ध अवधि में पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है।

फिर भी हाल में संज्ञानित हुआ कि 22,339 मजरे अभी भी विद्युतीकरण से वंचित हैं। इन मजरों के विद्युतीकरण के लिए दिनांक 30-05-2023 के पत्र द्वारा भारत सरकार से सहायता हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में भारत सरकार से सम्पूर्ण धनराशि का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही पूर्ण किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, मैं आपको दिल की अनन्त गहराई से धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी शहरों, कस्बों, ग्राम सभाओं, मजरों व ठारों पर दिनाँक 28-08-2023 तक विद्युतीकरण का कार्य कर दिया गया है ? मान्यवर, इसका उत्तर यह आया है कि 22,339 मजरे अभी भी विद्युतीकरण से वंचित है। इन मजरों के विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार से सहयोग मिलेगा, तब यह काम हो पायेगा। मैं यह पूछना चाह रहा था कि इधर तो यह ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम 20 घण्टे गाँव में बत्ती दे रहे हैं, लेकिन गाँव में 8 घण्टे से लेकर 9 घण्टे ही बत्ती आ रही है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि इन्होंने घोषणा की थी कि हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन उन किसानों के पास बिजली के बिल आ रहे हैं। मान्यवर, साथ ही दलितों और आदिवासियों के मोहल्लों में लट्ठे तक नहीं हैं, वहाँ लाइट नहीं जा पा रही है और जब लाइट नहीं जा पा रही है तो वह बल्ली के सहारे किसी तरह से अपनी लाइट ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जिन मजरों में, जिन ठारों पर लाइट नहीं है, वहाँ कब तक लट्ठे सहित लाइट पहुँच जायेगी ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की बात सही है कि 22,339 मजरे विद्युतीकरण से बाकी हैं। कुछ में आंशिक विद्युतीकरण हुआ है, कुछ पूर्ण रूप से बाकी हैं। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूँगा कि 2017 के पहले लगभग डेढ़ लाख ऐसे मजरे बाकी थे, उनमें से 1 लाख 21 हजार मजरों का विद्युतीकरण इस सरकार ने अपने कार्यकाल में कर दिया है, जो बाकी 22,339 हैं, उन पर हमारा पूरा ध्यान है और मैंने स्वयं भारत सरकार के माननीय विद्युत मंत्री श्री आर0 के0 सिंह जी से इस विषय पर कई बार चर्चा की है। भारत सरकार ने इस योजना को अनुमोदन भी दे दिया है। जो आर0डी0एस0एस0 योजना चल रही है, उसमें इसका अनुमोदन भी मिल गया है और बहुत शीघ्र इन मजरों का विद्युतीकरण हो जायेगा। हमारी और भारत सरकार के बीच जो वार्तालाप चल रही है, वह उसकी यूनिट कास्ट की है। क्योंकि जब एक बल्क इलेक्ट्रीफिकेशन हुआ था और जब बहुत सारे नजदीक-नजदीक के मजरे थे तो उसमें यूनिट कास्ट कम आती थी, खर्च कम आता था। अब जो मजरे बचे हैं, वह छूटे हुए हैं, इधर-उधर बसे हुए हैं, उसमें थोड़ी यूनिट कास्ट ज्यादा आ रही है। भारत सरकार ने 338 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है। भारत सरकार ने उसमें 203 करोड़ का अपना अंशदान भी मंजूर कर दिया है।

मान्यवर, जो बात चल रही है, इस योजना को बहुत जल्दी आगे ले जाने की दिशा में चल रही है। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय हम पूरे राज्य में बिजली दे रहे हैं। इनके समय में यह जानते हैं कि कहां-कहां बिजली आती थी और कहां-कहां नहीं आती थी।

प्रदेश में खराब ट्रांसफार्मर को विभाग द्वारा बदलवाने की समय-सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में

***9-डॉ0 रागिनी-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खराब ट्रांसफार्मर को विभाग द्वारा बदलवाने की कोई समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि तय सीमा के अन्तर्गत खराब ट्रांसफार्मर न बदल पाने पर सरकार विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा जुर्माना लगाने की कोई नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की शिकायत प्राप्त होने पर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को शहरी क्षेत्रों में 08:00 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 48:00 घण्टे में बदले जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश में विभिन्न कार्यशालाओं में पर्याप्त संख्या में नये/मरम्मतशुदा ट्रांसफार्मर उपलब्ध हैं एवं खराब ट्रांसफार्मर निर्धारित समय-सीमा में बदले जा रहे हैं।

माह-अप्रैल, 2023 से माह अक्टूबर, 2023 तक क्षतिग्रस्त हुए एवं बदले गये ट्रांसफार्मर का विवरण निम्नवत् है :-

अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफार्मर (सं0)	अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक बदले गये ट्रांसफार्मर (सं0)	अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक उच्चीकृत हुए ट्रांसफार्मर (सं0)	अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक स्थापित नये ट्रांसफार्मर (सं0)
189803	189803	7411	1130

प्रदेश में क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की शिकायत प्राप्त होने पर क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को शहरी क्षेत्रों में 08:00 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 48:00 घण्टे में बदले जाने की व्यवस्था है। यदि उपभोक्ता से क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को नहीं बदलने की सूचना/शिकायत प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित वितरण निगम द्वारा प्रकरण की जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे ऊर्जा विभाग के एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया है। आज भी उत्तर प्रदेश की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण अंचल में रहती है। ऊर्जा विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसने गरीब अंचल की महिलायें हों, मजदूर हों, किसान हो, वृद्धा हो या विधवा हो सभी

की कमर तोड़ने का काम किया है। बिजली की परेशानी और ट्रांसफार्मर की परेशानी इस हद तक रही है कि चाहे अस्पताल में बीमार लोग हों, चाहे महिला प्रसव के दौरान हो, चाहे नवजात छोटे बच्चे हों, चाहे हमारे स्कूल जा रहे बच्चे हों, हर जगह, हर लोगों ने परेशानी को सहा है और आज भी सह रहे हैं। मेरा प्रश्न ऊर्जा विभाग से यह था कि जो ट्रांसफार्मर आये दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ? उसका जवाब आया है कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 08:00 घण्टे और जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पर 48 घण्टे में बदले जाने की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी निराशा के साथ यह कहना चाहूंगी कि यह जो जवाब आया है, वह शायद सिर्फ विपक्ष या जनता के लिए है। शायद ऊर्जा विभाग के अधिकारी इस जवाब से अवगत नहीं हैं, क्योंकि अगर वह इस जवाब से अवगत होते तो यह ट्रांसफार्मर एक-एक महीने तक खराब न पड़े रहते। 1912 पर कम्प्लेंट करने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और साथ-ही-साथ यह जो कम्प्लेन के नम्बर चलते हैं उन नम्बरों पर कम्प्लेन करने के बाद सिर्फ खानापूर्ति के लिए उस पर एक रिप्लाई मैसेज आ जाता है कि यह ट्रांसफार्मर बन चुका है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर देखते हैं तो वह ट्रांसफार्मर उसी तरीके से खराब पड़े रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि प्रदेश में कुल 80 प्रतिशत ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिनकी क्षमता वृद्धि की जरूरत है। मेरे जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि विगत 6 महीनों में सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश में 7 हजार ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। अगर सरकार इस तरीके से इस स्पीड से काम करेगी तो पूरे प्रदेश के 80 प्रतिशत जो ट्रांसफार्मर हैं जिनकी क्षमता बढ़ानी है, वह सरकार कब तक बढ़ा पायेगी ? यह मेरा पहला प्रश्न है। इसकी समय-सीमा निर्धारित करें कि कब तक क्षमता वृद्धि कर देंगे ? ऊर्जा विभाग कार्रवाई करने में आज सबसे आगे पहुंच चुका है, क्योंकि चाहे गरीब हो, मजदूर हो, दिव्यांगजन हों, वृद्धा हो या विधवा हो अगर इनका 500 रु0 बिल पे नहीं होता है तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। अगर समय-सीमा के अन्तर्गत इन ट्रांसफार्मर को ठीक नहीं किया जाता है तो क्या सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा इन चिन्हित अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जाती है। अगर की जाती है तो अब तक ऐसे कितने लोग हैं जिन पर सरकार के द्वारा कार्रवाई की गयी है ? धन्यवाद।

श्री ए0 के0 शर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्या की जो चिन्ता है, उसमें इन्होंने कुछ फिगर्स को पढ़े हैं, लेकिन सब फिगर्स नहीं पढ़े हैं। उसी पेज पर उसी टेबिल पर कुछ और भी फिगर्स दिया है, वह यह है कि अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक 1,89,803 ट्रांसफार्मर बदले गये हैं। जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ ट्रांसफार्मर को उच्चीकृत किया जाता है, ऐसे 7411 ट्रांसफार्मर हैं। इसके साथ जो नये ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया है वह 1130 हैं।

मा0 सदस्या के जिले की बात करूं तो जौनपुर में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों की संख्या 01-04-2023 से 30-10-2023 तक 5759 ऐसे ट्रांसफारमर बदले गये हैं और अगर आपके विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर की बात करूं तो 1071 ऐसे ट्रांसफारमर बदले गये हैं। अभी बांस-बल्ली लगाने की बात भी आयी तो अगर मैं क्षतिग्रस्त खम्भों की बात करूं तो जौनपुर में 1170 कमजोर खम्भों को बदला गया है और मछलीशहर में ऐसे 223 खम्भे बदले गये हैं। मैं माननीय सदस्या के साथ सभी माननीय सदस्यों से एक बार फिर कह रहा हूं, मैंने आपको पत्र भी लिखा है कि इस समय हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। आर0डी0एस0एस0 में 17 हजार करोड़ रुपए का काम चल रहा है, बिजनेस प्लान में लगभग 4 हजार करोड़ रुपए का काम चल रहा है, नगर निकायों के लिए लगभग 1 हजार करोड़ रुपए का काम चल रहा है। आप अपने-अपने क्षेत्र में ध्यान रख करके जर्जर तार, जर्जर खम्भे, अधिभारित ट्रांसफारमर बदलवा लीजिये, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी।

डॉ0 रागिनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि लम्पसम 6 महीने में 2 लाख ऐसे ट्रांसफारमर हैं, जो क्षतिग्रस्त हुए और आपको उन्हें बदलना पड़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, क्षतिग्रस्त होने का कारण मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को पता होगा या तो उनकी गुणवत्ता में कोई कमी है या तो वह ट्रांसफारमर भार से ज्यादा कैपेसिटी को ले रहे हैं और इसी वजह से खराब हो रहे हैं। अगर आप मेरे जिले की बात करें तो पिछले 6 महीने में लम्पसम 6 हजार ट्रांसफारमर्स को बदला गया और उनमें से कई ऐसे ट्रांसफारमर थे जिन्हें आज लगाया गया वह कल खराब हो गये, फिर लगाया गया और अगले दिन खराब हो गये तो यह उनकी गुणवत्ता को दर्शाता है कि किस प्रकार के ट्रांसफारमर्स हैं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि यदि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो क्या आपके पास उसका डाटा है ? यदि बार-बार एक ही ट्रांसफारमर को बदलना पड़ा है तो अवश्य ही उसकी गुणवत्ता में कोई प्रॉब्लम है और ऐसी स्थिति में जिन कम्पनियों से आप उन्हें ले रहे हैं क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या किसी कम्पनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है ? साथ ही साथ मेरा एक और सवाल है, प्रदेश की जनता बहुत आस के साथ यहां बैठी हुई है, समाजवादियों ने वादा किया था 300 यूनिट बिजली फ्री करने का और सिंचाई, बिजली फ्री करने का लेकिन आज 500 रुपए बकाया होने पर उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या कोई ऐसी स्कीम आ रही है जिसके अन्तर्गत हमारे प्रदेश के लोगों को आप इस प्रकार से लाभान्वित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप ट्रांसफारमर पर बतायें।

श्री ए0 के0 शर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्या ने जो बिजली काट देने की बात कही तो मैं सभी माननीय सदस्यों को अपडेट करना चाहूंगा कि हमने इस समय सिर्फ बिजली के बकाये के चलते बिजली काटने के लिए मना कर दिया है। हमने बीच में एक अभियान चलाया था 'फोन घुमाओ अभियान', इसमें हम आपको एलर्ट कर रहे हैं कि भाई साहब, बहनजी आपका बिल आपके मोबाइल पर गया हुआ है, इतना बिल आया हुआ है कृपा करके उसको जमा कर दें। एक बार नहीं माननीय अध्यक्ष जी फोन पर हम लोग कई बार कहते हैं। अभी टेक्नोलॉजी आधारित एक और व्यवस्था की है कि 7 बार हम एस0एम0एस0 भेज रहे हैं। जैसे मोबाइल कम्पनियों से रिचार्ज के लिए बार-बार एस0एम0एस0 आता है उसी प्रकार का सिस्टम हमने लाखों-करोड़ों फोन नम्बर इकट्ठा करके एक बिल के पीछे 7 एस0एम0एस0 भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसलिए बिजली कनेक्शन काटने की नौबत पहले की अपेक्षा कम हुई है और उत्तरोत्तर हम इसको निल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, जहां तक ट्रांसफारमर जलने का सवाल है तो यह समस्या आती है। हमारे पास 92 ऐसे वर्कशाप हैं जहां ट्रांसफारमरों की रिपेयरिंग होती है। माननीय सदस्या ने स्वयं कहा कि जितना लोड ट्रांसफारमर वहन कर सकता है उससे ज्यादा लोड वहां चल रहा है और दुर्भाग्य की बात है कि रिकार्ड पर वह लोड नहीं होता है, इसलिए ट्रांसफारमर की क्षमता वृद्धि करने में हमें कई बार दिक्कत आती है। उस समस्या से भी हम लोग निपटने की कोशिश कर रहे हैं, हम घर-घर जाकर सबको अपना लोड अधिकृत कराने का सबको अपना लोड ऑन रिकार्ड लाने के लिए कह रहे हैं और मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि जले हुए ट्रांसफार्मर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लोग बैलगाड़ी ले करके आते थे, अपना-अपना ट्रैक्टर लेकर आते थे, लेकिन आज सरकार के खर्च से, सरकार के वाहन में ट्रांसफार्मर जा करके कुछ घंटों में लग जाता है। आपको मालूम है कि पहले ट्रांसफार्मर बदलने में कितना समय लगता था। अब घंटो में शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी बड़े संघर्षो के बाद मंत्री बने हैं, मा0 मंत्री जी ने कहा कि बबूल लगाये हैं, तो बिजली विभाग और बबूल का सम्बन्ध समझ में नहीं आया, यह दो बार उन्होंने कहा। अब यह कह रहे हैं कि वह इनकी योजना थी कि ट्रांसफार्मर इतने घंटो में बदल देंगे। मा0 मंत्री नए मंत्री बने हैं हम लोग आपको बहुत झटका नहीं देते हैं। कम से कम ऐसी बातें नहीं कहिए कि बबूल लगाये हैं, पुरानी सरकार में। मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि आप यह बताइए कि आपने एक ऐसा बिजली कारखाना कौनसा लगाया है, जो उत्तर प्रदेश में बिजली दे रहा है।

श्री ए0 के0 शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता विपक्ष का मैं बहुत आदर करता हूँ और आदर के साथ मैं उनकी बात का जवाब भी देना चाहूंगा। मेरा कहना यह है कि जो बिजली के बिलिंग के सिस्टम में जो खामियाँ हैं, वह आज की नहीं हैं, वह आप मुख्य मंत्री थे, तबकी है और मैंने यह भी कहा कि उस बबूल को समूल नष्ट करने का काम मैं कर रहा हूँ और ऐसे 2500 मीटर रीडरों को और कर्मियों को हम लोगों ने बर्खास्त कर दिया है कुछ महीने पहले।

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल ने जो सरकार से पूछा है हम ससम्मान उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि वर्ष 2017 से पहले एक सप्ताह दिन में बिजली आती थी और एक सप्ताह रात में बिजली आती थी। अब हमने इसकी क्षमता वृद्धि की है और पूरे प्रदेश को बिजली देने का कार्य किया है। हमारी सरकार ने 75 के 75 जनपदों को बिजली देने का काम किया है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को बिजली की चिन्ता नहीं होनी चाहिए।

प्रदेश में जर्जर विद्युत तार एवं खम्भों को बदलवाने के सम्बन्ध में

***10-डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जर्जर विद्युत तार व खम्भों को बदलवाने हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार प्रदेश में विद्युत आपूर्ति हेतु निर्धारित शिड्यूल के अनुसार क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हाँ। इस कार्य को वर्तमान में युद्धस्तर पर किया जा रहा है। हाल में विभिन्न योजनाओं (आर0डी0एस0एस0, बिजनेस प्लान एवं ए0डी0बी0 द्वारा वित्त पोषित योजना) में जर्जर विद्युत तार व खम्भों को बदलवाने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2022 से 31 अक्टूबर, 2023 तक कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

कार्य-विवरण	यूनिट	अद्यतन प्रगति
खुले एवं जर्जर तार/केबिल को ए0बी0 केबिल से प्रतिस्थापना	स0कि0मी0	33,080
33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 फीडर का विभक्तीकरण/पृथक्कीकरण	स0कि0मी0	12,927
क्षतिग्रस्त खम्भों की प्रतिस्थापना	संख्या	3,40,933
क्षतिग्रस्त कन्डक्टर की प्रतिस्थापना	स0कि0मी0	4856

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में निर्धारित रोस्टर के अनुसार स्थानीय व्यवधान को छोड़कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी को पूरे प्रदेश की चिन्ता है।

श्री अखिलेश यादव-

स्वास्थ्य मंत्री जी को अगला सवाल है, इसलिए चिंतित पहले ही हो रहे हैं, अभी डेंगू पर आपसे बात करेंगे।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आज आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमें बोलने का मौका दिया। मान्यवर, हमारे ऊर्जा मंत्री जी हमारे पड़ोसी भी हैं, न जाने इनको बबूल की क्यों याद आती है। अब आप लखनऊ शहर में रहते हैं, यहां हमारे मा0 नेता मा0 अखिलेश यादव जी ने क्रोसिया, कम्बोडिया के पेड़ लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न बबूल पर नहीं है, प्रश्न जर्जर तारों पर है।

डॉ0 संग्राम यादव-

अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी ने यहाँ लगाया है, आपकी तरह बबूल का पेड़ नहीं क्रोशिया, कम्बोडिया, मालसुई का पेड़ लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप इस पर प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो कृपया प्रश्न पूछिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, डा0 रागिनी जी के प्रश्न से ही मिलता-जुलता मेरा प्रश्न है। मा0 अध्यक्ष जी, लिखन्त-पढ़न्त में मा0 ऊर्जा मंत्री जी तेज हैं, लेकिन थोड़ा व्यवहारिक जीवन में आएं। कुछ दिन जनपद मऊ, आजमगढ़ में अपने विभाग की समीक्षा कर लेते, तो जो बड़ी विस्तार से इन योजनाओं का वर्णन करते हैं कि एक हजार करोड़ व तेरह सौ करोड़ दे दिया, तो न करते। मान्यवर, इनकी जो योजना है, जो इन्होंने कहा कि आर0डी0एस0एस0 बिजनेस प्लान व ए0डी0बी0, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि जनपद आजमगढ़ में क्या इन कम्पनियों पर आपका या आपके अधिकारियों का कोई नियंत्रण है ? मैंने कई बार इस

मुद्दे पर अधिकारियों से मिलकर अनुरोध किया कि जो जर्जर तार हैं और जो खराब ट्रांसफार्मर हैं, वे बदल दिए जाएं, लेकिन आज तक आजमगढ़ जनपद में जहाँ आपका आना-जाना होता है वहाँ एक भी गाँव ऐसा नहीं है जहाँ 2-4 किमी0 तार बदले गये हों और ट्रांसफार्मर की इतनी खराब गुणवत्ता है पता नहीं कौन कम्पनी है, गुजरात की है कि कहाँ की है, हमें नहीं पता है ? वह ट्रांसफार्मर जैसे ही लगाये जाते हैं, वैसे ही उड़ जाते हैं।

मा0 मंत्री जी लिखने-पढ़ने में तेज हैं। ये लिखते हैं कि हमने इतने नये ट्रांसफार्मर लगाये, इतने नये जोड़ दिए। जब आप घर जाते हैं, तो सुबह सबसे ज्यादा आपके विधायकों के पास गरीब रोते हुए आते हैं। उनको सबसे ज्यादा शिकायत है कि हमारे गाँव का ट्रांसफार्मर दो-तीन माह से खराब है। अगर आजमगढ़ की समीक्षा कर लें और अपने अधिकारियों से पूछ लें कि इन जर्जर तारों से गेहूँ की कितनी फसलें नुकसान हुई थीं, कितने लोगों की जनहानि हुई, तो आपको स्वतः संज्ञान में आ जायेगा।

आप जो बिजिनेस प्लान की बात करते हैं, तो हमारी भी उत्तर प्रदेश में सरकार थी। उस समय के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी भी बैठे हैं। बिजनेस प्लान में विधायक अपने क्षेत्रों की बात रख देते थे, तो अधिकारी गम्भीरता से लेते थे। आज जब आपके अधिकारियों से हम लोग बात करते हैं, तो कम्पनियों का रोना रोते हैं। आप पूरे देश को प्राइवेट कम्पनियों के हवाले कर रहे हैं, पूरे ऊर्जा विभाग को आपने आउटसोर्सिंग के हवाले कर दिया है, आपके पास परमानेंट कर्मचारी नहीं हैं, लाइन मैन नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको बोलते हुए साढ़े तीन मिनट हो गये हैं। आप प्रश्न पूछिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि किसी जगह बिजली काटने का आदेश नहीं दिया गया है। मेरे क्षेत्र में गजेन्दरपट्टी अजगरा गाँव है। वहाँ आपका जे0ई0 सुबह से ही दूसरी व्यवस्था में लग जाता है। आप उसका आचरण चेक कराइएगा। उसकी छवि इतनी खराब है, जिसकी कोई हद नहीं है। बनारस में मैंने आपके एम0डी0 को भी इसकी सूचना दी है, आजमगढ़ में चीफ को सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

आपको बोलते हुए 04 मिनट हो गये हैं, अब आप प्रश्न पूछिए, यदि 05 मिनट से ज्यादा हो गया, तो आपका उत्तर भी नहीं आ पायेगा।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, महाजी सिंगारा लोनिया में न तार है, न बिजली है।

श्री अध्यक्ष-

अलग-अलग विषयों का मा0 मंत्री जी के पास उत्तर नहीं होगा। आप इसको लिखकर दीजिए। कौन से गाँव में किस व्यक्ति की बिजली काटी गयी है, इसका उत्तर उनके पास नहीं होगा ? आप बहुत विद्वान सदस्य हैं। जो रिलेवेन्ट प्रश्न है, उसको आप पूछ लीजिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, मंत्री जी कहाँ से कहाँ लाकर बोलते रहते हैं। कुछ जिलों का नाम लेते हैं, तो अपने पड़ोस के जनपद को भी इसमें ले लें। मान्यवर, मैं इतना जानना चाहता हूँ कि इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि इतने जर्जर तार बदले गये, इतने ट्रांसफार्मर बदले, लेकिन ऊर्जा विभाग जमीन पर जनता के बीच काम करते नहीं दिखता। आज उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग सबसे खराब हालत में है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न पूछिए।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी को ऊर्जा की काफी चिन्ता है।

श्री अध्यक्ष-

चूँकि कोई प्रश्न आया नहीं, इसलिए ये सुझाव है कि मा0 मंत्री जी इनको नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या-11 श्री पंकज पटेल जी।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, हमारा उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा, आप कार्यवाही निकाल लीजिएगा, आपने केवल उदाहरण दिए हैं, आपने कुछ नहीं पूछा है, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। आपने पाँच मिनट में कोई प्रश्न नहीं किया।

प्रदेश के नदियों में बढ़ते जलीय प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में

***11-श्री पंकज पटेल-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नदियों में बढ़ते हुए जलीय प्रदूषण से जलीय जीवों के जन-जीवन पर गम्भीर खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जलीय प्रदूषण को रोकने की कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 अरुण कुमार)-

जी नहीं।

प्रदेश की प्रमुख नदियो यथा-गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा, रामगंगा, आमी, सई, तमसा एवं बेतवा नदियों में विभिन्न बिन्दुओ पर किये जा रहे जलगुणता अनुश्रवण के वर्ष 2023 (जनवरी से अक्टूबर) के प्राप्त जलगुणता अनुश्रवण के आंकड़ों के अनुसार इन नदियों में अधिकांश स्थलों की जलगुणता बी/सी एवं डी श्रेणी की पायी गयी है, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार जलीय जीवों के जलजीवन (मत्स्य पालन) हेतु उपयुक्त होता है।

प्रदेश में जल प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित प्रभावी है, जिनका सतत् अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है।

उ0प्र0 के अन्तर्गत 14 नदियों यथा-यमुना, वरुणा, काली, हिंडन, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरयू, आमी, तमसा तथा सई नदियों के प्रदूषित अंशों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन तथा जल गुणता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु कार्य योजनायें सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। उक्त कार्य योजना का समयबद्ध क्रियान्वयन मासिक रूप से त्रिस्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। अनुश्रवण जिलाधिकारी के स्तर पर गठित जिला पर्यावरण समिति, मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित 'रीवर रिजुवेनेशन कमेटी' द्वारा किया जाता है।

जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों में समुचित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना तथा उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। अति प्रदूषणकारी प्रकृति के आसवनी उद्योगों के लिए शून्य उत्प्रवाह निस्तारण के प्रावधान लागू हैं। समस्त प्रदूषणकारी उद्योगों का नियमित अनुश्रवण करते हुए दोषी इकाइयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

घरेलू, मल-जल के शोधन हेतु वर्तमान में प्रदेश में 131 सीवेज शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित हैं, जिनमें से 118 सीवेज शुद्धीकरण संयंत्र संचालित हैं। संचालित सीवेज शुद्धीकरण संयंत्रों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है।

वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख नदियों/अन्य जल स्रोतों में कुल 155 चिन्हित बिन्दुओं पर मासिक रूप से जलगुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश की प्रमुख 14 नदियों यथा-यमुना, वरुणा, काली, हिंडन, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरयू, आमी, तमसा तथा सई के पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में कुल 109 बिन्दु सम्मिलित हैं। वर्ष 2023 (जनवरी से अक्टूबर) में वर्ष 2019 (जनवरी से अक्टूबर) के सापेक्ष प्रदेश के उक्त प्रमुख 14 नदियों के पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में कुल 109 बिन्दुओं में से 55 बिन्दुओं पर जलगुणता के प्रमुख प्रदूषणकारी प्रचालक बी0ओ0डी0 की औसत मात्रा में 0.45 से 73.93 प्रतिशत तक की कमी तथा 56 बिन्दुओं पर टोटल कोलीफार्म की औसत मात्रा में 0.36 से 97.18 प्रतिशत तक की कमी पायी गयी, जो कि जलगुणता में सुधार का द्योतक है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ संख्या-252-253 पर।

श्री पंकज पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, जल ही जीवन है। यह सरकार न तो जल को लेकर और न ही जीवन को लेकर गम्भीर है। मान्यवर, मेरा प्रश्न नदियों में बढ़ते प्रदूषण को ले करके था। लेकिन जो लम्बा-चौड़ा जवाब आया है उसको देखने के बाद लगता है कि प्रदेश की सारी नदियां एकदम साफ-सुधरी हो चुकी हैं। परन्तु जब हम लोग मौके पर जाते हैं या पता करवाकर देखते हैं तो इसके उल्टा ही पाते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरयू नदी को मिलाकर 31 नदियाँ बहती हैं। उ0प्र0 में इन सभी नदियों के साथ गंगा का प्रदूषित पानी भी एक अहम खतरा बन चुका है। मान्यवर, गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड की मात्रा अधिक होने से सबसे बड़ा खतरा जलीय जीव-जन्तुओं के लिए हो गया है। अगर गंगा नदी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड की बात करें तो बिठूर के पास 4.0 मि0ग्राम, भैरोघाट के पास 4.0 मि0ग्रा0, काली नदी में 5.6 मि0ग्रा0 तथा मुजफ्फरनगर अपस्ट्रीम में 16.0 मि0ग्रा0 प्रति लीटर और मेरठ के परीक्षितगढ़ में 46.0 मि0ग्रा0 प्रति लीटर और रामगंगा फर्रुखाबाद में 4.7 मि0ग्रा0 प्रति लीटर है। मान्यवर, जहाँ-जहाँ बड़ी फैक्ट्रियों का रसायनयुक्त पानी पहुँचता है वहाँ का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड 46.0 से लेकर 68.0 मि0ग्रा0 प्रति लीटर तक पाया गया है, जबकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड की मात्रा 3.0 मि0ग्रा0 से ज्यादा होने पर जलीय जीव-जन्तुओं के लिए जहर का काम करता है और वह पानी नहाने योग्य भी नहीं रहता। अगर इसी की बात करें तो वरुणा नदी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड 12.40 मि0ग्रा0 प्रति लीटर और इटावा में यमुना नदी का 16.08 मि0ग्रा0 प्रति लीटर और बुलन्दशहर में हिंडन नदी का 54.0 मि0ग्रा0 प्रति लीटर है। जौनपुर की सई नदी की बात करें तो वहाँ के हालात तो और ज्यादा बदतर हैं, पानी तो देखने के योग्य नहीं है और नहाने की बात तो दूर है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।

श्री पंकज पटेल-

मान्यवर, पूछना है। केन्द्र सरकार की जो सबसे बड़ी योजना 'नमामि गंगे' योजना जिसे 2014 में प्रारम्भ किया गया था और उसे 21 मार्च, 2021 तक पूरा कर दिया जाना था। लेकिन किसी कारणवश इसको बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। इस पर जो बजट था वह 22500 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार का है। जो उत्तर प्रदेश के लिए बजट दिया गया है वह मात्र 4347 करोड़ रुपये दिया गया है। लेकिन इस प्रदेश में आधे नदियों की सफाई नहीं हो पायी।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ जाने दीजिए, 12:20 बजने में केवल 2 मिनट रह गया है, फिर उत्तर नहीं आ पायेगा। अगर कुछ पूछना चाहते हों तो पूछ लीजिए।

श्री पंकज पटेल-

नदियाँ जैसे पहले थीं वैसे आज भी बह रही हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नदियों में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड बढ़ा है उसको कम करने के लिए सरकार के पास कोई नीति है ? दूसरा सवाल मा0 मंत्री जी से है कि क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जलीय जीवों के संरक्षण के लिए सरकार के पास कोई नीति है, तो वह क्या है ?

डॉ0 अरुण कुमार-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को बताना चाहता हूँ कि 155 चिन्हित बिन्दुओं पर मासिक रूप से जल घोषणा का अनुश्रवण किया जा रहा है और ये जो 14 प्रमुख नदियाँ हैं उनके विभिन्न स्थानों पर 109 बिन्दुओं में से 55 स्थानों पर जल घोषणा में प्रमुख प्रदूषणकारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड की औसत मात्रा में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जहाँ तक बी0ओ0डी0 का सवाल है तो अगर यह 3.00 मि0ग्रा0 प्रति लीटर से ज्यादा होती है, तो नुकसानदेह है, 3.00 मि0ग्रा0 तक जलीय जीवों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। फिर भी इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नदियों की सफाई और ज्यादा की जाए। नदियों में पानी भी रहे तथा नदियों में औद्योगिक इन्फ्यूलेन्ट प्रवाहित न हो। खासतौर से जो वाइन की फैक्ट्रीज हैं उनका किसी भी तरह का पानी उसमें न जाए और अन्य इण्डस्ट्रीज को भी देखा जाता है कि पॉल्यूटेड पानी नदियों में न जाये, इस पर बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है। जितनी भी इण्डस्ट्रीज हैं उनसे कहा गया है कि जो आपका इन्फ्यूलेन्ट निकलता है उसको रि-यूज करिये और अपने यहाँ पौधे लगाइये और वहीं का वहीं इस्तेमाल करिये, ताकि नदियों में कम से कम इन्फ्यूलेन्ट जाये। शहरों के किनारे जितने भी नगर पालिका या नगर निगम हैं, उनसे एस0टी0पी0 लगाने के लिए कहा गया है और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 131 एस0टी0पी0 स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, जिनमें से 118 एस0टी0पी0 स्टैब्लिश हो चुके हैं और इन सबसे नदियों में पहले के मुकाबले काफी सुधार हुआ है। हर जगह पर सुधार हो रहा है। जितनी भी नदियां देखी गयी हैं, उनमें से अधिकांश स्पॉट पर जहां पर इनका टेस्टिंग होता है, पहले से काफी सुधार है।

प्रदेश में विद्युत लाइनों के खुले तारों के स्थान पर बंच या भूमिगत केबल बिछाने के सम्बन्ध में

***12 श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत लाइनों के खुले तारों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में जन-धन की लगातार हो रही हानि सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के दृष्टिगत समस्त खुले विद्युत तारों के स्थान पर बंच या भूमिगत केबल बिछाने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-11 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री ए0 के0 शर्मा-

विद्युत लाइनों के खुले तारों के कारण होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं सहित अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु प्रदेश में विभिन्न योजनाओं (आर0डी0एस0एस0, बिजनेस प्लान एवं ए0डी0बी0 द्वारा वित्त पोषित योजना) में जर्जर विद्युत तार व खम्भों को बदलवाने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत 01 अप्रैल, 2022 से 31 अक्टूबर, 2023 तक कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

कार्य-विवरण	यूनिट	अद्यतन प्रगति
खुले एवं जर्जर तार/केबिल को ए0बी0 केबिल से प्रतिस्थापना	स0कि0मी0	33,080
33 के0वी0 एवं 11 केवी फीडर का विभक्तीकरण/पृथक्कीकरण	स0कि0मी0	12,927
क्षतिग्रस्त खम्भों की प्रतिस्थापना	संख्या	3,40,933
क्षतिग्रस्त कन्डक्टर की प्रतिस्थापना	स0कि0मी0	4856

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेशवासियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं अतिभारित विद्युत ट्रान्सफार्मरों को उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में

***13-श्री हाकिम लाल बिन्द-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती विद्युत माँग की आपूर्ति हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाकर प्रदेशवासियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं अतिभारित विद्युत ट्रान्सफार्मरों को उच्चीकृत करने हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हाँ। वर्तमान में प्रदेश में बढ़ते विद्युत उपभोग की आपूर्ति को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

वर्तमान में उ0प्र0 राज्य को सभी स्रोतों से कुल 30,589 मे0वा0 विद्युत की उपलब्धता है, जिसमें पारम्परिक स्रोतों के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से 5820 मे0वा0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड से 432 मे0वा0, उ0प्र0 राज्य के संयुक्त उद्यम (मेजा तापीय परियोजना) से 1043 मे0वा0, केन्द्रीय परियोजनाओं यथा एन0टी0पी0सी0 से 4984 मे0वा0, एन0एच0पी0सी0 से 845 मे0वा0, टी0एच0 डी0सी0 से 529 मे0वा0, एन0पी0सी0आई0एल0 से 289 मे0वा0 है। साथ ही अन्य निजी निवेशकों से 10,749 मे0वा0 तथा नवीकरणीय ऊर्जा से 5898 मे0वा0 विद्युत की उपलब्धता है।

भविष्य में प्रदेश की बढ़ती विद्युत माँग की आपूर्ति के दृष्टिगत पारम्परिक स्रोतों की निर्माणाधीन परियोजनाओं से कुल 7217 मे0वा0 के अनुबन्ध किए गए हैं। जिनमें जवाहरपुर तापीय परियोजना (क्षमता 2x660 मे0वा0), ओबरा 'सी' तापीय परियोजना (क्षमता 1x660 मे0वा0) से कुल क्षमता 1980 मे0वा0 वर्ष 2023-24 में ऊर्जीकृत किए जाने की सम्भावना है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु निर्माणाधीन परियोजनाओं से कुल 2695 मे0वा0 के अनुबन्ध किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2003 में ओबरा (क्षमता 2x800 मे0वा0) एवं अनपरा (क्षमता 2x800 मे0वा0) में तापीय परियोजना स्थापित किए जाने हेतु एन0टी0पी0सी0 के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए गए हैं। उक्त में से 2x800 मे0वा0 ओबरा 'डी' तापीय परियोजना को मा0 मंत्री परिषद् द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है। साथ ही सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा नीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रदेश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा नीति-2022 निर्गत की गयी है। नीति के अन्तर्गत 6800 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनायें प्रक्रियाधीन हैं।

प्रदेश में अप्रैल, 2023 से अक्टूबर, 2023 तक 7411 ट्रान्सफार्मर उच्चीकृत किये गये एवं 1130 नये ट्रान्सफार्मर स्थापित किये गये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की समस्त बाउण्ड्री विहीन प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवाल बनाये जाने के सम्बन्ध में

***14-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) गठित हैं ? क्या सरकार किसी निश्चित समयावधि में शत-प्रतिशत पंचायतों में पैक्स गठित करेगी ? क्या सरकार प्रदेश की समस्त बाउण्ड्री विहीन प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की सुरक्षा हेतु किसी निश्चित समय-सीमा अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जे0पी0एस0 राठौर)-

प्रदेश में वर्तमान में 7546 ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ हैं, जो कि सामान्यतः न्याय पंचायत के स्तर पर गठित हैं।

प्रदेश की सभी पंचायतों को बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी /मत्स्य पालन सहकारी समितियों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आच्छादित किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ है।

वर्तमान में प्रदेश की प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) में नये गोदामों का निर्माण आर0के0वी0वाई0 योजना तथा पैक्स के वर्तमान गोदामों के मरम्मत व सुदृढ़ीकरण का कार्य भण्डारण योजनान्तर्गत कराया जाता है। इन कार्यों के साथ यथा उपलब्ध धन एवं भूमि के आधार पर बाउन्ड्रीवाल निर्माण का भी कार्य होता है। इसके साथ ही जनपद स्तर पर कायाकल्प योजनान्तर्गत कार्य कराया जाता है। बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराने की कोई अलग से योजना संचालित नहीं है।

उपरोक्त वर्णित व्यवस्थानुसार समयावधि यथा भूमि की उपलब्धता के आधार पर कार्य किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों को ट्यूबवेल लगाने हेतु विद्युत कनेक्शनों पर छूट/सब्सिडी देने के सम्बन्ध में

***15-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को ट्यूबवेल लगाने हेतु विद्युत कनेक्शनों पर छूट/सब्सिडी देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश में किसानों को निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने हेतु सामान्य योजना का प्राविधान किया गया है। 7.5 हार्स पॉवर तक के निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन में प्राक्कलित धनराशि पर रु0 68,000 की छूट वर्ष 2008 से प्रारम्भ की गई। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक कुल 1,66,135 निजी नलकूप विद्युत संयोजन निर्गत किये गये हैं।

वर्तमान में पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2023 तक 1,35,829 निजी नलकूप विद्युत संयोजन निर्गत किये गये हैं तथा 01 अप्रैल, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक इस योजना के अन्तर्गत 42,087 संयोजन दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त-

भारत सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट सी-1 के अन्तर्गत निजी मीटर्ड ऑन-ग्रिड कृषि पम्पों के सोलराइजेशन की योजना संचालित है। उ0प्र0 सौर ऊर्जा नीति-2022 के अनुसार अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के कृषकों हेतु शत-प्रतिशत (भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा क्रमशः 30% एवं 70% अंश को मिलाकर) सब्सिडी का प्राविधान है। साथ ही अन्य कृषकों हेतु 90% सब्सिडी का प्राविधान है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेन्ट-बी के अन्तर्गत आफ-ग्रिड मोड में मुख्य रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों को स्टेण्ड एलोन सोलर इनर्जी पम्प सेटों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत 10 एच0 पी0 क्षमता तक के संयंत्रों की स्थापना का प्राविधान है। विभिन्न क्षमता (1 से 10 एच0पी0) के सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 30:30 प्रतिशत अनुदान का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों हेतु पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के सम्बन्ध में

***16-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरान्त सुगम जीवन निर्वाह हेतु पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि पुरानी पेंशन बहाली हेतु विभिन्न संगठनों की मांगों तथा ज्ञापनों आदि पर विचार करने हेतु कोई समिति बनाई गयी है ? यदि हां, तो उक्त की रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना की बहाली हेतु एक समिति के गठन पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नयी पेंशन योजना (एन0पी0एस0) लागू है। नई पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु संगठित/असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सामान्य-जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2022 के इन्वेस्टर समिट में विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुबन्धित कम्पनियों की जानकारी के सम्बन्ध में

***17-श्रीमती पूजा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2022 के इन्वेस्टर समिट के बाद विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किन-किन कम्पनियों से अनुबन्ध किया गया तथा कितनी धनराशि सिक्योरिटी के रूप में सरकार के कोषागार में जमा कराई गई है ? क्या सरकार बताएगी कि अनुबन्धित कम्पनियों से कितनी इकाइयों द्वारा उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है एवं शेष कितनी

इकाइयों का निर्माण कराया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश में वर्ष 2022 में कोई भी इन्वेस्टर्स समिट आयोजित नहीं की गई थी। वर्ष 2023 की इन्वेस्टर्स समिट के बाद तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्षेत्र में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) का विवरण निम्नवत् है :-

प्रदेश में वर्ष 2022 में कोई भी इन्वेस्टर्स समिट आयोजित नहीं की गई थी। वर्ष 2023 की इन्वेस्टर्स समिट के बाद तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा क्षेत्र में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) का विवरण निम्नवत् है :-

तापीय ऊर्जा

क्र0-सं0	निवेशक संस्था	परियोजना का नाम	एम0ओ0यू0 के अनुसार प्रस्तावित निवेश (रु0 करोड़ में)
1	एन0टी0पी0सी लि0	2x800 मे0वा0 सुपर क्रिटिकल ओबरा 'डी' थर्मल पावर प्लाण्ट की स्थापना।	16130
2	एन0टी0पी0सी लि0	2x800 मे0वा0 अनपरा 'ई' थर्मल पावर प्लाण्ट की स्थापना।	16130
3	एन0टी0पी0सी लि0	एन0टी0पी0सी0 लि0 2x660 मे0वा0 मेजा स्टेज-II थर्मल पावर प्लाण्ट की स्थापना	11880

सौर ऊर्जा

क्र0-सं0	सेक्टर का नाम	एम0ओ0यू0 की संख्या	निवेश (रु0 करोड़ में)
1	सौर ऊर्जा	151	401089.62

उक्त 151 समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) का विवरण कम्पनियों सहित संलग्न है।[†]

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या-254-256 पर।

समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करते समय सिक्योरिटी धनराशि जमा कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

तापीय ऊर्जा के लिए एन0टी0पी0सी0 की ओबरा 'डी' इकाई के लिए सरकार द्वारा अनुमोदन दे दिया गया है।

इसके अलावा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कुल 151 एम0ओ0यू0 में से 36 निवेशक/एम0ओ0यू0 कर्ता द्वारा 6440 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु भूमि का प्रबन्ध कर लिया गया है। इनके द्वारा परियोजना निर्माण का कार्य पूर्ण कराकर ऊर्जा उत्पादन का कार्य किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर निगमों, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति के सम्बन्ध में

***18-श्री अनिल प्रधान-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निगमों, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायतों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को स्थाई नियुक्ति प्रदान करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी नहीं।

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-4140/9-1-2005-66सा/01टी0सी0, दिनांक 26-08-2005 द्वारा नगर निकायों में सफाई कार्मिकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया था। पुनः वित्त विभाग द्वारा राजकीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कार्मिकों का वेतनमान पुनरीक्षित करते हुए चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों पर भर्ती केवल आउटसोर्सिंग के माध्यम से किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-2052/दस-59 (एम)/2008, दिनांक 08-09-2010 निर्गत किया गया। तद्नुक्रम में नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-3988/9-1-2010-203सा/2010, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 द्वारा निकायों में दैनिक वेतन/संविदा/नियुक्तियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

उक्त शासनादेशों के क्रम में प्रदेश की नगर निकायों में कार्यरत समूह 'घ' के अन्तर्गत आने वाले सफाई कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नई आबादी के क्षेत्रों में विद्युतीकरण किये जाने के समबन्ध में

***19-श्री कमाल अख्तर-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नई आबादी के क्षेत्रों में विद्युतीकरण में आने वाला खर्चा नये विद्युत कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो प्रदेश के नई आबादी के क्षेत्रों में विद्युतीकरण की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश में नये क्षेत्रों के विकास के समय विकासकर्ता/विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन किये जाने पर विद्युत प्रदाय संहिता के 9वें एवं 13वें संशोधन के नियमानुसार जमा योजना में धनराशि प्राप्त होने पर विद्युतीकरण के कार्य को कराये जाने की व्यवस्था है।

एल0टी0 नेटवर्क पर 50 किलोवाट/(56के0वी0ए0) भार तक के नवीन कनेक्शन (निजी नलकूप के अतिरिक्त) हेतु आवेदन प्राप्त होने पर यदि आवेदक का परिसर वर्तमान में चल रहे विद्युत तंत्र (एल0टी0 मेन) के अन्तिम पोल से 40 मीटर अथवा उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में आवेदक से किसी प्रकार की धनराशि विद्युत तंत्र हेतु नहीं लिये जाने की व्यवस्था है।

एल0टी0 नेटवर्क पर 50 किलोवाट/(56के0वी0ए0) भार तक के नवीन कनेक्शनों (निजी नलकूप के अतिरिक्त) के आवेदन प्राप्त होने पर यदि सर्वेक्षण में यह स्पष्ट होता है कि आवेदक का परिसर वर्तमान में चल रहे विद्युत तंत्र (एल0 टी0 मेन) के अन्तिम पोल से 40 मीटर से अधिक है, तो अन्तिम पोल से परिसर तक विद्युत तंत्र विकसित करने हेतु प्राक्कलित धनराशि उपभोक्ता द्वारा वहन किये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश में झटपट पोर्टल के माध्यम से 01-04-2023 से 19-11-2023 तक 10,61,744 कनेक्शन दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधायक निधि द्वारा किए जा रहे विद्युत कार्यों की समय-सीमा निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में

***20-श्री संदीप सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधायक निधि द्वारा कराये जा रहे विद्युतीकरण/विद्युत कार्यों को कराये जाने की अवधि/समय-सीमा निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार जहाँ पर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, के

लिये जिम्मेवारों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् तत्काल कार्य का प्राक्कलन विधायक निधि मद में तैयार कर सम्बन्धित जिले के सी0डी0ओ0 कार्यालय/परियोजना निदेशक कार्यालय/सम्बन्धित कार्यालय को नियम एवं शर्तों के साथ निर्गत कर दिया जाता है। प्राक्कलन की धनराशि प्राप्त हो जाने के पश्चात् कार्यों को कराये जाने की व्यवस्था है। विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों की अप्रैल, 2022 से अक्टूबर, 2023 तक की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	डिस्काम का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण		पूर्ण कार्यों का विवरण (संख्या)
		संख्या	धनराशि (रु0 लाख में)	
1	पूर्वांचल	534	1033.95	426
2	मध्यांचल	10	30.34	7
3	दक्षिणांचल	33	142.49	9
4	पश्चिमांचल	41	162.59	39
	कुल योग :	**618**	**1369.37**	**481**

विधायक निधि के अन्तर्गत स्वीकृत अपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर ससमय पूर्ण कराने तथा कार्यों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिनांक 22-11-2023 को पुनः सभी डिस्काम को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर स्थित संकरी पुलियों को चौड़ा करने तथा क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनः निर्माण के सम्बन्ध में

1-श्री नाहिद हसन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर स्थित संकरी पुलियों को चौड़ा करने तथा क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनः निर्माण की कोई कार्य योजना

है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के ब्लॉक ऊन में ग्राम अजीजपुर से काला मजरा ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के मध्य ग्राम ढिढांली से पटरी मार्ग के मध्य तथा ग्राम कमालपुर से मुख्य मार्ग के मध्य स्थित पुलियों के चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य को करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री ब्रिजेश सिंह)-

ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर स्थित संकरी पुलियों को चौड़ा करने तथा क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनः निर्माण का कार्य आवश्यकतानुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराये जाते हैं।

प्रश्नगत मार्गों पर पुलियों के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज वार्ड में मल्लपुर सम्पर्क मार्ग से पक्का बाग तक सड़क एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में

2-श्री अरमान खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज वार्ड में मल्लपुर सम्पर्क मार्ग से पक्का बाग की सड़क तक होते हुए मल्लपुर चौराहे से मंदिर तक सड़क मार्ग न होने से कच्चे रास्ते पर जलभराव होने के कारण आने-जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

3-श्री पंकज मलिक-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्र0 सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बागपत के बड़ौत से मेरठ राज्य मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

4-डॉ0 अजय कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के बड़ौत से मेरठ राज्य मार्ग जर्जर होने के कारण आमजन को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां तो, क्या सरकार उक्त राज्य मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश सिंह-

प्रश्नगत मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का मार्ग है जिसकी लम्बाई 18.024 किमी0 है। यह मार्ग बड़ौत से प्रारम्भ होकर जनपद मेरठ की सीमा तक जाता है। वर्तमान में मार्ग को गड्ढामुक्ति कर यातायात हेतु सुगम बना दिया गया है। मार्ग की दशा सन्तोषजनक है।

उपरोक्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान कराए जाने के सम्बन्ध में

5-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों का वर्तमान में कुल कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद बस्ती में वाल्टरगंज शुगर मिल एवं बजाज शुगर मिल अठदमा पर गन्ना किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

पेराई सत्र, 2022-23 के अन्तर्गत दिनांक 20-11-2023 की सूचना के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा किसानों के कुल देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष रु0 1,773.17 करोड भुगतान हेतु अवशेष है।

अद्यतन सूचनानुसार जिला-बस्ती में स्थित बन्द चीनी मिल गोविन्दनगर शुगर (ए यूनिट ऑफ फेनिल शुगर्स प्रा0लि0) वाल्टरगंज पर पैराई सत्र, 2016-17 एवं 2017-18 का क्रमशः रु0 20.89 करोड़ एवं रु0 19.65 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है। इसी प्रकार जिला-बस्ती में स्थित संचालित चीनी मिल बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0, अठदमा-रुधौली पर पेराई सत्र, 2022-23 के अन्तर्गत रु0 16.25 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है।

पेराई सत्र 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी मिल अठदमा-रुधौली को दिनांक 21-04-2023, 19-05-2023 एवं 22-06-2023 को नोटिसें तथा सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं। इसी प्रकार चीनी मिल वाल्टरगंज के विरुद्ध उल्लिखित पेराई सत्र, 2016-17 एवं 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले निम्न आय वर्ग को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में

6-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों को विद्युत कनेक्शन निःशुल्क देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विद्युत कनेक्शन लेने हेतु प्रोसेसिंग फीस रु0 10 मात्र तथा सिक्योरिटी राशि शून्य है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज स्थित खूरसु खाड़ा पुल पर निर्माण कार्य तथा खुशनामपुर पर भूमि अध्याप्ति का कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

7-श्री बेचई सरोज-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-137 के उत्तर के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खूरसु खाड़ा पुल पर निर्माण कार्य तथा खुशनामपुर पर भूमि अध्याप्ति का कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा खूरसु एवं रामपुर बढ़ौना के बीच बेसो नदी पर लघु सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं भूमि अध्याप्ति हेतु कृषकों से सहमति प्राप्त कर ली गयी है। मुआवजा का भुगतान एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही प्रगति पर है।

जनपद आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत खुशनामपुर एवं नई बस्ती के बीच गांगी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं भूमि अध्याप्ति हेतु कृषकों से सहमति प्राप्त कर ली गयी है। मुआवजा का भुगतान एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

8-श्री बेचई सरोज-

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर लगे ट्रान्सफार्मरों की क्षमता बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में

9-श्री बेचई सरोज-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कतिपय स्थानों पर लगे ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराये जाने विषयक पत्र सं0-क-7 नं0-180576, दिनांक 10-08-2023 अधिशासी अभियन्ता, लालगंज, जनपद आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हाँ।

मा0 विधायक जी, विधान सभा क्षेत्र लालगंज, आजमगढ़ द्वारा प्रस्तावित 11 ग्रामों का विवरण सहित प्राप्त पत्र के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

1-ग्राम सभा नरायनपुर नेवादा में रसूलबाद के बगल में 100 के0वी0ए0 के स्थान पर 250 के0वी0ए0 परिवर्तक की क्षमता वृद्धि की जा चुकी है।

2-ग्राम सभा कुरेहरा में श्री तेज सिंह के घर के पास 63 के0वी0ए0 परिवर्तक के निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त परिवर्तक अधिभारित नहीं है।

3-ग्राम सभा करिया गोपालपुर में मन्नू वनवासी के मकान के बगल में 10 के0वी0ए0 के स्थान पर 25 के0वी0ए0 परिवर्तक से क्षमता वृद्धि हेतु अतिरिक्त बिजनेस प्लान योजना (2023-24) के अन्तर्गत सम्मिलित है।

4-ग्राम सभा करिया गोपालपुर में चौहान बस्ती के पूरब दक्षिण में 10 के0वी0ए0 के स्थान पर 25 के0वी0ए0 परिवर्तक से क्षमता वृद्धि हेतु अतिरिक्त बिजनेस प्लान योजना (2023-24) के अन्तर्गत सम्मिलित है।

5-ग्राम-जिन्दोपुर में दुरबल यादव के घर के पास 25 के0वी0ए0 परिवर्तक के निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त परिवर्तक अधिभारित नहीं है।

6-ग्राम-भगवानपुर गोपालपुर में चौहान बस्ती में 63 के0वी0ए0 से 100 के0वी0ए0 परिवर्तक से क्षमता वृद्धि हेतु अतिरिक्त बिजनेस प्लान योजना (2023-24) के अन्तर्गत सम्मिलित है।

7-ग्राम-बरदह में श्री करन यादव के घर के बगल में 10 के0वी0ए0 परिवर्तक के निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त परिवर्तक अधिभारित नहीं है।

8-ग्राम परसौली में पंचायत भवन के पास 10 के0वी0ए0 परिवर्तक के निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त परिवर्तक अधिभारित नहीं है।

9-ग्राम-चेवार पूरब में मुन्ना चक्की वाले के पास 100 के0वी0ए0 परिवर्तक के निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त परिवर्तक अधिभारित नहीं है।

10-ग्राम गोबर्धनपुर में पंचायत भवन के पास 16 के0वी0ए0 परिवर्तक के निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि उक्त परिवर्तक अधिभारित नहीं है।

11-ग्राम-असाउर टिकर में प्राथमिक विद्यालय के बगल में 63 के0वी0ए0 परिवर्तक से क्षमतावृद्धि हेतु बिजनेस प्लान (2023-24) के अन्तर्गत सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्मार्ट सिटी का दर्जा दिये जाने वाले नगर निगमों की जानकारी के सम्बन्ध में

10-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की 17 नगर निगम में से कितनी नगर निगम को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया है ? क्या सरकार उक्त की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रारम्भ स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 10 शहरों (आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी) का चयन विभिन्न चरणों में स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है।

शेष 7 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ एवं शाहजहांपुर) को केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित करने हेतु राज्य स्मार्ट सिटी योजना लागू की गयी है।

जी हाँ, सूची संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील सदर में स्थित नालों पर निर्मित अवैध भवन एवं मार्केट के निर्माण पर कार्रवाई के सम्बन्ध में

11-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर की तहसील सदर में स्थित सनातन धर्म डिग्री कालेज एसोसिएशन द्वारा सड़क, सड़क की कच्ची पटरी, शहर के पानी निकासी के दो बड़े नालों पर अवैध भवन/मार्केट का निर्माण कराया गया है ?

नोट :-[†] देखिये नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या-257 पर।

क्या यह सही है कि जिला प्रशासन/नगर पालिका द्वारा उक्त की जाँचोपरान्त अवैध रूप से निर्मित मार्केट पर नगर पालिका द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं को 189 करोड़ रुपये का डिमाण्ड नोटिस एसोसिएशन को दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में विधिक कार्यवाही करायेगी ? यदि हाँ, हो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हां।

जी हां।

नगर पालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर द्वारा जांचोपरान्त अपने पत्र दिनांक 27-12-2022 द्वारा अध्यक्ष/सचिव, सनातन धर्म इण्टर कालेज एसोसिएशन, मुजफ्फरनगर को धनराशि रु0 1,89,79,80,390/- का नोटिस दिया गया था। उक्त नोटिस के विरुद्ध सनातन धर्म कालेज एसोसिएशन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट सी0 सं0-1/2023 योजित की गई थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 01-03-2023 को पालिका द्वारा दी गयी नोटिस को निरस्त कर विधिक कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था। तत्पश्चात् सनातन धर्म कालेज एसोसिएशन द्वारा नगर पालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध मा0 न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मुजफ्फरनगर में वाद संख्या-192/2023 योजित किया गया है, जो वर्तमान में मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखनऊ के शुभ सिटी गोविन्दनगर, पारा में श्री निरंजन सिंह के घर से अजय श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलॉकिंग, सड़क एवं नाली निर्माण के सम्बन्ध में

12-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के शुभ सिटी गोविन्दनगर पारा नियर आर0 पी0 कान्वेन्ट स्कूल श्री निरंजन सिंह के घर से अजय श्रीवास्तव के घर तक लगभग 70 मी0 मार्ग कच्चा होने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का इण्टरलॉकिंग एवं मार्ग के दोनों ओर नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। उक्त कालोनी प्राइवेट सोसाइटी/कालोनाईजर द्वारा अनाधिकृत रूप से बसायी गयी है, जिसका तलपट मानचित्र

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है, ऐसी कालोनियों के विकास का प्रथम दायित्व सम्बन्धित सोसाइटी/कालोनाईजर का होता है। फिर भी व्यापक जनहित के दृष्टिगत नगर निगम अपने सीमित संसाधनों से प्राथमिकता निर्धारित करते हुए समय-समय पर अविकसित कालोनियों में कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत स्थल पर लगभग 70 मी0 नाली व सड़क निर्माण का आगणन रु0 10.63 लाख का तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने के सम्बन्ध में

13-श्री अखिलेश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने हेतु कोई नीति सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो वर्ष 2021 से दिनांक 28-08-2023 तक प्रदेश में जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु जनपदवार कितना-कितना बजट आवंटित किया गया तथा किन-किन जनपदों में कितनी जर्जर विद्युत लाइनों को बदला गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश में रिवैम्पड योजना के अन्तर्गत जर्जर तारों को बदलने की व्यवस्था है।

विवरण संलग्न है (संलग्नक-1)[†]।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया अन्तर्गत बरौत बाजार से टेला मार्ग को चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

14-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया अन्तर्गत बरौत बाजार से टेला मार्ग अत्यधिक संकरा होने के कारण प्रतिदिन वाहनों के आवागमन में दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या-258-260 पर।

श्री ब्रिजेश-

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत बरौत बाजार से टेला मार्ग लम्बाई 7.30 किमी0, बिठौली से टेला वाया बरौत (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई 21.30 किमी0 का एक भाग है एवं यातायात हेतु सुगम है। बिठौली से टेला वाया बरौत (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई 21.30 किमी0 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया अन्तर्गत बरौत बाजार से बिठौली मार्ग को चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण किए जाने के सम्बन्ध में

15-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया अन्तर्गत बरौत बाजार से बिठौली मार्ग अत्यधिक संकरा होने के कारण प्रतिदिन वाहनों के आवागमन में दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत बरौत बाजार से टेला मार्ग लम्बाई 7.30 किमी0, बिठौली से टेला वाया बरौत (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई 21.30 किमी0 का एक भाग है एवं यातायात हेतु सुगम है। बिठौली से टेला वाया बरौत (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई 21.30 किमी0 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश में बी0 पी0 एल0 कार्ड धारकों का पूर्व में जारी विद्युत संयोजनों पर बकाया विद्युत बिल को माफ करने के सम्बन्ध में

16-श्री राम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को घरेलू पंखा/बत्ती हेतु पूर्व में जारी विद्युत संयोजनों पर वर्तमान में लाखों रुपये का विद्युत बिल प्रदर्शित हो रहा है, की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त संयोजनों पर बकाया विद्युत बिल को माफ करने या न्यून करने की योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

बिल सम्बन्धी शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। दिनांक 08 नवम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक ''एक मुश्त समाधान योजना'' (ओ0टी0एस0) लागू की गई

है, जिसके अनुसार 1 कि0वा0 तक के घरेलू उपभोक्ताओं के लिये पंजीकरण कराने पर अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में आम-जनमानस की सुविधा हेतु नक्शा पास कराने की सुलभ योजना बनाने के सम्बन्ध में

17-श्री आशुतोष उर्फ राजू मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में आम-जनमानस विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित भूमि के अतिरिक्त लखनऊ नगर निगम सीमा तथा शहरी विकास योजनाओं की परिधि के क्षेत्रान्तर्गत अपनी निजी भूमि पर अपना मकान/दुकान का निर्माण करा सकता है ? यदि हां, तो उस निजी भूमि पर नक्शा पास कराने की क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु नक्शा पास कराने की कोई सुलभ योजना लाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14(1) के अन्तर्गत प्राविधान है कि ''धारा-3 के अधीन विकसित क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् किसी व्यक्ति अथवा निकाय (जिसमें सरकार का विभाग शामिल है) द्वारा उस क्षेत्र में भूमि का कोई विकास नहीं किया जाएगा अथवा क्रियान्वित किया जाएगा अथवा जारी रखा जाएगा, जब तक ऐसे विकास के लिए इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार (उपाध्यक्ष) से लिखित में अनुमति प्राप्त न कर ली गयी हो।'' तद्नुसार अनुमति/अनुज्ञा हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 (1) के अन्तर्गत प्राविधान है कि ''धारा-14 में निर्दिष्ट अनुमति प्राप्त करने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति अथवा निकाय (सरकार के किसी विभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न) ऐसे प्रारूप में और उस विकास के सम्बन्ध में, जिससे आवेदन सम्बन्धित है, ऐसी विशिष्टयों को अन्तर्विष्ट करते हुए, जैसे (उपविधि) के समक्ष लिखित में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा''।

उपर्युक्त प्राविधानों के क्रम में आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर उपाध्यक्ष द्वारा विकास प्राधिकरण में लागू महायोजना/जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के आलोक में मानचित्र स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में घरेलू विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं को समय पर विद्युत बिल उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध

18-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घरेलू विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं को समय पर विद्युत बिल उपलब्ध न कराये जाने के कारण उनका बिल बढ़ता रहता है ? क्या सरकार उपभोक्ताओं को समय पर विद्युत बिल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपभोक्ताओं के बिल, बिलिंग एजेन्सी के द्वारा एन्ड्रॉयड आधारित एप के माध्यम से रीडिंग/प्रोब से बिल निर्गत कर उपभोक्ताओं को उनके परिसर पर ससमय बिल उपलब्ध कराया जाता है। उपभोक्ताओं को बिल निर्गत होने के पश्चात् उनके रजिस्टर्ड नम्बर पर एस0एम0एस0 के माध्यम से बिल की जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्युत उपभोक्ता अपना विद्युत बिल उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट यूपी पीसीएल डाट ओआरजी) तथा यू0पी0पी0सी0एल0 मोबाइल कन्ज्यूमर ऐप के माध्यम से बिल प्राप्त/सृजन कर सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में फसलों की सिंचाई हेतु अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में

19-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रबी फसलों की भांति खरीफ फसलों की पम्पिंग सेट का उपयोग कर तालाब, पोखरा, नालों आदि से सिंचाई हेतु किसानों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसानों को तालाब, पोखरा, नालों आदि से अपने खेतों की सिंचाई हेतु प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर से माह फरवरी तक (कुल 04 माह हेतु) अस्थायी निजी नलकूप विद्युत संयोजन देने की सुविधा उपलब्ध है। बुन्देलखण्ड के कृषक यदि चाहें तो पी0एम0 कुसुम-सी-1 योजना के तहत सोलर पम्प की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के निजामापुर, मल्हौर, चिनहट में पूर्व में लगे ट्रान्सफार्मर से ही विद्युत कनेक्शन देने के सम्बन्ध में

20-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के निजामपुर, मल्हौर, चिनहट में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को कनेक्शन हेतु आंगणित भारी धनराशि को कम करते हुये मोहल्ले में पूर्व से लगे ट्रान्सफार्मर से ही विद्युत कनेक्शन दिलाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-7 सं0-258913, दिनांक 08 अगस्त, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हाँ।

उक्त क्षेत्र में ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि 25 के0वी0ए0 से बढ़ाकर 63 के0वी0ए0 बिजनेस प्लान 2023-24 के अन्तर्गत कराया गया, जिसके उपरान्त श्रीमती सोनिया कश्यप पत्नी श्री विनोद कश्यप के परिसर पर दिनांक 17-11-2023 को मीटर लगाकर संयोजन को ऊर्जीकृत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी रसीदें जारी करने के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं के मीटर/बिल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में

21-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम सत्र, 2023 में 1-बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-178 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में क्या कोई उच्च स्तरीय जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो फर्जी रसीदें जारी करने के लिए कौन-कौन लोग दोषी पाये गये ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उपभोक्ताओं के मीटर/बिल ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

उपभोक्ता श्री गंगाचरन, निवासी ग्राम त्रिपुरापुर, ब्लाक-पुरवा, जनपद उन्नाव का विद्युत विच्छेदन नियमानुसार उनके बकाये विद्युत बिल की राशि के आधार पर किया गया था। उपभोक्ता को उनकी ऊर्जा खपत के अनुसार मीटर यूनिट आधारित बिल निर्गत किया गया है। उपभोक्ता द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) में दिनांक 28-03-2019 को पंजीकरण कराया गया था, जिसकी निर्धारित किश्त की राशि उपभोक्ता के मासिक बिल में बिलिंग सिस्टम द्वारा स्वतः जोड़ दी जाती है। अवैध वसूली सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। उपभोक्ता से दूरभाष पर वार्ता करने पर मीटर तेज चलने (वास्तविक उपभोग से अधिक यूनिट)

की शंका जताई गयी जिसके उपरान्त दिनांक 06-02-2023 को उपभोक्ता के परिसर पर चेक मीटर स्थापित करवा दिया गया था, अगले माह चेक मीटर रिपोर्ट आने के उपरान्त रिपोर्ट के अनुसार मीटर सही पाया गया था। उपभोक्ता का मीटर सही था, परन्तु मीटर रीडर द्वारा प्रत्येक माह उपभोक्ता के परिसर पर जाकर मीटर की रीडिंग नहीं की जा रही थी, जिस कारण मीटर में रीडिंग स्टोर हो रही थी। इसके दृष्टिगत दोषी मीटर रीडर को कार्यदायी संस्था द्वारा निष्कासित कर दिया गया है एवं उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गयी ऊर्जा का बिल विभाग द्वारा निर्गत कर दिया गया है।

उपभोक्ता की समस्या का त्वरित निस्तारण न कर पाने एवं मीटर रीडर पर आवश्यक मॉनिटरिंग न कर पाने के कारण अवर अभियन्ता को चेतावनी दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद फिरोजाबाद के टी0 टी0 जेड0 परिक्षेत्र में नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना तथा पूर्व में स्थापित प्रदूषणकारी उद्योगों की क्षमता में वृद्धि के सम्बन्ध के

22-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-12-1996 के पश्चात् टी0टी0जेड0 क्षेत्र में नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित प्रदूषणकारी उद्योगों की क्षमता वृद्धि पर पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद फिरोजाबाद के टी0टी0जेड0 परिक्षेत्र में नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना तथा पूर्व स्थापित प्रदूषणकारी उद्योगों की क्षमता वृद्धि करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो किन-किन इकाइयों के विरुद्ध कब और क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरूण कुमार-

जी हां।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13381/84 (एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) में दिनांक 30-12-1996 द्वारा टी0टी0जेड0 क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1996 के पश्चात् नये उद्योगों की स्थापना एवं पूर्व से संचालित वायु प्रदूषणकारी समस्त उद्योगों के क्षमता वृद्धि को प्रतिबन्धित किये जाने तथा ईंधन के रूप में मात्र नेचुरल गैस/इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के टी0टी0जेड0 क्षेत्र में बिना अनुमति स्थापना तथा बिना अनुमति विस्तारीकरण का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया।

जनपद फिरोजाबाद के टी0 टी0 जेड0 क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में

23-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन संख्या-13381/1984 एमसी मेहता बनाम भारत सरकार में दिनांक 30-12-1996 के आदेश द्वारा प्रदेश के टी0टी0जेड0 क्षेत्र में निर्बाध विद्युत सप्लाई करने तथा निर्बाध विद्युत सप्लाई करने हेतु 99.54 करोड़ रुपए प्लानिंग कमीशन से देने हेतु स्वीकृति के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि जनपद फिरोजाबाद के टी0टी0जेड0 क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हाँ।

जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत टी0टी0जेड0 क्षेत्र में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है (स्थानीय व्यवधान को छोड़कर)।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के कुरडी-नांगल गाँव के पास हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य यमुना नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में

24-डॉ0 अजय कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के कुरडी-नांगल गाँव के पास हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य यमुना नदी पर पुल निर्माण में विलम्ब के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्रांक : ख-7 नं0-083593, दिनाँक 26-9-2022 एवं पत्रांक 187, दिनाँक 09-08-2023 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

हरियाणा के जनपद पानीपत में बिलासपुर से खोजकीपुर मार्ग पर यमुना नदी पर सेतु निर्माण एवं समालख से अट्टा (हरियाणा) नांगल (उत्तर प्रदेश) मार्ग वाया राजस्व ग्राम अट्टा,

खोजकीपुर बनौली एवं नांगल तक मार्ग निर्माण कार्य हेतु जनपद बागपत में स्थित नांगल बांगर में अभी तक 22 रजिस्ट्री की जा चुकी है एवं 92 कास्तकारों को मुआवजा रु0 100.72 लाख वितरित कर दिया गया है तथा शेष कास्तकारों को मुआवजा वितरित किये जाने की कार्यवाही प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाई-वे 709 से बड़ौत-मेरठ राज्य मार्ग के मध्य बिजवाड़ा राजबाहे पर भाखर पुलिया तक नहर पटरी के सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

25-डॉ0 अजय कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में नेशनल हाई-वे-709 से बड़ौत-मेरठ राज्य मार्ग के मध्य बिजवाड़ा राजबहे पर माखर पुलिया तक नहर पटरी के सड़क निर्माण किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-191, दिनाँक 22-08-2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग जनपद बागपत में बिजवाड़ा रजवाहा ककड़ीपुर से लेकर माखर राजवाहे की पटरी तक जाता है, जिसकी लम्बाई 18.00 किमी0 है। इस मार्ग की 5.750 किमी0 लम्बाई खड़ंजा स्तर, 2.300 किमी0 लम्बाई लेपन स्तर एवं 9.950 किमी0 कच्चा स्तर तक निर्मित है। मार्ग के निर्माण हेतु रु0 1473.22 लाख की लागत आंकलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत करछना विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सभा रायपुर में खाली भूमि पर रजिस्ट्री कार्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

26-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत करछना विधान सभा क्षेत्र में तहसील करछना में रजिस्ट्री कार्यालय हेतु मात्र 2 कमरे होने से कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ग्राम सभा रायपुर में खाली भूमि पर उक्त रजिस्ट्री कार्यालय का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र जायसवाल)-

जी नहीं।

करछना उप निबन्धक कार्यालय में औसत दैनिक प्रस्तुति लगभग 45 दस्तावेज की है। वर्तमान में कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

जी नहीं।

भविष्य की अपेक्षित आवश्यकता के लिये वैकल्पिक स्थल के प्रबन्धन पर विचार किया जा रहा है। उप कोषागार करछना का भवन रिक्त पड़ा हुआ है जिसमें उप निबन्धक कार्यालय को स्थानान्तरित करने के आशय से दिनांक 01-09-2023 को उप निबन्धक करछना द्वारा जिला निबन्धक प्रयागराज/अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है। उपरोक्त भवन इस विभाग को हस्तान्तरित होने की दशा में भवन अनुरक्षण करते हुए उप निबन्धक कार्यालय उस भवन में संचालित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना अन्तर्गत यमुना नदी के पुल से सुजावन देव मन्दिर, नैनी तक बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

27-श्री पीयूष रंजन निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र करछना अन्तर्गत यमुना नदी के पुल से सुजावन देव मन्दिर (भोले नाथ मन्दिर), नैनी तक बांध निर्माण न होने से महाकुम्भ/कुम्भ में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार यमुना नदी के पुल से सुजावन देव मन्दिर (भोले नाथ मन्दिर), नैनी तक बाँध का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

मेसर्स दिव्येश कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में

28-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप सचिव, उ0प्र0 शासन का पत्रांक : 194/9-3-2022, दिनाँक 07-02-2022 जो कि मेसर्स दिव्येश कन्स्ट्रक्शन एवं सप्लायर्स के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में है, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हाँ।

शासन के पत्रांक दिनांक 18-08-2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी पेयजल (प्रायरिटी-1, फेज-1) योजना पूर्ण व जनोपयोगी न होने की जाँच प्रचलित है। जाँच उपरान्त मेसर्स दिव्येश कन्स्ट्रक्शन एण्ड सप्लायर के अवशेष देयकों के भुगतान की कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अर्जुनगंज स्थित ग्रीन सिटी में ओमेक्स के पास की सड़क का निर्माण कराते हुए जल निकाली की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में

29-श्री अखिलेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अर्जुनगंज स्थित ग्रीन सिटी में ओमेक्स के पास नत्था यादव के मकान से तालाब के बगल से होते हुये अर्जुनगंज विद्या मंदिर इण्टर कालेज तक की रोड क्षतिग्रस्त/गड्ढायुक्त एवं जल निकासी न होने के कारण सड़क पर जल जमाव से आने-जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराते हुये जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हाँ।

अर्जुनगंज स्थित ग्रीन सिटी में ओमेक्स के आस-पास का क्षेत्र अविकसित एवं सड़कें कच्ची हैं। प्रश्नगत क्षेत्र की जल निकासी हेतु कोई मुख्य नाले की व्यवस्था नहीं है। ग्रीन सिटी कालोनी एवं इसके आस-पास के क्षेत्र में निजी विकासकर्ता/कोलोनाईजर द्वारा अनियोजित रूप से कालोनी विकसित की गयी है, जिसका मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। उक्त कालोनियों में अवस्थापना सुविधाएं जैसे सड़क, नाली आदि के निर्माण कराने का मूल दायित्व सम्बन्धित विकासकर्ता/कोलोनाईजर का है। यद्यपि नगर निगम सीमान्तर्गत होने के कारण समय-समय पर जनहित में धन उपलब्धता के आधार पर इन क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत स्थल ग्रीन सिटी में ओमेक्स के पास नत्था यादव के मकान से तालाब के बगल से होते हुये अर्जुनगंज विद्या मंदिर इण्टर कालेज तक की रोड, नाली एवं नाला निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 475.00 लाख का व्यय सम्भावित है। प्रश्नगत कार्य धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में सठियांव से अवाव-असोना मार्ग से देवरिया सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

30-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में सठियांव से अवाव-असोना मार्ग से देवरिया सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग देवरिया-खालसा सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। जिसकी लम्बाई 0.800 किमी0 है। सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजनान्तर्गत कार्य पूर्ण करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में टुनटुन मोड़ से सोनावर होते हुए बलिया घाट तक सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

31-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में टुनटुन मोड़ से सोनावर होते हुए बलिया घाट पुल तक की सड़क जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग में दो मार्ग सम्मिलित हैं, जो ग्रामीण श्रेणी के मार्ग हैं। प्रथम लाडला अनुसूचित बस्ती से पुलिया तक सम्पर्क मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.00 किमी0 है तथा द्वितीय टुनटुन मोड़ से सोनावर सम्पर्क मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.00 किमी0 है। दोनों सम्पर्क मार्ग विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजना में स्वीकृत हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ शहर में खुले नालों की सफाई के साथ नाली को ढकने एवं उनकी सफाई के सम्बन्ध में

32-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में खुले एवं लबालब भरे नालों को तली तक साफ कराकर ढकने का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

नगर निगम लखनऊ द्वारा नालों के प्रवाह में बाधा होने/पुनः सिल्टिंग होने पर समय-समय पर साफ सफाई कराई जाती है तथा अवरोधों को हटाया जाता है।

निकाय द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के सापेक्ष नालों को ढके जाने के कार्य कराये जाते हैं। वर्तमान में फैजुल्लागंज में निर्मित हो रहे 12 किमी0 नये नाले को निर्माण के साथ-साथ कवर भी कराया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ नगर के हजरतगंज चौराहा स्थित नरही बाजार होते हुये सब्जी मण्डी के आगे यू0पी0 टेक0 चौराहे तक क्षतिग्रत सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

33-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के हजरतगंज चौराहा स्थित नरही बाजार होते हुये सब्जी मण्डी के आगे यू0पी0टेक0 चौराहे तक बीच-बीच में मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

लखनऊ नगर के हजरतगंज चौराहे स्थित नरही सब्जी मण्डी के आगे से यू0पी0टेक0 चौराहे तक सड़क के कुछ भाग में सी0सी0 द्वारा सुधार कार्य पूर्व में कराया जा चुका है तथा सड़क के अन्य क्षतिग्रस्त आंशिक भाग में पेवर द्वारा सुधार कार्य भी पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में उक्त सड़क आवागमन हेतु ठीक अवस्था में है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फतेहपुर की तहसील बिंदकी के अन्तर्गत ग्राम बड़ा बगहा से गंगा घाट गुआड़ा कोटिया तक लगभग 04 किलोमीटर सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

34-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की तहसील बिंदकी के अन्तर्गत ग्राम बड़ा बगहा से गंगा घाट गुआड़ा कोटिया तक लगभग 04 किलोमीटर मार्ग कच्चा, क्षतिग्रस्त/गड्ढायुक्त होने के कारण आमजन को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में बनायी जा रही स्मार्ट सिटी एवं लखनऊ में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत किये गये कार्यों की जानकारी के सम्बन्ध में

35-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी बनायी जा रही हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है ? यदि हाँ, तो शहर के कितने वार्डों में स्मार्ट सिटी के कौन-कौन से कार्य कराये जाने हैं ? क्या सरकार वर्ष 2023 तक लखनऊ में स्मार्ट सिटी का कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 10 शहरों व राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत 07 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है।

जी हाँ।

लखनऊ स्मार्ट सिटी हेतु चिन्हित कैसरबाग एरिया बेस्ड डेवलपमेन्ट क्षेत्र के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ सीमा क्षेत्र के 110 वार्डों में से 11 वार्ड को सम्मिलित करते हुए स्मार्ट सिटी द्वारा आई0टी0, सिविल से सम्बन्धित कार्य जैसे स्मार्ट मार्ग, सीवरेज का सुदृढ़ीकरण, कुशल अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली, ओपेन जिम, मान्यूमेन्टल लाइटिंग, के0डी0 सिंह बाबू स्टेडियम में नवीनीकरण/पुनर्विकास, ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण, अमीरुद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी तथा भातखण्डे संगीत संस्थान में संरक्षित पुस्तकों के डिजिटाईजेशन का कार्य, दूषित जल पुनर्प्रयोग हेतु एस0टी0पी0 की स्थापना, उद्यमिता विकास संस्थान यू0पी0 के सहयोग से नगरवासियों को कौशल प्रशिक्षण कराकर रोजगार मुहैया कराने से सम्बन्धित कार्य प्रगतिधीन/पूर्ण हैं।

इसी क्रम में स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा निर्धारित पैन सिटी घटक के अन्तर्गत एकीकृत यातायात प्रबन्धन और मूल्यांकन एवं नगर में विभिन्न वार्डों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु 100 नग हेल्थ ए0टी0एम0/किओस्क की स्थापना, ई-सुविधा हेतु 07 नग पुलिस किओस्क की स्थापना एवं इन्टीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर की स्थापना की गयी है।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं को पूर्ण करने की अवधि जून, 2024 निर्धारित है।

लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा उक्त निर्धारित समयावधि में सभी प्रगतिधीन कार्य पूर्ण करा लिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मालवीय नगर वार्ड में मोतीझील एवं जमुनाझील के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में

36-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मालवीय नगर वार्ड में मोतीझील एवं जमुनाझील के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के लिए क्या प्रयास किए हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

लखनऊ शहर के समग्र विकास के अन्तर्गत मोतीझील एवं जमुनाझील के सौन्दर्यीकरण हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत रु0 962.44 लाख से विकास कार्य वर्ष 2012-13 में कराया गया था। तदोपरान्त आर्बीट्रेशन में वाद विचाराधीन होने के कारण बबल एरिएशन सिस्टम का कार्य बाधित रहा। वर्ष 2022 में निर्णीत होने के उपरान्त बबल एरिएशन सिस्टम से झील के शुद्धिकरण का अवशेष कार्य कराया जा रहा है। अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत धनराशि रु0 200.00 लाख के अन्तर्गत झील की सफाई एवं पूर्व में कराये गये सिविल कार्यों के अनुरक्षण का कार्य कराया जा रहा है। समीपवर्ती क्षेत्र में अटल पार्क के नाम से सौन्दर्यीकरण कार्य प्रगतिमान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के विकास खण्ड बुढ़ाना के ग्राम लुहसाना-कुरावा मार्ग तक लम्बाई लगभग 6 किमी0 तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

37-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के विकास खण्ड-बुढ़ाना के ग्राम-लुहसाना-कुरावा मार्ग तक लम्बाई लगभग

6 किमी0 तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की विशेष मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग मुजफ्फरनगर बुढ़ाना-बड़ौत मार्ग (प्र0जि0मा0 135 डब्लू0) के किमी0-30 से निकलने वाले मार्ग बुढ़ाना-लुहसाना से मौहम्मदपुर रायसिंह मार्ग के किमी0-4 से निकलकर ग्राम-कुरावा को जोड़ता है, यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के बस्ती विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण एवं दिनांक 01-04-2022 से 29-08-2023 तक स्वीकृत समस्त सड़कों के विवरण के सम्बन्ध में

38-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल कितनी सड़कों का निर्माण कार्य वर्तमान में कराया जा रहा है ? क्या सरकार दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 29-08-2023 तक उक्त जनपद में स्वीकृत समस्त सड़कों का विवरण उपलब्ध कराते हुए अद्यतन स्थिति से भी अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में दो सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है :-

1-नाबार्ड-28 योजनान्तर्गत बस्ती-कांटे मार्ग पर कुस्महा भट्ठा से करियाबारी उदयपुर होते हुए बिगहिया सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 3.15 किमी0 लागत रु0 244.43 लाख है।

2-पूर्वान्चल विकास निधि योजनान्तर्गत कोईलपुरा प्राथमिक विद्यालय से सियाराम नर्सरी तक मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 1.00 किमी0 लागत रु0 54.65 लाख है।

जनपद बस्ती में दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 29-08-2023 तक नव निर्माण के कुल 23 कार्य (कुल लम्बाई 33.75 किमी0 एवं कुल लागत रु0 2723.03 लाख), विशेष मरम्मत के कुल 121 कार्य (कुल लम्बाई 218.35 किमी0 एवं कुल लागत रु0 3587.55 लाख) तथा सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कुल 232 कार्य (कुल लम्बाई 345.54 किमी0 एवं कुल लागत रु0 5290.07 लाख) स्वीकृत है। विवरण संलग्न है।†

उपर्युक्तानुसार।

† छापा नहीं गया।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत स्थित ग्राम लखनौरा में विद्युत खम्भे लगवाने के सम्बन्ध में

39-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत स्थित ग्राम-लखनौरा (नई कालोनी), निकट-पूर्वी रेलवे क्रासिंग नारंग रोड के निवासीगण के विद्युत हेतु विद्युत तार आपूर्ति बांस-बल्ली पर खींच कर की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गाँव में विद्युत खम्भे लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत स्थित ग्राम-लखनौरा (नई कालोनी), निकट पूर्वी रेलवे क्रासिंग नारंग रोड अन्तर्गत 07 विद्युत संयोजन निर्गत किये गये हैं। उक्त के विद्युतीकरण हेतु 04 पी0सी0सी0 पोल लगाने हेतु धनराशि रु0 60284.00 का प्राक्कलन जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने पर नवीन जिला विकास निधि से दिनांक 31-12-2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में सुभाष चौक से रामधाम विशुनपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

40-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना जिला मुख्यालय शहर में सुभाष चौक से रामधाम विशुनपुरा तक लगभग 2.00 किमी0 मॉडल सड़क का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना जिला मुख्यालय शहर में सुभाष चौक से रामधाम विशुनपुरा मार्ग (सुभाष चौक से शुगर फैक्ट्री मार्ग) लम्बाई 2.00 किमी0 की स्वीकृति के क्रम में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजनान्तर्गत मार्ग का नवीनीकरण कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

वर्तमान में उक्त मार्ग को मॉडल सड़क निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग में कोई योजना प्रचलन में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र के कठकुईयां बाजार को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में

41-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कठकुईयां बाजार घनी आबादी वाला कस्बा है, जिसकी जनसंख्या लगभग 25000 है ? यदि हां, तो क्या सरकार पडरौना कठकुईयां बाजार को नगर पंचायत बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जिलाधिकारी, कुशीनगर के पत्र दिनांक 21-11-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार प्रस्तावित क्षेत्र कठकुईयां बाजार के आस-पास की घनी आबादी को शामिल करने के उपरान्त उक्त क्षेत्र की जनसंख्या जनगणना-2011 के अनुसार लगभग 9500 है तथा वर्तमान जनसंख्या लगभग 12,000 है एवं कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या का व्यवसाय कृषि पर आधारित है।

किसी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2979/09-01-2016-426 सा/14, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है। जिसमें निर्धारित मुख्य मानक प्रस्तावित क्षेत्र की आबादी 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए तथा प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना चाहिए। उक्त मानकों की पूर्ति करने पर नगर पंचायत बनाये जाने पर विचार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जिलाधिकारी, कुशीनगर की आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत क्षेत्र नगर पंचायत बनाये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 06-10-2016 में निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं कर रहा है।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सड़कों का चौड़ीकरण तथा गड्ढामुक्ति योजना को लागू करने के सम्बन्ध में

42-श्री जै किशन साहू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सड़कों का चौड़ीकरण तथा गड्ढामुक्ति योजना को सरकार लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद गाजीपुर में चालू वित्तीय वर्ष में कुल 02 मार्गों पर 32.70 कि0मी0 का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत किया गया है। जनपद गाजीपुर में कुल 211 मार्गों पर 572.54 कि0मी0 पैच मरम्मत कराते हुए उन्हे गड्ढामुक्त किया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में निर्माणाधीन सड़कों के विवरण के सम्बन्ध में

43-श्री पंकज पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल कितनी सड़कों का निर्माण कार्य वर्तमान में चल रहा है ? क्या सरकार वर्ष 2017 से दिनांक 31-07-2023 तक उक्त जनपद में स्वीकृत सड़कों का विवरण उपलब्ध कराते हुए अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 27 सड़कों का नव निर्माण का कार्य वर्तमान में चल रहा है।

जी हाँ। वर्ष 2017 से दिनांक 31-07-2023 तक कुल 468 मार्गों का नव निर्माण एवं मरम्मत कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें 441 कार्य पूर्ण हैं एवं 27 कार्य निर्माणाधीन हैं। सूची संलग्न है।[†]

उपर्युक्तानुसार।

44-श्री पंकज पटेल-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड डिलारी, तहसील कांठ क्षेत्र में 33/11 के0वी0 बिजली घर बनाने के सम्बन्ध में

45-श्री कमाल अख्तर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड डिलारी, तहसील कांठ क्षेत्र में 33/11 के0वी0 बिजली घर बनाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो कार्य की प्रगति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] छापी नहीं गयी।

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद-मुरादाबाद के विकास खण्ड डिलारी, तहसील कांठ क्षेत्र में 33/11 के0वी0 अटायन बिजली घर का निर्माण कार्य आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत बिन्दकी बाईपास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

46-श्री जय कुमार सिंह (जैकी)-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी अन्तर्गत बिन्दकी बाईपास का निर्माण जोकि वर्ष 2011 में प्रारम्भ हुआ था, पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त बाईपास के निर्माण की स्वीकृति वर्ष से वर्तमान तक की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार उक्त बाईपास के निर्माण की समय-सीमा निर्धारित कर निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के बिन्दकी कस्बे में चौडगरा-बिन्दकी-ललौली मार्ग के कि0मी0-13.800 से 17.750 के मध्य 5.00 कि0मी0 लम्बाई में बिन्दकी बाईपास का निर्माण 4.50 कि0मी0 में पूर्ण है। शेष लम्बाई में स्थानीय काश्तकारों द्वारा भूमि न दिये जाने के कारण कार्य बाधित है। उक्त मार्ग की शेष लम्बाई में निर्माण हेतु ग्राम-जाफराबाद बाहर क्षेत्र की 0.8242 भूमि के अर्जन हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत धारा-11 व 19 की अधिसूचनाएं क्रमशः दिनांक 17-12-2021 व 11-07-2023 निर्गत कराकर प्रकाशन सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा अभिनिर्णय घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), कानपुर नगर द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् अवशेष मार्ग का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा।

जनपद फतेहपुर की बिन्दकी नगर पालिका में जल निकासी की समस्या के निदान हेतु नाली निर्माण के सम्बन्ध में

47-श्री जय कुमार सिंह (जैकी)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के बिन्दकी नगर पालिका में बरसात में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जलभराव की समस्या से जन-सामान्य को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार योजनाबद्ध

नाले/नाली का निर्माण द्वारा जल निकासी की समस्या के निदान हेतु कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद फतेहपुर के बिन्दकी नगर पालिका में बरसात में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जलभराव की समस्या के निदान हेतु आगणन/प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, उक्त आगणन/प्रस्ताव की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर की बिन्दकी नगर पालिका अन्तर्गत तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के सम्बन्ध में

48-श्री जय कुमार सिंह (जैकी)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के बिन्दकी नगर पालिका अन्तर्गत समस्त तालाब अतिक्रमण मुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बिन्दकी नगर पालिका के तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित कुल 52 तालाबों रकबा 18.5760 हे0 में 34 तालाब रकबा 8.4460 हे0 अतिक्रमण मुक्त हैं एवं 13 तालाब रकबा-8.8320 हे0 आंशिक रूप से अतिक्रमित हैं तथा 05 तालाब रकबा 1.2980 हे0 पूर्णरूप से अतिक्रमित हैं।

जी हाँ।

चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है, चिन्हांकन उपरान्त अभियान चलाकर उक्त अतिक्रमित तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के समस्त विभागों में आडिट प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

49-श्री जगदीश नारायण-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभागों का आडिट किया जाता है ? यदि हां, तो वर्तमान तक कितने विभागों में उक्त प्रक्रिया की गयी है तथा कितनों में शेष है ? क्या सरकार शेष विभागों में आडिट प्रक्रिया पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां।

वर्तमान में प्रदेश के 66 विभागों की आडिट प्रक्रिया की गयी है। शेष 18 विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन विद्यमान नहीं है।

शेष 18 विभागों में आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन का गठन होने पर आडिट प्रक्रिया पूर्ण करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92 टी0सी0, दिनांक 13 जनवरी, 2016 उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों पर लागू किये जाने के सम्बन्ध में

50-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0-21/2022/आई/ 220962/2022/फा0नं0-10-22099/ 373/2021-22, दिनांक 03 अक्टूबर, 2022, संख्या-17/2022/आई/202175/2022/फा0नं0-10-220999/218/2020, दिनांक 17 अगस्त, 2022 तथा शासनादेश संख्या-3/2016/सा-3-03/दस-2016-19/92 टी0सी0, दिनांक 13 जनवरी, 2016 उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों पर लागू किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में

51-श्री नाहिद हसन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में लोक निर्माण विभाग के अधीन सभी श्रेणी के मार्गों के नाम व लम्बाई एवं वर्तमान स्थिति का विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत और पुनर्निर्माण समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत कुल राज्य मार्ग की संख्या-1 लम्बाई 5.00 किमी0, शहरी मार्ग-3 कुल लम्बाई 17.640 किमी0, प्रमुख जिला मार्ग की संख्या-

शून्य, अन्य जिला मार्गों की संख्या-16 कुल लम्बाई 206.195 कि0मी0 है और ग्रामीण मार्गों की संख्या-141 कुल लम्बाई 274.454 कि0मी0 है। उक्त मार्गों की वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न है।†

उक्त क्षेत्र के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज में गंगापार जाने हेतु गंगा नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में

52-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में गंगापार जाने हेतु प्रतिदिन हजारों लोगों को प्रयागराज या मिर्जापुर होकर सैकड़ों किलोमीटर घूमकर आवागमन करना पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार हण्डिया/बरौत से सिरसा/गंगापार जाने के लिए गंगा नदी पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम में 40 कि0मी0 पर जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय मार्ग सं0-02 पर 2082 मी0 लम्बाई का शास्त्री सेतु निर्मित है एवं डाउनस्ट्रीम में लगभग 57 कि0मी0 दूरी पर जनपद मिर्जापुर चिल्ह घाट पर 1001.99 मी0 दीर्घ सेतु निर्मित है। सेतु निर्माण (लगभग 1600.33 मी0) की अनुमानित लागत रु0 482.00 करोड़ है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत से वंचित क्षेत्रों को चिन्हित कर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

53-श्री अनिल प्रधान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों में जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है, को चिन्हित कर उक्त क्षेत्रों में विद्युतीकरण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† देखिये नत्थी (च) आगे पृष्ठ संख्या-261-267 पर।

श्री ए0 के0 शर्मा-

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है।

फिर भी हाल में संज्ञानित हुआ कि 22,339 मजरे अभी भी विद्युतीकरण से वंचित हैं। इन मजरों के विद्युतीकरण के लिए दिनांक 30-05-2023 के पत्र द्वारा भारत सरकार से सहायता हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में भारत सरकार से सम्पूर्ण धनराशि का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही पूर्ण किया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के सरधुआ, महुवा के मध्य बरसात के समय विद्युत आपूर्ति को संचालित करने के लिए विद्युत टावर के निर्माण के सम्बन्ध में

54-श्री अनिल प्रधान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के सरधुआ, महुवा के मध्य बरसात के समय विद्युत आपूर्ति को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए विद्युत टावर का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद-चित्रकूट में पूर्व से निर्मित सरधुआ लाइन जिससे 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सरधुआ एवं भदेदू (खोपा) एवं ग्राम महोबा पोषित है, के डूब क्षेत्र में पड़ने वाले सिगमेंट को सी टाइप टावर एवं फोर पोल स्ट्रक्चर पर स्थानान्तरित करने हेतु अनुमानित धनराशि रुपये 101.49 लाख स्वीकृत है। वर्तमान में निविदा प्रकियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

55-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

जनपदों को अपनी स्वयं की अथॉरिटी देने के सम्बन्ध में

56-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसे कितने जनपद हैं जिनकी अथॉरिटी दूसरे जनपद से सम्बद्ध है ? क्या सरकार ऐसे जनपदों को अपनी स्वयं की अथॉरिटी देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद कुशीनगर के जिला मुख्यालय पडरौना से कुशीनगर हाटा, रामकोला, खड्डा-पडरौना को जोड़ने के लिए नगरीय बस सेवा संचालन कराने के सम्बन्ध में

57-श्री मोहन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में जिला मुख्यालय पडरौना से कुशीनगर, हाटा, रामकोला, खड्डा-पडरौना को जोड़ने के लिए नगरीय बस सेवा संचालन पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के सम्बन्ध में नीतियाँ, कार्यक्रम व प्राथमिकतायें निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में ''निधि प्रबन्ध समिति'' का गठन किया गया है।

निधि प्रबन्ध समिति की दिनांक 08-06-2023 की सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नगरीय बसों का संचालन किये जाने हेतु नवीन शहरों का चयन प्रथम चरण में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों या नगर निगमों में, इसके बाद दूसरे चरण में 05 लाख से ऊपर की जनसंख्या तथा तीसरे चरण में 01 लाख से ऊपर की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगर पालिका परिषद् कुशीनगर की जनसंख्या-22,214, नगर पालिका परिषद् पड़रौना की जनसंख्या-49,723, न0पा0परि0 हाटा की जनसंख्या-12,201, नगर पंचायत रामकोला की जनसंख्या-14,433 तथा नगर पंचायत खड्डा, पड़रौना की जनसंख्या-16,117 है। चूँकि निधि प्रबन्ध समिति की दिनांक 08-06-2023 की बैठक में तीसरे चरण में 01 लाख से ऊपर की जनसंख्या के आधार पर नगरीय क्षेत्रों में नगरीय बसों का संचालन किये जाने का निर्णय लिया गया और उक्त नगरीय निकायों की जनसंख्या 01 लाख से कम है। अतः उक्त निकायों में नगरीय बसों का संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत सफीलपुर एवं मुबारकपुर उपकेन्द्रों पर 05 एम0वी0ए0 के स्थान पर 10 एम0वी0ए0 की क्षमता के ट्रांसफार्मर को लगाये जाने के सम्बन्ध में

58-श्री मौहम्मद फहीम इरफान

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के एस0डी0ओ0 सर्किल बिलारी अन्तर्गत स्थित 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र सफीलपुर एवं 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र मुबारकपुर में ओवरलोडिंग की समस्या सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत उपकेन्द्रों पर किसी निश्चित अवधि तक 5-5 एम0वी0ए0 क्षमता वाले

ट्रान्सफार्मर के स्थान पर 10-10 एम0वी0ए0 क्षमता के ट्रान्सफार्मर लगवाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, मुरादाबाद के अन्तर्गत स्थापित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सफीलपुर की क्षमता वृद्धि 10+5 एम0वी0ए0 से 2x10 एम0वी0ए0 तथा 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मुबारकपुर की क्षमता वृद्धि 1x5 एम0वी0ए0 से 2x5 एम0वी0ए0 किये जाने का कार्य आर0डी0एस0एस0 योजना के तृतीय चरण मार्डनाइजेशन में प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृत पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गत गन्ना पेराई सत्र में कुल उत्पादित एथेनॉल का विवरण एवं जनपद बागपत के रमाला सहकारी चीनी मिल में एथेनॉल प्लान्ट स्थापित करने के सम्बन्ध में

59-डॉ0 अजय कुमार-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गत गन्ना पेराई सत्र में कितनी यूनिटों द्वारा कितना किलोलीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ है तथा आगामी पेराई सत्र हेतु कितना एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? क्या सरकार वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद बागपत के रमाला सहकारी चीनी मिल में भी एथेनॉल प्लाण्ट स्थापित करने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में पेराई सत्र (अक्टूबर, 2022 से सितम्बर, 2023) तक में 66 आसवनी इकाइयों द्वारा विभिन्न तरह के फीड से 17691.81 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया गया है। ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों (OMCs) द्वारा एथेनॉल सप्लाई वर्ष हेतु अपने स्तर से राज्यों के विभिन्न लोकेशन हेतु इथेनॉल की आपूर्ति की मात्रा का उल्लेख करते हुये टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं।

रमाला चीनी मिल का 2500 टी0सी0डी0 से क्षमता विस्तार कर 5000 टी0सी0डी0 क्षमता की नयी चीनी मिल तथा 27 मेगावाट को-नेनरेशन प्लान्ट की स्थापना वर्ष 2019 में की गयी थी। वर्तमान में रमाला चीनी मिल में उत्पादित शीरे के लाभकारी विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहे है, अतः एथेनॉल प्लान्ट स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में उरावर-कमतरी मार्ग से गुड़ियाना तक लिंक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

60-श्री सर्वेश सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में उरावर-कमतरी मार्ग से गुड़ियाना तक लिंक मार्ग लम्बाई लगभग 1 कि0मी0 कच्चा है तथा उक्त गाँव के लिए अन्य कोई दूसरा मार्ग न होने के कारण आम-जनमानस को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड मदनपुर में उरावर-कमतरी मार्ग से गुडियाना तक कच्चा मार्ग है, जिसकी लम्बाई 900 मीटर है, यह मार्ग उखण्ड उरावर मार्ग के कि0मी0-18 के बायीं ओर से निकलकर उरावर ग्राम के मजरे गुडियाना को जोड़ता है। गाँव की आबादी लगभग 50 है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 250 से कम आबादी वाले ग्रामों को जोड़े जाने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम लढपुरा में गाँव के अन्दर स्थापित 11000 के0वी0 की लाइन को आबादी के बाहर स्थापित करने के सम्बन्ध में

61-श्री सर्वेश सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रिसागंज के ग्राम लढपुरा में गाँव के अन्दर 11000 के0वी0 विद्युत लाइन होने से तार टूटने पर दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गाँव के अन्दर संचालित 11000 के0वी0 की विद्युत लाइन को हटाकर अन्यत्र शिफ्ट करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रिसागंज के ग्राम लढपुरा में गाँव के अन्दर तारों को 11 के0वी0 केबल से बदले जाने का कार्य आर0डी0एस0एस0 के मार्डनाइजेशन फेज में प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में इन्दरगढ़ से ब्लाक मदनपुर के मार्ग लगभग 2 किमी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

62-श्री सर्वेश सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में इन्दरगढ़ से ब्लॉक मदनपुर तक लम्बाई लगभग 2 किमी0 मार्ग कच्चा व गड्ढायुक्त होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

उक्त ग्राम सिरसागंज-रपड़ी मार्ग के 06 किमी0 से मदनपुर तथा 07 किमी0 से इन्दरगढ़ पूर्व से ही लेपित पक्के मार्ग से जुड़े हुए हैं। उक्त मार्गों की दशा सन्तोषजनक है। प्रकरण डबल कनेक्टिविटी से आच्छादित है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कैराना-रामड़ा मार्ग वाईपास कैराना से मोहल्ला खेल कला तथा कैराना पालिका बारात घर से रामड़ा का मार्ग निर्माण कराने के सम्बन्ध में

63-श्री नाहिद हसन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कैराना-रामड़ा मार्ग बाईपास कैराना से मोहल्ला खेल कला तथा कैराना पालिका बारात घर से रामड़ा का मार्ग परिवहन के लिए जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कैराना-रामड़ा मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 0.600 किमी0 है। कैराना पालिका बारात घर से रामड़ा का मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 21.105 किमी0 है।

उपरोक्त मार्गों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शामली के नगर पालिका परिषद् कैराना, नगर पंचायत झिंझाना व ऊन में तथा उक्त क्षेत्र के ग्रामों में जर्जर बिजली के खम्भे व तार को बदलवाने के सम्बन्ध में

64-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के नगर पालिका परिषद् कैराना, नगर पंचायत झिंझाना व ऊन में तथा उक्त क्षेत्र के ग्रामों में जर्जर बिजली के खम्भे व तार तथा अति भारित परिवर्तक को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद शामली के नगर पालिका परिषद् कैराना, नगर पंचायत झिंझाना व ऊन में तथा उक्त क्षेत्र के ग्रामों में जर्जर बिजली के खम्भे व तार तथा अतिभारित ट्रांसफार्मरों को बदलवाने हेतु प्रणाली सुधार व अतिरिक्त बिजनेस प्लान के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में कार्यों को पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के मोहल्ला अबुल बरकात टीला जामा मस्जिद के सामने खुर्रम परवेज, पत्रकार के मकान से होकर गली के अन्त तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

65-श्री नाहिद हसन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् देवबंद जनपद सहारनपुर में मोहल्ला अबुल बरकात टीला जामा मस्जिद के सामने खुर्रम परवेज, पत्रकार के मकान से होकर गली के अन्त तक गली टूटी होने से वहां के निवासियों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गली की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हां।

जी हां।

उक्त गली (सड़क) का आंशिक भाग सी0सी0 सही अवस्था में है और आंशिक भाग व पैडियों की मरम्मत करायी जानी है। पालिका द्वारा उक्त कार्य कराये जाने हेतु दिनांक 16-11-2023 को कोटेशन आमंत्रित कर कार्यादेश दिनांक 23-11-2023 को जारी कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में सत्र, 2022-2023 में गन्ना किसानों का निजी चीनी मिलों द्वारा किए गए भुगतान एवं अवशेष भुगतान के विवरण के सम्बन्ध में

66-डा0 वीरेन्द्र यादव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान गन्ना पेराई सत्र 2022-2023 में गन्ना किसानों का निजी चीनी मिलों द्वारा कितना भुगतान किया गया है तथा कितना गन्ना मूल्य अवशेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

पेराई सत्र 2022-23 के अन्तर्गत दिनांक 20-11-2023 की सूचना के अनुसार प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य रु0 34,598.64 करोड़ के सापेक्ष रु0 32,848.34 करोड़ भुगतान किया गया है तथा रु0 1,750.30 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की तहसील बिसण्डा के ग्राम बाधा में सिद्ध बाबा देव स्थान को जाने वाले मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

67-श्री अखिलेश-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2023 के 1 मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-118 के उत्तर के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत, बांदा की बोर्ड बैठक दिनांक 18-03-2023 में लिए गये निर्णय के क्रम में कार्यालय जिला पंचायत, बांदा के पत्र दिनांक 24-03-2023 जो जनपद बांदा की तहसील बिसण्डा के ग्राम बाघा में सिद्ध बाबा देव स्थान को जाने वाले मार्ग के निर्माण विषयक है, की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बांदा में तहसील अतर्रा के ब्लाक बिसण्डा के अन्तर्गत ग्राम बाघा सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुड़ा हुआ है। प्रश्नगत मार्ग ग्राम बाघा से सिद्ध बाबा देव स्थान तक कच्चा स्तर का मार्ग है। उक्त कच्चे मार्ग पर कोई ग्राम स्थित न होने के कारण मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में आजमगढ़-मऊ राजकीय मार्ग से ग्राम हरैया तथा अशोना तक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

68-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में आजमगढ़-मऊ राजकीय मार्ग से ग्राम हरैया तथा अशोना तक के मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, लखनऊ-बलिया मार्ग (हरैया) से उसरीमाफी कादीपुर होते हुए असोना ग्राम को जाता है, जिसकी लम्बाई 3.400 किमी0 है। मार्ग का नवीनीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में जहानागंज से कुंजी मार्ग के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

69-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में जहानागंज से कुंजी मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग जहानागंज करहा से कुंजी सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसकी लम्बाई 2.750 किमी0 है। मार्ग पर सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज बाजार में लल्लू मिठाई की दुकान के बगल से रेलवे क्रासिंग के पहले तक का मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

70-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज बाजार में लल्लू मिठाई की दुकान के बगल से रेलवे क्रासिंग के पहले तक का मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण आम-जन को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ब्लाक मुफ्तीगंज बाजार में लल्लू मिठाई की दुकान के बगल से रेलवे क्रासिंग के पहले तक का मार्ग लम्बाई 0.180 किमी0 विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत निर्माण हेतु स्वीकृत है।

उपर्युक्तानुसार।

दिनांक 30-11-2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित त्रिवेणी नगर तृतीय के मोहल्ला आदर्शपुरम् में इण्टरलॉकिंग कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में

71-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित त्रिवेणी नगर तृतीय के मोहल्ला आदर्शपुरम् में श्रीमती रेनू गुप्ता के घर से श्री मनोज कुमार पाण्डेय के घर तक मार्ग का इण्टरलॉकिंग कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रश्नगत मार्ग का निरीक्षण किया गया। उक्त मार्ग पर इण्टरलॉकिग टाइल्स लगी हुयी है, जो वर्तमान में ठीक अवस्था में है तथा आवागमन हेतु मार्ग सुगम है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपर्युक्तानुसार।

72-डॉ0 रागिनी-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्र0 सं0-182 के अन्तर्गत स्थानान्तारित]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा उमापुर में यादव बस्ती पश्चिम में विद्युतीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में

73-डॉ0 रागिनी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा उमापुर में यादव बस्ती पश्चिम में विद्युतीकरण कराने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा उमापुर में यादव बस्ती पश्चिम विद्युतीकृत है। गाँव के बाहर लगभग 250 मीटर दूरी पर 03 मकान बने हैं, जिन्हें जमा योजना में विद्युत संयोजन दिये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अन्दर जनपदीय एवं तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले सिंगल मार्ग को उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण करते हुए टू-लेन मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

74-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्जनपदीय एवं तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले सिंगिल मार्ग को उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण करते हुए टू-लेन मार्ग से जोड़ने की योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विशुनपुरवा-हनुमानगंज-पैड़ी दानों कुईयां होते हुए जनपद-सन्तकबीरनगर जाने वाले मार्ग को उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराते हुए ओ0डी0आर0 योजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

विशुनपुरवा-हनुमानगंज-पैड़ी दानों कुईयां होते हुए जनपद-सन्तकबीरनगर को जाने वाले मार्ग की कुल लम्बाई 21.30 किमी0 है, जिसमें लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले विशुनपुरवा से हनुमानगंज तक भाग की लम्बाई 5.50 किमी0 (अन्य जिला श्रेणी मार्ग) की दशा सन्तोषजनक है। हनुमानगंज से दानों कुईयां तक का भाग (लम्बाई 7.80 किमी0) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन है। शेष 8.00 किमी0 का भाग जनपद सन्तकबीरनगर में पड़ता है। मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश में अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा, बुन्देली के संरक्षण हेतु अकादमी बनाये जाने के सम्बन्ध में

75-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रदेश में अवधी, भोजपुरी ब्रज भाषा, बुन्देली के संरक्षण हेतु अकादमी बनाने का वित्तीय प्रावधान किया

गया था, किन्तु वर्तमान तक उक्त अकादमियों की स्थापना का कार्य नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के विलम्ब का कारण सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रदेश में भोजपुरी अकादमी के लिए बजट प्रावधान किया गया था। ब्रज, अवधी एवं बुन्देली अकादमियों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2023 में बजट प्रावधान किया गया।

प्रदेश में उक्त भाषाई अकादमियों की स्थापना की कार्यवाही चरणबद्ध एवं प्रक्रियात्मक है, जिसमें अधिसूचना जारी करना, संगम ज्ञापन, नियमावली बनाने का कार्य, पद सृजन, भवन/स्थान आवंटन, उपाध्यक्ष व सदस्यों का नामांकन इत्यादि अनेक कार्य किये जाते हैं। सम्प्रति उक्त भाषाई अकादमियों के गठन की कार्यवाही उपर्युक्त विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के ग्राम कल्याणपुर से कैमहरा गाँव होते हुये कैमहरा पुल तक जर्जर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

76-श्री निर्मल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के ग्राम कल्याणपुर से कैमहरा गाँव होते हुये कैमहरा पुल तक मार्ग जर्जर है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत ग्राम कल्याणपुर से ग्राम कैमहरा खुर्द होते हुए कैमहरा पुल तक की कुल लम्बाई 2.750 किमी0 है। कैमहरा खुर्द सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 1.050 किमी0 है यह मार्ग लेपन स्तर का है। मार्ग पर पैच रिपेयर का कार्य सम्पादित कराया गया है। वर्तमान में यह मार्ग गड्ढामुक्त है एवं यातायात हेतु सुगम है। ग्राम कैमहरा खुर्द से ग्राम कल्यानपुर तक की कुल लम्बाई 1.70 किमी0 है। यह मार्ग खड़न्जा स्तर का है। ग्राम कल्यानपुर एवं ग्राम कैमहरा खुर्द पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में डबल कनेक्टिविटी की कोई भी योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां में बिसवां मार्ग से सकनापुर मण्डी होते हुए बिसवां-सिधौली मार्ग पर राजाडीह तक का बाईपास मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

77-श्री निर्मल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां में बिसवां मार्ग से रुकनापुर मण्डी होते हुए बिसवां-सिधौली मार्ग पर राजाडीह तक बाईपास मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र बिसवां के अन्तर्गत बहराइच-सीतापुर मार्ग (राज्य मार्ग-30बी) से रुकनापुर मण्डी होते हुए राजाडीह तक बाईपास के निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा थानाभवन से लतीफगढ़, तितारसी, रायपुर, बाबरी मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

78-श्री अशरफ अली खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के क़स्बा थानाभवन से लतीफ़गढ़, तितारसी, रायपुर, बाबरी मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण जन-सामान्य को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा थानाभवन से लतीफगढ़, तितारसी, मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शामली से बधेव, मालेण्डी, गढ़ीपुख्ता मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

79-श्री अशरफ अली खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली से बधेव, मालेण्डी, गढ़ीपुख्ता मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण जन-सामान्य को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद शामली से बधेव, मालेण्डी, गढ़ीपुख्ता मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 19.00 किमी0 है। मार्ग की वर्तमान सतह 3.75 मी0 चौड़ी है।

उपरोक्त कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने में किये गए कार्यों के विवरण के सम्बन्ध में

80-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु अब तक क्या-क्या कार्य जनपद फिरोजाबाद में कराये गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद में आई0टी0एम0एस0, स्मार्ट मार्ग, सूर्य नमस्कार की विभिन्न मुद्राएं, हेल्थ ए0टी0एम0, सीनियर केयर सेन्टर, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के सी0सी0टी0वी0 कैमरों को आई0टी0एम0एस0 के कन्ट्रोल सेन्टर से इन्टीग्रेशन सम्बन्धी कुल रु0 8013.50 लाख की लागत के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जो प्रगतिधीन हैं।

जी हाँ, सूची संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत थानाभवन, नगर पंचायत जलालाबाद व नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता में जर्जर विद्युत तार और खम्भे के स्थान पर केबिलयुक्त लाइन डालने के सम्बन्ध में

81-श्री अशरफ अली खान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत थानाभवन, नगर पंचायत जलालाबाद व नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता में अधिकांश विद्युत आपूर्ति लाइन क्षतिग्रस्त व जर्जर होने के कारण विद्युत आपूर्ति का निर्बाध रूप से संचालन नहीं हो रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण के लिये उक्त कस्बों में केबिलयुक्त लाइन डालकर निर्बाध विद्युत आपूर्ति का संचालन करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-[†] देखिये नत्थी (छ) आगे पृष्ठ संख्या-268 पर।

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत थानाभवन, नगर पंचायत जलालाबाद व नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता में निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है (स्थानीय व्यवधान को छोड़कर)।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमित रूप से विद्युत तारों का अनुरक्षण कराया जाता है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2023-24 में अद्यतन 1.1 सर्किट किलोमीटर तार बदला गया है।

82-श्री अनिल प्रधान-

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

जनपद मुरादाबाद तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में पल्स सरनेम वाले कम्पनियों में लोगों के जमा कराये गये पैसे के भुगतान के विवरण के सम्बन्ध में

83-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में पल्स सरनेम से कम्पनियां बनाकर वर्ष 1995 के बाद से लोगों से जमा कराए गये लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कम्पनी द्वारा भुगतान न करने के प्रकरण से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की उक्त रकम को दिलाने हेतु किए जा रहे प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि नोडल अधिकारी-सह-सचिव, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर0एम0 लोढ़ा समिति (पी0ए0सी0एल0 के मामले से संबंधित) द्वारा अपने पत्र दिनांक 21-07-2023 (प्रति संलग्न)[†] में उल्लेख किया गया है कि ''मा0 उच्चतम न्यायालय ने सुब्रत भट्टाचार्य बनाम भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के मामले (सी0ए0नं0 2015 की 13301) में तथा दूसरे सम्बन्धित मामलों में, तारीख 02-02-2016 के आदेश के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को पी0ए0सी0एल0 की सम्पत्तियों की बिक्री करने (को-डिस्पोज ऑफ करने) के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर0 एम0 लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बिक्री से मिलने वाले पैसों (सेल प्रोसीड्स) से निवेशकों का भुगतान किया जा सकें''।

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ज) आगे पृष्ठ संख्या-269-270 पर।

तदनुसार सेबी द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद में बिलारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पीपली में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग-509 से जोड़ने के सम्बन्ध में

84-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में बिलारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पीपली में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय के राष्ट्रीय राजमार्ग-509 से न जुड़े होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अटल आवासीय विद्यालय को जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग-509 से जोड़ना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पीपली में निर्माणाधीन अटल आवासीय विद्यालय बिलारी-जरगांव-चन्दौसी मार्ग किमी0-17 (बरौली रुस्तमपुर) से खासेपुर होते हुए सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। बिलारी-जरगांव-चन्दौसी मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण है। बिलारी-जरगांव-चन्दौसी अन्य जिला मार्ग सं0-74, बिलारी-सिरसी अन्य जिला मार्ग सं0-05 के किमी0-02 से जुड़ता है तथा बिलारी-सिरसी अन्य जिला मार्ग सं0-05, राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-509 के किमी0-25 में बिलारी तहसील/आबादी भाग में पूर्व से ही जुड़ा है। अटल आवासीय योजना के अन्तर्गत विद्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग-509 से सीधे जोड़ने की कोई नीति/योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2019-2020 तथा 2020-2021 के अन्तर्गत बिना स्वीकृति 166 सड़कों पर हुए 21 करोड़ रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में

85-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के अन्तर्गत बिना स्वीकृति 166 सड़कों पर हुए 21 करोड़ रुपए के घोटाले से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोटाले से सम्बन्धित प्रमुख तथ्य सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वित्तीय वर्ष 2019-20 का व्ययवर्तन प्रकाश में नहीं आया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिना धनराशि के आवंटन के 175 सड़कों पर किये गये व्ययवर्तन का प्रकरण संज्ञान में है,

उक्त व्ययवर्तन के लिये अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध जांच संस्थित कर दी गयी है एवं आरोप-पत्र निर्गत कर दिये गये हैं। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत दिलीपपुर-चौहर्जन मार्ग से बसीरपुर बिंद बस्ती तक मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

86-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत दिलीपपुर-चौहर्जन मार्ग से बसीरपुर बिंद बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

दिलीपपुर-चौहर्जन मार्ग से बसीरपुर बिंद बस्ती कच्चा मार्ग है, जिसकी लम्बाई 800 मी0 है तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी 179 है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 250 से कम आबादी को नव निर्माण के अन्तर्गत जोड़े जाने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में पावर कारपोरेशन और उनके विभिन्न डिस्काम के अन्तर्गत माह मार्च में 24 घण्टे की सांकेतिक हड़ताल के दौरान बर्खास्त हुए कर्मचारियों की बहाली के सम्बन्ध में

87-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन और उनके विभिन्न डिस्काम के अन्तर्गत माह मार्च में 24 घण्टे की सांकेतिक हड़ताल के दौरान बर्खास्त हुए कर्मचारियों की बहाली सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड तथा उसके विभिन्न डिस्काम द्वारा प्रश्नगत सांकेतिक हड़ताल के दौरान कारपोरेशन के किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया है।

आउटसोर्स कर्मी को रखने एवं निकालने का दायित्व आउटसोर्स एजेन्सी का होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत देवासा पक्की सड़क से रैनी सतखरिया तक मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

88-डॉ0 आर0 के0 वर्मा

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत देवासा पक्की सड़क से रैनी सतखरिया तक मार्ग का नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत प्रश्नगत कार्य 'देवासा पक्की सड़क से रैनी सतखरिया सम्पर्क मार्ग' का आगणन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 01-04-2023 से पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना से सम्बन्धित कार्य नियोजन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, अतः लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज की दुर्गागंज मार्केट में जर्जर विद्युत तार को बदलवाने के सम्बन्ध में

89-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज की दुर्गागंज मार्केट में जर्जर विद्युत तार से दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्केट के जर्जर विद्युत तार को बदलने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज की दुर्गागंज मार्केट में 33 के0वी0 उपकेन्द्र देल्हूपुर से निकलने वाली एल0टी0 लाइन के जर्जर विद्युत तार बदलने का कार्य आर0डी0एस0एस0 योजना में सम्मिलित है, जिसे एक माह तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में गोमती नगर के पत्रकारपुरम् चौराहे पर स्थित आरोही प्लाजा, गोमती प्लाजा, लक्ष्मी प्लाजा एवं उदय प्लाजा द्वारा किए गये अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में

90-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में गोमती नगर के पत्रकारपुरम् चौराहे पर स्थित आरोही प्लाजा, गोमती प्लाजा, लक्ष्मी प्लाजा एवं उदय प्लाजा

भवन में कई जगहों पर दबंगों द्वारा लोहे का स्थाई जीना का निर्माण कराकर अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटाते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हाँ।

गोमती नगर के पत्रकारपुरम् चौराहे पर स्थित आरोही प्लाजा, गोमती प्लाजा, लक्ष्मी प्लाजा एवं उदय प्लाजा का मानचित्र स्वीकृति की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की गई है। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किए गए स्थाई/अस्थाई निर्माण/अतिक्रमण चिन्हांकन की कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना अपेक्षित है। विषयगत प्रकरण में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त व्यवसायिक केन्द्रों में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये गए अवैध अतिक्रमण/निर्माण के चिन्हांकन उपरान्त नगर निगम, लखनऊ एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाती है। नगर निगम द्वारा दिनांक 22-10-2023, 23-10-2023 व 09-11-2023 को पत्रकारपुरम् चौराहे पर मार्केट के चारों तरफ एवं सार्वजनिक स्थलों पर किए गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा सहित प्रदेश के दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु उक्त क्षेत्र में वन पर्यावरण विभाग में रिक्त पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में

91-श्री मदन भैया-

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा सहित प्रदेश के दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु क्या उपाय किये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में वन पर्यावरण विभाग में रिक्त पदों पर सरकार नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरुण कुमार

जी हाँ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग द्वारा रिवाइज्ड ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान) लागू किया गया है, जोकि एनसीआर-उ0प्र0 के अन्तर्गत आच्छादित 08 जिलों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड, मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर एवं बुलन्दशहर में भी समान रूप से लागू है।

उपरोक्त क्षेत्र में वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पृथक-पृथक कार्यवाहियाँ निर्धारित हैं। सी0ए0क्यू0एम0 द्वारा ग्रैप के अन्तर्गत Winter Action Plan लागू किया गया है। उक्त कार्यवाहियों का अनुश्रवण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन हेतु आयोग के स्तर पर आयोग द्वारा गठित सब कमेटी आन ग्रैप द्वारा निरन्तर किया जाता है। एन0सी0आर0 क्षेत्र के अन्तर्गत चिन्हित नॉन अटेनमेन्ट शहरों की वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में तैयार की गयी कार्य योजना का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है।

जी हाँ।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एन0सी0आर0 क्षेत्र में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। बोर्ड की प्रख्यापित सेवा विनियमावली, 1995 के परिशिष्ट में क्षेत्रीय कार्यालयवार पद सृजित नहीं हैं। पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 29-09-2006 द्वारा 07 क्षेत्रीय कार्यालयों (जिनमें एन0सी0आर0 क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय, बुलन्दशहर एवं मुजफ्फरनगर शामिल हैं) हेतु पृथक से अस्थायी पद सृजित किये गये हैं।

बोर्ड में एन0सी0आर0 क्षेत्र सहित समूह 'ख' के समस्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के माध्यम से भरे जाने हेतु मा0 आयोग की अपेक्षानुसार सेवा विनियमावली में संशोधन सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं समूह 'ग' के रिक्त 187 पदों के सापेक्ष 123 पदों पर चयन हेतु अधियाचन उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को प्रेषित किये जा चुके हैं। शेष के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा समूह 'घ' के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती पर प्रतिबन्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के लोनी बालक राजकीय मॉडल इण्टर कालेज के पास से नगर पालिका परिषद्, लोनी के कूड़े के डम्पिंग ग्राउण्ड को हटवाये जाने के सम्बन्ध में

92-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी बालक राजकीय मॉडल इण्टर कॉलेज के पास नगर पालिका परिषद्, लोनी के कूड़े का डम्पिंग ग्राउण्ड से छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कूड़ा को हटवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद गाजियाबाद के लोनी बालक राजकीय मॉडल इण्टर कालेज जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसमें पठन-पाठन का कार्य नहीं हो रहा है।

निकाय द्वारा ग्राम मीरपुर हिन्दू तहसील लोनी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाण्ट तैयार हो चुका है। उक्त प्लाण्ट में वैज्ञानिक तरीके से कूड़े के निस्तारण हेतु ई-निविदा की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्नगत स्थल पर डम्प कूड़े को बायोरेमेडिएशन विधि से निस्तारित करने हेतु आंगणन (डी0पी0आर0) तैयार कराया जा रहा है। तदोपरान्त ई-निविदा आमंत्रित कर प्रश्नगत स्थल के कूड़े का निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला गाजियाबाद में तैनात कतिपय ई0ओ0 के भ्रष्टाचार की जांच एवं स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

93-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर विकास विभाग में अधिशाषी अधिकारी को एक जिले में कितने वर्ष तक तैनाती का नियम क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद गाजियाबाद में तैनात कतिपय ई0ओ0 के भ्रष्टाचार के विरुद्ध शासन द्वारा दिनांक 20-10-2021 को विजिलेंस तथा आयुक्त, मेरठ के पत्रांकः 1173, दिनांक 02-09-2022 द्वारा जांच प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण में नामित ई0ओ0 को जनपद से अन्यत्र हटा कर जांच की कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, श्रेणी-3 समूह 'ग' का पद है तथा शासनादेश संख्या-5/2023/262/सामान्य/47-का-4-2023-(1/3/96), दिनांक 07-06-2023 द्वारा जारी वार्षिक स्थानान्तरण नीति-2023-24 में समूह 'ग' के कार्मिकों का 03 वर्ष उपरान्त (कुल कार्मिकों के 10 प्रतिशत की सीमा तक तथा 10 प्रतिशत से अधिक व 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में मा0 मंत्री जी के अनुमोदपरान्त) व्यवस्था की गयी है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के प0सं0-3452/नौ-4-21-13 जांच/2021, दिनांक 02-11-2021 के क्रम में सुश्री शालिनी गुप्ता, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, लोनी, जनपद गाजियाबाद सम्प्रति अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, खोडा मकनपुर, जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ स्तर पर जाँच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 20-10-2021, विभाग में उपलब्ध अभिलेखानुसार सतर्कता विभाग को निर्गत नहीं पाया गया है।

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

94-श्री मदन भैया-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए कार्य एवं शेष कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

95-श्री पंकज पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने कार्य स्वीकृत किए गए ? क्या सरकार यह भी बताएगी कि दिनांक 14 अप्रैल, 2023 तक कितने कार्य पूर्ण करा लिए गए तथा कितने कार्य शेष हैं ? क्या सरकार निश्चित समय अन्तर्गत शेष कार्यों को पूर्ण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 81 कार्य स्वीकृत हैं।

स्वीकृत 81 कार्यों के सापेक्ष 14 अप्रैल, 2023 तक कुल 22 कार्य पूर्ण करा लिए गये हैं। शेष 59 कार्यों में से 32 कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं एवं 27 कार्य प्रगति पर हैं।

शेष 27 कार्य मार्च, 2024 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत असंतृप्त मजरों तथा बसावटों को पिच रोड से जोड़ने के सम्बन्ध में

96-श्री पंकज पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादी के कितने मजरों तथा बसावटों को पिच रोड से संतृप्त किया जाना शेष है ? क्या सरकार उक्त असंतृप्त मजरों तथा बसावटों को पिच रोड से संतृप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के अन्तर्गत 250 से अधिक आबादी के 67 मजरों/बसावटों को पिच रोड से संतृप्त किया जाना शेष है। इनमें से 44 मजरों की स्वीकृति प्राप्त है एवं कार्य प्रगति पर है। शेष 23 मजरों की लम्बाई 500 मीटर से कम होने के कारण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

97-श्री पंकज पटेल-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नगर पालिका मुजफ्फरनगर की सड़कों की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में

98-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहर के अन्दर बनने वाली तारकोल की सड़कों की आयु कितनी निर्धारित की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि नगर पालिका, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनाँक 15-02-2023 तक कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त सड़कें टूट गई हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार नगर पालिका, मुजफ्फरनगर की सड़कों की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश के शहर के अन्दर बनने वाली तारकोल की सड़कों की आयु मूलतः मैटेरियल की क्वालिटी, डिजाइन, डिजाइन पीरियड, ट्रैफिक का घनत्व, क्लाईमेट कन्डीशन व अनुरक्षण पर निर्भर करता है। वर्णित परिस्थितियों एवं इण्डियन रोड कांग्रेस में अंकित दिशा-निर्देश के अनुसार सामान्यतः तारकोल द्वारा निर्मित सड़कों की कुल आयु काल 5 से 10 वर्ष निर्धारित की गयी है।

नगर पालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर में प्राप्त अभिलेखों के अनुसार विगत 10 वर्षों में सी0सी0, इण्टरलॉकिंग एवं तारकोल द्वारा कुल 3422 सड़कों का निर्माण किया गया है। दिनांक 15-02-2023 तक बनी समस्त सड़कों का अनुरक्षण सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा (अनुरक्षण काल में) एवं पालिका द्वारा नियमित रूप से कराया जाता है।

नगर पालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर द्वारा निर्मित सड़कों की टी0ए0सी0 जाँच मण्डलायुक्त द्वारा नामित प्राविधिक परीक्षक द्वारा समय-समय पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में नगर निगम द्वारा मेट्रो स्टेशनों व नगर निगम भूमिगत पार्किंग पर कार, बाइक व साइकिल पार्किंग पर शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में

99-श्री पंकज मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में नगर निगम द्वारा मेट्रो स्टेशनों व नगर निगम भूमिगत पार्किंग पर कार, बाइक व साइकिल पार्किंग हेतु कितना शुल्क निर्धारित है ? क्या सरकार द्वारा उक्त स्थानों पर साइकिल की निःशुल्क पार्किंग उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लखनऊ स्थित फिनिक्स प्लासियो माल व लुलु माल में कार व बाइक पार्किंग हेतु कितना शुल्क निर्धारित किये गये हैं तथा उक्त माल मे साइकिल की पार्किंग निःशुल्क उपलब्ध है ? क्या सरकार साइकिल पार्किंग हेतु लुलु माल व फिनिक्स प्लासियो माल में स्थान व निःशुल्क पार्किंग उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा स्टेशनों पर पार्किंग का संचालन किया जाता है।

नगर निगम द्वारा वर्तमान समय में कुल 20 पार्किंग स्थलों का संचालन किया जा रहा है। नगर निगम लखनऊ द्वारा संचालित पार्किंग हेतु शुल्क की दरें निम्नवत् निर्धारित हैं :-

1-कार व चार पहिया वाहन रु0 25 प्रति चार घण्टा एवं चार घण्टे बाद इसके गुणांक में।

2-स्कूटर/मोटर साइकिल रु0 10 प्रति चार घण्टा एवं चार घण्टे बाद इसके गुणांक में।

3-साइकिल रु0 05 प्रति चार घण्टा एवं चार घण्टे बाद इसके गुणांक में।

जी नहीं।

साइकिल हेतु निःशुल्क पार्किंग की सुविधा उपलबध नहीं करायी गयी है। विगत कई वर्षों से साइकिल हेतु पार्किंग शुल्क निर्धारित है, जिसको निःशुल्क किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लखनऊ स्थित फिनिक्स प्लासियो माल व लुलु माल में संचालित पार्किंग उनकी निजी सम्पत्ति है, उनकी पार्किंग संचालन में नगर निगम, लखनऊ का कोई हस्तक्षेप नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्रों पर वर्तमान में विद्युत आपूर्ति की नीति के अनुरूप विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में

100-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में विद्युत उपकेन्द्रों पर वर्तमान में कुल कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाने की नीति है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत समस्त 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों पर दिनांक 01 दिसम्बर, 2022 से 30 जनवरी, 2023 तक कुल कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा कितने विद्युत उपकेन्द्रों में घोषित नीति से कम घण्टों की विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार घोषित नीति के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश में नगरीय (मुख्यालय) में 24.00 घण्टे तहसील में 21.30 घण्टे तथा ग्रामीण में 18.00 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पोषकों को 10.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने का शेड्यूल है।

निर्धारित शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है (स्थानीय व्यवधान को छोड़कर)।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के दृष्टिगत जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में प्रति गाँव 55 सोलर लाइट लगवाने के सम्बन्ध में

101-श्री सर्वेश सिंह-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के दृष्टिगत जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में प्रति गाँव 55 सोलर लाइट सरकार लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यू0पी0 नेडा द्वारा ग्रामीण बाजारों के आच्छादन हेतु पंडित दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्र के आच्छादन हेतु बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना तथा ग्राम पंचायतों में जिला योजना/स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जाती है।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में विगत वर्षों में निम्नानुसार सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करायी गयी है :-

क्र0-सं0	योजना का नाम	स्थापित लाइटों की संख्या
1	पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना	70
2	बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना	40

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज के विभिन्न ग्रामों में निम्न विवरण के अनुसार सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना का कार्य स्वीकृत किया गया है :-

क्र0-सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लाइटों की संख्या
1	पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना	31
2	बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना	50

उक्त के अतिरिक्त जिला योजना (राज्यानुदान) में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना राज्यानुदान एवं लाभार्थी संस्था (मा0 सांसद निधि, मा0 विधायक निधि तथा क्षेत्र पंचायत निधि) के अंशदान से किया जाता है। योजना में राज्यानुदान रु0 7100.00 प्रति संयंत्र के अलावा संयंत्र मूल्य की अवशेष धनराशि मा0 जन-प्रतिनिधियों द्वारा अपनी क्षेत्र विकास निधि से वहन की जाती है। जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज हेतु जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 हेतु अद्यतन प्रस्ताव अप्राप्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में शिकोहाबाद-बटेश्वर मुख्य मार्ग से स्यारमऊ-रामलाल सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में

102-श्री सर्वेश सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र सिरसागंज में शिकोहाबाद-बटेश्वर मुख्य मार्ग से स्यारमऊ-रामलाल सम्पर्क मार्ग की जर्जर सड़क का मरम्मत कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों में लाछपुर स्यारमऊ मार्ग के नाम से दर्ज है, जिसकी कुल लम्बाई 0.650 किमी0 है। उक्त मार्ग की 0.250 किमी0 लम्बाई लोक निर्माण विभाग की विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है, जिसमें निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली

गयी है, अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मार्ग की शेष 0.400 किमी0 लम्बाई में जिला पंचायत, फिरोजाबाद द्वारा सी0सी0 निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 में कराया गया है, जिसकी सतह सन्तोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर अन्तर्गत हल्दौर चौराहे से केवलानन्द निगम धाम तक जाने वाली सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

103-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर अन्तर्गत हल्दौर चौराहे से केवलानन्द निगम धाम तक जाने वाली सड़क पर स्थित मन्दिरों, गंगा जी घाट, धर्मशाला आदि तक का मार्ग जीर्ण-शीर्ण हो जाने के कारण श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसकी लम्बाई 1.400 किमी0 है। मार्ग पर 0.200 किमी0 क्षतिग्रस्त लम्बाई में विशेष मरम्मत का कार्य स्वीकृत है। अवशेष 1.200 किमी0 लम्बाई में मार्ग की सतह सन्तोषजनक है तथा यातायात सुचारु रूप से संचालित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

अन्तर्जनपदीय एवं तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले सिंगिल मार्ग को उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण करते हुए टू-लेन मार्ग से जोड़ने के सम्बन्ध में

104-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्जनपदीय एवं तहसील मुख्यालय को जोड़ने वाले सिंगिल मार्ग को उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण करते हुए टू लेन मार्ग से जोड़ने की योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनपद बस्ती में भानपुर से अडवा घाट होते हुए गौरा, जनपद-गोण्डा जाने वाले मार्ग को उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराते हुए ओ0डी0आर0 योजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बस्ती में भानपुर अडवाघाट होते हुए ग्राम गौरा जनपद गोण्डा जाने वाला मार्ग भानपुर, तेनुआ, असनहरा मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के 8.00 किमी0 के दांयी ओर से निकलते हुए गोण्डा जनपद को जाता है, जिसकी कुल लम्बाई 15.43 किमी0 है। इस मार्ग पर स्थित

भानपुर तहसील मुख्यालय गेट तक पूर्व से ही दो लेन मार्ग से जुड़ा है। प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

250 से अधिक की आबादी वाले राजस्व ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में

105-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 250 से अधिक की आबादी वाले राजस्व ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बाघनगर-मथुरापुर, डुमरी मार्ग से ग्राम-भिटिया कला (500 से अधिक आबादी वाले ग्राम), वि0ख0-रुधौली को जोड़ने के लिए सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हां।

250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना तथा नाबार्ड (आर0आई0डी0एफ0) योजना प्रचलन में है, साथ ही जिला योजना तथा पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत भी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाता है।

गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रश्नगत मार्ग बाघनगर मथुरापुर, मूड़ाडीह मार्ग से ग्राम भिटिया कला (लम्बाई 1.00 किमी0) के निर्माण हेतु पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत रु0 73.05 लाख आगणन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 01-04-2023 से पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना से सम्बन्धित कार्य नियोजन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं। अतः लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली जनपद बस्ती के 10,000 से अधिक आबादी वाले कस्बा सल्टौआ गोपालपुर, तहलील भानपुर, बस्ती को नगर पंचायत बनाने के सम्बन्ध में

106-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र-रुधौली, जनपद बस्ती के 10,000 से अधिक आबादी वाला कस्बा सल्टौआ गोपालपुर, तहसील-भानपुर, जनपद बस्ती को नगर पंचायत सरकार बनायेगी ? यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी नहीं।

जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र दिनांक 21-11-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार राजस्व ग्राम सल्टौआ गोपालपुर एवं इससे संलग्न राजस्व ग्राम देईपार खुर्द, देईपार बुजुर्ग, पिपरहिया, परसाकुसुम, परसाकाशी, बेलहसा एवं परसाखाल की कुल मिलाकर आबादी 8473 है तथा उक्त क्षेत्र की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

किसी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2979/09-01-2016-426सा/14, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है। जिसमें निर्धारित मुख्य मानक प्रस्तावित क्षेत्र की आबादी 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए तथा प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना चाहिए। उक्त मानकों की पूर्ति करने पर नगर पंचायत बनाये जाने पर विचार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, बस्ती की उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत क्षेत्र नगर पंचायत बनाये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 06-10-2016 में निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं कर रहा है।

लखनऊ शहर में लगातार बढ़ती आबादी एवं पेयजल के संकट के दृष्टिगत लखनऊ शहर में एक नया वाटर वर्क्स बनाये जाने के सम्बन्ध में

107-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में लगातार बढ़ती आबादी एवं पेयजल के संकट के दृष्टिगत लखनऊ शहर में सरकार एक नया वाटर वर्क्स बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

लखनऊ शहर में लगातार बढ़ती आबादी एवं पेयजल के संकट के दृष्टिगत अमृत-2.0 योजनान्तर्गत सिटी वाटर एक्शन प्लान (सी0डब्लू0ए0पी0) तैयार कर भारत सरकार के पोर्टल पर स्वीकृति हेतु अपलोड किया गया है। उक्त सिटी वाटर एक्शन प्लान (सी0डब्लू0ए0पी0) की स्वीकृति के उपरान्त नगर निगम, लखनऊ में पेयजल से वंचित क्षेत्रों हेतु वॉटर वर्क्स, शिरोपरि जलाशय, नलकूप, पम्प गृह, पाइप लाइन एवं तत्सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिलारी-सिरसी मार्ग पर बने रेलवे ओवर ब्रिज के सम्बन्ध में

108-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिलारी-सिरसी मार्ग पर बने रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे दोनों तरफ के

मार्ग ओवरब्रिज निर्माण के समय से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसी निश्चित अवधि में उक्त मार्गों को बनवाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

बिलारी-सिरसी मार्ग एन0एच0-509 के किमी0 25 के दायीं ओर से निकलकर बिलारी से सिरसी तक जाता है। यह अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। मार्ग के किमी0-2 में रेलवे उपरिगामी सेतु स्थित है, जिसके दायीं और बायीं ओर उपरिगामी सेतु की सर्विस रोड है। उक्त क्षेत्र में शुगर मिल स्थित होने के कारण मार्ग पर गन्ने से भरे भारी वाहनों का आवागमन रहता है। यह मार्ग क्षतिग्रस्त अवस्था में है। इस मार्ग की विशेष मरम्मत कार्य स्वीकृत है।

मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने की लक्षित तिथि 03/2024 है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में आजमगढ़, गाजीपुर रोड से ग्राम कुसरना से अतरारी होते हुए ग्राम बजहा तक की सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

109-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में आजमगढ़-गाजीपुर रोड से ग्राम कुसरना से अतरारी होते हुए ग्राम बजहा तक की जर्जर सड़क का नवीनीकरण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग परदेशी मोड़ से अतरारी पिच रोड तक सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। जिसकी लम्बाई 2.00 किमी0 है। मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़-गाजीपुर मेन रोड से गोधौरा प्राइमरी विद्यालय से ग्राम सभा अतरारी तक के जर्जर सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

110-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में आजमगढ़-गाजीपुर मेन रोड से गोधौरा प्राइमरी विद्यालय से ग्राम सभा अतरारी तक के जर्जर सड़क मार्ग का नवीनीकरण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग गोधौरा-उम्मरपुर सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.00 किमी0 है। उक्त मार्ग का नवीनीकरण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के जहानागंज-सठियांव मेन रोड से ग्राम समेदा सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

111-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के जहानागंज-सठियांव मेन रोड से ग्राम समेदा सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जो जहानागंज-सठियांव से समेदा ग्राम को जाता है, जिसकी लम्बाई 5.00 किमी0 है। मार्ग का नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों के निजी ट्यूबवेल के विद्युत बिल को माफ करने के सम्बन्ध में

112-श्री अनिल प्रधान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के निजी ट्यूबवेल के विद्युत बिल माफ करने की कोई योजना संचालित है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार बताएगी कि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से 30 अगस्त, 2023 तक प्रदेश में कितने निजी ट्यूबवेल धारक किसानों के विद्युत बिल माफ किए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु निःशुल्क विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु बजट में दिनांक 01-04-2023 से निजी नलकूप हेतु विद्युत बीजकों में 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अन्दर विद्युत से वंचित ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में

113-श्री अनिल प्रधान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपदों के विभिन्न मजरों में कितने प्रतिशत विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो गया है ? क्या सरकार प्रदेश के ऐसे मजरे जो आजादी के 75 वर्ष बाद भी विद्युतीकरण से वंचित हैं, में विद्युतीकरण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया है। फिर भी हाल में संज्ञानित हुआ कि 22,339 मजरे अभी भी विद्युतीकरण से वंचित हैं। इन मजरों के विद्युतीकरण के लिए दिनांक 30-05-2023 के पत्र द्वारा भारत सरकार से सहायता हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में भारत सरकार से सम्पूर्ण धनराशि का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही पूर्ण किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत मैनहाई माफी के मजरा बौना पुरवा में प्राथमिक विद्यालय से रगौली देवी तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

114-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत मैनहाई माफी के मजरा बौना पुरवा में प्राथमिक विद्यालय स्कूल के पास से रगौली देवी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत मैनहाई माफी का मजरा बौना पुरवा पूर्व से ही सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुड़ा है। प्रश्नगत बौना पुरवा में प्राथमिक विद्यालय स्कूल के पास से रगौली देवी मंदिर तक कच्चा स्तर का मार्ग है। उक्त कच्चे मार्ग पर कोई ग्राम स्थित न होने के कारण मार्ग का नव निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचापत कलवारा खुर्द में भगड़ी पुरवा एस0सी0 बस्ती से नदी घाट तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

115-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कलवारा खुर्द में भगड़ी पुरवा एस0सी0 बस्ती से नदी घाट तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 1.5 किलोमीटर का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत कलवारा खुर्द में भगड़ी पुरवा पूर्व से ही सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुड़ा है। भगड़ी पुरवा एस0सी0 बस्ती से नदी घाट तक कच्चा स्तर का मार्ग है। उक्त कच्चे मार्ग पर कोई ग्राम स्थित न होने के कारण मार्ग का नव निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत शिव इण्टरप्राइजेज के स्वीकृत कार्य की जानकारी एवं कराये गये कार्यों के गुणवत्ता की जाँच के सम्बन्ध में

116-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत शिव इण्टरप्राइजेज के वर्ष 2023-24 में किन-किन कार्यों का टेण्डर दिया गया है ? क्या सरकार उक्त फर्म को स्वीकृत कार्यों एवं कराये गये कार्यों के गुणवत्ता की जाँच कराकर अधोमानक कार्यों के लिए जिम्मेदार के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत शिव इण्टरप्राइजेज को विभाग द्वारा विषयगत अवधि में कोई निविदा आवंटित नहीं की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में गन्ना समिति द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत/ निर्माण के सम्बन्ध में

117-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में गन्ना समिति द्वारा कितनी तथा कौन सी सड़कें निर्मित हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में अनुरक्षण हेतु कोई व्यवस्था न होने से अधिकांश सड़कें जर्जर हैं ? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर में गन्ना विकास परिषदों द्वारा कुल 51 सड़कें निर्मित की गई हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में गन्ना विकास विभाग की सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण के लिए रु0 250/- करोड़ का बजट प्राविधान लोक निर्माण विभाग को किया गया है।

विधान सभा सदर क्षेत्र के 16 क्षतिग्रस्त/जर्जर सड़कों की सूची सुदृढ़ीकरण/मरम्मत हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर के ब्लाक बस्ती के ग्राम मंझरिया में हास्पिटल से लेकर भगवानदीन के ट्यूबवेल तक के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

118-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर के ब्लाक बस्ती के ग्राम मंझरिया में हास्पिटल से लेकर भगवानदीन के ट्यूबवेल तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम मंझरिया में हास्पिटल से लेकर भगवानदीन के ट्यूबवेल तक मार्ग की कुल लम्बाई 1.30 किमी0 है।

इस मार्ग का 300 मीटर का भाग खड़न्जा तथा शेष 1.00 किमी0 का भाग कच्चा स्तर का है।

उक्त मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर के ब्लाक बनकटी के ग्राम सिरौती में शत्रुधन मिश्रा के राइस मिल से लवकुश मिश्रा के घर से होते हुए पुरवा शिवमन्दिर तक के मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

119-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर के ब्लाक बनकटी के ग्राम सिरौती में शत्रुधन मिश्रा के राइस मिल से लवकुश मिश्रा के घर से होते हुए पुरवा शिव मन्दिर तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम सिरौती पूर्व में लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है। जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर के ब्लाक बनकटी के ग्राम सिरौती में शत्रुधन मिश्रा के राइस मिल से लवकुश मिश्रा के घर से होते हुए पुरवा शिवमन्दिर तक मार्ग की लम्बाई 1.15 किमी0 है। इस मार्ग पर वर्तमान में खड़न्जा लगा हुआ है। वर्तमान में मार्गों का एक से अधिक पक्के मार्गों से जोड़ने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

120-डॉ0 नीरज बोरा-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्र0 सं0-184 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् और प्रियदर्शिनी आवासीय योजना के कुल आवासीय और व्यावसायिक भू-खण्ड के विवरण के सम्बन्ध में

121-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् और प्रियदर्शिनी आवासीय योजना में कुल कितने भू-खण्ड आवासीय और व्यावसायिक हैं, जिनका आवंटन शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् एवं प्रियदर्शिनी आवासीय योजना में वर्तमान में कोई भी आवासीय भू-खण्ड आवंटन से रिक्त नहीं है तथा 11 व्यवसायिक भू-उपयोग के भू-खण्ड आवंटन से रिक्त हैं, जिन्हें ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र के मोहल्ला भगवती विहार, वार्ड खरिका प्रथम में जलभराव की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में

122-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्र के मोहल्ला भगवती विहार, वार्ड खरिका प्रथम में नाले का गन्दा पानी निवासियों के घर में भर जाता है, जिससे मोहल्लेवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? क्या सरकार उक्त

क्षेत्र में जलभराव की समस्या का निराकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद लखनऊ के खरिका प्रथम वार्ड के अन्तर्गत मोहल्ला भगवती विहार निचले स्तर पर बसा हुआ है। प्रश्नगत क्षेत्र की जल निकासी हेतु नाली एवं भूमिगत नाला स्थल पर निर्मित है। वर्षाऋतु में अतिवृष्टि होने पर निचले स्थानों में जलभराव होता है, जो कुछ समय उपरान्त स्वतः ही समाप्त हो जाता है। देर तक वर्षा होने पर जलभराव के निदान हेतु नगर निगम द्वारा पम्प लगाये जाते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मुजफ्फरनगर के गन्ना किसानों का वर्तमान तक चीनी मिलों पर बकाया शेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में

123-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में कितनी शुगर मिलें कहाँ-कहाँ पर स्थापित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद-मुजफ्फरनगर के गन्ना किसानों का वर्तमान तक शुगर मिलों पर कितनी भुगतान राशि शेष है ? क्या सरकार गन्ना किसानों को शेष भुगतान राशि दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद-मुजफ्फरनगर में कुल 08 चीनी मिलें क्रमशः तितावी, मोरना, बुढ़ाना, रोहानाकलां, टिकौला, मन्सूरपुर, खाईखेड़ी एवं खतौली में स्थापित हैं।

पेराई सत्र 2022-23 के अन्तर्गत अद्यतन सूचना के अनुसार जिला-मुजफ्फरनगर की सभी 08 चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जनपदों सहित जनपद बाराबंकी में रोस्टर के अनुसार विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में

124-श्री गौरव कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त जनपदों सहित जनपद बाराबंकी में रोस्टर के अनुसार विद्युत सप्लाई नहीं किये जाने से किसानों की फसलें सिंचाई के

अभाव में सूख जाती हैं ? क्या सरकार रोस्टर के अनुसार विद्युत सप्लाई किये जाने हेतु कोई नयी कार्य योजना तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रदेश के समस्त जनपदों में निर्धारित रोस्टरों के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है (स्थानीय व्यवधान को छोड़कर)।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के हण्डिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग खण्ड-4 के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

125-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के हण्डिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग खण्ड-4 द्वारा वर्ष 2022-2023 एवं वर्ष 2023-2024 में नव निर्माण एवं नवीनीकरण कार्य किन-किन मार्ग का कराया गया है ? क्या सरकार उक्त मार्गों की स्वीकृत धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार प्रत्येक मार्गों के निर्माण में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद प्रयागराज के हण्डिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग खण्ड-4 द्वारा वर्ष 2022-2023 में नव निर्माण के 21 कार्य एवं नवीनीकरण के 39 कार्य तथा वर्ष 2023-24 में नव निर्माण के 09 कार्य एवं नवीनीकरण के 07 कार्य कराये गये हैं।

जी हाँ। विवरण संलग्न है।[†]

उक्त प्रश्नगत मार्गों का विभागीय अभियन्ताओं द्वारा नियमानुसार समय-समय पर निरीक्षण कराया गया जिसमें नव निर्माण/नवीनीकरण में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। अतः किसी प्रकार की उच्च स्तरीय जाँच की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

126-श्री हाकिम लाल बिन्द-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्र0 सं0-203 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट :-[†] देखिये नत्थी (झ) आगे पृष्ठ संख्या-271-275 पर।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत बरौत बाजार से बिठौली मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में

127-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत बरौत बाजार से बिठौली मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के अन्तर्गत बरौत बाजार से टेला मार्ग लम्बाई 7.30 किमी0, बिठौली से टेला वाया बरौत (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई 21.30 किमी0 का एक भाग है एवं यातायात हेतु सुगम है। बिठौली से टेला वाया बरौत (अन्य जिला मार्ग) लम्बाई 21.30 किमी0 के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के शहर चांदपुर की फीना बस्ती रेलवे लाइन से आयशा मस्जिद तक के मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

128-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के शहर चांदपुर की फीना बस्ती रेलवे लाइन से आयशा मस्जिद के पास तक की सड़क जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हां।

जी हां।

शहर चांदपुर की फीना बस्ती में रेलवे लाइन से आयशा मस्जिद के पास तक की सड़क के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत ग्राम स्याऊ चांदपुर जलीलपुर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में

129-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत ग्राम स्याउ से चांदपुर जलीलपुर मार्ग पर निकलने वाला सम्पर्क मार्ग कच्चा

तथा ऊबड़-खाबड़ है, जिसके कारण आम जनमानस को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम स्याऊ पूर्व से ही बहसूमा चाँदपुर-ठाकुरद्वारा-जसपुर (राज्य मार्ग सं0-147) के किमी0 40 पर स्थित है। उक्त प्रकरण डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत जोड़े जाने की कोई भी योजना प्रचलन में नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के शहर चांदपुर में लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने के सम्बन्ध में

130-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के शहर चाँदपुर में लो-वोल्टेज विद्युत आपूर्ति सें स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लो-वोल्टेज की समस्या को दूर सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद-बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के शहर चांदपुर में लो-वोल्टेज की कोई समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर में करीमनगर-जहलीपुर-कोठिला सम्पर्क मार्ग के मरम्मत के सम्बन्ध में

131-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-रुधौली के विकास खण्ड-सल्टौआ गोपालपुर में करीमनगर-जहलीपुर होते हुए कोठिला सम्पर्क मार्ग जर्जर है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग के अभिलेखों में सोनहा शिवाघाट से अमरौली यादवपुरवा नाम से अंकित है, जिसकी लम्बाई 7.20 किमी0 है। उक्त मार्ग के मरम्मत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुदौली के विकास खण्ड रामनगर में परसा चौराहा-दाउदपट्टी मार्ग से परसा लाल शाही तक सी0सी0 रोड के निर्माण के सम्बन्ध में

132-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-रुधौली के विकास खण्ड-रामनगर में परसा चौराहा-दाउदपट्टी मार्ग से परसा लाल शाही तक (दूरी-लगभग 800 मी0) सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

परसा लालशाही ग्राम पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में ग्रामों को एक से अधिक पक्के मार्गों से जोड़ने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

राष्ट्रीय राजमार्ग-509 पर बने मोहम्मद इब्राहिमपुर टोल प्लाजा सहित प्रदेश में अन्य टोल प्लाजों के दोनों तरफ सर्विस रोड बनाए जाने के सम्बन्ध में

133-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग-509 पर बने मोहम्मद इब्राहिमपुर टोल प्लाजा सहित प्रदेश में अन्य अधिकांश टोल प्लाजों के दोनों ओर सर्विस रोड न बनाए जाने से कृषकों को हो रही परेशानी से सरकार परिचित है ? यदि हां, तो क्या किसी निश्चित अवधि में सर्विस रोड विहीन टोल प्लाजों के दोनों ओर जनहित में सर्विस रोड बनवाना सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आख्यानुसार टोल प्लाजा पर सर्विस रोड बनाने से यातायात का रिसाव होगा एवं टोल से गुजरने वाले यातायात के कम हो जाने के

कारण टोल राजस्व का नुकसान होगा। अतः टोल प्लाजा के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-509 पर बने मोहम्मद इब्राहिमपुर टोल प्लाजा के स्थानीय क्षेत्रवासियों को रु0 330 में मासिक पास की सुविधा उपलब्ध है एवं कृषकों आदि के ट्रैक्टर ट्राली/ बैलगाड़ियों को टोल प्लाजा से आने-जाने हेतु निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित प्रबन्ध नगर योजना के अन्तर्गत तीन ग्राम सभाओं के अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण करने एवं किसानों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में

134-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित प्रबन्ध नगर योजना के अन्तर्गत तीन ग्राम सभाओं के अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण न होने से प्रभावित किसानों को अनेकों समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के समाधान के दृष्टिगत कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। प्रबन्धनगर आवासीय योजना के अन्तर्गत स्थित भूमि का अधिग्रहण नियमानुसार पूर्ण किया जा चुका है। मा0 उच्च न्यायालय में कतिपय वाद विचाराधीन होने के कारण स्थल पर विकास कार्य प्रभावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में आवास विकास द्वारा संचालित लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में

135-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में आवास विभाग द्वारा घरों में संचालित कुटीर उद्योग को व्यावसायिक गतिविधि मानकर अवैध करार दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के दृष्टिगत आवासीय क्षेत्र में संचालित किये जाने हेतु अनुमन्य स्वरोजगार व उद्यम हेतु सुस्पष्ट निर्देशिका जारी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ। रिट याचिका संख्या-34957/2003 श्रीमती मिथिलेश जैन (आगरा) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश

दिनांक 13-08-2003 के अनुपालन में महायोजना में अंकित आवासीय भू-उपयोग में संचालित व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 05-09-2003 एवं दिनांक 29-01-2004 द्वारा विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त अभिकरणों को निर्देशित किया गया है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर सहित प्रदेश में आवासीय क्षेत्र में 24 मीटर से चौड़े मार्ग पर व्यवसायिक भू-उपयोग हेतु शासन से लम्बित नीति-निर्धारण के सम्बन्ध में

136-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर सहित प्रदेश में आवासीय क्षेत्र में 24 मीटर से चौड़े मार्ग पर संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरणों द्वारा नोटिस जारी कर कार्रवाई किये जाने से आवंटी परेशान हैं, जबकि शासन में ऐसे क्षेत्र के लिए व्यवसायिक भू-उपयोग पर नीति शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि नीति निर्धारण में विलम्ब से लाखों-लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं ? क्या सरकार उक्त के समाधान हेतु विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में आवासीय क्षेत्र में 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर व्यवसायिक भू-उपयोग के सम्बन्ध में प्रभावी महायोजना के जोनिंग रेगुलेशन्स, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा शमन उपविधि के प्राविधानों के अनुसार अभिकरणों के स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित किए जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के सम्बन्ध में

137-श्री अनिल प्रधान-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नयी पेंशन योजना (एन0पी0एस0) लागू है। नई पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु संगठित/असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य के साथ लायी गयी है।

जनपद कानपुर के जूही खलवा पुल के जलभराव की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में

138-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के जूही खलवा पुल के जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु रेलवे उपरिगामी सेतु बनवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत जूही अधोगामी के ऊपर कानपुर-गोविन्दपुरी/अनवरगंज रेल लाइनें गुजर रही है। उक्त रेल उपरिगामी सेतु की लम्बाई 600 मी0 (बारादेवी साइड) + 58 मी0 (रेलवे पोर्शन) + 895 मी0 (डिप्टी पड़ाव साइड)=कुल 1553.00 मी0 होगी। सेतु की लागत में रेलवे द्वारा सहभागिता नहीं की जायेगी। सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

कानपुर नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों में से सदस्यों का चयन कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रबन्ध मण्डल सदस्य के रूप में किये जाने की व्यवस्था की जानकारी के सम्बन्ध में

139-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों में से सदस्यों का चयन कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रबन्ध मण्डल सदस्य के रूप में किए जाने की व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि कितने सदस्य का चुनाव किस प्रक्रिया से कौन करता है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हाँ।

निर्वाचित सदस्यों में से सदस्यों का चयन कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रबन्ध मण्डल के रूप में किये जाने की व्यवस्था है।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय-II की धारा-4 की उपधारा-(3) (झ) के अनुसार कानपुर नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों में से 04 कानपुर विकास प्राधिकरण के प्रबन्ध मण्डल सदस्य के रूप में निर्वाचित किये जाने का प्राविधान है। मा0 महापौर/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जानी वाली निर्वाचन प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचन सम्पादित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय-II की धारा-4 की उपधारा (3) (झ) एवं दिनांक 23-06-2023 को सम्पन्न निर्वाचन से सम्बन्धित कार्यवाही का कार्यवृत्त संलग्न है।†

प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रयुक्त जल जो गंगा नदी में पहुंचता है, के शोधन हेतु उक्त इकाइयों में जल शोधन यंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में

140-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रयुक्त जल जो गंगा नदी में पहुंचता है, के शोधन हेतु उक्त इकाइयों में आधुनिक तकनीक वाले सुरक्षित जल शोधन यंत्र चालू हालत में स्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त इकाइयों में जल शोधन यंत्र की स्थापना और चालू करने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरुण कुमार-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गंगा नदी के कैचमेंट बेसिन में जो जल प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं उनमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी0पी0सी0बी0) की गाइडलाइन के अनुसार उत्प्रवाह शुद्विकरण संयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित करने का दायित्व उद्योग स्वामी का होता है। उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी0पी0सी0बी0) की गाइडलाइन के अनुसार औद्योगिक इकाइयों में उत्प्रवाह शोधन हेतु तकनीकी एवं क्षमता की दृष्टि से पर्याप्त स्तर का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित/क्रियाशील होने पर ही जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित के प्राविधानों के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति प्रदान की जाती है। वर्तमान में गंगा नदी के कैचमेंट बेसिन में कुल 1644 औद्योगिक इकाइयों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी0पी0सी0बी0) की गाइडलाइन के अनुसार उत्प्रवाह शुद्विकरण संयंत्र स्थापित/क्रियाशील अवस्था में है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के शहर चांदपुर श्मशान स्थल पर विद्युत शवदाह गृह के निर्माण के सम्बन्ध में

141-श्री स्वामी ओऊमवेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के शहर चांदपुर श्मशान स्थल पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-† देखिये नत्थी (ञ) आगे पृष्ठ संख्या-276-279 पर।

श्री ए0 के0 शर्मा-

निकाय द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराये जाते हैं। नगर पंचायतों एवं नगर पालिका परिषदों में विद्युत शवदाह स्थल बनाये जाने की कोई योजना नगर विकास विभाग में संचालित नहीं है।

नगर विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों में अन्त्येष्टि स्थल का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना का संचालन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत मॉडल आगणन के अनुसार नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद् को क्रमशः रु0 28.79 लाख एवं रु0 42.62 लाख की धनराशि अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु स्वीकृत की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के शहर चांदपुर से बिजनौर बदायूँ स्टेट हाइ-वे पर ग्राम स्याऊ तिराहा से घनौरा रोड पर अम्बेडकर तिराहे तक सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

142-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के शहर चांदपुर से बिजनौर-बदायूं स्टेट हाई-वे पर ग्राम स्याऊ तिराहा से घनौरा रोड पर अम्बेडकर तिराहे तक सड़क का चौड़ीकरण कर चार लेन सड़क डिवाइडर सहित सड़क का निर्माण करने की योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्राम स्याऊ से अम्बेडकर तिराहे तक बदायूँ-बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग-51) के किमी0 175- 178 के मध्य का भाग है। मार्ग पर 4-लेन चौड़ीकरण का कार्य स्वीकृत है तथा निविदा आमन्त्रित कर ली गयी है। अनुबन्ध गठन होने के पश्चात् कार्य को समय के अन्तर्गत कराया जाना प्रस्तावित है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर में ग्राम शिववाला कला से ग्राम भैसा गन्ना सेन्टर मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

143-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में ग्राम शिववाला कला सें ग्राम भैसा गन्ना सेन्टर मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम शिववाला कला से ग्राम भैसा तक लेपित सतह का मार्ग है, जो नहटौर-नूरपुर-अमरोहा-जोया मार्ग (एस0एच0-77) मार्ग से जुड़ा है। भैसा गन्ना सेन्टर से ग्राम भैसा की ओर प्रश्नगत मार्ग खडण्जा स्तर का मार्ग है। जो लेपित सतह मार्ग से जुड़ा है। अपेक्षित मार्ग निर्माण डबल कनेक्टिविटी से आच्छादित है। वर्तमान में विभाग में डबल कनेक्टिविटी के अन्तर्गत मार्गों को आपस में जोड़े जाने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड रामनगर के ग्राम छितिरगांवा पिचरोड से महुलिया परजन के मंदिर तक (दूरी लगभग 700 मीटर) सी0सी0 रोड निर्माण के सम्बन्ध में

144-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड रामनगर में ग्राम छितिरगांवा पिचरोड से महुलिया परजन के मंदिर तक दूरी लगभग 700 मी0 सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम छितरगांवा एवं महुलिया ग्राम पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुडे हैं। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड रुधौली से हनुमानगंज सुरवार मार्ग पर स्थित कूड़ी बनकटिया मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

145-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड रुधौली में हनुमानगंज सुरवार मार्ग पर स्थित कूड़ी बनकटिया मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग हनुमानगंज सुरवार मार्ग के किमी0 3.00 किमी0 से निकलकर बनकटिया ग्राम को जाता है। वर्तमान में मिट्टी स्तर का है, जिसकी लम्बाई 2.50 किमी0 है, चूंकि

बनकटिया ग्राम पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है। वर्तमान में ग्रामों को एक से अधिक पक्के मार्गों से जोड़ने की लोक निर्माण विभाग में कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के कस्बा हनुमानगंज, तहलील रुधौली, जनपद बस्ती को नगर पंचायत क्षेत्र (टाउन एरिया) बनाने के सम्बन्ध में

146-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के 15,000 से अधिक आबादी वाला कस्बा हनुमानगंज, तहसील रुधौली, जनपद बस्ती को नगर पंचायत क्षेत्र (टाउन एरिया) बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी नहीं।

जिलाधिकारी, बस्ती के पत्र दिनांक 21-11-2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार राजस्व ग्राम भुसुड़ा उर्फ हनुमानगंज को इससे संलग्न राजस्व ग्राम भुसुड़ी उर्फ रायनगर, मूड़ाडीहा उर्फ भुपालपुर, हरैया मिश्र एवं पकरी सोयम की आबादी से मिलाने पर कुल मिलाकर उक्त क्षेत्र की आबादी 7966 है तथा उक्त क्षेत्र की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है।

किसी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2979/09-01-2016-426सा/14, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है। जिसमें निर्धारित मुख्य मानक प्रस्तावित क्षेत्र की आबादी 20,000 या उससे अधिक होनी चाहिए तथा प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना चाहिए। उक्त मानकों की पूर्ति करने पर नगर पंचायत बनाये जाने पर विचार किया जाता है।

जिलाधिकारी, बस्ती की उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत क्षेत्र नगर पंचायत बनाये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 06-10-2016 में निर्धारित मानकों की पूर्ति नहीं कर रहा है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड रुधौली में आमी नदी पर हर्रैया घाट पर पुल एवं एप्रोच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

147-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड रुधौली में आमी नदी पर स्थित महुआर हर्रैया मार्ग से घोसियारी

बाजार मार्ग तथा आमी नदी पर हर्रैया घाट पर पुल एवं अप्रोच मार्ग न होने के कारण आवागमन के लिए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर पुल एवं अप्रोच मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत प्रस्तावित सेतु के अपस्ट्रीम में 2.00 किमी0 की दूरी पर 3x7 मी0 स्पान का तथा डाउन स्ट्रीम में 5.00 किमी0 की दूरी पर 3x7 मी0 स्पान का लघु सेतु पूर्व से निर्मित है। प्रश्नगत स्थल पर 3x8 मी0 लम्बाई के लघु सेतु के निर्माण की लागत लगभग रु0 310.00 लाख अनुमानित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में एल0डी0 मार्ग पर स्थित दसिया से हिबरा सेहमो जाने वाले मार्ग के किनारे से विद्युत तार एवं खम्भों को अन्य कहीं स्थापित करने के सम्बन्ध में

148-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में एल0डी0 मार्ग पर स्थित दसिया से हिबरा सेहमो जाने वाले मार्ग के किनारे वृक्षों के ऊपर तार से वृक्ष छतिग्रस्त एवं जल कर नष्ट होते रहते हैं ? क्या सरकार उक्त वृक्षों के ऊपर से विद्युत तार को हटाकर वृक्षों को सुरक्षित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के एल0डी0 मार्ग पर स्थित दसिया से हिबरा सेहमो जाने वाले मार्ग के किनारे विद्युत तारों के नीचे स्थित वृक्षों की डालियों/टहनियों की कटाई छँटाई का कार्य नियमानुसार अनुरक्षण के अन्तर्गत तकनीकी आवश्यकतानुसार किया जाता है, जिससे आपूर्ति सामान्य रहे तथा वृक्ष क्षतिग्रस्त न हों।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के नगर बिलारी समेत अन्य नगर निकायों में पात्र लोगों को चिन्हित कर प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में

149-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के नगर बिलारी समेत अन्य नगर निकायों में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवासहीन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने हेतु चिन्हीकरण का कोई सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त हेतु कितने व्यक्ति पात्र पाए गए हैं ? क्या सरकार किसी निश्चित अवधि में आवासहीन समस्त पात्रों को आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में योजना के प्रारम्भ (21 मार्च, 2016) से वर्तमान तक जनपद-मुरादाबाद में कुल 36710 पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान किया गया है। चूंकि प्रश्नगत योजना एक मांग आधारित योजना है (अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा नगर निकायों में किये गये आवेदनों के जांचोपरान्त पात्र लाभार्थियों को ही आवास प्रदान किया जाता है), जिसमें सर्वेक्षण का कोई प्राविधान नहीं है। अतः योजनान्तर्गत जनपद-मुरादाबाद के नगर बिलारी समेत अन्य निकायों में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवासहीन व्यक्तियों को आवास दिलाने हेतु चिन्हीकरण का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) दिसम्बर, 2024 तक विस्तारित की गयी है, किन्तु भारत सरकार के पत्रांक-एन-11011/37/2021 एचएफए-IV-यूडी (ई-9111947) दिनांक 17-08-2022 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) हेतु 31-03-2022 तक स्वीकृत आवासों को फ्रीज करते हुए नये आवासों के डीपीआर स्वीकृत न करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के दृष्टिगत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्तमान में जनपदों से प्राप्त अपात्रों की कर्टेलमेन्ट डीपीआर के सापेक्ष ही नये आवासों के डीपीआर स्वीकृत किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में लोक निर्माण विभाग द्वारा आवंटित धन का पूर्ण उपयोग न किये जाने के कारणों की जानकारी के सम्बन्ध में

150-श्री मौहम्मद फहीम इरफान

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग को आवंटित 23562 करोड़ रुपये में से 6982.36 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित 24590 करोड़ रुपये में से 8914 करोड़ रुपये खर्च न कर पाने की

जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के प्रमुख कारण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में कम व्यय होने के प्रमुख कारण निम्नवत् हैं :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत माह जनवरी, 2022 से माह अप्रैल, 2022 तक चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण कार्य प्रभावित हुआ।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत दिनांक 01-04-2022 से पूर्व में 25 वर्षों से लागू सी0सी0एल0 प्रणाली को समाप्त करते हुए दिनांक 01-04-2022 से ऑनलाइन बजटीय व्यवस्था कम्प्यूटरीकृत कोषागार प्रणाली को लागू किया गया है। इसके कारण व्यवस्था परिवर्तन करने हेतु नई प्रणाली विकसित करने में अतिरिक्त समय लगा।

असामयिक वर्षा के कारण निर्माण कार्यों हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ न होने से कार्य प्रभावित हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के ब्लाक जखनियां के ग्राम मुस्तफाबाद उर्फ बड़ागाँव (पुरवा मुहल्ला) में मुस्लिम बस्ती के पास स्थापित 25 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर के उच्चीकरण के सम्बन्ध में

151-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के ब्लाक जखनियां के ग्राम मुस्तफाबाद उर्फ बड़ागाँव (पुरवा मुहल्ला) में मुस्लिम बस्ती के पास स्थापित 25 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर अधिभारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए उक्त अधिभारित विद्युत ट्रांसफार्मर को उच्चीकृत करने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद-गाजीपुर के ब्लाक-जखनियां के ग्राम मुस्तफाबाद उर्फ बड़ागाँव (पुरवा मुहल्ला) में मुस्लिम बस्ती के पास स्थापित 25 के0वी0ए0 के ट्रान्फ़ार्मर की क्षमता वृद्धि अतिरिक्त बिजनेस प्लान 2023-24 में सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

निविदा प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

आउटसोर्सिंग के माध्यम से विद्युत उपकेन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों की हड़ताल के समय कार्यमुक्त किये गये कर्मचारियों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में

152-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से विद्युत उपकेन्द्र पर कार्यरत कितने श्रमिकों को वर्तमान में सेवा मुक्त किया गया है ? क्या सरकार को जानकारी है कि हड़ताल का बहाना लेकर हड़ताल के समय निष्ठा से कार्य करने वाले श्रमिकों/कर्मचारियों को भी सेवा से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ऐसे श्रमिकों/कर्मचारियों की सेवा बहाली सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

विद्युत उपकेन्द्रो के परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य वाह्य सेवा प्रदाता द्वारा कराया जाता है। आउटसोर्स कर्मी को रखने एवं निकालने का दायित्व आउटसोर्स एजेन्सी का होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत औधानपुर यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

153-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत औधानपुर यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश

गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत प्रश्नगत कार्य औधानपुर यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग का आगणन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 01-04-2023 से पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना से सम्बन्धित कार्य नियोजन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, अतः लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत सचौली सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

154-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत सचौली सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत प्रश्नगत कार्य 'सचौली सम्पर्क मार्ग' का आगणन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, परन्तु सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त कार्य की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 01-04-2023 से पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना से सम्बन्धित कार्य नियोजन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, अतः लोक निर्माण विभाग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा प्राइवेट पेट्रोल पम्पों से लिए गए डीजल के लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में

155-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व लखनऊ के अनेक पेट्रोल पम्पों से डीजल क्रय किया गया था, जिसका भुगतान वर्तमान तक लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत डीजल क्रय और लम्बित भुगतान के लिए जिम्मेदारों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने तथा आपूर्तिदाता फर्मों को लम्बित धनराशि का भुगतान सब्याज करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

विगत वर्षों में प्राइवेट पेट्रोल पम्प मेसर्स अवध फिलिंग स्टेशन व अन्य पम्प से नगर निगम द्वारा डीजल की आपूर्ति ली गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	फर्म का नाम	अवधि	लम्बित भुगतान (रु0 लाख में)
1	2	3	4
1	मे0 खन्न फ्यूल्स	जून-2022	5.42
		फरवरी व मार्च, 2022	1.45
		अप्रैल, 2022	2.15

1	2	3	4
2	मे0 अभिनन्दन फ्यूल्स	फरवरी व मार्च, 2022	8.26
3	मे0 अवध फिलिंग स्टेशन	नवम्बर, 2021	0.95
		दिसम्बर, 2021	34.85
		जनवरी, 2022	4.29

देयकों के सत्यापन/परीक्षण उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त भुगतान की कार्यवाही की जाती है। उक्त लम्बित बिलों के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है।

उपर्युक्तानुसार

उपर्युक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में

156-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने का प्रस्ताव शासन में लम्बित है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि लीज की भूमि पर संचालित कतिपय औद्योगिक/व्यापारिक इकाई, जिनकी लीज समाप्त हो गई है, वह संकट और अनिश्चितता के वातावरण में हैं ? क्या सरकार प्रश्नगत प्रकरण पर निर्णय लेते हुए औद्योगिक/व्यापारिक इकाइयों को राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

भारत सरकार द्वारा सेन्ट्रल एक्ट 'द गवर्नमेण्ट ग्राण्ट एक्ट, 1895' को रिपील कर दिया गया है। गवर्नमेण्ट ग्राण्ट एक्ट, 1895 के अधीन नजूल भूमि को पट्टे पर आवंटित किया जाता रहा है। उक्त एक्ट को रिपील कर दिये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-3/2020/460/आठ-4-2020-137एन/2013 टी0सी0, दिनांक 27-07-2020 द्वारा नजूल भूमि के प्रबन्धन एवं निस्तारण तथा फ्री-होल्ड सम्बन्धी निर्गत समस्त शासनादेशों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्धन एवं निस्तारण) अधिनियम के प्रख्यापन के उपरान्त तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् में निर्मित रोड की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

157-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद लखनऊ के जानकीपुरम प्रथम वार्ड में साठ फिटा रोड को दो वर्ष पूर्व अत्याधुनिक प्लास्टिक रोड बनाया गया था, परन्तु वर्तमान में उक्त रोड जर्जर हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकार की रोड की कितनी निर्धारित आयु है ? क्या सरकार प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही कराते हुए दण्ड सहित शुल्क वसूलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं। जानकीपुरम प्रथम वार्ड के अन्तर्गत साठ फिठा रोड का निर्माण वर्ष 2019 में कराया गया है। उक्त सड़क कुछ स्थानों पर आंशिक क्षतिग्रस्त हो गयी है।

IRC-37:2018 "Guidelines of design for flexible payments" के अनुसार बिटुमिन्स रोड की आयु 15 वर्ष हेतु डिजाइन की जाती है। IRC-82:2015 "Code of Practice for maintenance of road surface"&IRC- 82:1982 के अनुसार रूटीन अनुरक्षण जैसे गड्ढे भरना, क्रेक्स एवं पैच वर्क के मरम्मत कार्य को प्रत्येक वर्ष किया जाना चाहिए।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली के कम्बा जलालाबाद के नगर पंचायत कर्मचारियों की मिली-भगत से बिना रजिस्ट्री के आवासों का दाखिल खारिज कराये जाने का प्रकरण

158-श्री अशरफ अली खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद में नगर पंचायत कर्मचारियों की मिली-भगत से बिना रजिस्ट्री के आवासों का दाखिल खारिज कर दिया है तथा कतिपय मामलों में वारिसान का दाखिल खारिज नियमानुसार नहीं किया गया है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि बाहर हदूद होने के बाद भी कतिपय आवासों का नगर क्षेत्र में दाखिल खारिज करे जाने से राजस्व की भारी हानि हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार विगत 1 वर्ष में हुए दाखिल खारिज की जाँच करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जिलाधिकारी, शामली द्वारा पत्र दिनांक 22-11-2023 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार नगर पंचायत, जलालाबाद द्वारा 01 वर्ष की अवधि (दिनांक 01-11-2022 से दिनांक 20-11-2023 तक) के अन्तर्गत कुल 156 आवासों का दाखिल खारिज किया गया है, उक्त सभी दाखिल खारिज नियमानुसार बैनामा/दानपत्र/पारिवारिक समझौते से हुए शपथ-पत्र के आधार पर किये गये हैं। नगर पंचायत, जलालाबाद द्वारा 01 वर्ष की अवधि (दिनांक 01-11-2022 से दिनांक 20-11-2023 तक) के अन्दर कोई भी दाखिल खारिज बाहर हदूद का नहीं किया गया है। नगर पंचायत द्वारा उक्त समस्त दाखिल खारिज नियमानुसार किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती शुगर मिल वाल्टरगंज पर किसानों का बकाया गन्या मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में

159-श्री महेन्द्र नाथ यादव-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती शुगर मिल वाल्टरगंज पर दिनांक 29-03-2023 तक गन्ना किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार गन्ना किसानों को उक्त बकाया गन्ना मूल्य दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दिनांक 29-03-2023 तक चीनी मिल वाल्टरगंज पर पेराई सत्र 2016-17 एवं 2017-18 का क्रमशः रु0 22.29 करोड़ एवं रु0 19.65 करोड़ गन्ना मूल्य मद में बकाया था। अद्यतन दिनांक 20-11-2023 तक चीनी मिल वाल्टरगंज पर पेराई सत्र, 2016-17 एवं 2017-18 का क्रमशः रु0 20.89 करोड़ एवं रु0 19.65 करोड़ गन्ना मूल्य मद में बकाया है। सन्दर्भित पेराई सत्रों के अन्तर्गत कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी मिल वाल्टरगंज के विरुद्ध गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर से पेराई सत्रवार वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत संग्रामपुर के खोही-शिवरामपुर मार्ग में बाबूलाल चौराहा से सेठ की बगिया तक सम्पर्क मार्ग के सम्बन्ध में

160-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत संग्रामपुर में खोही-शिवरामपुर मार्ग में बाबूलाल चौराहा से सेठ की बगिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

बाबूलाल चौराहा एवं सेठ की बगिया पूर्व से ही सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुडे हैं। ग्राम बाबूलाल चौराहा एवं ग्राम सेठ की बगिया तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण डबल कनेक्टिविटी से सम्बन्धित है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

161-श्री अनिल प्रधान-

[01-मंगलवार के अतारांकित प्र0 सं0-202 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कानपुर नगर में जूही रेलवे अण्डरपास में जलभराव से डूबने से डिलिवरी ब्वाय के मौत की जांच कर दोषियों को दण्डित करने एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में

162-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में जूही रेलवे अण्डरपास में जलभराव से 21 जून, 2023 को डिलीवरी करने वाले नौजवान चरण सिंह की डूबने से हुई दर्दनाक मौत की जानकारी सरकार को है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त घटना के दोषियों को दण्डित करने एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हाँ।

जूही खलवा पुल (रेलवे अण्डरपास) पर स्थापित सम्पवेल की स्थापना अण्डरपास में वर्षा के समय होने वाले जलभराव को कम करने हेतु की गयी थी। उक्त रेलवे अण्डरपास पुल

के नीचे जलभराव बड़े डॉट सीवर लाइन के ओवरफ्लो एवं वर्षा जल दोनों के कारण होता है। डॉट सीवर का वर्षा के समय निकलने वाला उत्प्रवाह अत्यधिक होता है, जिससे रेलवे अण्डरपास पुल के नीचे तेजी से पानी भर जाता है, जिसके कारण स्थल पर पम्प स्थापित करने के उपरान्त भी पानी की निकासी में कम से कम 4 से 5 घण्टे का समय लग जाता है। जलभराव के समय उक्त मार्ग से निकलने पर खतरे की प्रबल सम्भावना होती है, जिसके दृष्टिगत नगर निगम, कानपुर के कर्मचारियों द्वारा तत्काल मार्ग पर बैरीकेटिंग कराकर मार्ग का जलभराव के समय तक यातायात के लिए बन्द करा दिया जाता है एवं जल निकासी उपरान्त मार्ग यातायात हेतु पुनः खोल दिया जाता है।

दिनांक 21 जून, 2023 की रात्रि में कानपुर नगर में तेज बारिश हुई, जिसके कारण रेलवे अण्डरपास पुल में अत्यधिक जलभराव था। कानपुर नगर निगम द्वारा स्थल पर स्थापित सम्पवेल वर्षा ऋतु के समय लगातार क्रियाशील करते हुए एवं अन्य सभी यथोचित प्रबन्ध किये गये थे। उक्त घटना स्थल पर जलभराव के समय सभी सुरक्षा प्रबन्धों को नजर अन्दाज करते हुए उक्त मार्ग का प्रयोग करने के कारण एवं सम्भवतः अत्यधिक जलभराव के समय पानी में घुसने तथा तत्समय विद्युत का प्रभाव होने के कारण स्व0 चरण सिंह की मृत्यु हो गई।

दिनांक 21 जून, 2023 की रात्रि स्व0 चरण सिंह की अकाल मृत्यु के दृष्टिगत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कानपुर नगर निगम द्वारा स्व0 चरण सिंह के भाई श्री ज्ञान सिंह पुत्र राम कृपाल को नगर निगम मुख्यालय स्थित नागरिक सुविधा केन्द्र में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर नियुक्ति दी गयी है एवं स्व0 चरण सिंह पुत्र श्री राम कृपाल को आपदा राहत कोष से मृतक की माता श्रीमती सुशीला देवी को रु0 4.00 लाख की आर्थिक मदद जिलाधिकारी, कानपुर द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर नगर निगम के वार्ड-2 लक्ष्मी पूर्वा, वार्ड-89, कोपरगंज एवं वार्ड-42, परमट में विद्युत लाइन डालने के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में

163-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम के वार्ड-2, लक्ष्मीपुरवा, वार्ड-89, कोपरगंज एवं वार्ड-42, परमट में बिजली की लाइन डालने के लिए कितनी धनराशि रोड कटिंग के कार्य हेतु जमा की गई है ? क्या सरकार उक्त सड़कों के पुनर्निर्माण पर होने वाले व्यय हेतु वास्तविक रोड कटिंग की जांच मौके पर नाप करवा कर कराएगी ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

कानपुर नगर निगम के वार्ड-2 (नया वार्ड-1) लक्ष्मीपुरवा, वार्ड-89 कोपरगंज एवं वार्ड-42 परमट के अन्तर्गत बिजली की लाइन डालने हेतु कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी व नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से जाँच कराकर क्रमशः धनराशि रु0 41,72,816.00 एवं रु0 16,40,695.00 तथा रु0 28,91,017.00 कुल रु0 87,04,528.00 की धनराशि रोड कटिंग कार्य हेतु (रोडों के पुनर्निर्माण हेतु) जमा कराई गयी है।

स्थल पर कार्य के उपरान्त संयुक्त निरीक्षण करते हुए की गयी रोड कटिंग की जाँच की जाती है, तदोपरान्त वास्तविक की गयी रोड कटिंग की धनराशि का अन्तर आने पर शेष धनराशि सम्बन्धित विभाग से जमा करायी जाती है। रोड कटिंग के सम्बन्ध में संस्थाओं द्वारा नगर निगम, कानपुर में वर्तमान तक अनुमति के सापेक्ष कम कटिंग किये जाने का प्रकरण संज्ञान में नहीं आये हैं, यदि भविष्य में आते हैं, तो गुण-दोष के आधार पर कटिंग मद में जमा अधिक धनराशि को संस्था के अन्य कटिंग में समायोजित/वापसी पर विचार किया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर नगर निगम में ई-टेन्डर के स्थान पर सामान्य निविदा पर कार्य आवंटन की प्रकिया की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

164-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम में प्रतिष्ठित समाचार-पत्र में विज्ञापन दिए बिना सामान्य निविदा के आधार पर कार्य आवंटन की जानकारी सरकार को है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि अप्रैल, 2017 से 25 जून, 2023 तक कितने मूल्य के कितने कार्य किसको बिना ई-टेन्डर आवंटित किए गए हैं तथा उक्त कार्यों हेतु बिना ई-टेन्डर सामान्य निविदा पर कराए जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार बिना ई-टेन्डर के स्थान पर सामान्य निविदा पर कार्य आवंटन की प्रक्रिया की जांच कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

नगर निगम, कानपुर द्वारा निविदाओं का प्रकाशन समाचार-पत्रों एवं नगर निगम के वेबसाइट के माध्यम से नियमानुसार किया जाता है।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-6/2018/256/78-2-2018-42आई0टी0/2017 टी0सी0, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार रु0 10.00 लाख तक के कार्यों की निविदायें सामान्य निविदा के माध्यम से आमन्त्रित की जाती

हैं। माह अप्रैल, 2017 से 25 जून, 2023 तक मांगी गयी वर्षवार सामान्य निविदा का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	कार्यों की संख्या	धनराशि (लाख में)
2019-20	1712	8288.24
2020-21	1213	2740.53
2021-22	285	1196.52
2022-23	723	4122.77
2023-24 (जून, 2023 तक)	179	1472.81

शासनादेश में निहित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ही सामान्य निविदा आमन्त्रित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली की बजाज शुगर मिल एवं अपर दोआब शुगर मिल पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में

165-श्री नाहिद हसन-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली की बजाज हिन्दुस्तान शुगर लिमिटेड थानाभवन, सुपीरियर फूड ग्रेंस प्राइवेट लिमिटेड ऊन तथा अपर दोआब शुगर मिल्स शामली पर गन्ना कृषकों का पेराई सत्र, 2022-23 का गन्ना भुगतान बकाया को लेकर प्रशासन द्वारा जारी नोटिस दिनांक 21-4-2023, 19-05-2023 तथा 09-06-2023 के क्रम में उक्त शुगर मिलों द्वारा कुल कितना गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है ? क्या सरकार आगामी नवीन पेराई सत्र से पूर्व गन्ना किसानों का समस्त भुगतान न करने पर चीनी मिलों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जिला-शामली की बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0, इकाई-थानाभवन, सुपीरियर फूड ग्रेन्स (प्रा0) लि0, ऊन एवं अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली पर पेराई सत्र, 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु प्रश्नगत चीनी मिलों को नोटिस दिनांक 21-04-2023, 19-05-2023 एवं 09-06-2023, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर से जारी किये गये थे। उपर्युक्त क्रम में प्रथम नोटिस के बाद से पेराई सत्र, 2022-23 के अन्तर्गत चीनी मिल क्रमशः थानाभवन, ऊन एवं शामली द्वारा रु0 380.85 करोड़, रु0 173.47 करोड़ एवं रु0 101.72 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

पेराई सत्र, 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु प्रश्नगत चीनी मिलों को दिनांक 21-04-2023, 19-05-2023 एवं 09-06-2023 को नोटिसें तथा सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली एवं जनपद सहारनपुर में मच्छरों एवं आवारा कुत्ते के समाधान करने के सम्बन्ध में

166-श्री नाहिद हसन-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर पालिका क्षेत्रों में वर्तमान में मच्छरों के प्रकोप को देखते हुए फॉगिंग आदि की क्या व्यवस्था सरकार द्वारा कराई गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि नगर पालिका परिषद् कैराना जनपद शामली तथा नगर पालिका परिषद्, कस्बा देवबन्द, जनपद सहारनपुर में दिनांक 04-09-2023 तक कराई गई फॉगिंग का दिनांक व मोहल्लेवार विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नगर पालिका परिषद्, देवबन्द में आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जी हां।

नगर पालिका परिषद् कैराना, जनपद शामली एवं नगर पालिका परिषद् देवबन्द, जनपद सहारनपुर में दिनांक 04-09-2023 तक करायी गयी फॉगिंग वार्डवार/मोहल्ला का विवरण संलग्न है।[†]

नगर पालिका परिषद् देवबन्द में आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान हेतु पालिका बोर्ड द्वारा दिनांक 12-10-2023 को कुत्तों की नसबन्दी कराये जाने का प्रस्ताव पारित कर कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पावर कारपोरेशन व विभिन्न विद्युत निगमों में सम्पत्ति का विवरण न देने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में

167-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पावर कारपोरेशन व विभिन्न विद्युत निगमों में कार्यरत कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी सम्पत्ति का विवरण सरकार को उपलब्ध नहीं कराया है ? क्या सरकार उक्त ब्यौरा उपलब्ध न कराने वालों के विरुद्ध दिनांक 31-08-2023 तक की गई कार्रवाई का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ट) आगे पृष्ठ संख्या-280-283 पर।

श्री ए0 के0 शर्मा-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन नि0लि0 में कार्यरत कार्मिकों जिनके द्वारा अपनी सम्पत्ति का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, की कुल संख्या-59 है।

53 कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है।

02 कार्मिक के त्याग-पत्र स्वीकृति की कार्यवाही चल रही है।

01 कार्मिक प्रसूती अवकाश पर है।

03 कार्मिक लम्बे समय से बीमारी के कारण अवकाश पर हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बस्ती के विधान सभा होत्र रुधौली के विकास खण्ड रुदौली में रुधौली-डुमरियागंज मार्ग पर स्थित परसोहिया से खोरिया, अजगरा मार्ग के आमी नदी पर पुल एवं एप्रोच मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

168-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-रुधौली के विकास खण्ड-रुधौली में रुधौली-डुमरियागंज मार्ग पर स्थित परसोहिया से खोरिया, अजगरा मार्ग के आमी नदी पर पुल एवं एप्रोच मार्ग न होने के कारण आवागमन के लिए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर पुल एवं एप्रोच मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम में 1.00 किमी0 की दूरी पर 3X8 मी0 स्पान का तथा डाउनस्ट्रीम में 1.00 किमी0 की दूरी पर 3X8 मी0 स्पान का लघु सेतु पूर्व से निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली के विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर में एल0डी0 मार्ग पर स्थित दासिया से सिहबरा सेहमो मार्ग के उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

169-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-रुधौली के विकास खण्ड-सल्टौआ गोपालपुर में एल0डी0 मार्ग पर स्थित दसिया से

सिहबरा-सेहमो मार्ग पर दो डिग्री कालेज, दो इण्टर कालेज, अस्पताल, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेज होने के कारण मार्ग अत्यधिक व्यस्त है ? यदि हाँ, तो सुगम आवागमन की दृष्टि से उक्त मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। ग्रामीण श्रेणी के मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य की कोई कार्य योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत रैपुरवा माफी के कम्पोजिट विद्यालय रैपुरवा माफी में विद्यालय प्रांगण से गुजर रही 11000 के0वी0 की लाइन हटवाने के सम्बन्ध में

170-श्री अनिल प्रधान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत रैपुरवा माफी के कम्पोजिट विद्यालय रैपुरवा माफी में विद्यालय प्रांगण से गुजर रही 11000 के0वी0 की लाइन सरकार हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद-चित्रकूट के ग्राम पंचायत रैपुरवा माफी के कम्पोजिट विद्यालय रैपुरवा माफी में विद्यालय प्रांगण से गुजर रही 11000 के0वी0 की लाइन के स्थानान्तरण हेतु रु0 83,362.00 का प्राक्कलन बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट को निर्गत किया गया है।

प्राक्कलित धनराशि प्राप्त होने पर निर्भर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत मऊ में ग्राम टिटिहरा से मऊ सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

171-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत मऊ में ग्राम टिटिहरा से मऊ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद चित्रकूट में ग्राम मऊ एवं ग्राम टिटिहरा पूर्व से ही सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुड़े हैं। ग्राम टिटिहरा एवं ग्राम मऊ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य डबल

कनेक्टिविटी से सम्बन्धित है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में आम-जन को आवागमन के दृष्टिगत रसिन के माजरा महादेवन के पास बाणगंगा नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में

172-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में आम-जन को आवागमन के दृष्टिगत रसिन के माजरा महादेवन के पास बाणगंगा नदी पर पुल का निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 4.57 किमी0 की दूरी पर स्थित भरतकूप में सेतु पूर्व से ही निर्मित है एवं डाउनस्ट्रीम में लगभग 0.800 किमी0 की दूरी पर नागरपुरवा से महादेवन मार्ग पर सेतु निर्माणाधीन है। प्रश्नगत स्थल पर सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में बागेन नदी पर ओरा ममसी मकरी पहरा तथा भैसौंधा में भदावल घाट में पहड़िया से कुल्लूखेड़ा के पास पुल निर्माण के सम्बन्ध में

173-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में बागेन नदी पर ओरा, ममसी, मकरी, पहरा तथा भैसौंधा में भदावल घाट में पहड़िया से कुल्लूखेड़ा के पास पुल न होने के कारण आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बांदा से जनपद चित्रकूट को जोड़ने हेतु ओरा-ममसी मार्ग के लिये बागेन नदी पर सेतु का निर्माण कार्य मई, 2022 में पूर्ण किया जा चुका है, जिस पर वर्तमान में यातायात चालू है।

जनपद चित्रकूट में मकरी-पहरा मार्ग से पारा ग्राम मार्ग हेतु मन्दाकिनी नदी पर सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे फरवरी, 2024 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद बाँदा एवं जनपद चित्रकूट में कुल्लूखेडा से भदावल भैसौंधा मार्ग हेतु बागेन नदी पर सेतु एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों को दिये जा रहे नैनो नामक यूरिया में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

174-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों को दिये जा रहे नैनो नामक यूरिया में प्रति 500 एम0एल0 में उपलब्ध नाइट्रोजन फसलों के लिए अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

नैनो यूरिया के 500 एम0 एल0 में नाइट्रोजन प्रतिशत की उपलब्धता के सम्बन्ध में गन्ना विकास विभाग में प्रमाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस सम्बन्ध में नैनो यूरिया निर्माता मे0 इफको से जानकारी प्राप्त की गई, जिसके सम्बन्ध में इफको द्वारा अपने उत्तरालेख के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश में किसानों को दिये जा रहे नैनो नामक यूरिया में प्रति 500 एम0एल0 में उपलब्ध नत्रजन फसलों के लिए अपर्याप्त नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के विनय खण्ड क्षेत्रान्तर्गत प्लाट संख्या-03/126 पंजीकरण सं0-879421 के आवंटन-पत्र के विवरण के सम्बन्ध में

175-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विनय खण्ड क्षेत्रान्तर्गत प्लाट संख्या-03/126 पंजीकरण संख्या-879421 तथा प्रापर्टी आई0डी0 57484 है, का दिनांक 23-04-1987 को रजिस्ट्रेशन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त का आवंटन-पत्र का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कम्प्यूटर में दर्ज पंजीकरण संख्या-879421 के विरुद्ध श्री माता प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम-इटावा, पोस्ट-इटवा, सिद्धार्थनगर रजिस्ट्रेशन तिथि 23-04-1987 दर्ज है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर अनुभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पंजीकरण 879421 के विरुद्ध अन्य कोई डाटा उपलब्ध नहीं है।

प्रापर्टी आई0डी0 57484 के अनुसार कम्प्यूटर रिकार्ड में भवन संख्या-3/761, सेक्टर-एच, जानकीपुरम्, लखनऊ श्री माता प्रसाद पाण्डेय का नाम दर्ज है।

पत्र में उल्लिखित पंजीकरण संख्या-879421 व प्रापर्टी आई0डी0 57484 के अनुसार सम्पत्ति संख्या-3/126, विनय खण्ड, गोमती नगर के आवंटन की पुष्टि कम्प्यूटर अनुभाग की रिपोर्ट के अनुसार नहीं हो रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई निर्धारित रोस्टर के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में

176-श्री संदीप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई का रोस्टर कितने घण्टे का निर्धारित है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि मेजा, माण्डा, उरूवा में निर्धारित समय के अनुरूप विद्युत सप्लाई नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में निर्धारित रोस्टर अनुसार विद्युत सप्लाई कराने तथा विद्युत कटौती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद-प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के तहसील (मुख्यालय) में 21.30 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है।

रोस्टर के अनुसार (स्थानीय व्यवधान को छोड़कर) विद्युत आपूर्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में शेरपुर-बालाकोट मार्ग के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

177-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में शेरपुर-बालाकोट मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग बेलाकोल सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.300 किमी0 है। मार्ग के आबादी भाग में 0.300 किमी0 लम्बाई विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है। शेष लम्बाई 1.00 किमी0 में पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है, जोकि यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद्, मुबारकपुर के अन्तर्गत मोहल्ला अमिलो में जूनियर हाई स्कूल से हाजी महमूद के घर तक की सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

178-श्री अखिलेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद्, मुबारकपुर के अन्तर्गत मोहल्ला अमिलो में जूनियर हाई स्कूल से हाजी महमूद के घर तक की सड़क जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद आजमगढ़ की नगर पालिका परिषद्, मुबारकपुर के अन्तर्गत मोहल्ला अमिलो में वार्ड नं0-12 में जूनियर हाई स्कूल से शिब्ली स्कूल, पानी की टंकी होते हुए ईदगाह तक सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसका निर्माण 15वां वित्त आयोग के अन्टाईड ग्रान्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम सिकन्दरपुर नूरुद्दीनपुर के पास तमसा नदी पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण पूर्ण कर एवं निर्माण कार्य में देरी हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

179-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के ग्राम सिकन्दरपुर नूरुद्दीनपुर के पास तमसा नदी पर निर्माणाधीन पुल को निर्धारित समय तक पूर्ण न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार विलम्ब के लिए

जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुये उक्त पुल का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद आजमगढ़ में क्षेत्र पंचायत सठियांव के सिकन्दरपुर घाट (तमसा नदी) पर सेतु एवं पहुँच मार्ग निर्माणाधीन है। अनुबन्ध के अनुसार सेतु को पूर्ण करने की तिथि 18-10-2022 थी, परन्तु पहुँच मार्ग के संरेखण में आने वाली भूमि से सम्बन्धित कुछ काश्तकारों के विदेश में जीविकोपार्जन हेतु प्रवासित होने तथा अन्य काश्तकारों से सहमति प्राप्त न होने के कारण भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी थी।

प्रश्नगत सेतु के पहुँच मार्ग के संरेखण में आने वाली 163 काश्तकारों की 1.391 हेक्टेयर निजी भूमि का मूल्यांकन, सीमांकन एवं 100 प्रतिशत सहमति-पत्र की कार्यवाही जुलाई, 2023 में पूर्ण कर ली गयी है। उक्त के क्रम में राजस्व विभाग द्वारा सहमति प्राप्त करते हुये 20 काश्तकारों की निजी भूमि का बैनामा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है एवं शेष 143 काश्तकारों के अभिलेखों को प्राप्त कर बैनामा की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्तमान में सेतु के सुपर स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर है, जिसकी भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में ग्राम भटौरा से लोहरा मार्ग के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

180-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में ग्राम भटौरा से लोहरा मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग आजमगढ़-मऊ मार्ग से लोहरा होते हुए भटौरा तक सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 3.200 किमी0 है। मार्ग की विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है। टेण्डर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में भुजही बबुरा लिंक रोड से ग्राम बरही मार्ग के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

181-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में भुजही-बबुरा लिंक रोड से ग्राम बरही मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग भुजही शेरपुर से पदमिनिया सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 3.00 किमी0 है। मार्ग की विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है। टेण्डर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ को विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया में सिकन्दरपुर से नरियांव जनपद अम्बेडकरनगर होते हुए गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क के उच्चीकरण/चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में

182-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया में सिकन्दरपुर से नरियांव जनपद अम्बेडकरनगर होते हुये जनपद गोरखपुर को जोड़ने वाली सड़क का उच्चीकरण/चौड़ीकरण कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग एन0एच0-328 से प्रारम्भ होकर एन0एच0-233 पर जाकर समाप्त होता है। उक्त मार्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित दो मार्ग सम्मिलित हैं :-

1-<u>सिकन्दपुर से नरियांव मार्ग-</u>इस मार्ग की कुल लम्बाई 9.05 किमी0 है। प्रारम्भिक भाग लम्बाई 5.00 किमी0 में कैरिज-वे की वर्तमान चौड़ाई 3.70 मी0 है। शेष लम्बाई 4.05 किमी0 में कैरिज-वे की वर्तमान चौड़ाई 3.75 मी0 है।

2-<u>नरियांव से बिड़हर घाट तक का मार्ग-</u>इस मार्ग की लम्बाई 7.180 किमी0 है। इस मार्ग के कैरिज-वे की चौड़ाई 5.50 मीटर है।

प्रश्नगत मार्गों का एक लेन से दो लेन (7.00 मी0) में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में जर्जर/क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों एवं सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

183-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में जर्जर/क्षतिग्रस्त मुख्य मार्गों एवं सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/निर्माण कराने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

विधान सभा क्षेत्र बैरिया में वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 29 ग्रामीण श्रेणी के मार्गों की विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया में किसानो को सिंचाई की व्यवस्था हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में

184-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में कम वर्षा होने के कारण किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

वर्तमान समय में जनपद-बलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित शेड्यूल 18 घण्टे के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है (स्थानीय व्यवधान को छोड़कर)।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ शहर के सीतापुर रोड स्थित ताड़ीखाना चौराहा से डुडौली एल्डिको कालोनी होते हुए आई0आई0एम0 रोड सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

185-श्री राकेश प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में सीतापुर रोड स्थित ताड़ीखाना चौराहा से डुडौली एल्डिको कालोनी होते हुए आई0आई0एम0 रोड सम्पर्क मार्ग गहरे

गड्ढों में परिवर्तित हो जाने के कारण आवागमन योग्य नहीं है ? क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के कस्बों में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में

186-श्री चन्दन चौहान

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के कस्बा मीरापुर के मोहल्ले सरांय दरवाजा, नमक मण्डी, घास मण्डी, काली मंदिर, पड़ाव चौक, कमलयान आदि में विद्युत तार जर्जर हैं, जिनके टूटने से विद्युत लाइन बाधित रहती है एवं जर्जर विद्युत तारों के कारण स्थानीय निवासियों को खतरा बना रहता है ? क्या सरकार मीरापुर कस्बे के उक्त मोहल्लों के जर्जर विद्युत तारों को बदलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद-मुजफ्फरनगर की विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के कस्बा मीरापुर के मोहल्ले सरांय दरबाजा, नमक मण्डी, घास मण्डी, काली मंदिर, पड़ाव चौक, कमलयान आदि में जर्जर विद्युत तार बदलने हेतु आर0डी0एस0एस0 के अन्तर्गत सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया और उसका विवरण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

187-श्री जगदीश नारायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नई सड़कों के निर्माण की क्या प्रक्रिया है तथा उक्त का प्रस्ताव किसके द्वारा लिया जाता है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आबादी वाले अनजुड़े ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु नई सड़कों के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निम्नवत् आगणन गठित किए जाते हैं :-

1-नाबार्ड योजना के अन्तर्गत 01 किमी0 एवं उससे अधिक लम्बाई के अनजुड़े ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाता है।

2-पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत आधा किलोमीटर एवं उससे अधिक परन्तु 1 किमी0 से कम लम्बाई के अनजुड़े ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाता है।

3-आधा किलोमीटर से कम लम्बाई के अनजुड़े ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर में कतिपय सब-स्टेशनों पर बदले गए ट्रान्सफार्मरो के विवरण के सम्बन्ध में

188-श्री जगदीश नारायण-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-82 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में सब-स्टेशन इमलों, कबूलपुर, जफराबाद, बराई, जलालापुर, चौरी, नेवदिया आदि फीडरों पर कुल कितने ट्रान्सफार्मर उक्त योजना अन्तर्गत चिन्हित हुये हैं और उक्त में कितने बदले गये हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

जनपद-जौनपुर में इमलों, कबूलपुर, जफराबाद, बराई, जलालापुर, चौरी, नेवदिया आदि फीडरों पर उक्त योजना में कुल 67 ट्रान्सफार्मरों को चिन्हित किया गया है।

उक्त चिन्हित ट्रान्सफार्मरों में से कुल 08 ट्रान्सफार्मरों को बदल दिया गया है। शेष ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को उन्नत प्रजाति के गन्ना बीज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

189-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उ0प्र0 में गन्ना का उन्नत किस्म का बीज न होने के कारण पैदावार कम होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना किसानों को उन्नत प्रजाति के गन्ना बीज उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के शामली, मुजफ्फरनगर एवं मेरठ आदि जनपदों में गन्ने की औसत उपज प्रदेश में सर्वाधिक है। पश्चिमी क्षेत्र के गन्ना कृषकों को उन्नत गन्ना किस्मों की अभिजनक बीज गन्ना की आपूर्ति/उपलब्धता हेतु गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर के गन्ना शोध केन्द्र, मुजफ्फरनगर संचालित है, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1054 कुन्टल उच्च गुणवत्तायुक्त रोगरहित उन्नत गन्ना किस्मों के अभिजनक बीज गन्ना का उत्पादन एवं

वितरण किया गया। साथ ही शोध परिषद् द्वारा विकसित नवीन गन्ना किस्मों के लगभग 112 लाख सिंगल बड अभिजनक बीज गन्ना का वितरण भी प्रश्नगत वर्ष में पश्चिमी क्षेत्र के कृषकों के मध्य किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित 08 सहकारी एवं निजी चीनी मिलों के प्रक्षेत्र पर लगभग 24,236 कुन्टल उन्नत गन्ना किस्मों के बीज तथा नव विकसित गन्ना किस्मों के लगभग 50,000 सिंगल बड का उत्पादन एवं वितरण भी इस अवधि में किया गया है। नवीन गन्ना किस्मों के बीज गन्ना की सुलभ उपलब्धता हेतु शासन स्तर से लिए गये निर्णय के क्रम में गन्ना कृषकों का बीज उत्पादक कृषक के रूप में पंजीयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के 163 गन्ना कृषकों को बीज उत्पादक कृषक के रूप में पंजीयन किया गया है। इन बीज उत्पादक कृषकों के गन्ना फसल का गन्ना शोध परिषद् के वैज्ञानिकों द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन किया जाता है। उक्त सत्यापित बीज गन्ना का विक्रय निश्चित शुल्क पर किये जाने की व्यवस्था भी शासन द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त आम कृषकों के हितार्थ शासन द्वारा नवीन गन्ना किस्मों के बीज गन्ना की प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर वितरण हेतु इनके मिनी सीड किट का ऑनलाइन पंजीयन तथा शुल्क भुगतान की भी व्यवस्था निर्धारित की गई है। शासन द्वारा क्रियान्वित उक्त योजनाओं का लाभ सीधे आम कृषकों को प्राप्त हो रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पश्चिमी क्षेत्र के कृषकों को उन्नत गन्ना किस्मों का अभिजनक बीज गन्ना सतत रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गन्ना शोध परिषद् के शाहजहाँपुर एवं गोला केन्द्रों द्वारा भी यथावश्यकता पश्चिमी क्षेत्र के गन्ना कृषकों को आवंटन के अनुसार उन्नत गन्ना किस्मों के अभिजनक बीज गन्ना की आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के पारा, गोविन्द नगर के नाला पुलिया से शुभ सिटी होते हुए मौर्या ट्रेडर्स तक के मार्ग और नाले के निर्माण के सम्बन्ध में

190-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के पारा, गोविन्द नगर के नाला पुलिया (नियर ज्ञानेश्वर मंदिर) से शुभ सिटी होते हुए मौर्या ट्रेडर्स तक लगभग 700 मी0 तक कच्चा मार्ग है, जहां बरसात के समय जलभराव बने रहने के कारण स्थानीय निवासियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग एवं कच्चे नाले का पक्का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

शुभ सिटी प्राइवेट सोसायटी/कालोनाईजर द्वारा अनाधिकृत रूप में विकसित है। उक्त कालोनी का तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है, निजी कालोनियों के विकास का प्रथम दायित्व सम्बन्धित सोसायटी/कालोनाईजर का ही होता है।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा व्यापक जनहित के दृष्टिगत अपने सीमित संसाधनों से प्राथमिकता के आधार पर अविकसित कालोनियों में विकास कार्य कराये जाते हैं।

प्रश्नगत स्थल पर कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने हेतु रु0 114.93 लाख एवं जल निकासी हेतु नाले के निर्माण कार्य के लिए रु0 179.65 लाख अर्थात् कुल रु0 294.58 लाख का व्यय अनुमान तैयार किया गया है, उक्त व्यय की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी की मोंठ ब्लाक में लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने के सम्बन्ध में

191-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झाँसी की मोंठ ब्लाक में लो-वोल्टेज के कारण धान की सिंचाई हेतु नलकूप नहीं चल पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों के हित में लो-वोल्टेज की समस्या दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

वर्तमान में लो वोल्टेज की समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में मोंठ-समथर-पंडोखर इंटर स्टेट सड़क के बनने के बाद खराब होने पर उक्त की जांच के सम्बन्ध में

192-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में मोंठ-समथर-पंडोखर इंटर स्टेट सड़क को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के बाद उक्त रोड के खराब होने की जांच कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-क-7 सं0-199999, दिनांक 18 जुलाई, 2023 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

मा0 विधायक जी के पत्र दिनांक 18 जुलाई, 2023 में उल्लिखित जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में मोंठ-समथर-पंडोखर इंटर स्टेट मार्ग के घटिया निर्माण की शिकायत

के सम्बन्ध में पूर्व में मा0 विधायक जी का एक अन्य शिकायती-पत्र दिनांक 08-06-2021 प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में उक्त मार्ग की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से करायी गयी। मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ की प्राप्त जांच आख्या दिनांक 21-04-2022 का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति द्वारा दिनांक 02-06-2023 को किया गया। समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाया गया तथा कोई वित्तीय अनियमितता/क्षति नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा के माल गोदाम तिराहे पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

193-श्री तसलीम अहमद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा के माल गोदाम तिराहे पर फुट ओवरब्रिज निर्माण न होने से नगर में जाम की स्थिति बनी रहती है एवं जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार उक्त कस्बे में फुट ओवरब्रिज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बिजनौर में मुरादाबाद-सहारनपुर रेल सेक्शन पर नजीबाबाद कस्बे में माल गोदाम तिराहे पर रेल लाइन के ऊपर फुट ओवरब्रिज के निर्माण का कार्य रेल मंत्रालय, भारत सरकार से सम्बन्धित है।

प्रदेश में शहीदों को सम्मान के दृष्टिगत कानपुर नगर में उत्तर प्रदेश मेट्रो स्टेशन का नाम शहीद मेजर सलमान के नाम पर रखने के सम्बन्ध में

194-श्री मोहम्मद हसन 'रूमी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहीदों को सम्मान के दृष्टिगत कानपुर नगर में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन का नाम शहीद मेजर सलमान के नाम पर रखने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत बनने वाले स्टेशनों का नाम कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के डी0पी0आर0 के अनुसार है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार से स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। स्टेशनों के नाम के कोड भी रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित संस्था इंडियन कान्फ्रेस एसोसिएशन द्वारा आवंटित किए जा चुके हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में संचालित बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना में स्थानीय जनप्रतिनिधि से ग्राम के चयन में ली गई प्राथमिकता सूची के विवरण के सम्बन्ध में

195-श्री नाहिद हसन-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अन्तर्गत जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में कितने ग्राम चयनित किए गये एवं कितनी सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करायी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त ग्रामों का चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी ग्रामों के चयन में कोई प्राथमिकता सूची प्राप्त की जाती है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ए0 के0 शर्मा-

वर्ष 2022-23 से बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में प्रत्येक वर्ष 20-20 ग्राम पंचायतों में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट, कुल 200 स्ट्रीट लाइटें प्रति जनपद अधिष्ठापन की कार्यवाही की जाती है। उक्त योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों का चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायतों का चयन जनप्रतिनिधियों से समन्वय कर किये जाने का प्राविधान है। शासनादेश संख्या-754/87-अति0उ0 स्रो0वि0/2022, दिनांक 26 अगस्त, 2022 द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में कुल 60 सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करायी गयी है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 60 सोलर स्ट्रीट लाइटें स्थापना हेतु स्वीकृत हैं।

चयनित ग्राम पंचायतों का विवरण संलग्न है।[†]

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के धनार बांध नहर पुलिया से कादीपुर बाजार तक सड़क के नवीनीकरण के सम्बन्ध में

196-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के धनार बांध नहर पुलिया से कादीपुर बाजार तक के जर्जर सड़क मार्ग का नवीनीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-[†] देखिये नत्थी (ठ) आगे पृष्ठ संख्या-284 पर।

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग में निम्न दो सम्पर्क मार्ग सम्मिलित हैं :-

प्रथम मार्ग टाडी चिरैयाकोट रजवाहा से धनारबांध सामान्य बस्ती सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 0.40 किमी0 है, जो विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है।

द्वितीय मार्ग धनारबांध अनुसूचित बस्ती सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 3.20 किमी0 है। मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्ष 2003 में चना, मसूर एवं राई उपजों का मूल्य किसानों को दिलाये जाने जाने के सम्बन्ध में

197-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्ष 2023 में किसानों द्वारा पी0सी0एफ0 एवं सहकारी संस्थाओं को विक्रय की गयी चना, मसूर एवं राई उपजों का मूल्य किसानों के खाते में वर्तमान तक नहीं भेजा गया है ? क्या सरकार उक्त फसलों के विक्रय की धनराशि किसानों के खाते में जमा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जे0 पी0 एस0 राठौर-

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रबी वर्ष 2023 में पी0सी0एफ0 द्वारा दलहन/तिलहन (चना, मसूर एवं सरसों/राई) की बिक्री करने वाले कृषकों का समस्त भुगतान रु0 11137.73 लाख सीधे उनके खातों में किया जा चुका है। इसी प्रकार पी0सी0यू0 द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चना, मसूर एवं सरसों की बिक्री करने वाले कृषकों का कुल 19914.32 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार। कृषकों का समस्त भुगतान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में बक्शी का तालाब स्थित ग्राम-सिकन्दरपुर खुर्द से शारदा सहायक नहर पर ओवरब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में

198-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में बक्शी का तालाब स्थित ग्राम-सिकन्दरपुर खुर्द से शारदा सहायक नहर (किसान पथ) पर ओवरब्रिज न होने के

कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थान पर ओवरब्रिज के निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद लखनऊ में बक्शी का तालाब स्थित ग्राम-सिकन्दरपुर खुर्द से शारदा सहायक नहर (किसान पथ) पर ओवरब्रिज की मांग से सम्बन्धित स्थल के एक ओर ग्राम-सिकन्दरपुर खुर्द एवं दूसरी ओर ग्राम-लोलई स्थित है। इस स्थल पर ओवरब्रिज का निर्माण वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के ग्राम कनवारा में संतोष विश्वकर्मा के घर से गंगा बाबा नाली तक नहर पटरी का डामरीकरण कर दोनों तरफ नाली के निर्माण के सम्बन्ध में

199-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम कनवारा में संतोष विश्वकर्मा के घर से गंगा बाबा नाली तक लगभग 300 मी0 कच्ची नहर पटरी से ग्रामवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त नहर पटरी का डामरीकरण एवं दोनों ओर नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बांदा के ग्राम कनवारा में प्रश्नगत मार्ग कच्चा स्तर का है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत नव निर्माण हेतु स्वीकृत है। उक्त मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 01-04-2023 से पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) योजना से सम्बन्धित कार्य नियोजन विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के सम्बन्ध में

200-श्री अभय सिंह-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में केन्द्र सरकार की भांति विज्ञापित तिथि को आधार बनाकर अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

किसानो को मिलने वाले ऋण पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में

201-श्री चन्दन चौहान-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उ0प्र0 सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लिमिटेड द्वारा किसानों को दिये जाने वाले ऋण (लोन) पर ब्याज के साथ-साथ चक्रवृद्धि ब्याज की वसूली की जाती है, जिससे किसानों को ऋण अदा करने में परेशानी होती है ? क्या सरकार किसानों के ऋण पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज को समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जे0 पी0 एस0 राठौर-

जी नहीं।

ऋणी सदस्य के खाते में तिमाही/छमाही किस्तों की समय से अदायगी किये जाने पर बैंक द्वारा साधारण ब्याज लिया जाता है। ऋणी सदस्य द्वारा देय किस्त की अदायगी न करने पर उनके खातें में देय ब्याज ऋणी सदस्य पर लगे कुल आउटस्टैण्डिंग (लगा हुआ ऋण) में जुड़ जाता है एवं आगामी तिथि पर ब्याज कुल लगे आउटस्टैण्डिंग (लगा हुआ ऋण) पर लगाया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 26,760 करोड़ 67 लाख है, जिसमें राजस्व लेखे का व्यय 19 लाख 46 हजार 39 करोड़ रुपये तथा पूंजी लेखे का व्यय 9,714 करोड़ रुपये का है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रस्तावित अनुपूरक मांग में नयी मांग की कुल धनराशि 7,421.21 करोड़ रुपये के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। साथ ही साथ जो हमारा मूल बजट जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के मूल बजट में 6 लाख 90,242.43 करोड़ रुपये है, जिसके राजस्व लेखे का व्यय 5 लाख 2,354.01 करोड़ रुपये था तथा पूंजी लेखे का व्यय 1 लाख 87,888.42 करोड़ रुपये है। इसमें चालू योजनायें हैं, जो कान्टीन्यू स्कीम्स हैं, उसके तहत 21,339.46 करोड़ रुपये के प्रस्ताव हैं।

उत्तराखण्ड में निर्माणाधीन सुरंगों में फँसे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को सकुशल वापसी पर उन्हें सरकारी नौकरी, आवास व धनराशि प्रदान किये जाने की माँग

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा गम्भीर विषय है। उत्तराखण्ड में जो 41 मजदूर टनल में काम करते हुए फंस गए थे, उसमें से उनको सकुशल निकाल लिया गया है। इस बात के लिए जो हमारे वैज्ञानिक रहे हों या सुरक्षा बल के लोग रहे हों, उन सभी को हम सबकी ओर से बधाई देते हैं। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि उसमें से 8 लोग उत्तर प्रदेश के थे। इसमें से 5-6 श्रमिक श्रावस्ती से थे।

श्री अध्यक्ष-

इसके लिए अगर आप शुरू में नियम-110 की सूचना दे देतीं तो मा0 नेता सदन के पास चली जाती।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, वह यहां से जीविकोपार्जन के लिए गए थे। आपका विशाल हृदय है, उनको सहृदयता से जीविकोपार्जन हेतु एक-एक सरकारी नौकरी देने की कृपा करें, जिससे उन 8 परिवारों का जीविकोपार्जन चलता रहे और वह आगे भविष्य में न जायें। साथ ही उन परिवारों को 25-25 लाख रुपये और एक-एक आवास देने की भी कृपा करें। मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि उनके बच्चों की शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करा दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

बिना नेता सदन की सहमति के यह विषय नहीं आ सकता है। इस प्रकार की बात करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके लिए आपको सूचना देनी चाहिए थी। वह मा0 नेता सदन और मा0 नेता प्रतिपक्ष की सहमति के नहीं हो सकता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक चीज और जोड़ दी जाए।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा का फ्लोर अपनी अचीवमेन्ट पॉलिसीज के लिए नहीं होता है। विधान सभा का फ्लोर अपने नियम के हिसाब से चलता है। अब आप लोग बैठ जायें। आज नियम-301 के अन्तर्गत 66 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से निम्नलिखित सूचनायें सलाहकार के आधार पर ली गयी हैं, जो मा0 सदस्य उपस्थित होंगे, उनकी सूचनायें ग्राह्य होंगी, नहीं तो वेटिंग लिस्ट में रखा जायेगा।

(इसी मध्य सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा के अपने स्थान पर खड़े होकर बीच में कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

हम सीरियल के हिसाब से ही लेंगे। सभी का विषय गम्भीर है, कोई भी आदमी बिना गम्भीर विषय के सूचना देता ही नहीं है। श्री रविदास मेहरोत्रा उपस्थित हैं, श्री सचिन यादव उपस्थित हैं, डॉ0 रागिनी उपस्थित हैं, ठीक है तीन वेटिंग वालों को ले लिया है।

(उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं संलग्न हैं।)

आज दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को कुल 66 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत कोहडौर तिराहा से अमेठी बार्डर तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बक्शी का तालाब स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरकपुर में सम्पर्क मार्ग तथा स्कूल की बाउण्ड्री बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जनपद शामली के ग्राम कुडाना-भोराकला मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुडाना तक सम्पर्क मार्ग बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती जय देवी की विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में सैदापुर से मंझी मार्ग का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नूर अलीपुर भगवन्त एवं बनवारीपुर में याकूब प्रधान के घर से छोटी नहर तक नाला बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की जनपद सन्तकबीरनगर के धनघटा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शिवबखरी में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री स्वामी ओउ्मवेश की जनपद बिजनौर के चाँदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जलीलपुर-छाछरी मार्ग से मीरपुर सीकरी गुरुद्वारा साहिब तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के सफीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों तथा नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत मार्ग के निर्माण हेतु राज्य सड़क निधि से स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार न किए जाने की जांच के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के खरीद दारौली घाट पर बन रहे पुल का पिलर बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री कमाल अख्तर की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के नगर पंचायत अगवानपुर चिरागी घाट से राम गंगा नदी के ऊपर पैन्टून पुल बनाये जाने के

सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री चन्दन चौहान की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम गादला से बसेडा-ननहेड़ी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया की जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा लाभार्थियों के घर स्मार्ट मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में निर्मित आश्रम पद्धति विद्यालय को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री बेदी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां को दो लेन मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की विद्युत सेवा आयोग से सम्बन्धित सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के आदेश का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत बांसडीह से पर्बतपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर में स्थित घुइसर नाथ धाम में स्थाई पुलिस चौकी की स्थापना कराए जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राम सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ पट्टी के ग्राम भरोखन में इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री मो0 ताहिर खान की विधान सभा क्षेत्र इसौली के ऊंचगाँव में पावर हाउस बनाए जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की शिक्षकों तथा राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाए जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री सचिन यादव की प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम पर व्यय की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में है तथा चौबीसवीं सूचना डॉ0 रागिनी की पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत बजट की शेष धनराशि के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री राम अचल राजभर, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री मनीष कुमार उर्फ मंटू, श्री अमरेश कुमार, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, डॉ0 डी0सी0 वर्मा, श्री विवेक कुमार वर्मा, श्री गौरी शंकर वर्मा, श्री लक्ष्मी राज सिंह, श्री रमेश जायसवाल, श्री पल्टू राम, श्री प्रभात कुमार वर्मा एडवोकेट, श्री अजय सिंह, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, डॉ0 आर0 के0 पटेल, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री जियाउर्रहमान बर्क, श्री गुलाम मौहम्मद, श्री अनिल कुमार, श्री समरपाल सिंह, श्री जगदीश नारायण राय, श्री रमेश चन्द्र मिश्रा, श्री विकास गुप्ता, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री विशम्भर सिंह, श्री धर्मराज सिंह, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री वीरेन्द्र चौधरी, श्री मनीष रावत, डॉ0 राजेश्वर सिंह, मोहम्मद फहीम इरफान, श्री रमा शंकर पटेल, डॉ0 वीर विक्रम सिंह, श्री निर्मल वर्मा, श्री अजय सिंह, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री अनिल प्रधान, श्री मुकेश चौधरी।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत कोहडौर तिराहा से अमेठी बार्डर तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार-

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्वनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-248, प्रतापगढ़ अन्तर्गत कोहडौर तिराहा, कान्धरपुर, चन्दौका वाया अमेठी बार्डर तक दूरी लगभग 12 किमी0 सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तक अन्य जिला मार्ग पर आम-जनमानस का चलना दूभर हो गया है, वर्षा के समय सड़क पर कीचड़ हो जाता है, जिससे आस-पास की हजारों आम-जनमानस को आने-जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सड़क बन जाने से यह बाईपास के रूप में कार्य करेगा, उक्त सड़क को जनहित में बनवाया जाना महत्वपूर्ण है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विकास खण्ड बक्शी का तालाब स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरकपुर में सम्पर्क मार्ग तथा स्कूल की बाउण्ड्री बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 पल्लवी पटेल-

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में अति महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड-बक्शी का तालाब स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरकपुर सरैया जो सीतापुर रोड से लगभग 2 किमी0 अन्दर है। ग्राम सरकपुर सरैया सम्पर्क मार्ग से स्कूल जाने का रास्ता कच्चा एवं काफी गहरा होने के कारण बरसात में रास्तें में पानी भर जाता है और बच्चों का स्कूल भवन तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है और बच्चे गिर कर चोटिल भी होते रहते हैं। स्कूल में बाउण्ड्रीवाल न होने के कारण आवारा कुत्ते, जानवर आदि परिसर में आ जाते हैं, जिनसे बच्चों को जीवन का खतरा बना रहता है। जनहित में ग्राम सरकपुर सरैया सम्पर्क मार्ग से स्कूल तक सम्पर्क मार्ग बनाते हुये पूरे स्कूल में बाउण्ड्रीवाल बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद शामली के ग्राम कुड़ाना-भोराकला मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़ाना तक सम्पर्क मार्ग बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रसन्न कुमार-

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र के निवासीगण हैं। जनपद शामली के ग्राम कुड़ाना में शामली भोराकलाँ मार्ग से सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र कुड़ाना तक लगभग 400 मी0 मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त स्थिति में है, उक्त मार्ग पर मरीजों के साथ-साथ

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रीय किसानों का भी आवागमन रहता है। मार्ग की स्थिति जर्जर होने के कारण आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त कार्य को कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद में सैदापुर से मंझी मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जय देवी-

[मान्यवर, सदन के माध्यम से सादर अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में माल-इटौंजा मार्ग पर सैदापुर से मंझी मार्ग जो चन्द्रिका देवी पावन तीर्थ स्थल को जोड़ता है। यह बहुत संकरा है, परन्तु लखनऊ आवागमन का सीधा मार्ग है, जो सीतापुर रोड से बीकेटी पर लिंक होता है। बीकेटी से चन्द्रिका देवी मार्ग 7 मीटर चौड़ा है। मंझी से सैदापुर मार्ग बहुत संकरा है, जिसके कारण दो वाहन साथ-साथ क्रास नहीं कर सकते हैं दुर्घटना की सम्भावना सदैव बनी रहती है। मंझी सैदापुर मार्ग ओडीआर भी घोषित हैं, इसलिए अनुरोध करना चाहूंगी कि इस मार्ग को 7 मीटर चौड़ीकरण कर क्षेत्र की जनता को आवागमन की सुविधा प्रदान करें, जिससे क्षेत्र का विकास होगा, आम-जनमानस की सुविधा तथा लोकहित को देखते हुए चौड़ीकरण कराने की कृपा करें।

अतः आपसे जनहित में सादर अनुरोध करना है कि वर्षों से सैदापुर-मंझी मार्ग के 7 मीटर चौड़ीकरण की मांग को पूरा करने हेतु भूमि अधिग्रहण कराते हुए जनहित में निर्णय लेने का कष्ट करें, मैं और मेरे क्षेत्र की जनता आपकी आभारी रहेगी।]

जनपद बिजनौर के नगीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नूर अलीपुर भगवन्त एवं बनवारीपुर में याकूब प्रधान के घर से छोटी नहर तक नाला बनवाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के अन्तर्गत कोतवाली से बिजनौर एन0एच0-709AD मार्ग बनाया जा रहा है। एन0एच0-709AD ऊँचा करके बनाने की वजह से एन0एच0-709AD के बराबर से नाला न बनाये जाने की स्थिति में वर्षा के पानी एवं गाँव के पानी की निकासी न होने की बजह से गाँव के ही मेन रास्तों एवं घरों में भरा पड़ा है। बार-बार एन0 एच0-709AD अथॉरिटी मेरठ से अनुरोध करने पर भी एन0एच0 द्वारा नाला नहीं बनाया जा रहा है, पानी भराव की स्थिति के कारण गाँव में तरह-तरह की बीमारियां फैल रही हैं तथा एन0एच0-709AD से गाँव का आवागमन बन्द पड़ा है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम नूरअलीपुर भगवन्त के सामने दोनों तरफ एवं बनवारीपुर में याकूब प्रधान के घर से छोटी नहर उक्त एन0एच0-709AD मार्ग पर नाला निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सन्तकबीनगर के धनघटा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शिवबखरी में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश चन्द्र चौहान-

[मान्यवर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-314, धनघटा के विकास खण्ड पौली के ग्राम पंचायत-शिवबखरी में निर्माणधीन सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र का निर्माण कार्य विगत कई वर्षों से यस कहा है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के चाँदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जलीलपुर छाछरी मार्ग से मीरपुर सीकरी गुरूद्वारा साहिब तक सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ। मेरे जनपद की विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर-जलीलपुर-छाछरी मार्ग से मीरपुर सीकरी गुरुद्वारा साहिब तक 2 किमी0 तक की डामरीकृत सड़क का निर्माण लोक निर्माण द्वारा कराया गया था। जो इस समय बिल्कुल जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है। इस मार्ग पर गहरे-गहरे गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटना हो रही हैं। इस मार्ग से आवगमन बिल्कुल बाधित हो रहा है, मार्ग खराब होने के कारण यहां के किसान, व्यापारियों, आम नागरिकों, छात्रों को बहुत कठिनाई होती है। अतः इस मार्ग की विशेष मरम्मत कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के सफीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों तथा नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ कार्यालय के पत्र सं0-704-05, दिनांक 25-07-2023 के द्वारा अति पिछड़े/अनुसूचित जाति के बाहुल्य क्षेत्र में एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सफीपुर के बभना तथा विकास खण्ड नबाबगंज के रायपुरगढ़ी इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आगणन तैयार कर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, शासन द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, परन्तु अभी तक समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन कार्यालय में लम्बित एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत अति पिछड़े/अनुसूचित जाति के बाहुल्य क्षेत्र में इण्टरलॉकिंग व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु आगणन के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत मार्ग के निर्माण हेतु राज्य सड़क निधि से स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तरबगंज जनपद गोण्डा की शुक्लगंज से गंगरौली, आदमपुर, ताराडीह मार्ग अत्यधिक आवागमन वाली सड़कों में से एक है, इस मार्ग से क्षेत्र के अधिकांश लोगों का आवागमन रहता है। मार्ग संकरा होने के कारण आये दिन क्षेत्रवासियों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने का आगणन पिछले वित्तीय वर्ष में भेजा गया था, परन्तु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल सकी थी। क्षेत्र भ्रमण/जनसम्पर्क के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा निर्माण कराये जाने की मांग की जा रही है, क्षेत्र के सबसे ज्यादा आवागमन वाले मार्गों में से यह एक प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

उक्त मार्ग के निर्माण कार्य की व्यय वित्त समिति (EFC) की बैठक में अनुमोदनोपरान्त लगभग 09 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकी है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार न किये जाने की जांच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन जनपद-सहारनपुर के अन्तर्गत सरकार के द्वारा मनरेगा एवं नरेगा योजना के माध्यम से विभिन्न कार्य सम्पादित कराये जा रहे हैं, परन्तु इन योजनाओं का कोई भी विवरण, कार्य की लागत,

---

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कार्य का प्रचार-प्रसार आदि के सम्बन्ध में स्थानीय जनप्रतिनिधि को कुछ भी जानकारी नहीं दी जाती है, जिस कारण से सरकार द्वारा संचालित जनहित की इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं को पात्र ग्रामवासियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामवासियों के द्वारा यह भी जानकारी दी गयी है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में मनरेगा/नरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न कार्य सम्पादित किया जाना बताया गया है, जो कि मौके पर दिखलाई नहीं दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में उच्च स्तरीय जांच करवाकर कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के खरीद दरौली घाट पर बन रहे पुल का पिलर बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर जनपद बलिया के अन्तर्गत घाघरा नदी पर खरीद-दरौली घाट जो उत्तर प्रदेश-बिहार की सीमा को जोड़ता है। यहां पर उ0प्र0 एवं बिहार आने-जाने के लिए वर्ष 2007 में पक्का पुल स्वीकृत हुआ था, जिस पर धन भी आवंटन हुआ था, जिस धन से घाघरा नदी में 21 पिलर बन रहे हैं। कई बनकर तैयार हो गये हैं, कई पिलर पर कार्य चल रहा है। परन्तु इस समय घाघरा नदी का कटान बहुत तेजी से बलिया जनपद के ग्राम खरीद, पुरुषोत्तमपुर पट्टी की तरफ हो रहा है, जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन कटान से नदी में समाहित हो गयी है। पहले जो पिलर का सर्वे हुआ था उससे इस समय 1.5 किमी0 नदी बलिया की तरफ खरीद गाँव की ओर काट दिया है, जिससे पुल की लम्बाई बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस नदी पर कटान प्रभावी क्षेत्र नदी में कम से कम 5 पिलर और बढ़ाने पड़ेंगे। ब्रिज कारपोरेशन, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 से कई बार अनुरोध किया हूँ कि टीम भेजकर नदी का सर्वे करके पिलर की लम्बाई बढ़ाया जाय तथा इस पुल की सार्थकता होगी, नहीं तो शासन का पैसा डूब जायेगा। परन्तु अभी तक ब्रिज कार्पोरेशन लो0नि0वि0 ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है, जिससे कटान भी बढ़ रही है एवं पुल का अस्तित्व ही खत्म हो जायेगा।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल लोक निर्माण विभाग (ब्रिज कार्पोरेशन) से मौके का सर्वे कराकर 5 पिलर और बढ़ाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के नगर पंचायत अगवानपुर चिरागी घाट से राम गंगा नदी के ऊपर पैन्टून पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल अख्तर-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान नीतिगत लोक महत्व की सूचना की तरफ़ दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रामगंगा नदी बहती है, जिसके दोनों तरफ आबादी के बड़े हिस्से

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहते हैं नदी पार करने के साधन न होने की वजह से एक तरफ से दूसरी तरफ आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय में दोनों क्षेत्रों का सम्बन्ध आपस में टूट जाता है। क्षेत्र की जनता 15 से 20 किमी0 की दूरी तय करके आवागमन करने को मजबूर हो जाती है। पूर्व में कोठीवाल डेंटल कालेज के आगे से चट्टा पैन्टून पुल बना था, जिससे लोगों का आवागमन होता था। अब उस स्थान पर पुल का निर्माण करा दिया गया है तथा पैन्टून पुल का सारा सामान वहीं पर पड़ा हुआ है। नगर पंचायत अगवानपुर एक बड़ी नगर पंचायत है, इसलिए इसके आस-पास के क्षेत्रों का आवागमन अगवानपुर से होता है। रामगंगा नदी पर अगवानपुर के निकट पुल न होने से नदी पार करने में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से अगवानपुर चिरागी घाट से रामगंगा नदी के ऊपर ग्राम चटकाली तक पैन्टून पुल के निर्माण कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किए जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम गादला से बसेडा-ननहेड़ी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्दन चौहान-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम गादला से बसेड़ा-ननहेड़ी मार्ग बहुत ही क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त कार्य को कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग को अनेकों बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बदायूँ के विधान सभा क्षेत्र दातागंज के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा लाभार्थियों के घर स्मार्ट मीटर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव सिंह 'बब्बू भैया'-

[मान्यवर, निवेदन है कि जनपद बदायूं की दातागंज विधान सभा क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में विद्युत विभाग द्वारा लापरवाही की जा रही है, किसी भी ग्राम पंचायत में स्मार्ट मीटर का कार्य शुरू नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में समस्या के समाधान के लिये शासन/प्रशासन व अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, परन्तु अभी तक समाधान नहीं हो सका है।

अस्तु मेरी विधान सभा में उपयुक्त विषयांकित सन्दर्भ में जनहित में नियम-301 स्वीकार करने की कृपा करें।]

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में निर्मित आश्रम पद्धति विद्यालय को चालू कराए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद-

[मान्यवर, जनपद अयोध्या स्थित मेरे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में मुंगीसपुर, तहसील मिल्कीपुर में गरीब अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य छात्रों की शिक्षा हेतु समाजवादी पार्टी सरकार में कक्षा-3 से लेकर कक्षा-12 तक आश्रम पद्धति विद्यालय हेतु करोड़ों रुपये की लागत से भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। भवन निर्माण हुए लगभग 7 वर्ष से ज्यादा हो गया है, परन्तु वर्तमान सरकार अभी तक विद्यालय का संचालन नहीं कर पाई है। जिससे क्षेत्र में जहां गरीब बच्चों को इस महंगाई में शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, वहीं लोगों में गम्भीर रोष एवं आक्रोश व्याप्त हो चुका है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूँ कि तत्काल आश्रम पद्धति विद्यालय को संचालित कराया जाय।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां को दो लेन मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेदी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे जनपद-गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जखनियां के विकास खण्ड मनिहारी में मनिहारी मोड़ से जखनियां-फद्दोपुर मार्ग पर जखनियां तहसील स्थित है। जनपद-गाजीपुर में तहसील जखनियां अभी तक किसी भी तरफ से दो लेन मार्ग से नहीं जुड़ा है, इसी मार्ग पर तहसील जखनियां, विकास खण्ड कार्यालय जखनियां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जखनियां, रेलवे स्टेशन जखनियां तथा अनेक विद्यालय स्थित हैं। मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई होती है। तहसील जखनियां को दो लेन बनाने हेतु मनिहारी से जखनियां तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का आगणन प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से शासन को प्रेषित है।

इस अति लोक महत्व के प्रश्न पर आगणन को स्वीकृत करने हेतु मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ।]

विद्युत सेवा आयोग से सम्बन्धित सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका के आदेश का पालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[मान्यवर, उ0प्र0 में बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु सरकार द्वारा भर्तियों हेतु विज्ञापन के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं। परन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण मा0 न्यायालयों के आदेश के बावजूद भी उसका पालन न कराया जाना शासन एवं प्रशासन की

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उदासीनता जग जाहिर होती है। विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-4VSA/2014 टी0जी0-2, 2211 पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकालकर प्रकिया की गयी। परन्तु अधिकारियों की मनमर्जी किये जाने पर अभ्यर्थियों द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका सं0-9028/2019, रवि प्रकाश व 86 अन्य पर दिनांक 16-12-2019 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने के बाद भी अभी तक उसका अनुपालन न किये जाने से बेराजगार अभ्यर्थी दर-दर भटक रहे हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का समयबद्ध अनुपालन कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत बांसडीह से पर्बतपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती केतकी सिंह-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-362, बांसडीह, जनपद बलिया के अन्तर्गत बांसडीह से पर्बतपुर मार्ग जर्जर स्थिति में है, जिससे क्षेत्रवासियों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है, आये दिन दुर्घटना होती रहती है और हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है, इस मार्ग का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व एवं जनहित के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर में स्थित घुइसरनाथ धाम में स्थाई पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[मान्यवर, तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड सांगीपुर के अन्तर्गत सई नदी के पवित्र तट पर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार से पर्यटन स्थल का दर्जा प्राप्त प्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थल बाबा घुइसरनाथ धाम स्थित है। उक्त पावन स्थल पर प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर पिछले 28 वर्षों से तीन दिनों तक अनवरत् 'राष्ट्रीय एकता महोत्सव' आयोजित किया जाता है, जिसमें देश एवं विदेश के ख्याति प्राप्त कलाकार अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। यहाँ आयोजित होने वाला कार्यक्रम रात-दिन अनवरत् तीन दिनों तक चलता रहता है। घुइसरनाथ धाम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय एकता महोत्सव में जनपद प्रतापगढ़ सहित समीपवर्ती जनपदों के कई लाख लोग सम्मिलित होते हैं और बाबा घुइसरनाथ धाम में जलाभिषेक करते हैं तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसके साथ ही साथ प्रत्येक मंगलवार एवं सोमवार को जनपद प्रतापगढ़ सहित प्रदेश के अन्य जनपदों से लगभग एक लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन एवं जलाभिषेक करने आते हैं। यही नहीं श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को तथा मलमास के महीने में यहाँ पर 3-4 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि उचित पुलिस बल नहीं रहेगा तो कभी भी भगदड़ की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। चूँकि यह शिव मंदिर है, अतः जलाभिषेक करने वालों एवं दर्शनार्थियों की भारी भीड़ में कभी भी भगदड़ हो सकती है।

पर्यटन स्थल घुइसरनाथ धाम के विकास के लिये केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा कई करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है। कभी-कभी यहाँ पर चोरी की घटनायें हो जाती हैं। अतः हमेशा असुरक्षा बनी रहती है। घुइसरनाथ धाम में पिछले लगभग 25 सालों से अस्थाई रूप से पुलिस चौकी स्थापित है। किन्तु अभी तक यहाँ स्थापित पुलिस चौकी को 'स्थाई पुलिस चौकी' नहीं बनाया गया है। अतः श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों में हमेशा असुरक्षा एवं किसी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। जनहित में सुरक्षा के दृष्टिकोण से घुइसरनाथ धाम स्थित अस्थाई पुलिस चौकी को 'स्थाई पुलिस चौकी' बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये शीघ्र कार्यवाही की मांग करती हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ पट्टी के ग्राम भरोखन में इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह-

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान लोक महत्व एवं गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ पट्टी के ग्राम भरोखन में लाला का पुरवा यादव बस्ती से पटेल बस्ती तक लगभग 500 मीटर इण्टरलॉकिंग/सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने की माँग पिछले कई महीनों से की जा रही है। काफी दिनों से माँग किये जाने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता में शासन/प्रशासन के विरुद्ध रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व व अविलम्बनीय विषय पर सम्पूर्ण प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत ब्लाक कोड़वार के ग्राम ऊँचगाँव में पावर हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 ताहिर खान-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत ब्लाक कोड़वार, ग्राम सभा ऊंचगाँव

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ब्लाक में 33/11 के0वी0ए0 का पावर हाउस बनना आवश्यक है जिससे आम-जनमानस को सुचारी रूप से विद्युत व्यवस्था हो सके। क्षेत्र के वार्ड तक बिजली की सुविधा हो सके।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सदन से उक्त 33/11 के0वी0ए0 का पावर हाउस बनवाये जाने की मांग करता हूँ।]

शिक्षकों तथा राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अति गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ।

शिक्षकों एवं राज्य कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 2005 के बाद हुई है, पुरानी पेंशन व्यवस्था बन्द कर दी गई है। जिस कारण राज्य कर्मचारी एवं शिक्षक आन्दोलन कर रहे हैं, राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल न होने के कारण से राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों में जबरदस्त जन-आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतः लोक महत्व के अत्यधिक गम्भीर विषय पर सदन की कार्रवाई स्थगित कर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में वृक्षारोपण के कार्यक्रम पर व्यय की गई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सचिन यादव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से यह सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा प्रदेश में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विशेष कार्यक्रम चलाकर वर्षवार कुल कितने पौधे रोपित किए गए एवं वर्तमान में उक्त पौधों में कुल कितने पौधे एवं वृक्ष जीवित हैं। सरकार द्वारा जनपदवार इन विशेष कार्यक्रमों में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी।

अतः पर्यावरण सम्बन्धी इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त सूचना को सदन के पटल पर उपलब्ध कराते हुये चर्चा कराये जाने की माँग़ करता हूँ।]

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत स्वीकृत बजट की शेष धनराशि के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 रागिनी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत शासन द्वारा कुल 1,06,00,000/- का बजट स्वीकृत किया गया था, जिसके सापेक्ष 50% धनराशि को अवमुक्त करते हुए कार्य का सत्यापन भी करा लिया गया है। किन्तु कुल स्वीकृत बजट की शेष 50% धनराशि के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

नोट :-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत कुल 06 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी की सुनी जाएगी। बाकी सब अग्राह्य हैं। श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी आप बोलिये।

दो माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्य दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि इस विधान सभा से सम्बन्धित नियम-300 की सूचना को आपने स्वीकार किया है। महोदय, विधान सभा उत्तर प्रदेश जो देश की सबसे बड़ी विधान सभा है, सदन की बैठक आहूत होने पर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र तथा प्रदेश से सम्बन्धित गरीबी, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, आरक्षण विसंगति, महिला अपराध जैसे ज्वलन्तशील मद्दों पर सरकार से जवाब मांगती है। मैं सदन का ध्यान अट्ठारहवीं विधान सभा के वर्ष 2023 के तृतीय सत्र हेतु निर्धारित समय और कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम 28 नवम्बर, 2023 से 01 दिसम्बर, 2023 तक के लिए जारी किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद एक सौ चौहत्तर तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-14 (1) के अन्तर्गत साधारणता प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन तथा आय व्यय अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे। जिसमें यथा सम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जाएगा। यह हमारी जो नयी नियमावली का पहला सत्र है और चूंकि यह नयी नियमावली बनी है और इसका पहला सत्र है, इस सत्र में ही नियमों के विपरीत कम दिवस का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है तथा इस नियमावली के अध्याय दस में अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव नियम-56 के नियम-58 (1) के अन्तर्गत एक ही उपवेशन में दो से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जाएंगे। इस नियम में भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की संख्या कम कर दी गयी है। जिससे प्रदेश में सम्बन्धित ज्वलन्तशील मुद्दों पर सरकार से जवाब नहीं मिल पायेगा। प्रदेश से सम्बन्धित गरीबी, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, आरक्षण विसंगति, महिला अपराध जैसे ज्वलन्तशील मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार से सवाल-जवाब करने हेतु सदन के कार्यक्रम को संशोधित करते हुए इसे दस दिवस हेतु जारी करने हेतु औचित्य पर मैं आपसे व्यवस्था की मांग करता हूँ और आपसे निवेदन है कि इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था देने की कृपा करें। जो नयी नियमावली कृपापूर्वक इस सदन में स्वीकृत हुई है, उस नियमावली में ही दस दिवस की व्यवस्था

की गई है और अगर हम अपनी नयी नियमावली को ही ले करके आगे नहीं चलेंगे और तीन दिन का सदन रखेंगे तो हमें लगता है कि जो नयी नियमावली हम सबने यहां पर रखी है, आपके संरक्षण में बनी है, उसी का कहीं न कहीं अपमान होगा, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी सीनियर मेम्बर हैं, यह इधर भी बैठ चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं और इनके जमाने में हर बार 90 दिन सदन चला है। हम यह पूरी जानकारी सदन को दे दें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, तब नियमावली नहीं थी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियमावली तब भी थी।

श्री अध्यक्ष-

नियमावली पहले भी थी और यही कुछ नियमावली में था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब यह इधर बैठते हैं तब न तो यह संविधान देखते हैं और न ही नियमावली देखते हैं, लेकिन जब उधर बैठते हैं, तो सारी किताबें निकल आती हैं, पता नहीं रद्दी से निकाल लाते हैं या कहाँ से निकाल लाते हैं। 'आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो।' (सदन में हँसी) मान्यवर, यह हमेशा केवल सदन में उपस्थिति दर्ज कराने और नेता विपक्ष को खुश करने के लिये होता है। नेता विपक्ष तो आपसे वैसे ही खुश हैं, दलीय नेताओं की बैठक में अपनी जगह आपको भेज देते हैं। वहाँ भी आपका सम्मान है और यहाँ तो चूँकि आप बार-बार खड़े हो जाते हैं इसलिये आपकी उपस्थिति तो दर्ज हो ही जाती है। यह तो ठीक है, बहुत अच्छा है। मान्यवर, उसमें 'यथासम्भव' भी लिखा है। जैसी आवश्यकता होती है वैसे सदन आहूत किया जाता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

तो आप मानते हैं कि आवश्यकता नहीं है। आप मानते हैं कि शीतकालीन सत्र 10 दिवस का नहीं होना चाहिये। 'यथासम्भव' पर ही हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। नियमावली में अगर 10 दिन का दिया है, तो हम आपकी जानकारी में ला दें कि उत्तर प्रदेश विधान सभा वह विधान सभा है, जो पूरे देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे कम दिन चलने वाली विधान सभा है। अगर आप डाटा निकलवा लें तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम दिन विधान सभा चली है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है और 25 करोड़ की जनसंख्या है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आपकी जानकारी गलत है। बहुत सारे स्टेट्स में विधान सभा इससे कम चलती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है, इनका उद्देश्य पूरा हो गया है। 'यथासम्भव' दिया है, यथासम्भव जैसी आवश्यकता होती है वैसे सदन आहूत किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 मनोज कुमार पाण्डेय जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-300 में नहीं आता है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूँ। अब हम अगली मद लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि कार्य-स्थगन पहले ले लें। बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, पहले लेइंग आइटम हो जायें, उसके बाद कार्य-स्थगन ले लेंगे।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023†

आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवां संशोधन) अध्यादेश, 2023†

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (छठवाँ संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023[†]

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-18 सन् 2023) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2021, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपठित के अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम-169 (2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1074/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-223-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(277)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023[††]

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1074/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-223-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(277)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1075/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-224-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(278)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023[††]

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1075/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0 सी0-224-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(278)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

[†] छापा नहीं गया।

[††] छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1076/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-225-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(279)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1076/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-225-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(279)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1077/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-226-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(280)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1077/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-226-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(280)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1078/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-227-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(281)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1078/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-227-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(281)-2023, दिनांक 26 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1054/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-219-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(282)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1054/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-219-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(282)-

† छापी नहीं गयी।

2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1053/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-218-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(283)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1053/ग्यारह-2-23-9 (47)- 17-टी0सी0-218-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(283)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1055/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-220-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(284)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1055/ग्यारह-2-23-9(47)-17-टी0सी0-220-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(284)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1056/ग्यारह -2-23-9(47)-17-टी0सी0-221-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(285)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1056/ग्यारह -2-23-9(47)-17-टी0सी0-221-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(285)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गयी।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1057/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-222-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(286)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1057/ग्यारह-2-23-9 (47)-17-टी0सी0-222-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(286)-2023, दिनांक 09 अगस्त, 2023 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लिमिटेड की बत्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 एवं तैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020†

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 पुलिस आवास निगम लिमिटेड की बत्तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2018-2019 एवं तैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) की उपधारा (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017††

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायतें लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 (भाग-1, भाग-2 एवं भाग-3) को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सत्रहवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-186 एवं उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) (छठवां संशोधन) नियमावली, 2011 के नियम-176 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन††

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

अधिनियम, 1984 की धारा-8(3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-2023[†]

ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2022-2023 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-28 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का 2014-2015 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा[††]

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ का 2014-2015 का संकलित प्रमाणित आर्थिक चिट्ठा एवं 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुये वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1960 की धारा-30 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 2023[†]

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-10/2023/313/80-1-2023-80/1099-18-2023, दिनांक 16-08-2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (सत्ताइसवां संशोधन) नियमावली, 2023 को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-40 की उपधारा (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हो गया है।

[†] छापी नहीं गयी।

[††] छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 10 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हो गया है

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 09 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 2023 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 11 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2023 की बैठक में पारित होने के पश्चात् राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक

08 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का पाँचवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का छठवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का सातवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 10 अगस्त, 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का आठवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक

10 अगस्त, 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का नवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का दसवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुजा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुजा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 अगस्त 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का बारहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुजा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक

प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का तेरहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुजा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 10 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 11 अगस्त, 2023 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का चौदहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवाँ अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुजा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 09 अगस्त, 2023 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 11 अगस्त, 2023 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 अगस्त, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2023 का उत्तर प्रदेश का सोलहवाँ अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-26 व 27 में कुछ नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कार्य-स्थगन लें लें।

श्री अध्यक्ष-

पहले कार्य-मंत्रणा की सिफारिश ले लें उसके बाद लेते है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 27 नवम्बर, 2023 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 28 नवम्बर, 2023 से दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 28 नवम्बर, 2023 को वर्तमान एवं भूतपूर्व मा0 सदस्यों के निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जाएं।

2-दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण करा लिया जाये।

3-दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 को नियम-103 के अन्तर्गत गत सत्र के चर्चाधीन एवं प्रस्तुतीकरण हेतु ग्राह्य प्रस्ताव ले लिये जायें।

दिनांक 28 नवम्बर, 2023 से दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 तक के उपवेशनों का तिथिवार कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>नवम्बर, 2023</u>

28 मंगलवार निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

29 बुधवार 1-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

2-**<u>12:20 बजे अपराह्न</u>**

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

30 गुरुवार विधायी कार्य।

दिसम्बर, 2023

01 शुक्रवार 1-वित्तीय वर्ष 2023-2024 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मागों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-विधायी कार्य।

3-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मत्ति से स्वीकृत हुआ)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें शलाका के आधार पर सूचनाओं को चयनित किया गया। प्रथम 03 सूचनाओं को ग्राह्यता के आधार पर सुना जायेगा। पहली सूचना श्री अखिलेश यादव एवं अन्य की है। कृपया बोलिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज प्रदेश में डेंगू की बीमारी एक महामारी का रूप लिये हुये है और कोई भी ऐसा जिला और अस्पताल नहीं है जिसमें बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज भर्ती न हों। मैंने इस बात को महसूस किया। डेंगू की बीमारी प्रायः हर साल आती रही है, लेकिन इस बार कोरोना से अधिक मृत्यु डेंगू की बीमारी की वजह से हुई है। प्लेटलेट्स कम होने के कारण विभिन्न अस्पतालों में छह साल, चौदह साल, अट्ठारह साल के बच्चों की जिस तरह से डेंगू के कारण मृत्यु हूई है उस पर रोकथाम लगाने के लिए हमें अस्पतालों में इन्तजाम करने पर विशेष जोर देना चाहिये था। इसके अलावा हमें साफ-सफाई की व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत थी, जिससे मच्छर न पनपने पाते, लेकिन इन सबका कोई इन्तजाम नहीं किया गया, जिसके कारण यह बीमारी भयंकर रूप ले चुकी है। मेडिकल कालेजों में डेंगू पीड़ितों को बेड नहीं मिल पाये, जिससे काफी लोगों की बिना इलाज मृत्यु हो गई। मजबूरी में लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू पीड़ितों को भर्ती कराना पड़ा, जिसमें प्राइवेट हास्पिटल द्वारा अनाप-शनाप धन उगाही करने की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं। उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, इलाहाबाद द्वारा भी घटनाओं का

संज्ञान लिया गया। तात्कालिक घटना के रूप में जनपद मेरठ की एक महिला स्व0 अंजू पत्नी विनोद की उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उचित इलाज न मिल पाने के कारण मृत्यु हो गई।

एक रिपोर्ट के अनुसार 15 मई से लेकर अब तक लगभग 25948 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। इस तरह की स्थिति प्रायः हर जिले में है। मैंने अपने जनपद अम्बेडकनगर में जिलाधिकारी से इस बात पर कई बार चर्चा करने का काम किया है। प्रत्येक दिन हम सभी विधायकों के पास डेंगू मरीजों को भर्ती कराने के लिए फोन आते रहे कि डेंगू पीड़ित उनके परिजन किसी तरह से भर्ती हो जायें और उनकी जान बच जाये। हमारे पास लखनऊ के मेडिकल कालेज में भर्ती कराने के लिए फोन आते रहे, लेकिन हम सभी लोग मजबूर हो गये कि उनकी भर्ती समय से नहीं हो पाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई। मान्यवर, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यह उप मुख्य मंत्री भी हैं, इनको जहां इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता थी और जिले-जिले में बैठक करके उसके लिए इन्तजाम करने की आवश्यकता थी लेकिन यह उस काम को नहीं कर पाये। मान्यवर, यह अपनी सारी ऊर्जा को कि कैसे सत्ता परिवर्तन हो इसमें खर्च करने का काम करते हैं। दूसरे विभागों के ऊपर विशेष ध्यान देने का काम करते हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी इनको पैदल बना दिया है। इनके अनुसार इनका डी0जी0 भी नहीं पाया, इनका डी0जी0एम0ई0 भी नहीं बन पाया, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा है और जिसके कारण इलाज नहीं हो पा रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। निश्चित रूप से इस पर चर्चा कराने की आवश्यकता है। आज यह पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा भयंकर रूप ले चुका है। मान्यवर, आपको भी प्रत्येक दिन टेलीफोन आते होंगे। आपको भी विभिन्न मरीजों को भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ती होगी। मैंने पिछले बजट सत्र में भी इस बात पर चर्चा की थी कि हमारे जो डिप्टी सी0एम0 हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका कार्य है कि वह विभिन्न अस्पतालों की समीक्षा करने का काम करें, लेकिन उसके लिए उनके पास समय नहीं है। इसलिए मान्यवर, आज इस महामारी से कैसे मुकाबला किया जा सके इसके लिए आवश्यक है कि सब लोग बैठें इस पर चर्चा हो और विभिन्न सुझाव आयें जिससे जो डेंगू के मरीज हैं उनकी जान बच सके। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में एक परिवार में 06 साल का एक लड़का था उसकी सुबह नौ बजे मृत्यु हो गयी, दूसरा जो लड़का 14 वर्ष का था उसकी मृत्यु हो गयी। तो मेरी मांग है कि मा0 मुख्य मंत्री जी सदन में बैठे हुये हैं यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, राजनीति से ऊपर विषय है। मैं चाहूंगा कि जो डेंगू से मृतक हुये हैं उनके परिवार को भी कम से कम 10-10 लाख का मुआवजा अवश्य दिया जाये। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मान्यवर, एक तो जो प्राइवेट अस्पताल में बहुत से डेंगू के मरीज जाते हैं उनमें जो डेंगू के मरीज हैं उनके इलाज पर जो खर्च आता है उसको भी सरकार वहन करने का काम करे, क्योंकि वह सरकारी अस्पताल में स्थान नहीं मिल पाने के कारण ही प्राइवेट अस्पताल में जाता

है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस पर विस्तृत चर्चा स्वीकार कर लें तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा। इसलिए मैं अपने विषय पर जोर देता हूँ। धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य श्री लालजी वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। यह महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, क्योंकि सामान्य बीमारियों का इलाज भी अस्पतालों में नहीं है। जिस तरह की सूचनायें हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें अखबारों में देखने को मिलती हैं, तो बड़ा दुख होता है कि जो सरकार यह दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थायें पहले से बेहतर हो गयी हैं और केवल लखनऊ ही नहीं, दिल्ली और बड़े-बड़े महानगरों में भी यह बड़े-बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि हमने इतने मेडिकल कालेज बना दिये हैं। लेकिन अगर सरकार डेंगू जैसी बीमारी का इलाज न करा पा रही हो और वह सरकार वन ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रही है। डेंगू सामान्य बीमारी है या इसका इलाज नहीं है यह तो सरकार बतायेगी। लेकिन जो सूचनायें आयी हैं क्या दुख नहीं होता है कि आपकी पार्टी के नेता पूर्व सांसद उनके बेटे का अस्पताल में एडमीशन ही नहीं हुआ। वह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गये और उनका बेटा स्ट्रेचर पर पड़ा रहा। उसकी जान चली गयी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया। सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या मा0 सदस्यों की समिति नहीं बन सकती थी। जो सदन में मा0 सदस्य बैठे हैं क्या इनकी समिति नहीं बन सकती थी। यही नहीं आप एम्बुलेंस का इंतजार करिये। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं आपके पास एम्बुलेंस नहीं आयेगी। कहीं एम्बुलेंस में जान चली जाये और अगर अस्पताल पहुंच गये तो स्ट्रेचर नहीं है। लोग अपने कंधों में गोदी में रखकर या परिवार के दो सदस्य लेकर जा रहे हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, यह स्थिति है और जब डेंगू पीक पर था तो उस समय राजधानी के अस्पतालों में एक बेड पर दो-दो मरीज भर्ती थे और अगर राजधानी में यह स्थिति है, तो फिर प्रदेश की अन्य जगहों पर क्या स्थिति होगी, मरीज कहां जाए और कहां घूमे। सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो फिर सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला और अगर मरीज सरकारी अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल में चला गया तो उनसे अनाप-शनाप पैसे लेना, कोड में दवा दे देना, मरीज के लाखों रुपये खर्च करा देना और उसके बाद भी मरीज की जान नही बच रही है और यह केवल एक जगह की सूचना नहीं है। पूरे प्रदेश के मा0 सदस्य सदन में बैठे हैं उनके पास उनके क्षेत्र की सूचियां उपलब्ध हैं कि किन लोगों की डेंगू की वजह से जान गयी है। अभी मा0 सदस्य ने ठीक कहा है कि जिसकी जान लापरवाही की वजह से गयी है या मरीज अस्पताल पहुंच गया और उसको इलाज नहीं मिला। कम से कम सरकार आगे आकर उनके परिवार की मदद करे, सरकार उनके परिवार को 10 लाख रुपये दे। अगर कोई बात कह दी जाती है तो आपको बहुत चिन्ता हो जाती है। आप इतने वर्षों से मंत्री हैं और आपने

एक भी अस्पताल नहीं छोड़ा है जहां पर आप गये न हों, हर जगह छापा मारेंगे। मुझे याद है मैंने पिछले सदन में भी कहा था और जिस जगह की सूचना दे दी कि सी0एच0सी0 की यह स्थिति है तो दो घण्टे में सफाई करा दी। हमारी सूचना देने की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप छापा मारकर क्या कर रहे हैं, किस अस्पताल में पर्याप्त इलाज मिल रहा है ? राजधानी एवं महानगरों में सबसे ज्यादा लोग इलाज कराने आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था छोटे जिलों में खत्म हो चुकी है। आप पी0जी0आई0 ले लीजिए, लोहिया इन्स्टीट्यूट ले लीजिए, बलरामपुर अस्पताल ले लीजिए, सिविल अस्पताल ले लीजिए और इसके साथ-साथ जो प्राइवेट संस्थान हैं, जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, तो मजबूरी में गरीब व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए जा रहा है और प्राइवेट अस्पताल में गरीब व्यक्ति के साथ लूट हो रही है, स्वास्थ्य विभाग की नाकामी की वजह से कभी गरीबों की स्थिति ऐसी नहीं हुई है, जो इस सरकार में हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात पूरी हो गयी, आपका विषय आ गया है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, ऐसा कोई अस्पताल नहीं बचा है जहां पर जानें न गयी हों। मैं जानता हूँ कि जब स्वास्थ्य मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे। आपने अभी दिखा दिया है कि मा0 ऊर्जा मंत्री जी से सवाल था, लेकिन आप स्वास्थ्य के बारे में न बोलकर बिजली के बारे में बोल रहे थे। यह लम्बी सूची है और मैं मा0 सदस्यों से कहूँगा कि वह अपनी-अपनी सूची मुझे उपलब्ध करा दें, जिसे हम आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचा दें, जिन लोगों की जान गयी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, मा0 मंत्री जी बताएं, हालांकि डेंगू से सम्बन्धित सवाल है। एम्बुलेंस समय से क्यों नहीं पहुँच रही है, अगर मरीज अस्पताल में पहुँच जाता है, तो उसे स्ट्रेचर भी नहीं मिल रहा है, मरीज किसी भी तरीके से भर्ती हो जाए तो उसको बिस्तर नहीं मिल रहा है, एक ही बेड पर दो लोगों को इलाज कराना पड़ रहा है। आखिर यह जिम्मेदारी किसकी थी ? इतनी जानों के जाने की जिम्मेदारी किसकी है ? कम से कम सरकार यह बताए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होंगी या नहीं होंगी ? मेडिकल कालेज ठप हैं, आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि मेडिकल कालेज में यह हो रहा है, लेकिन पर्याप्त मानक के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वह कहीं पर नहीं हैं, आपकी मशीनें खराब हैं, जिनपर डॉक्टरों को इलाज करना पड़ रहा है, पता नहीं जांचें कौन सी हो रही हैं। अगर प्राइवेट अस्पताल में चले गये, नर्सिंग होम में चले गये तो वहां पर कोड से दवा दी जा रही है, वह कोड क्या है ? अगर मा0 मंत्री जी चाहेंगे तो वह कोड भी दे देंगे। कम से कम जहां से सबसे ज्यादा सूचनाएं आई हैं कि यहां पर सबसे ज्यादा जानें गयी हैं उसके लिए मा0 सदस्यों की कमेटी बने और वह जाकर देखे कि इतनी ज्यादा मौतों का कारण क्या था और मरने वालों की सरकार मदद करेगी या नहीं करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

चूंकि आपका नाम है, अगर आपका विषय न आया हो, तो आप उसके ऊपर बोल लीजिए।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा अलग विषय है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य जी अलग से कुछ नहीं लिया गया है। अगर मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं वर्मा जी ने आपका विषय न रखा हो, तो केवल आप बोल सकते हैं।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरा एक क्षेत्र है उससे सम्बन्धित कोई समस्या मेरे पास आती है..

श्री अध्यक्ष-

कोई समस्या है, तो आप अलग नियम में उठाइए, नियम-56 में सिर्फ डेंगू पर बात करिए।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, डेंगू से बीमार कोई व्यक्ति है और उसकी सूचना हमने डी0एम0 साहब को दी, जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला तो वह व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में पहुंचा। मैं वहां पर खुद पहुंचा, मा0 उप मुख्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया, बाकायदा उस पर ट्वीट किया, तीन सदस्यीय कमेटी भी बना दी, उस कमेटी को डी0एम0 साहब ने भेजा, मैं डी0एम0 और सी0एम0ओ0 साहब को बताकर पहुंचा, मौके पर थाने की पुलिस भी थी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि कौन सी आप दवाई दे रहे हैं। जब महंगी दवाई अस्पताल में मिल रही है, तो ये दवाएं वह व्यक्ति बाहर से भी ले सकता है, अस्पताल में ही लैब खोल रखी है, अस्पताल में मेडिकल स्टोर खोल रखा है। आप किसी भी ड्रग्स इन्स्पेक्टर से जांच करा लीजिए..

श्री अध्यक्ष-

किसी प्राइवेट हास्पिटल के बारे में आप लिखकर दे दीजिए तो मा0 मंत्री जी जांच करा लेंगे, ऐसे पूरे प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों के लिए कहना पॉसिबल नहीं है।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मुकदमे की बात आप अलग विषय में उठाइए, मुकदमे से इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री अतुल प्रधान-

उसमें डी0एम0 और एस0एस0पी0 साहब ने क्लीन चिट लगा दी...

श्री अध्यक्ष-

यह बात आप अलग विषय में उठाइएगा, मा0 उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, वे अब जवाब देंगे।

श्री अतुल प्रधान-

माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप इसकी जांच करा लीजिए, अगर मैं इसमें कहीं भी दोषी हूँ, तो जो सजा चाहें वह मुझे दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप इस विषय को लिखकर दे दीजिए, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को भेज दूंगा।

(सदस्य श्री अतुल प्रधान के लगातार बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपका अधिकार है, आप लिखकर दे दीजिए, मैं तो आपसे कह ही रहा हूं, मैं आपको कब मना कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स का यहां पर संज्ञान नहीं ले सकता हूँ।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैं जिस स्थिति से गुजर रहा हूं, वहां की स्थिति यह है कि 322 हॉस्पिटल हैं, आप उनके मानक चेक करा लीजिए, कोई सुविधा नहीं है, कोई आर0एम0ओ0 नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या है क्या नहीं है, उसकी सूची नहीं होगी। यदि आप लिखकर देंगे तो उसकी जानकारी कराएंगे।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि यदि मा0 सदस्य किसी बात को उठा रहे हैं, तो सरकार और वहां के अधिकारी एवं नर्सिंग होम के साथ मिलकर जो न्याय मिलना चाहिए, वह मरीज को दिलाना चाहिए, क्योंकि जो इलाज मिलना चाहिए वह दे नहीं रहे हैं। अगर कोई आवाज भी उठा रहा है, तो उस पर मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। यह कहां का न्याय है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, मैंने यह निवेदन किया है कि आपके द्वारा एवं मा0 लालजी वर्मा जी द्वारा पूरा विषय आ गया है, अब कोई व्यक्तिगत विषय है, तो उस पर मैंने यह कहा कि आप लिखकर दे दीजिए, मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के पास भेजकर उसे दिखवा लूंगा। मैंने उसे डिनाय नहीं किया है या तो नियम-56 के अन्तर्गत एक ही इन्डीविजुअल विषय लेते। नियम-56 के बारे में मैं आगे बताऊंगा।

(सदस्य श्री अतुल प्रधान के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपसे कह दिया है कि आप लिखकर दे दीजिए, आप ऐसे करेंगे तो मैं अपनी रूलिंग वापस ले लूंगा।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मुझे एक बात कहनी है, जो नहीं आ पाई है।

श्री अध्यक्ष-

आपका नाम अलग से था, इसकी सूचना थी, इसलिए आपको एलाउड है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, डेंगू से जितनी मौतें हुई हैं, उतनी मौतें कोरोना काल में भी नहीं हुई थीं, उससे अधिक मौतें हुई हैं। कोई दवा, कोई जांच, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं थी। सबसे मुख्य बात मुझे यह कहनी है कि सी0एम0ओ0 और सी0एम0एस0 की मर्जी के बिना दवाओं की खरीद हो रही है। बिना उसकी डिमाण्ड के दवाएं आ रही हैं। मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन अपनी मनमानी से दवाएं खरीदने का काम करता है, जिसकी प्रदेश के किसी भी जिले के सी0एम0ओ0 और सी0एम0एस0 से डिमाण्ड नहीं आती है..

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिए, हम उसको भेज देंगे। बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कही जा सकती है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, उसमें बहुत बड़ा घपला हो रहा है। डेंगू के इलाज की व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बहुत अच्छे तरीके से वह बात कह दी है। आप बैठिए, मा0 मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हो गये हैं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मा0 अध्यक्ष जी, प्लेटलेट्स के अभाव में बहुत से लोगों की मौत हो गयी। प्लेटलेट्स की हम लोग मांग करते रहे, लेकिन प्लेटलेट्स नहीं मिली और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए, मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी प्लेटलेट्स का संज्ञान ले लेंगे।

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मा0 अध्यक्ष जी, डेंगू एक गम्भीर बीमारी है, स्वास्थ्य महकमा अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बीमारी की हालत में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। मा0 नेता प्रतिपक्ष ने जो सब्जेक्ट उठाया है, पूरा प्रदेश देख रहा है, लाइव प्रसारण चल रहा है। वर्ष 2017 से पहले अस्पतालों की क्या हालत थी और आज क्या हालत है, उसका तुलनात्मक अध्ययन आप सबको करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने डेंगू के विषय को उठाया है। 2017 से पहले संचारी रोग अभियान के बारे में उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने कदम नहीं उठाया था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 2017 के बाद हमारी सरकार ने प्रदेश में वर्ष में 03 बार संचारी रोग अभियान चलाया है। हमने 13 विभागों का समन्वय स्थापित किया है, जिसमें पंचायती राज, नगर विकास जैसे विभाग हैं।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

माननीय अध्यक्ष जी, इनको तो संचारी रोग अभियान के बारे में ही पता नहीं है। दिक्कत क्या है, हमारे जो समाजवादी पार्टी के साथी हैं, उनको क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, उनके डी0एन0ए0 में हल्ला मचाना है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम बनाया है और मैंने नियम में पढ़ा है कि सदन में कोई भी सदस्य पर्चा, पोस्टर, बैनर लेकर नहीं आयेगा, लेकिन कोई सज्जन अपने कुर्ते पर ही उसको छपवा करके चले आए।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का लगातार प्रयास करते रहने पर)

माननीय अध्यक्ष जी, आप देखिए, वह खड़े हो गए, यह अराजकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने 13 विभागों के समन्वय के साथ, जो मच्छर जनित रोग है, उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आपको पता होगा, माननीय मुख्य मंत्री जी के गृह जनपद में आपकी सरकार के समय इन्सेफेलाइटिस को ले करके हजारों बच्चे काल-कल्वित होते थे और संचारी रोग अभियान को चलाने के बाद आज हम उसको शत-प्रतिशत कन्ट्रोल करने में सक्षम हुए। डेंगू का जहाँ तक सवाल है, मैं आपको बता दूँ, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने टेस्टिंग बढ़ायी है, एन्टीजन टेस्ट बढ़ाये हैं, जैसे ही बुखार की शिकायत मिलती है, एन्टीजन टेस्ट कराते हैं। हमने प्रत्येक जनपद में एलाइजा मशीन दी है। क्या आज के पहले एलाइजा मशीन नहीं थी, आप लोग कहाँ सो रहे थे ? एलाइजा मशीन हमारे प्रत्येक जनपद में है, जिससे डेंगू मरीज के प्लेटलेट्स की जानकारी होती है। हमने जाँच का दायरा बढ़ाया है, हम प्रतिदिन लाखों जाँच कर रहे हैं और डेंगू के मरीज को चिन्हित करके उसको उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। मान्यवर, इनकी पीड़ा दूसरी है, विपक्ष की पीड़ा बुखार नहीं है, विपक्ष की पीड़ा गरीब जनता

नहीं है, विपक्ष की पीड़ा है- 'हाय हुसेन हम न हुए' (हँसी)। हम लोग गाँव में रहते थे, वहाँ लोग छाती ठोंक-ठोंक कर कहते थे, 'हाय हुसेन हम न हुए', पीड़ा इनकी यह है कि यह विपक्ष में बैठना नहीं जानते, राजकुमार हैं, इनको होश ही नहीं है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपने कोई बात कही है तो उसका उत्तर भी सुन लीजिए।

(सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय और श्री अतुल प्रधान के अखबार की कटिंग दिखाने पर)

मनोज पाण्डेय जी, सदन में अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता। अखबारों का प्रदर्शन नहीं होगा, यह आपको मालूम है, आप बैठिए। विपक्ष द्वारा आलोचनात्मक ढंग से कोई बात कही गयी है, तो उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार रहिए। मनोज पाण्डेय जी, यह जो आप दिखा रहे हैं, आपको इसलिए कह रहा हूँ, शायद बाकी लोगों को नहीं मालूम होगा, अखबारों को विधान सभा में नहीं दिखाया जाता, यह आपको पता है, आगे से यह न हो।

(श्री लालजी वर्मा के कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

नहीं, वर्मा जी, आपकी पूरी बात आ गयी है, जब आप बोल रहे थे, तब बीच में कोई नहीं बोला। मंत्री जी की बात खत्म होने के बाद आप बोलेंगे।

श्री ब्रजेश पाठक-

मान्यवर, हमने इस डिजीज का सर्विलांस टोटल कराया है, हम प्रत्येक केस की निगरानी करते हैं, उसमें दर्ज करते हैं। पोर्टल के माध्यम से हम एक-एक मरीज का ब्यौरा उपलब्ध कराते हैं कि कौन-कौन मरीज डेंगू पॉजिटिव हुआ। इससे पहले प्रदेश में ऐसा कभी नहीं था। मान्यवर, इसके साथ ही साथ हमने सरकारी अस्पतालों के साथ ही प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले ब्लड सपरेशन यूनिट केवल बड़े जनपदों में होती थी, हमने 54 ब्लड सपरेशन यूनिट लगभग सभी जनपदों में उपलब्ध कराने का काम किया है।

मान्यवर, पहले डायलिसिस केवल बड़े जनपदों में होती थी, आज हम 75-75 जनपदों में डायलिसिस के दस-दस बेड चलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम प्रतिदिन तीन-चार अस्पतालों का स्वयं निरीक्षण करते हैं। मैं प्रतिपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इनके स्वास्थ्य मंत्री यह बताएं कि पूरे पांच वर्ष में पांच अस्पतालों में स्वयं निरीक्षण करने गए हैं, यह लोग केवल गुमराह करके गुण्डई और अराजकता के नाम पर लाठी और बन्दूक के बल पर शासन चलाते थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित है। यह लोग बड़े-बड़े अस्पतालों में जा करके चिकित्सकों से समाजवादी पार्टी के लोग चौथ वसूलने का

काम करते थे और यह लोग आज भी यही काम करना चाहते हैं, लेकिन हम यह गलत काम इनको बिल्कुल नहीं करने देंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, बहुत ही सेंस्टिव बात है कि डेंगू को ले करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। व्यापार के बारे में बात न करें, अगर आपके सरकारी अस्पताल इलाज नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब है कि आप व्यापार करा रहे हैं, गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। अगर सरकार यह कहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ज्यादा हुआ या फिर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज ज्यादा हुआ और डेंगू को ले करके गरीबों के लाखों रुपए खर्च हुए हैं, सवाल केवल डेंगू का है क्या लाख रुपए खर्च करने के बाद भी गरीबों का इलाज नहीं हो पाया, यह लोग जान नहीं बचा पाए क्या यह परिस्थितियां नहीं हैं क्या ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मान्यवर, जैसा प्रश्न होगा, वैसा ही उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है, पूरा उत्तर सुनेंगे तो सम्भवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। मा0 सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अन्तर्विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए आपने केवल डेंगू की बात की है। जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो उसमें केवल डेंगू नहीं आता है, वर्मा जी आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं उसमें मलेरिया भी है, चिकनगुनिया भी है, कालाजार भी है इन सभी से सम्बन्धित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वॉटर बॉर्न जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया और उस समन्वित प्रयास में ही हम लोग संचारी रोग नियंत्रण के विशेष अभियान वर्ष में तीन बार चलाते हैं, यह कार्यक्रम वर्ष में तीन बार चलता है जिसमें पहले 15 दिन संचारी रोग के लिए अवेयरनेस के साथ-साथ अन्तर्विभागीय समन्वय से, स्वास्थ्य विभाग इसका नोडल विभाग होने के नाते सभी अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। इसके बाद डोर टू डोर मतलब दस्तक अभियान के माध्यम से कहीं भी कोई व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित है, उस व्यक्ति को नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार की सुविधा दिलाने की व्यवस्था है। स्वाभाविक रूप से प्रदेश में अलग-अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आप देखें तो हमारे ईस्टर्न यू0पी0 से चल करके, नेपाल की तराई से ले करके सहारनपुर तक का पूरा क्षेत्र इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित था। अगर आप बरेली, बदायूँ और उसके आस-पास के क्षेत्र को देखेंगे तो यह क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था। वाराणसी

से ले करके प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद और आगरा तक पहुँचेंगे तो यह पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। ऐसे ही बुन्देलखण्ड का पूरा क्षेत्र चिकनगुनिया से प्रभावित है।

बिहार से सटी हुई जो हमारी सीमाएँ हैं, वहाँ पर कालाजार नामक बीमारी ज्यादा प्रभावी रूप से देखने को मिलती थी और इसमें जो सरकार के द्वारा समन्वित प्रयास किया गया है, उससे आपने तो इसमें केवल डेंगू की चर्चा की है, तो आज डेंगू की बीमारी पूरी तरह से नियंत्रण में है और यह प्रभावी नियंत्रण सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदमों का ही परिणाम है। यह एक प्रकार का फ्लू हो गया है, यह एक फ्लू है, यह आता है और इसकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो मा0 सदस्य यहाँ पर प्रश्न उठा रहे थे, जो बहुत सीनियर सदस्य हैं, वे जब चिल्ला रहे थे, तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिन्ता हो रही थी, मा0 सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा जी की। इसमें आपने जो बात कही है तो वह ब्लड ड्रिप नहीं होता, उसे प्लेटलेट्स कहते हैं और वह हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में आज के दिन पर उपलब्ध है। इसमें एक ब्लड सेपरेटर यूनिट होती है, पहले यह होता था कि हम रोगी को होल ब्लड चढ़ाते थे, लेकिन चूँकि हर एक पेशेण्ट को होल ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए विशेषकर जो वायरस जनित बीमारियाँ होती हैं, जिसमें डेंगू समेत ऐसे कई वायरस हैं, जो प्लेटलेट्स काउण्ट को कम करते हैं। उन परिस्थितियों में प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए रोगी को बाहर से प्लेटलेट्स चढ़ानी पड़ती है, जिसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है, उन्होंने वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसमें सरकार के स्तर पर हर जगह पर बेहतर प्रयास हुआ है, और जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहा जाना कि आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहा है, तो ज़रा इसको याद रखना कि यह डबल इंजन की सरकार है, यह केवल बोलती ही नहीं, अपितु करके भी दिखाती है।

प्रदेश के अन्दर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्य मंत्री जन-आरोग्य योजना के अन्तर्गत पाँच लाख रुपये सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी यह सरकार उपलब्ध करा रही है और इस योजना में हर इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में बेहतर इलाज हो रहा है। इसमें सरकारी अस्पतालों में तो सारी सुविधाएँ फ्री में हैं, लेकिन यदि व्यक्ति किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ पर भी उसे सारी सुविधाएँ मिल रही है। यह पूरा सदन इस बात का गवाह है कि हर मा0 सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से ही 25 लाख रुपये सालाना देने का अधिकार दिया गया है और यही नहीं, मुख्य मंत्री राहत कोष से हम लोग चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति जो आवेदन करता है, वह किसी भी रोग से पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो, आज अस्पतालों में उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता। अगर व्यक्ति हमारे राज्य का नागरिक है, तो उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहाँ कहीं अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, तो उस सुविधा के लिए अब मुख्य मंत्री राहत कोष

से पैसा देने में कोई कोताही नहीं की जाती। तमाम मा0 सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं और हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि जब उनके प्रस्ताव हमारे पास आते हैं, तो बिना किसी भेद-भाव के हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। इसमें आयुष्मान भारत एवं मुख्य मंत्री जन-आरोग्य योजना भी है। हम मा0 प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना दी जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना उपचार अच्छे कॉरपोरेट हॉस्पिटल में भी करा सकता है। देश में भी करा सकता है और साथ ही दुनिया में कहीं भी करा सकता है और हर वर्ष की सुविधा उसको मिली है। मुख्य मंत्री जन-आरोग्य योजना की सुविधा भी उसे दी गई है। इसके अलावा मा0 विधायकों को भी 25 लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है और इसके साथ ही मुख्य मंत्री राहत कोष भी उसके लिए उपलब्ध है। इसलिए समस्या केवल इस बात की नहीं है कि हम समस्या के समाधान की ओर जाएं। समस्या केवल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करने और लोगों में असन्तोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है। वह तो कोरोना कालखण्ड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग अन्य लोगों को बहका रहे थे कि वैक्सीन मत लगाना यह मोदी वैक्सीन है और लोगों को गुमराह कर रहे थे, परिणाम क्या है मोदी जी के शासनकाल में और उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीनें हैं। दुनिया के अन्दर तमाम देशों में जब कोरोना महामारी के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में कोरोना कन्ट्रोल है और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रण में है कहीं कोई समस्या नहीं है। सरकार आपके द्वारा उठाये गए मुद्दों पर पूरी तरह सतर्क है और अब तो इसके मामले वैसे भी समाप्ति की ओर हैं। बरसात के समय जल जमाव वाले क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं और यह केवल डेंगू के मामले नहीं होते हैं, इन्सेफेलाइटिस के भी मामले होते हैं, मलेरिया भी होता है, कालाजार भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, तो आपकी जानकारी के लिए हो सकता है कि काफी दिन हो गए हैं मंत्री पद से हटे हुए, आप भूल गए होंगे आपके संज्ञान में लाने के लिए हमने दिया था। इधर रहते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपाप मिल भी जाता, लेकिन वहाँ रहकर अब वह कभी नहीं मिलना है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 नेता प्रतिपक्ष को सुना, मा0 लालजी वर्मा जी को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसको अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना ली जाए।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 नेता सदन की बात मैंने सुनी और मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि वह एम0बी0बी0एस0 डिग्री हासिल किए हुए हैं, डॉक्टर लगे। वेक्टरबार्न डिजीजेज् के

बारे में उन्होंने चर्चा की। मैं केवल दो घटनाएँ राजधानी लखनऊ के बारे में बताना चाहता हूँ। इनकी सरकार की नाकामी और इनके हॉस्पिटल्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स का इन्तजाम के बारे में।

श्री अध्यक्ष-

वह आप बता चुके हैं। आप उसको बोल चुके हैं।

श्री अखिलेश यादव-

एक पूर्व सांसद वह भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह हमारे दल के भी नहीं हैं। पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह अपने बेटे को ले करके आते हैं और उनके बेटे के बारे में यह जानकारी मिलती है कि इसका इलाज यदि जल्दी नहीं हुआ तो जान नहीं बचेगी। वह एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भागे और बेटे को इलाज के लिए वह एडमिट नहीं करा पाए और उनके बच्चे की जान चली गई। इसका जवाब क्या है डबल इंजन की सरकार के पास। दूसरी बात पी0जी0आई0 से लोहिया संस्थान, के0जी0एम0यू0 9 घण्टे एम्बुलेंस में बच्चा बना रहा और उसके बाद भी उसकी जान नहीं बची, यह है आपकी डबल इंजन की सरकार।

श्री अध्यक्ष-

इसकी जानकारी है सरकार को और आप इसको बोल भी चुके हैं। सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव-

यह सरकारी संस्थाओं को इसलिए मजबूत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह प्राइवेट संस्थाओं को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थाओं में गरीब का इलाज नहीं होता है। इतने दावे यह सरकार कर रही है यह सरकार बताए यदि इसने एक भी जिला अस्पताल बनवाया हो, जहाँ पर गरीब का इलाज हो रहा है। एक भी जिला अस्पताल जहाँ गरीब को पर्याप्त उपचार मिल जा रहा हो, जिसे इस सरकार ने बनाया है तो वह हमें बतायें अभी।

श्री अध्यक्ष-

जिला अस्पताल हर जिले में एक ही होता है। अब अगली सूचना मा0 मनोज कुमार पाण्डेय, श्री पंकज मलिक और श्री ओम प्रकाश जी की प्रदेश में क्रय केन्द्रों में अनियमितता के सम्बन्ध में है। इसमें पंकज कुमार मलिक जी बोलेंगे। (नाम पुकारे जाने पर सदन में उपस्थित नहीं थे।) श्री ओम प्रकाश जी, आप बोलेंगे।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, वह हमारे बाद बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आपके बाद क्यों बोलेंगे आपके पहले क्यों नहीं बोलेंगे। उनको बुलवाये।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रदेश के अन्नदाताओं से जुड़ा एक सवाल है और प्रदेश के जो धान के क्रय केन्द्र है उसके सम्बन्ध में हमने यह नियम-56 में दिया है। आप और हम सभी जानते हैं कि प्रदेश में किसान यूँ ही एक बड़े संकट से गुजर रहा है। बुवाई का समय आएगा तो खाद, बीज की समस्या, सिंचाई का समय आएगा तो नहरों में पानी की समस्या और जब फसल तैयार हो जाएगी तो सांड़ों की समस्या और यह केवल मजाक की बात नहीं है कि साँड़ पूरे के पूरे खेत को खत्म कर दे रहे हैं। इससे पहले भी सरकार से आग्रह किया गया था कि साँड़ों के द्वारा जो खेतों के नुकसान हो रहे हैं, उसका सरकार सर्वे कराये और उसका मुआवजा दे, लेकिन आज तक न कोई सर्वे कराया गया और न मुआवजा दिया गया। जहां तक क्रय केन्द्र का सवाल है, उसमें कय केन्द्रों की स्थिति आज यह है कि वह किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम इस सदन में और माननीय विभागीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं और उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, वह रिकार्ड लेकर आये होंगे कि प्रदेश में आज तमाम ऐसे क्रय केन्द्र हैं, जो 3 दिन पहले या 4 दिन पहले खुले हैं। तमाम कय केन्द्र ऐसे हैं, जहां पर धान की खरीद 10 प्रतिशत से भी कम हुई है। अब सवाल है कि जो धान की खरीद हो रही है, उसमें बिचौलिये आते हैं। तमाम मिलों पर सीधे धान उतरवा लिया जा रहा है। बात केवल पक्ष और विपक्ष या विरोध करने की नहीं है, जो उधर भी सदस्य बैठे हैं, वह भी इस बात को जानते हैं कि तमाम राइस मिलों पर सीधे राइस मिलर धान उतरवा ले रहे हैं और उसका रिकार्ड धान क्रय केन्द्र में चढ़ जा रहा है। 20 कुंतल, 30 कुंतल, 40 कुन्तल लघु सीमान्त जो कृषक है, आज भी उसका धान कहीं नहीं लिया जा रहा है।

एक स्पेसिफिक घटना मैं नियम-56 में आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ। जनपद बाराबंकी के सूरतगंज के बाड़े गाँव का एक किसान दीपक, निवासी मौसड्डा, 20 कुन्तल धान लेकर क्रय केन्द्र पर पहुँचा। 2 दिन तक अपने ताँगे पर 20 कुन्तल धान वह लिये रहा, परन्तु उसका धान खरीदा नहीं गया। अन्ततः वह विवश किसान बाहर निकलकर उस धान को 1650 रुपये में व्यापारी के हाथ बेचा। जिस धान को पैदा करने में लगभग 14 सौ रुपये कुंतल का व्यय आया हो, उसे 16 सौ रुपये में बेचना पड़ा, तो निश्चित रूप से यह किसान का कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिस अन्नदाता की हम बात करते हैं कि अन्नदाता की हम कहीं न कहीं उपमा देते हैं 'जय जवान जय किसान' तो अगर किसान को अपने उत्पादन का मूल्य नहीं मिलेगा तो वह कहाँ खड़ा होगा ? आपके माध्यम से मैं यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश में 25 का लक्ष्य लिया गया था तो अगर हम 25 नवम्बर, 2023 तक उसकी खरीद देखें तो वह केवल 16 प्रतिशत है। यह कहीं न कहीं चिंताजनक है। पिछली बार भी यह मांग की गयी थी और किसान यूनियन भी 6 दिन से लगातार धरने पर बैठी हुई है। उसने भी यह निवेदन किया था कि जो क्रय केन्द्र हैं, इन पर सी0सी0 कैमरे लगाये जायें। सी0सी0 कैमरा लगाने से कम से कम इस चीज की जानकारी सरकार को भी हो जायेगी और जनता को भी

हो जायेगी कि वास्तविक रूप से किनका धान क्रय केन्द्र पर आया। इसलिए मान्यवर, किसान के इस अहम मुद्दे पर आपसे निवेदन है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मैं मांग करता हूँ। इस विषय पर मा0 ओम प्रकाश जी भी अपनी बात रखेंगे।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मनोज जी ने धान से रिलेटेड विषय को रखा। नेता सदन यहां बैठे हैं। नेता सदन ने कुछ मजाक में ही लॉलीपॉप की बात कही हो कि इधर होते तो लॉलीपॉप मिल जाता। नेता सदन, इसमें दो राय नहीं है, सचमुच आपने जिनको स्वास्थ्य विभाग दिया है, उनको लॉलीपॉप ही दिया है। वह सुन्दर गाय है, न दूध देगा, न बाछा देंगे। मंत्रि-मण्डल का एक स्वरूप होता है। मेरा बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है। यहां धान बहुत अधिक पैदा होता है। नहरों की सुविधा भी बहुत है। मैं किसान का बेटा हूँ। मेरा बेटा भले ही मंत्री और विधायक का हो, परन्तु मैं सच्चा-सच्चा किसान का बेटा हूँ। इस पर बहस नहीं है। किसान का दर्द, किसान की पीड़ा और किसान की वेदना हम लोगों ने अपनी नंगी आँखों से देखा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, जो धान क्रय हो रहा है, बड़ी संख्या में बेशक किसानों की आमदनी दोगुनी हो, आपकी भी इच्छा है, परन्तु आपका किसान से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, किसान का रिश्ता तो हम लोगों से है। नहर का पानी आपने माफ नहीं किया है।

(सदन में कुछ सदस्यों के टोका-टाकी करने पर व्यवधान)

सुनने की आदत डालिये, बर्दाश्त करिये न थोड़ा-सा। आपको जो बोलना होगा, वह बोल दीजियेगा, मैं जवाब दे दूँगा।

श्री अध्यक्ष-

कृपया इधर कोई नहीं बोलेगा।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है कि जो धान क्रय हो रहा है, चूंकि बहुत अच्छा है कि नेता सदन यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप एक सर्वे करा लीजिये कि धान की पैदावार कहां-कहां विशेष है और वहां पर जो विशेष है, उनके लिए विशेष व्यवस्था दी जाये।

यह आज की व्यवस्था नहीं है। जहां जिसकी आवश्यकता है वहां पर विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। मेरे इलाके में मैंने बहुत निवेदन किया। आपके अधिकारी ने जरूर 2 लाख टन बढ़ा दिया। मैंने कहा कि मेरी तरफ धान की खरीददारी बहुत है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जरा सर्वे करा लीजिये, आबादी के 60 परसेंट लोगों के पास एक एकड़ और एक एकड़ से कम जमीन है, 28 परसेंट लोगों के पास 3 एकड़ और 3 एकड़ से कम जमीन है मात्र 12 परसेंट लोगों के पास सीलिंग एक्ट के तहत जमीन है। माननीय अध्यक्ष जी, खेती कौन कर रहा है ?

खेती वह कर रहा है जो अभाव में है या तो अनपढ़ है। बहुत कम सम्पन्न और पढ़े-लिखे लोग खेती कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का धर्म, कर्म और फर्ज बनता है कि संख्या बढ़ायी जाय। पश्चिम और पूरब में अन्तर है, पंजाब में और हम लोगों में अन्तर है। हमारे यहां लेट वैरायटी है और लेट वैरायटी होने की वजह से आप फरवरी में कह देते हैं कि धान की खरीददारी बन्द हो जायेगी। मनोज जी ने कहा, सचमुच बिचौलिया इतने भागीदार हुए हैं, उनके लिए भी एस0टी0एफ0 का उपयोग करिये और जो लोग भी इसमें गन्दा और घटिया काम करते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम किया जाय, जिससे किसान की आय दूनी हो और किसान सम्पन्न हो। हिन्दुस्तान में जब तक किसान सम्पन्न नहीं होगा तब तक हिन्दुस्तान दुनिया में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि किसान आबादी के 60 परसेंट हैं।

मैं राकेश जी की बात से सहमत हूँ कि जैसे आपने सूखा और बाढ़ पर चर्चा करायी तो उसमें सुधार हुआ। अधिकारी का कान खड़ा हुआ। मैं चाहूंगा कि धान पर और क्रय केन्द्र पर भी चर्चा कराइये। आप अधिकारियों के बल पर सत्ता चलाना चाहते हैं और जन-प्रतिनिधि बेकार हैं, यह मानसिकता हम सबको बदलनी चाहिए। अधिकारी तो इतना खुबसूरत घोड़ा होता है, जो अपने घुड़सवार को समझ लेता है कि ये चलाने वाला है कि नहीं चलाने वाला है। केवल अधिकारियों की बदौलत ही हम सत्ता न चलायें, सत्ता की भागीदारी में जन-प्रतिनिधि का और अधिकारी दोनों का योगदान हो, तब मैं जरूर कह सकता हूँ कि वह बेहतर व खूबसूरत होगा। नेता सदन यही मेरा आपसे निवेदन है कि धान क्रय पर कम से कम पूरब की तरफ जहां लेट वैरायटी है, कापरेटिव में खाद की खरीददारी होनी चाहिए। हमारा क्षेत्र बिहार की सरहद से सटा हुआ है। बिहार में खाद की बहुत डिमाण्ड होती है। हम लोग जानते हैं कि लघु और सीमान्त किसानों की संख्या बढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि धान क्रय का जो सिस्टम है उसको बहुत पाक-साफ करने की जरूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों विद्वान सदस्यों ने धान खरीद क्रय केन्द्र की बात की है। उत्तर प्रदेश में हमारे 5109 धान क्रय केन्द्र हैं, जिन पर लगातार धान खरीदा जा रहा है। विगत वर्षों की तुलना में अभी तक धान खरीद कम हुई है। अभी तक 7,47,000 मीट्रिक टन धान क्रय हुआ है। आदरणीय पाण्डे जी ने कहा था, बाराबंकी में हमारे 90 क्रय केन्द्र हैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी ने धान क्रय केन्द्र के सम्बन्ध में कहा था, निश्चित रूप से पूरब और पश्चिम में एक अन्तर है। पश्चिम में लगभग एक माह पहले धान बोया जाता है और एक माह पहले ही धान की कटाई शुरू होती है। यहां बाद में शुरू होती है, इसीलिए राज्य सरकार वहां एक महीने पहले धान क्रय केन्द्र खोलती है यहां एक महीने बाद में क्रय केन्द्र खोलती है। आपको अच्छी तरह ध्यान होगा कि पिछली बार सरकार की तरफ से हमने 20 दिसम्बर तक और जनवरी तक धान खरीदा था। जब तक एक गन्ना भी खड़ा रहता है तब तक हमारी शुगर

मिल चलती है, इसी तरह से जब तक किसान के पास धान होता है तब तक हम धान क्रय करते हैं।

मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा, यदि पूर्व में देखा जाये तो ऐसी सरकारें रही हैं, 2007 से लेकर 2012 तक पाँच साल में मात्र 10,850 करोड़ रुपये का धान खरीदा गया, 2012 से लेकर 2017 तक 17,190 करोड़ रुपये का धान खरीदा गया और हमारी सरकार ने 65,132 करोड़ रुपये का धान क्रय किया। कहीं खरीद में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप ही कृषि मंत्री हैं ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

आप एक मिनट सुन लें, यह तो सौभाग्य है कि मैंने छठवीं बार शपथ ली है, यह तो मेरे मुकद्दर में है। मैंने तो आपसे भी कहा था, लेकिन आप भटक गये।

(सदन में हँसी)

श्री लालजी वर्मा-

लॉलीपॉप आप ही को मुबारक हो।

श्री लक्ष्मी नारायण-

अंगूर खट्टे हैं। (सदन में हँसी) मैं अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि पीलीभीत में भी हमारे 90 क्रय केन्द्र खुले हुए हैं। किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से चूँकि धान शुरू से ही महँगा था। इस बार भी 1900 से लेकर 2000 रुपये तक मण्डी में धान बिक रहा है। लेकिन यदि कहीं कोई इस तरह की शिकायत भी है, तो उसको निश्चित रूप से दूर किया जायेगा और जब तक किसान के पास धान है, हम उसकी खरीद करेंगे।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, जिसने यह मुद्दा उठाया था, माननीय मनोज पाण्डेय जी ने, वह हाउस से गायब हैं।

श्री लालजी वर्मा-

श्री ओम प्रकाश सिंह जी तो हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह विषय मनोज पाण्डेय जी ने उठाया था, ये गम्भीरता है। यह गम्भीरता की तरफ इशारा कर रहा है कि ये कितने गम्भीर हैं। किसानों के प्रति गम्भीरता देख लीजिए। सवाल किया और जवाब के वक्त चले गये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक निवेदन है, धान क्रय केन्द्र के सम्बन्ध में हमने नियम-51 में एक नोटिस दी थी। अब चूँकि आज जब विषय आ गया, तो इसी में उसको भी शामिल कर लीजिए।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक मिनट और अपनी बात कहूँगा कि आदरणीय मनोज पाण्डेय जी ने धान की बात कही थी। मान्यवर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में अकेले माननीय योगी जी की सरकार है, जिसने 11 लाख गायों के भरण-पोषण के लिए राजकोष से पैसा दिया है। आज तक किसी ने नहीं दिया है। ये तो उन्हें काटने का काम करते हैं। हमारी सरकार उन्हें रखाने का कम करती है, गाय हो या गंगा, यही तो भारतवर्ष की संस्कृति है, इसी को तो भारतवर्ष रखना चाहता है।

मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत श्री मनोज कुमार पाण्डेय जी ने जो विषय उठाया है, उसका कोई औचित्य नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष-

मैने माननीय ओम प्रकाश जी को, माननीय मनोज पाण्डेय जी को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना है। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, अतः इसको अग्राह्य करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपने इसका संज्ञान नहीं लिया कि श्री मनोज पाण्डेय उठकर चले गये। मान्यवर, इसका संज्ञान तो जरूर लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

जो चले गये, उनको जाने दो, उनको मत रोको, जाने वाले को कौन रोक सकता है।

(सदन में हँसी)

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, हम आपको 6 फुट 3 इंच के दिखाई नहीं दे रहे हैं ?

(हँसी)

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की प्रदेश में लगातार बढ़ रही महँगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आपने एक गम्भीर विषय पर नियम-56 में मुझे बोलने का मौका दिया। महँगाई पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आज चरम पर है। दिन पर दिन महँगाई बढ़ती जा रही है। प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार केवल गुमराह करने का काम कर रही है। एक तरफ जनता महँगाई

की मार झेल रही है, आम आदमी अपना गुजारा करने के लिए मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ सरकार लाखों, करोड़ के निवेश के खोखले दावे करती है। हर घर में रोजगार के झूठे वायदे की बात करके सरकार लगातार छलावा कर रही है।

मान्यवर, गरीब आदमी पहले जैसे-तैसे अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था अब उसके सामने दो वक्त की रोटी का इन्तजाम करना बहुत कठिन हो गया है। अब वह अपने परिवार को एक समय का भोजन भी नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। सरकार की सबसे बड़ी नीयत इसी से समझ में आती है कि आज खाने-पीने की चीजों में महँगाई दर 6.71 प्रतिशत तक पहुंच गई है। सब्जी पौष्टिकता का सबसे मूल स्रोत होता है, आज दुगने और चौगुने दामों पर मध्यम वर्ग और गरीब आदमी खरीदने पर मजबूर हो गया है। रसोई का बजट एक गृहणी होने के नाते मैं यह कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा अगर चुनौती किसी के सामने आयी है, तो गृहणियों के सामने आयी है। वह इसलिए विवश हैं कि अपने परिवार को पौष्टिक भोजन नहीं दे पा रही हैं। सब्जी, दाल और आंटे के दाम बढ़ गये हैं। आज छोटे बच्चों के यहां दूध के दाम भी बढ़ गये हैं। इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। महँगाई बढ़ी तो आय भी बढ़ी यह सरकार दावा कर रही है, यह पूरा दावा खोखला है। अगर प्रदेश की औसत आय की बात करें तो 75 हजार रुपये है, इसके हिसाब से लगभग 6 हजार रुपये उसकी मासिक आय है। आज 6 हजार रुपये प्रतिमाह आय में एक परिवार अपना पालन-पोषण कर सकता है।

वर्ष 2014 के पहले गैस सिलेण्डर 410 रुपये में मिलता था। आज वह सिलेण्डर 950 रुपये में मिल रहा है, क्या एक गरीब आदमी, एक गरीब परिवार, एक गृहणी उस सिलेण्डर को ला सकती है और अगर लाती भी है तो वह कहीं न कहीं से अपने बचत के पैसे से निकाल करके लाती है। आज जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मुझे मालूम है संसदीय कार्य मंत्री जी और प्रदेशों का संज्ञान लेने लगेंगे पर मैं उनसे पूछना चाहती हूँ जब चुनाव आता है तो अन्य प्रदेशों में जा करके आप घोषणायें करते हैं कि हम सिलेण्डर 400 या 450 रुपये में दे देंगे। अभी राजस्थान के चुनाव में भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं ने कहा है कि हम सिलेण्डर 450 रुपये में दे देंगे। अगर आप राजस्थान में वायदा कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है यहाँ आप 450 रुपये में सिलेण्डर क्यों नहीं दे रहे हैं। आप कहीं पर तो गरीबी को कम करिये। जिस तरह से लगातार सरकार आंकड़ों की बात करती है, तो वर्ष 2017 से 2018 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 57 हजार 944 रुपये थी उसके अनुसार अब 75 हजार रुपये हो गयी है। इस हिसाब से आय में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। तो गैस सिलेण्डर के दामों में 100 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि क्यों है। सरकार उस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर रही है। दूसरे प्रदेश में जा करके किसान को आप 2700 एम0एस0पी0 की बात कर रहे हैं जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पर किसानों को 2100 एम0एस0पी0 मिल रही है। आप उसको बढ़ा करके क्यों नहीं दे रहे हैं। हमारा प्रदेश कृषि आधारित है। अगर यहाँ पर किसान की कृषि आय बढ़ेगी तो पूरे प्रदेश की व्यवस्था

बढ़ेगी। आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में महँगाई की आग लगी हुयी है, किसान परेशान है, महिलायें परेशान हैं, मध्यम वर्गीय परेशान है और हर व्यक्ति इस महँगाई से परेशान है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि यह गम्भीर विषय है, सरकार इस पर नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय करेगी, इस विषय पर चर्चा होना इस सदन में आवश्यक है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इसका संज्ञान लें और इस विषय पर चर्चा कराने की अनुमति प्रदान करें।

(इसी समय अपराह्न 01 बजकर 44 मिनट पर आधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए)

श्री लक्ष्मी नारायण-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्या ने महँगाई की चर्चा की है, मैं इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे सब्जी की बात मा0 सदस्या ने कही, निश्चित रूप से कभी सूखा पड़ जाता है, सब्जी के भाव तेज हो जायेंगे, नदियों में बाढ़ आ जाती है, तो सब्जी के भाव महंगे हो जाते हैं। ऋतुओं के ऊपर भी ये चीजें निर्भर करती हैं। इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं, जो केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में हैं, जिसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। केवल हमारा हस्तक्षेप इतना होता है कि जब कभी भी महँगाई बढ़ती है, तो केन्द्र सरकार के निर्देश पर हम उनके स्टॉक चेक करा लेते हैं कि कोई नाजायज भण्डारण तो नहीं कर रहा है, यह राज्य सरकार का काम होता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जैसे कि मा0 मोना जी राजस्थान के चुनाव का जिक्र कर रही थीं, किसान की सबसे महत्वपूर्ण चीज डीजल है, आज कोई किसान ऐसा नहीं है जो डीजल से सम्बन्ध न रखता हो, चाहे वह किराये की मशीन चला रहा हो या उसकी स्वयं की मशीन हो। मैं एक उदाहरण मात्र दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां आज पूरे हिन्दुस्तान में सबसे सस्ता डीजल है। उत्तर प्रदेश में डीजल पर वैट केवल 12.76 परसेंट है, डीजल का भाव है 89.74 और जिस राजस्थान का जिक्र आप कर रही हैं वहां डीजल का भाव 93.70 है। जहां आज कल ज्यादा गठजोड़ चल रहा है वहां बिहार में डीजल का भाव 94 रुपए है, पश्चिम बंगाल में 92.74, तमिलनाडु में 94.22 है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

गैस सिलेण्डर का बता दीजिये।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूं, आन्ध्र प्रदेश में 98.80, तेलंगाना में 97.80 में डीजल है। गैस सिलेण्डर के लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अकेला उत्तर प्रदेश ही देश का एक राज्य है जहां होली-दीवाली गैस सिलेण्डर मुफ्त दिये जा रहे हैं।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

होली में नहीं, मान्यवर, सदन में स्पष्ट और सही बात आनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आयी है, अब माननीय मंत्री जी की बात भी आने दें।

श्री लक्ष्मी नारायण-

गैस कम्पनी राज्य सरकार के अधीन नहीं होती है, गैस कम्पनी तो केन्द्र सरकार से सम्बन्धित होती है, फिर भी राज्य सरकार की ओर से जो घोषणा मा0 मुख्य मंत्री जी ने की थी, वह गैस सिलेण्डर भी होली-दीवाली मुफ्त दिये जा रहे हैं। इसलिए मान्यवर, यह सवाल स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मैंने तो गैस सिलेण्डर की बात की थी, गैस सिलेण्डर की बात जो माननीय मंत्री जी ने कही कि होली-दीवाली मुफ्त दिये जा रहे हैं, तो मान्यवर, होली में गैस सिलेण्डर नहीं दिये गये, दीवाली पर दिये गये उसके लिए धन्यवाद। आप अन्य प्रदेशों में, राजस्थान ही नहीं छत्तीसगढ़ में भी आपने घोषणा की कि साढ़े चार सौ रुपए में सिलेण्डर देंगे, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय मोना जी को और माननीय मंत्री जी को सुना, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के सन्देश सहित वापस हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021, राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित होने के उपरान्त श्री राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजा गया था, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-175 के खण्ड-2 सपठित अनुच्छेद-200 के अधीन श्री राज्यपाल के सन्देश सहित वापस हुआ है, पर पुनर्विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि विधान सभा में लम्बित उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस लेने की अनुमति दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संसोधन) विधेयक, 2023†

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता मोहदय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023†

पर्यटन मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नोट :-† दिनांक 20-12-2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री शुक तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023†

पर्यटन मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री देवीपाटन धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023†

पर्यटन मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

नोट :-† दिनांक 20-12-2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023[†]

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री दयाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023[†]

आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ।)

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश शीस नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करता हूँ।

आज पुरःस्थापित विधेयकों पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदों को आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अधिष्ठाता जी, मेरा एक अनुरोध है कि आज दिनाँक 29 नवम्बर, 2023 को पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयकों का उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत विचार एवं पारण करा लिया जाए :-

1-उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

नोट :-[†] दिनांक 20-12-2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

2-उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 एवं

3-उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

मा0 अधिष्ठाता महोदय, ये तीन विधेयक हैं, इनको आज ही ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि आज दिनाँक 29 नवम्बर, 2023 को पुरःस्थापित निम्नलिखित विधेयकों का उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 की संगत प्रावधानों के अन्तर्गत विचार एवं पारण करा लिया जाए :-

1-उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

2-उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 एवं

3-उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं स्वीकृत हुआ)

श्री नितिन अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता जी, शीरा नियन्त्रण विधेयक पहले ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

आबकारी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नितिन अग्रवाल)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, हमारा विभाग आज इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ ले करके माननीय सदन के समक्ष आया है। हमारा विभाग शीरे की पॉलिसी लाता है और शीरे से सम्बन्धित चाहे उसका भण्डारण हो, चाहे उसका श्रेणीकरण हो, चाहे उसका नियन्त्रण, संरक्षण, आपूर्ति और वितरण हो, ये सारी व्यवस्थायें आबकारी विभाग करता है। हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। प्रदेश के सभी चीनी मिलों में हमारे अधिकारी भी मौजूद होते हैं। शीरे को कंट्रोल करना जिससे शीरे का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। शीरे का श्रेणीकरण करना कि कौन सा बी-हैवी का कौन सा सी-हैवी का शीरा है। तमाम ऐसी चीजों पर हम लोग काम करते हैं। इसके लिए 2021 में विभाग ने डिसाइड किया कि हम शुगर फैक्ट्रियों से 20 रुपये क्विंटल रेगुलेटरी फीस लेंगे। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उस सर्विस के अगेंस्ट हमने उस फीस को लेना शुरू किया। लेकिन कुछ प्राइवेट चीनी मिलों ने इसका विरोध करना शुरू किया। कैपटिव कन्जम्पशन के नाम पर उन्होंने इसका विरोध किया। आज यह विधेयक

आवश्यक हो गया है और इसको इसीलिए ले करके आये हैं। प्राइवेट शुगर फैक्ट्रीज कहीं न कहीं काटर के रूप में काम करती हैं और हमारे लिए सबसे चिन्ता का विषय यह था कि कहीं न कहीं यह किसी स्तर पर जा करके जो हमने रेगुलेटरी फीस अपने सर्विस के अगेंस्ट चार्ज की है उसको क्लेम न करने लगें। एक बड़ी चिन्ता थी कि अगर वह क्लेम करेंगे और कहीं न कहीं से कोई आदेश लायेंगे तो एक बड़ा फाइनेंसियल लॉस विभाग को होगा। इसलिए आज यह विभाग इन संशोधनों को ले करके आया है। दो संशोधन ले करके आया है। पहला 8 (क) है, जिसे माननीय सदस्यों ने पढ़ लिया होगा और दूसरा सेक्शन-22 (1) है। इन दोनों संशोधनों को ले करके आये हैं। मैं समझता हूँ कि यह जनहित का मामला है, इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आबकारी विभाग जो संशोधन सदन के समक्ष लाया है उसे हम सर्वसम्मति से पारित करायें।

श्री अधिष्ठाता-

कोई माननीय सदस्य इस पर अपना विचार रखना चाहेंगे?

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, इसके बारे में सूचना नहीं थी और इन विधेयकों को कल पारित कराना था, इसलिये माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उसे आज ही पारित करा रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति में यह बात हो गई थी कि कुछ बिल ऐसे हैं, जो उसी दिन टेकअप कर लिये जायं। आपके जो सदस्य हैं उन्हें अच्छी तरह से जानकारी है। यह भी बता दिया गया था कि जो बिल आये हैं पहले दिन जिस दिन पेश होंगे उसी दिन ले लिये जायं। उसी बात-चीत के क्रम में हमने मा0 अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि इसको आज ही ले लें, क्योंकि कल भी 5-6 बिल होंगे इसलिये इसको आज ही ले लिया जाये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है वह सही कहा कि उस दिन बैठक में बात हुई थी कि उसी दिन वो विधेयक आयेंगे पर क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण विधेयक हैं, इस पर चर्चा करने के लिये इनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। इसीलिये मेरा अनुरोध है कि इन विधेयकों का अध्ययन हो जाये। जैसाकि माननीय आबकारी मंत्री जी ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण भी है और उत्तर प्रदेश के विकास से, किसानों से भी जुड़ा हुआ है। तो इसको प्रवर समिति को इसलिये सुपुर्द करने के लिये कहा गया है कि लगातार कई बार संशोधन हो चुके हैं। इसलिये अगर अच्छे से चर्चा हो जाये और जो सुझाव हैं वो भी आ जायेंगे तो इससे इसका एक अच्छा स्वरूप हो जायेगा, ताकि बार-बार इसमें संशोधन न लाना पड़े। तो जिन लोगों ने यह प्रस्ताव रखा है मैं सभी की तरफ से आपसे अनुरोध करूंगी कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। फाइनेंशियल लॉस को रोकने के लिये यह बिल लाया गया है। फैक्ट्री वाले मांग कर रहे थे कि हम एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में शीरा ले जायें तो हमें रेगुलेटरी फीस न देना पड़े। केवल यही विषय है। हमारा यह कहना था कि जो फीस हम ले रहे हैं, वह चाहे जब फैक्ट्री से ले जायें, चूंकि उसको हम और हमारे अधिकारी मैनेज करते हैं, इसलिये वह रेगुलेटरी फीस जरूर पड़ेगी, वह एक तरीके से फार्मल है, अगर फार्मल नहीं होता तो हम वह भी न करते।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-24 सन् 1964 में नई धारा-8क का बढ़ाया जाना

2-उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा-8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-

'विधिमान्यकरण 8क-किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2023) के किसी उपबन्ध के अधीन दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 से कृत या किये जाने हेतु तात्पर्यित कोई बात या कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य रहेगी और सदैव विधिमान्य रही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।'

धारा 22 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-22 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख जायेगी, अर्थात् :-

''(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।''

निरसन और व्यायवृत्त

4-(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-15 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नितिन अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, विश्व के तमाम देश प्रदूषण की समस्या से ग्रसित हैं। आज डीजल के वाहनों से देश के अन्दर 38 प्रतिशत प्रदूषण होता है, इसलिए जलमार्ग से यदि यातायात, माल वाहन या पर्यटक का आवागमन प्रारम्भ करेंगे, तो इस समय जो डीजल की किल्लत है, जो महंगाई हो रही है, उससे भी हम लोगों को राहत मिलेगी। किसानों को भी इससे सुविधा मिलेगी। उनके सामान की ढुलाई यदि हम लोग जलमार्ग से करेंगे, तो उसमें हम सबको सुविधा मिलेगी।

(इस समय 02 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, पहले भी प्राचीनकाल में आज से दो हजार वर्ष पूर्व भी अपने अयोध्या की राजकुमारी रत्ना सिंह जलमार्ग से ही दक्षिण कोरिया गई थीं और वहां के राजकुमार किम सोरो से उनकी शादी हुई थी। आज भी उस नाव को दक्षिण कोरिया में सुरक्षित रखा गया है और उस नाव पर जो पत्थर थे उनको भी वहां के स्मारक में सुरक्षित रखा गया है। पहले जलमार्ग ही आवागमन का साधन हुआ करता था। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आज उत्तर प्रदेश में जल का बहुत भण्डार है हमारी गंगा, सरयू, जमुना, इन सभी नदियों में सदैव पानी रहता है। उत्तर प्रदेश की ऐसी बारह नदियों को हम लोग जलमार्ग से जोड़ने वाले हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में भी भारत द्वारा बनाया गया जो अभी 13 जनवरी, 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को बनारस से हरी झंडी दिखाया, जो हमारे बनारस होते हुए पटना, बोधगया, विक्रमशिला, ढाका होते डिबरूगढ़ तक वह जहाज गई और उसको ले करके लोगों में बहुत उत्सुकता थी। अब हम लोग अयोध्या के अन्दर भी, काशी के अन्दर भी, प्रयाग के अन्दर भी, मथुरा के अन्दर भी, पर्यटन के लिए हम लोग नदियों में क्रूज चलाएंगे और आवागमन के भी साधन क्योंकि बहुत कम खर्च में हम लोग आधे खर्च में जो अभी डीजल से हमारे खर्च होते हैं उससे आधे खर्च में हम लोग जलमार्ग से जो सेवायें देंगे तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। पर्यटन की भी अपार सम्भावनाएं बढ़ेंगी। अभी तक नदियों में जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो नाव होती थी उसमें भी उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। उनकी सुरक्षा के लिए कोई इन्तजाम नहीं होता था, तो वह भी इसके कारण हम लोग उसको भी व्यवस्थित करेंगे। नदियों में भी जिस तरह से लोग आ करके अपना घर बना लेते हैं बाद में जब वह डूबने लगते हैं तब कई तरह का प्रश्न खड़ा होता है। तो उसको भी यह प्राधिकरण पहले से ही ऐसी जगहों पर जहां पर नदियों के बढ़ने की सम्भावनाएं रहेंगी वहां पर भी हम लोगों से यह निवेदन करेंगे कि आप ऐसे बाढ़ क्षेत्र में न बसें और उनको सुरक्षित जगहों पर भी बसाने का काम करेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा काम होगा और सभी नदियों पर जब यह आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो उससे प्रदेश के विकास में भी बहुत अवसर मिलेगा। लोगों को रोजगार के भी नये अवसर सृजन होंगे। इसलिये यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इसको पास करने की अनुमति दी जाए।

इच्छुक सदस्यों द्वारा विधेयकों के संशोधन पर अपना अभिमत देने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट यह जो संकल्प प्रस्तुत हो रहे हैं या जो बिल प्रस्तुत हो रहे हैं, इसमें मेरा सभी माननीय सदस्यों से जो यहां पर उपस्थित हैं और जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं उनसे निवेदन है कि इसमें जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन के प्रस्ताव दिए हैं मैं उन सबको अवसर

दूंगा, उसके अलावा जो भी माननीय सदस्य किसी भी बिल के ऊपर बोलना चाहते हैं, तो यह विधान सभा का फ्लोर सबके लिए ओपन रहेगा। मैं यहां पर इसलिए बताना चाहता हूँ कि कभी-कभी इस बात का मैसेज होता है कि महत्वपूर्ण बिल आते हैं और सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलता है। तो उस बात को पूर्णरूप से विराम देने के लिए मैं यह व्यवस्था दे रहा हूँ कि जो सदस्य रिलेवेंटली विषय के ऊपर अगर बोलना चाहेगा उस बिल के ऊपर तो उसको अवसर दिया जाएगा। विषय के बाहर नहीं, क्योंकि पिछली बार एक बिल प्रस्तुत हुआ था एक माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे और उनको विषय ही नहीं मालूम था। तो जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको विषय याद दिलाया कि यह विषय है तब उनको याद आया कि अरे, मैं तो कुछ और बोल रहा हूँ। इसलिए जो बिल हैं, क्योंकि जितने भी हम लोग यहां पर सदस्य चुन कर आते हैं सब लोगों का पहला और फोरमोस्ट यह कर्तव्य बनता है कि जो भी विधान सभा में बिल पास हों, क्योंकि विधान सभा इसी के लिए है, जैसे नये कानून बनाने के लिए नये कानूनों की समीक्षा करने के लिये और अध्यादेश में कोई विषय आ जाता है, तो उसको पुरःस्थापित बिल के माध्यम से उसको पास करने के लिये। सभी मा0 सदस्यों से यह बात मुझे इसलिये कहनी पड़ रही है, क्योंकि कई बार नियमावली यहाँ पर प्रस्तुत की गयी, नियमावली प्रस्तुत करने के बाद उसके ऊपर संशोधन इनवाइट किये गये, संशोधन इनवाइट करने के बाद उसके ऊपर चर्चा हुयी, चर्चा होने के बाद उसको पारित करने के लिये विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया और यूनैनिमसली बिना एक भी सम्मानित सदस्य के प्रतिकार के वह पास हुआ। अब उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा करना या कोई उंगली उठाना या उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करना इस बात का सन्देश देगा कि विधान सभा में जो भी मा0 सदस्य इस विषय को उठायेगा, जो नियमावली के अन्तर्गत है, उसका सीधा सन्देश जायेगा कि इन्होंने उसको पढ़ा नहीं, इनकी उसमें रुचि नहीं थी, अब पास होने के बाद उसको कह रहे हैं। वह अपने बारे में निगेटिव बतायेगा, दूसरे के बारे में निगेटिव नहीं बतायेगा। इसीलिये हम किसके बारे में क्या निगेटिव बोल रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे ऊपर वह क्या रिफ्लैक्शन करता है, इस बात का सभी मा0 सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, विधेयकों के बारे में हमारी नियमावली में भी यह व्यवस्था है कि उसको पुरःस्थापित करने के पहले हम लोगों के पिजन होल में रखा जाता था। उसको हम लोग पढ़ते थे और इसलिये पुरःस्थापित करते वक्त भी हम उस पर आपत्ति करते थे। मान्यवर, वह हमें तीन दिन पहले मिल जाना चाहिये था, लेकिन वह नहीं मिला। आज वह पुरःस्थापित भी हो गया और यह नया एजेण्डा आ गया जिसमें तीन-चार-पाँच विधेयक में से एक विधेयक अभी पास भी हो गया। अभी सदन के कार्यकाल के बारे में जो विषय उठाया गया उस पर मा0 खन्ना जी ने आपत्ति की। मान्यवर, न तो विधेयक हमारे सामने आया, उसमें क्या संशोधन

किया जा रहा है न यह हमारे संज्ञान में आया। उस विधेयक में क्या रखा गया है यह हमारे संज्ञान में ही नहीं आया। अचानक उसको प्रस्तुत करके पारित भी कर दिया जा रहा है। मान्यवर, आप इस विषय को भी थोड़ा देखें और हमें इतना अवसर तो मिलना चाहिये कि हम उसको पढ़ सकें, उसमें क्या संशोधन हो रहा है, उसमें क्या हितकर है, क्या अहितकर है यह देख सकें। इतना अवसर तो हमें मिलना ही चाहिये कि हम उसको पढ़कर आयें और उस पर अपने विचार रखें। हम उस पर अनावश्यक बहस न करें। अब कम से कम बिल जिस दिन पुरःस्थापित हों, कितनी भी मजबूरी हो उसी दिन बिल पास न करें, उसके दूसरे दिन पास करें। हमें कम से कम एक दिन का तो अवसर मिल जाये कि हम उस पर विचार करके आयें। मान्यवर, हम न तो संशोधन दे सके, विधेयक में क्या संशोधन हो रहा है यह भी हम नहीं जान सके। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस गरिमामयी पीठ जिसका अपना संसदीय इतिहास है, इस गरिमामयी पीठ पर रहते हुये हम लोगों को कम से कम इतना अवसर जरूर मिलना चाहिये।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुयी थी, उस बैठक में माननीय वर्मा जी किसी कारणवश नहीं आ पाये थे, लेकिन उस दिन यह बात हो गयी थी कि चूँकि कुछ बिल ऐसे हैं जो फॉर्मल हैं, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यह बता दिया गया था कि उसी दिन बिल ले लिये जायें। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो बिल फॉर्मल हैं, बिल्कुल फॉर्मल हैं, जिसमें केवल परिभाषा पर अथवा केवल फार्मेल्टी पूरी करना है तो उसको तो आज ले लें और मा0 वर्मा जी जैसा कि कह रहे हैं तो यह पर्यटन वाले तीनों बिल हैं तो चाहें तो यह बिल कल ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आप देख लें, परिवहन वाले बिल फॉर्मल नहीं हैं, यह नये विधेयक हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 वर्मा जी, आप मेरी पूरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी, आप पहले मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की पूरी बात सुन लें, उसके बाद आप अपनी बात कहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वर्मा जी, किसी कारणवश आप उस दिन कार्य-मंत्रणा की बैठक में उपस्थित नहीं थे। आपकी पार्टी के जो मा0 सदस्य बैठक में उपस्थित थे उनको यह बात अच्छी तरह से मालूम है

और कांग्रेस विधान मण्डल दल की नेता आदरणीय श्रीमती मोना जी उस दिन बैठक में उपस्थित थीं उनको भी इस बात की जानकारी है। उस समय यह बात हो गयी थी और मैंने अनुरोध किया था कि यह बिल उसी दिन ले लिए जाएं और इस पर बात-चीत हो गयी थी, इस पर समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी थी कि हां ठीक है उसी दिन बिल ले लिए जायेंगे। लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में यह तीन बिल कल ले लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बिल माल सेवा जी0एस0टी0 वाला है इसमें हमारी परिस्थिति यह थी कि केन्द्र से कहा गया कि इसे 1 अक्टूबर से लागू करना है, इस बिल को 20-22 प्रदेश पास कर चुके थे, इसलिए हम 30 सितम्बर को अध्यादेश लाए। इसमें केवल परिभाषा परिवर्तित है और विषय केवल ऑनलाइन गेमिंग का है। ऑनलाइन गेमिंग में एक शब्द जोड़ा गया और तीन भाषा परिवर्तित की गयी है। यह केवल औपचारिक है, इसलिए इस पर कहा था कि इस बिल को उसी दिन ले लिया जाए और उसे उसी दिन सप्लाई भी कर दिया था, पार्टी के सदस्यों को भी यह बिल उसी दिन सप्लाई कर दिया था जिस दिन कार्य-मंत्रणा की बैठक हुई थी। आप कह रहे हैं कि हमें बिल नहीं मिल पाया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है यह बिल्कुल औपचारिक है। इस बारे में जब हम अपनी बात कहेंगे तो आप समझ भी लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और आप भी इसका स्वागत करेंगे। हमने जो भी किया है प्रदेश के हित में किया है और इसमें किसी प्रकार का अहित नहीं है। वह लोग जो खासतौर से ऑनलाइन गेमिंग में इनवॉल्व हैं, ऑनलाइन गेमिंग में हमारी नई जनरेशन अत्यधिक आकर्षित हो रही है, जो कि एक अच्छी परम्परा नहीं है। शेयर मार्केट में 10 करोड़ लोग हिस्सा लेते हैं और ऑनलाइन गेमिंग में लगभग 14 करोड़ लोग हिस्सा लेते हैं। नए-नए लड़के मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और उससे बड़ी-बड़ी हार-जीत कर रहे हैं। यह बिल केवल इसी पर है। अभी तक यह मामला कोर्ट में गया था, कोर्ट के बाद जी0एस0टी0 काउन्सिल में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने डेढ़ साल की कसरत के बाद इसको 11 अगस्त को पारित कराया है और यह कहा था कि इसे अक्टूबर में लागू करेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस को डिस्करेज भी करना है इसमें किसी बहुत बड़े डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आपने कहा है, इसलिए हम तीन बिलों के बारे में आपकी बात मान लेते हैं। पर्यटन वाले तीनों बिल कल ले लेंगे इन पर आप तैयारी कर लीजिएगा और माल और सेवा कर वाला बिल यदि आपकी अनुमति हो तो हम आज पेश कर दें।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन कार्य-मंत्रणा की बैठक में यह बात हुई थी कि बिल आयेंगे, पर यह बात आपने बड़ी सख्ती से कही थी कि बिल पहले हम लोगों को उपलब्ध करा

दिए जायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहेंगे कि यह बिल जिस दिन कार्य-मंत्रणा की बैठक थी उस दिन हम लोगों को मिलने चाहिए थे, लेकिन यह बिल कल शाम को हम लोगों को उपलब्ध कराये गये थे। हम लोगों का आशय ऐसा नहीं है कि इस बिल में कोई संशोधन लाया जाए या सरकार के किसी अच्छे कार्य पर बाधा डाली जाए। अब मैं एक चीज आपके संज्ञान में लाना चाहती थी कि आज की कार्य-सूची में 31वें नम्बर पर यदि आप देखें जो कि उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 2021 है, इसे आज फिर लाया गया है। क्या वजह थी कि यह प्रस्ताव इसी सदन से पास होकर महामहिम राज्यपाल महोदया के पास गया और वहां से वापस आ गया। मेरा इस बात को कोट करने का आशय कोई और नहीं है, मेरा आशय सिर्फ यह है कि हम जितने भी सदस्य यहां पर चुनकर आते हैं वह रॉ-मेकर के रूप में आते हैं, इन्हीं विधेयक को बनाने के लिए आते हैं। अगर इस पर चर्चा नहीं होगी, अगर इनको हमें अध्ययन करने का मौका नहीं मिलेगा तो इसी तरह की चीजें सामने आएंगी। इनकी पुनरावृत्ति न हो, केवल मेरा यह सुझाव है। बाकी मेरा किसी बिल पर जो सरकार के हित में है देश-प्रदेश की जनता के हित में है हम सभी सदस्य इसमें सहमत हैं, मेरा बस यही आशय है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपने जो बिल वापस लेने की बात उठाई है, वह बिल इसलिए वापस लाया गया, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गयी थी। जिस समय यह बिल आया था उस समय कमिश्नरेट नहीं था।

कमिश्नरेट बनने के बाद उसमें जो अपीलेंट अथॉरिटी थी। वह व्यक्ति उसको निस्तारित करने वाला था और वही व्यक्ति अपील सुनने वाला था। केवल टेक्निकल ग्राउण्ड की वजह से वापस आया और कोई विशेष वजह नहीं थी। टेक्निकल ग्राउण्ड की वजह से उसको वापस ले लिया गया। राज्यपाल जी के यहां से 11 अगस्त को सन्देश आया और 12 अगस्त को हाउस नहीं चला। अगर 12 अगस्त को हाउस होता तो 12 तारीख को ही यह हो जाता। उसके बाद कल हाउस के पहले दिन निधन के निर्देश थे, इसलिए आज आया। लेकिन वैसी कोई बात नहीं है।

(सदस्य श्रीमती आराधना मिश्रा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

इसमें डिबेट नहीं आपकी बात आ गयी।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, यह 2021 में आया था और उसके पहले प्रदेश के कई जिलों में कमिश्नरेट की सुविधा बन्द थी खास कर लखनऊ में। मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि विधेयक पर चर्चा कराना, उसको और बेहतर बनाने के आशय से हम सभी सदस्य बोलना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय परिवहन मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण के विषय में अपने विचार रखे हैं। उस पर संशोधन के लिए दो माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आये हुए हैं। उसमें श्री उमाशंकर सिंह जी का प्रस्ताव है, वे अनुपस्थित हैं। डा0 पल्लवी पटेल का प्रस्ताव है, वह भी अनुपस्थित हैं। कोई और सदस्य बोलना चाहता है तो बतायें।

श्री सचिन यादव-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय जल मार्ग प्राधिकरण के विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

अभी तो आपने कहा कि इसे कल लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं यह प्रस्तुत हो चुका है। इस पर चर्चा हो चुकी है। जब आप उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसे ही होता है। इसलिए आप विधान सभा के बाहर मत जाया करें।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, इस विधेयक के विरोध में मैं खड़ा हुआ हूँ। हमारी मंशा इस विधेयक के विरोध में इसलिए है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ऐसे विधेयक लेकर आ रहे हैं जिसके इम्प्लीमेन्टेशन के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे इस विधेयक को लेकर आया जाये जिससे न्यूज पेपर में कटिंग निकले कि देखिये ये प्राधिकरण बना है। सरकार इस पर काम कर रही है। मीडिया में जाये और वास्तविकता में जमीन पर काम न हो पाये। इस तरह के विधेयकों को लेकर आया जा रहा है। जलमार्ग प्राधिकरण जो विधेयक लाया जा रहा है उससे पहले की भी बहुत कमियां हैं। उन कमियों पर अभी तक काम नहीं किया तो मुझे लगता नहीं है कि इसकी अभी जरूरत है। इसके लिए रिवर्स की एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी को पूरा रखना चाहिए तभी उस पर बोट्स या मिनी शिप्स चल पाते हैं। रिवर्स में जो वाटर लेवेल है और जो कैपेसिटी है वह पहले से ही बहुत कम है। जितनी भी रिवर्स आ रही हैं। 21 रिवर्स हमारे यहां आ रही हैं। उसमें से नहरों का कटान है, बम्बों का कटान है, इरिगेशन के लिए यूज होती हैं। वाटर रिसोर्सेज के लिए यूज होती हैं। घर में पानी

पीने के लिए यूज होती हैं। नमामि गंगे की पहले से ही एक स्कीम चल रही है। बड़ा विभाग चल रहा है जो नमामि गंगे पर काम कर रहा है। नमामि गंगे पूरी तरह से फेल रहा है। आज भी सदन में चर्चा हुई थी कि कोई भी रिवर ऐसी नहीं है, जो साफ-सुथरी चल रही हो। जिसमें पानी का लेवेल सही चल रहा हो। आपने गोमती रिवर को देखा जो पक्की भी है। मैंने 1090 पर आप ई0टी0पी0 देखिये बाइपास होकर पूरा नाला उसमें जा रहा है। ऐसा नाला जाने पर जहां नमामि गंगे पहले से ही फेल हो गयी हो उस पर आप कैसे इमैजिन कर सकते हैं कि बोट्स चलेंगी। हम लोग फ्यूचर की बात तो कर रहे हैं। भविष्य की बात करना सही है, लेकिन भविष्य तक पहुंचने लिए जो स्टेप्स की जरूरत है। उन स्टेप्स को लेकर कंक्रीट के स्टेप्स को लेकर अगर हम फ्यूचर में जायेंगे तभी इम्प्लीमेन्टेशन बेटर हो पायेगा। रिवर कैपेसिटी पर हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ऊपर से ही पानी कम है। बहुत सी ऐसी रिवर्स हैं। गोमती के लिए हम लोग बात करते हैं। गोमती बहुत जगह लुप्त हो चुकी है। गंगा में बहुत जगह पानी कम है। हम लोग एक्सप्रेस-वे से आते हैं। आप देखेंगे कि गंगा में पानी ही नहीं है। जब नमामि गंगे ने काम अच्छा नहीं किया तो यह जल्दबाजी में प्राधिकरण लाया जा रहा है। दूसरा जब जल मार्गों में बोट्स या शिप्स चलेंगी तो उसमें वेस्टेज भी निकलेगा। पहले से ही हमारी रिवर में प्रदूषण है। उस पर काम हो नहीं रहा है। उसमें पॉल्यूशन को बढ़ाने की विवशता बढ़ जायेगी।

मान्यवर, नमामि गंगे जब तक कामयाब नहीं होगी तब तक यह प्राधिकरण केवल औपचारिकता बन जायेगा। इसमें मेम्बर कैसे रहेंगे इस पर भी कोई विचार-विमर्श नहीं हो पाया, विपक्ष का भी कोई सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा जिससे कि उनसे भी विचार-विमर्श किया जायेगा इस मामले पर भी कोई चर्चा नहीं हो पायी है। बहुत सारी जगह नदियों में कटान भी हो जाते हैं बाढ़ आ जाती है हम लोगों ने पिछले सदन में बाढ़ पर चर्चा की थी और सूखे पर चर्चा की थी बाढ़ और सूखे से जब तक हमको निजात नहीं मिलेगी तब तक इस प्राधिकरण का कोई मतलब नहीं है बाढ़ आयेगी तब नहीं चल पायेगा सूखा होगा तब नहीं चल पायेगा तो हम लोग बेसिक परेशानी से जूझ रहे हैं हमारा प्रदेश बेसिक परेशानी से जूझ रहा है जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक इस पर सरकार को कामयाबी नहीं मिलेगी इसको जल्दबाजी में लाया जा रहा है इसको सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि सोशल मीडिया में दिखाया जाये देखिएगा यह प्राधिकरण आयेगा एक बोट रखी उसको हरी झंडी दिखा दी जायेगी मंत्री जी जायेंगे हरी झंडी दिखा देंगे न्यूज पेपर में कटिंग बन जायेगी कि उत्तर प्रदेश में जलमार्ग प्राधिकरण बनाया और वहां पर जलमार्ग से बोट जायेगी और जहाज जायेंगे और टूरिस्ट आयेंगे, लेकिन सर यह जल्दबाजी है सबसे पहले बेसिक परेशानी दूर की जाये और उसी पर काम करना चाहिए। यह पता करना चाहिए कि नहरों में पानी की कितनी आवश्यकता है उसके बाद ही तो पानी बचेगा बहुत सी ऐसी नहरें हैं जिनमें पानी ही नहीं जाता है बहुत जगह ऐसे बम्बे हैं जिन पर दस-दस साल से पानी ही नहीं जा पा रहा है बम्बो में पानी हम दे नहीं पा रहे हैं

नहरों में पानी नहीं दे पा रहे हैं खेती के लिए पानी नहीं दे पा रहे हैं तो नदियों में पानी इतना कैसे रखेंगे कि उसमें बोट चलाई जा सकें। यह प्राधिकरण सोशल मीडिया व न्यूज पेपर के लिए ही बनाया जा रहा है। आपने नमामि गंगे से आपने नदियों पर काम कर लिया तो अगर काम कर लिया तो, लेकिन मुझे उम्मीद कम ही है। नमामि गंगे का काम नदियों की सफाई का नहीं रह गया है उसक काम टंकी बनाने व टेंडरिंग का काम सड़कों को तोड़ने का काम और तोड़ने के बाद पाइप लाइन फिर से टूट जाती है तो नमामि गंगे का टोटल पैसा उसमें जा रहा है और नदियों पर कोई काम नहीं हो रहा है, जब तक नदियों पर काम नहीं होगा तब तक वाटर लेवल प्रापर नहीं रहेगा तब तक इस प्राधिकरण का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात गंगा, डालफिन लुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि पानी की कमी है तो उस पर जब तक हम लोग काम नहीं करेंगें तो इस प्राधिकरण का कोई औचित्य नहीं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रवर समिति को दिया जाये और इससे पहले कि ज़ो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाये, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

कोई और मा0 सदस्य बोलना चाहता है।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज राष्ट्रीय जो टारगेट है सरकार द्वारा 50 प्रतिशत आज की तारीख में जो ट्रेड है वह ट्रकों के माध्यम से जा रहा है 25 प्रतिशत जल के माध्यम से और 25 प्रतिशत ट्रेन के माध्यम से जा रहा है इसको चेंज करना है और 50 प्रतिशत ट्रेनों से और 25 प्रतिशत का टारगेट हम लोगों को माल जो ट्रेड है वह जलमार्ग के माध्यम से करना है तो मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह अनुरोध था कि हम लोगों को बतायें कि टूरिज्म वाला पार्ट तो बहुत अच्छा है और यह अयोध्या और प्रयागराज में तो होगा, लेकिन बहुत बड़ा पोटेंशियल इण्डस्ट्रियल ट्रेड का भी है जो इण्डस्ट्रियल सेंटर ट्रेड के माध्यम से हम लोगों की जो मुक्त नदी है गंगा वह हल्दियापोर्ट जाती है, जिसके माध्यम से हम लोग कंटेनर ट्रेड और बार्जेयस के माध्यम से इसको बार्ज कहते हैं पूरी यूरोप, डेनियू, अमेरिका और अफ्रीका में लाइल इन सभी के माध्यम से बार्जेयस के माध्यम से भारी संख्या में गुड्स ट्रांसफर किये जा रहे हैं जिसका कॉस्ट ऑफ ट्रेड बहुत कम होता है।

तो उसके बारे में यह जो प्राधिकरण है वह क्या करेगा, यह भी माननीय मंत्री जी हम लोगों को बतायें। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं प्रयागराज को रिप्रजेन्ट करता हूँ और हमारे बगल में श्री राजमणि जी बैठे हैं। यह यमुनापार क्षेत्र से विधायक हैं। जब नेशनल वाटर-वे-1 की स्थापना का प्लान बना था, तो प्रयागराज से हल्दिया प्रस्तावित था, लेकिन फाइनली जब नेशनल वाटर-वे-1 की स्थापना हुई, तो वह वाराणसी से हल्दिया के बीच में हुई। मैंने माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से डिस्कशन किया था, तो उन्होंने कहा कि सर्वे में यह निकला है इसलिये इसको बनारस से किया गया है क्योंकि जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट

मतलब नाव का हिस्सा जो पानी के नीचे रहता है, उसके लिए प्रयागराज से वाराणसी तक अनुकूल दशायें नहीं मिल रही हैं। मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी बतायें कि क्या प्राधिकरण के माध्यम से इस दिशा में कुछ कार्यवाही कराई जा सकती है। वर्ल्ड का स्टैण्डर्ड तरीका है जब किसी भी पोर्ट में गाद या सिल्ट इकट्ठा हो जाती है, तो ड्रेजिंग करके उसके ड्राफ्ट को बढ़ाया जाता है। हमारे यहां एक सरकारी कम्पनी है, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया तो क्या इस प्राधिकरण में इसका भी प्राविधान रहेगा कि जब हम ड्रेजिंग कंपनीज को हायर करके ड्राफ्ट बढ़ा सकें जिससे कि हम ट्रेड ट्रैफिक बढ़ा सकें और जो प्रयागराज नेशनल वाटर-वे बनने से वंचित रह गया वह भविष्य में इस प्राधिकरण के माध्यम से वापस नेशनल वाटर-वे-1 में जुड़ जाये। इसका लाभ हमें यह मिलेगा कि हमारी जो बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ हैं वह हमारे यहां से भारी मात्रा में सीमेण्ट और तमाम चीजों को विश्व भर में हल्दिया पोर्ट के माध्यम से भेज सकती हैं और भारत के विभिन्न हिस्सों में भेज सकती है। नेशनल वाटर वे-1 का जो पार्ट हम लोग नहीं हो पाये वह भविष्य में हो पायेंगे, जिससे हमारे प्रयागराज में यमुनापार जो नैनी का इण्डस्ट्रियल एरिया है वह फिर से जिन्दा हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी औद्योगिक क्षेत्र कानपुर से आते हैं और आपका कानपुर और हमारे प्रयागराज का नैनी औद्योगिक पावर हाउस माना गया है, वह फिर से जिन्दा हो सकेगा।

श्री संदीप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस अध्यादेश के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और स्वयं को इंजीनियर सचिन यादव से सम्बद्ध करते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि यह जो बिल लाया गया है वह देखने और सुनने में तो अच्छा लगता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, आप विषय पर आइये। दूसरे माननीय सदस्य जो बात बोल चुके हैं वह मत बोलिये। आपके क्या सुझाव हैं और आपने क्या पढ़ा है वह बोलिये।

श्री संदीप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो बोलते समय कॉमन जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनका भाव अलग रहता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह बात बार-बार आयेगी कि हमको दूसरे जनपद और दूसरे प्रदेशों को जोड़ने के लिए जिन नदियों का उपयोग करना है उसमें जल का स्तर क्या है, उनकी परिस्थितियाँ क्या हैं, निश्चित रूप से यह सब बिन्दु बार-बार आयेंगे, लेकिन चूंकि यह बहुत अहम बिन्दु हैं, इसलिये यह बात बार-बार कहनी मजबूरी है। अगर हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि नदियों के प्रदूषण, नदियों के पानी, जिस तरह से बालू का जमाव होता है उससे जब हमारा मकसद हल नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि इस बिल को लाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बिल की कोई आवश्यकता नहीं है और इस पर पुनर्विचार किया जाये।

परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने कई विषयों पर ध्यान आकर्षित किया जिसमें मुख्यतः प्रदूषण की बात आई है। यह विधेयक प्रदूषण दूर करने के लिए सबसे ज्यादा सहायक होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ चलने लगी हैं। हम लोग अभी ज्यादातर गैस के बिना गाड़ियाँ चला रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलने लगी हैं तो हम लोग वहां पर हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक या ग्रीन गैस से चलायेंगे और प्रदूषण को भी नियंत्रित करेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर कहीं नाव डूबने लगती है तो क्या उसके लिए पहले से कहीं कोई प्रावधान किया जाता है कि उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है या जो नाविक है उसे ट्रेनिंग दिया गया है ? वह कैसे बच सकता है ? उसकी किस तरह से व्यवस्था हो, क्योंकि नाव पर सैकड़ों लोग यात्रा करते हैं और उसकी कोई नियमावली नहीं है ? प्राधिकरण इस काम को देखेगा और कई विभागों को इसमें सम्मिलित करते हुए जैसे सिंचाई विभाग, वन विभाग, वित्त विभाग जिसमें अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे और इसके लिए जल परिवहन के जो लोग एक्सपर्ट होंगे वही इसके सदस्य होंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मेरे पास सबके बिल हैं उसकी कॉपी करके आप लोगों को दे दी जाएगी। नदियों के किनारे जब लोग घर बना लेते हैं और डूबने लगते हैं तो कहते हैं कि सरकार ने उनकी कोई रक्षा नहीं की। इन सभी चीजों का हम लोग पहले से ही आंकलन कर लेंगे कि नदी के अन्दर कोई घर न बनाए। आगरा में बांध में राजस्थान से जब पानी छोड़ दिया गया तो लोगों ने नदी के किनारे घर बना लिया और जब डूबने लगे तो प्रशासन को उनकी मदद करने के लिए भेजा गया। इन सब चीजों पर प्राधिकरण पहले से ही विचार करेगा और इन सभी चीजों को ठीक करेगा।

जहां तक पानी के जल स्तर की आप बात कर रहे हैं, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पानी की सम्भावना उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में नदियों में जितना पानी है, हिन्दुस्तान की किसी भी प्रान्त में इतना पानी नहीं है। यहां नदियों का भण्डार है, जल का भण्डार है और गंगा तथा जमुना में सर्दियों में कभी भी पानी कम नहीं होता है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज अभी हल्दिया में गयी है वह भारत में निर्मित हुई थी। जो कि यात्रियों के लिए सबसे बड़ा क्रूज है। जब इतना बड़ा क्रूज जा सकता है, तो छोटे-छोटे जब हम लोग चलाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से कम पानी में भी जो अच्छी क्रूज चल सकती हैं, इसके लिए मुम्बई में तीन दिन का सेमिनार हुआ था जिसमें मैं और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर भी गये थे वहां पर हम लोगों ने अध्ययन किया और देखा कि दो-दो फिट के पानी में भी अच्छी क्रूज

चल सकती हैं। हमारे यहां एशिया सुराहा ताल 52 किलोमीटर में जिसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। उसे पर्यटक के रूप में माननीय मंत्री जी ने इको पर्यटन के रूप में रखा है। प्रदेश में बहुत सारी सम्भावनाएं हैं उसे भी हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

पूरा विषय आ गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। जिस समय प्राधिकरण का गठन हुआ था उस समय यह सारे इश्यूज जो माननीय सदस्य श्री सचिन जी ने यहां पर रखे हैं वह सभी यहां पर एड्रैस होंगे। कोई प्राधिकरण बनता है तो उसमें बहुत सारे काम होने होते हैं, जो माननीय मंत्री जी ने बताए हैं।

अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-42 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023

मॉडल शिफ्ट, लॉजिस्टिक्स नीति के साथ-साथ पोत परिवहन और नौपरिवहन में सहायता हेतु नदी किनारे समुदायों के विकास, प्रथम और अन्तिम मील संयोजकता के रूप में सुरक्षित, कुशल, विश्वसनीय तथा पर्यावरण के अनुकूल अन्तर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन के प्रयोजनार्थ अन्तर्देशीय जलमार्गों के विनियमन तथा विकास हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में एक अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक अधिसूचित किये जा सकेंगे और ऐसे किसी उपबन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबन्ध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

परिभाषाएं 2–(1) जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में :–

(एक) "अनुलग्न भूमि" का तात्पर्य राष्ट्रीय या राज्य जलमार्ग से अनुलग्न समस्त भूमि से है, चाहे वह सीमांकित हो या न हो;

(दो) "प्राधिकरण" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से है;

(तीन) "घाट" का तात्पर्य अंतर्देशीय जल के साथ जलयान/पोत को घाट पर लगाये जाने के लिए गोदी, जेटी आदि प्रसुविधा से है;

(चार) "कार्गो" में जीवित व्यक्तियों के सिवाय ऐसी कोई भी वस्तु सम्मिलित है जिसका वहन जलयान में किया जा रहा हो, या किया जाने वाला हो;

(पांच) "कार्गो जलयान" का तात्पर्य ऐसे जलयान से है, जो यात्री जलयान नहीं है;

(छः) "केन्द्रीय सरकार" का तात्पर्य भारत सरकार से है;

(सात) "आदेश" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के आदेश से है;

(आठ) "सफाई" में जलमार्गियों की झलाई, प्रशिक्षण, बंद करना, मोटना या परित्याग करना भी सम्मिलित है;

(नौ) "सफाई उपाय" का तात्पर्य सफाई के प्रयोजनों के लिए उपाय से है किन्तु इसमें बाढ के सापेक्ष तटों की सुरक्षा और उन तटों को प्रतिबंधित करने के उपाय सम्मिलित नहीं है जो मुख्यतया पोत परिवहन और नौ परिवहन से संबंधित क्षेत्रों के कारण कटावग्रस्त हो गये हों;

(दस) "नौघाट" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग के पार या उसके साथ यात्री परिवहन सेवाएं या संयुक्त रूप से यात्री और माल परिवहन सेवाएं प्रदान करने जलयान से है;

(ग्यारह) "माल" में जीवित व्यक्तियों को छोड़कर पशुधन और जलयान द्वारा ले जाया गया कोई वस्तु सम्मिलित है;

(बारह) "अवसंरचना" में डोकस, गोदी, जेटी, लैंडिंग स्टेज, लॉक, बोइस, अंतर्देशीय बंदरगाह, कार्गो हैंडलिंग उपकरण, सड़क और रेल अभिगम और कार्गो भण्डारण स्थल जैसी संरचनाएं सम्मिलित हैं और पद "अवसंरचनात्मक सुविधाओं" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(तेरह) "अंतर्देशीय जल" अंतर्देशीय नौवहन के प्रयोजन से उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर नदियों, नहरों, धाराओं, झीलों और अन्य नौगम्य जल निकायों को सम्मिलित करता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है;

(चौदह) "अंतर्देशीय राज्य जलमार्ग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर के जलमार्ग से है;

(पन्द्रह) "जेटी" का तात्पर्य जलयान में और जलयान से यात्रियों और माल को लाने एवं ले जाने हेतु अंतर्देशीय जल में कृत्रिम ढांचा से है;

(सोलह) "निर्माता" का तात्पर्य जलयान या उसके किसी हिस्से या उपकरण के निर्माण में लगे हुए व्यक्ति से है;

(सत्रह) "सदस्य" का तात्पर्य धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य से है और इसमें प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(अट्ठारह) "राष्ट्रीय जलमार्ग" का तात्पर्य राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 17 सन् 2016) के अधीन राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग से है;

(उन्नीस) "नाव्य जलधारणी" का तात्पर्य ऐसी जलधारणी से है, जो पूर्ण वर्ष भर या उसके किसी भाग के दौरान नाव्य हो;

(बीस) "यात्री" का तात्पर्य कोई व्यक्ति जो जलयान पर किसी भी सामर्थ्य से सेवारत हो या कार्यरत हो, को छोड़कर जलयान पर आने जाने वाले किसी व्यक्ति से है;

(इक्कीस) "यात्री जलयान" का तात्पर्य है किराए या प्रतिफल पर यात्रियों को लाने में प्रयुक्त किसी पोत से है;

(बाइस) "बंदरगाह" का अर्थ वही होगा जैसा कि भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 15 सन् 1908) में परिभाषित है;

(तेईस) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(चौबीस) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम से है;

(पच्चीस) "नियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम से हैं;

(छब्बीस) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से है;

(सत्ताईस) "राज्य विधानमण्डल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विधानमण्डल से है;

(अट्ठाइस) "राज्य जलमार्ग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर अंतर्देशीय जलमार्ग है जिसे राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जा सकता है;

(उन्तीस) "गोदी" का तात्पर्य किसी जहाज/जलयान का गोदी पर लगने के लिए अंतर्देशीय जल के तट पर एक निर्माण से है;

(2) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 82 सन् 1985) और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) और तद्धीन बनाए गए केंद्रीय नियमों में प्रयुक्त और इस अधिनियम में अपरिभाषित शब्दों और पदो के वही अर्थ होंगे जो पूर्वोक्त अधिनियमों और नियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

प्राधिकरण का गठन

3–(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कहा जायेगा।

(2) उक्त प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन समनुदेशित हैं।

(3) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान और अनुबंध करने की शक्ति के साथ शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से मुकदमा दायर किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा।

(4) प्राधिकरण में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्:–

(एक) या तो परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश या अन्तर्देशीय जलमार्ग, पोतपरिवहन तथा नौपरिवहन, बन्दरगाह, समुद्री मामले या उससे सम्बन्धित मामले में विशेष ज्ञान तथा वृत्तिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त या नामनिर्दिष्ट कोई विशेषज्ञ –अध्यक्ष

(दो) राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों मे से नियुक्त व्यक्ति जिनके पास अंतर्देशीय जलमार्ग, पोतपरिवहन और नौपरिवहन, बंदरगाहों, समुद्री मामलों या उससे सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है – उपाध्यक्ष

(तीन) वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव – सदस्य (पदेन);

(चार) लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव– सदस्य (पदेन);

(पांच) परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव – सदस्य (पदेन);

(छः) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव– सदस्य (पदेन);

(सात) पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव– सदस्य (पदेन),

(आठ) वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव– सदरय (पदेन);

(नौ) आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) का एक प्रतिनिधि– सदस्य;

(दस) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश– मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदेन;

प्राधिकरण का कार्यालय

4–(1) प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे स्थानों पर उप–कार्यालयों और जन सुविधा केन्द्रों की स्थापना कर सकता है, जैसा किया जाना आवश्यक हो।

अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष (वीसी)

5–(1) प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष (वीसी) प्राधिकरण के पूर्णकालिक अधिकारी होंगे।

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष ऐसे कार्यकाल के लिए पद पर रहेंगे जो विहित किया जाय लेकिन वह 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अध्यक्ष के पद का कार्यकाल (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नवीकृत किया जा सकता है और उपाध्यक्ष का कार्यकाल इस सम्बन्ध में जारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा नवीकृत किया जा सकता है।

(3) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष प्राधिकरण की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

अध्यक्ष (यदि किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हताएं

6–कोई व्यक्ति अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह,–

(क) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता सम्मिलित है; या

(ख) एक अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(ग) विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(घ) सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी कंपनी की सेवा से हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है; या

(ङ) राज्य सरकार की राय में, प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र और निष्कासन

7–(1) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हाथ से लिखित नोटिस द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं।

(2) धारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष जो उनकी/उसकी राय में,–

(क) कार्य करने से इंकार कर देता है; या

(ख) कार्य करने में अशक्तार्थ हो गया है; या

(ग) अपने पद का इतना दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक हो गया है; या

(घ) अन्यथा, सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त है।

(3) राज्य सरकार, अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष को उनके विरुद्ध जांच होने तक निलंबित कर सकती है।

(4) हटाए जाने के मामले में, अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया गया है) और उपाध्यक्ष को मामले में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और जब हटाने का ऐसा आदेश पारित किया गया हो, अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष की सीट रिक्त घोषित की जाएगी।

(5) कोई अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष, जिसे इस धारा के अधीन हटा दिया गया है, प्राधिकरण के अधीन किसी भी क्षमता में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां

8–(1) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित और ऐसी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य जो विहित किये गये हों, प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा।

(2) प्राधिकरण का उपाध्यक्ष, प्राधिकरण द्वारा विहित या उसको प्रत्यायोजित अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन करेगा।

प्राधिकरण की प्रशासनिक शाखाएं, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी

9–(1) प्राधिकरण के पास इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक शाखाएँ होंगी :–

(क) तकनीकी शाखा (समुद्री और समुद्री, नागरिक, यांत्रिक, जलराशि सर्वेक्षण, मानचित्रण, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि)।

(ख) अंतर्देशीय जल परिवहन और यातायात और रसद के साथ–साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान और विकास शाखा आर एंड डी।

(ग) सामान्य प्रशासन और वित्त शाखा।

(घ) कोई अन्य शाखा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा सृजित की जा सकती हैं।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक शाखा के प्रमुख को निदेशक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे या तो राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित विषयों में शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों में से नियुक्त किये जायेंगे या उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिये जा सकते हैं।

(3) राज्य सरकार परिवहन विभाग, उ0प्र0 के अधिकारियों में से प्राधिकरण के सचिव की नियुक्ति करेगा जो अपर परिवहन आयुक्त स्तर का होगा। सचिव की सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(4) प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

(5) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

(6) प्राधिकरण के सचिव, निदेशक (निदेशकों) और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन और भत्ते प्राधिकरण की निधियों से आहरित किये जाएंगे।

बैठकें

10–(1) प्राधिकरण की बैठकें ऐसे समय पर होंगी जैसा अध्यक्ष निदेश दें, परन्तु प्राधिकरण की बैठकें कलैंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी।

(2) प्राधिकरण ऐसे स्थानों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किया जाय।

(3) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा दोनों की अनुपस्थिति में प्राधिकरण का ज्येष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

प्राधिकरण का कारबार के सिद्धान्तों पर कार्य करना

11–इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण, जहां तक हो सकेगा कारबार सिद्धांत पर कार्य करेगा।

सलाहकार समिति तथा विशेषज्ञों का पैनलीकरण

12–(1) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण समय–समय पर ऐसी सलाहकार समितियों का गठन कर सकेगा जो उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(2) किसी सलाहकार समिति में पोत परिवहन एवं नौपरिवहन और सहबद्ध पहलुओं से सम्बन्धित योग्यता और अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे।

(3) प्राधिकरण आवश्यकतानुसार कृत्यों के दक्ष निर्वहन हेतु किसी विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को पैनलित कर सकता है ।

रिक्ति आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

13–(1) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि–

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्त है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

अध्याय–तीन

प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य

प्राधिकरण की शक्तियां एवं कृत्य

14–(1) प्राधिकरण यह कर सकता है,–

(क) अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) में राज्य सरकार से संबंधित उपबन्धों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से एक नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;

(ख) अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) के अधीन प्रदत्त शक्तियों, कार्यों या कृत्यों के निर्वहन के संबंध में भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से सहयोग और समन्वय करना;

(ग) अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन, अंतर्देशीय जल बंदरगाह और टर्मिनल संचालन और सेवाओं की गतिविधियों को विनियमित करना;

(घ) अंतर्देशीय जलमार्गों पर, उसके पार या उसके नीचे संरचनाओं के निर्माण या परिवर्तन को विनियमित करना;

(ङ) अंतर्देशीय जलमार्गों (राष्ट्रीय जलमार्गों के अतिरिक्त) के वर्गीकरण के लिए मानक अधिकथित करना;

(च) नदी क्रूज संचालन के लिए पर्यटक सर्किट मार्ग तैयार करना और विनियमित करना;

(छ) सभी मशीनीकृत जहाजों और गैर–मशीनीकृत जहाजों का अंतर्देशीय जहाजों का रजिस्ट्रीकरण और सर्वेक्षण करना;

(ज) जहाजों, बंदरगाहों, टर्मिनलों, नेविगेशन और अन्य अंतर्देशीय जल परिवहन और पर्यटन गतिविधियों के लिए विहित सुरक्षा और पर्यावरण कानूनों/विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(झ) अंतर्देशीय जलमार्गों और अनुलग्न भूमि में किसी भी बाधा या अड़चन को जो सुरक्षित नौपरिवहन में बाधा डाल सकती हो या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की या संरक्षण उपायों की सुरक्षा को संकटापन्न कर सकती हो उस दशा में जहां ऐसी बाधा या अड़चन विधिपूर्वक की गई हो उस व्यक्ति को जिसको ऐसी बाधा के हटाने या परिवर्तन द्वारा नुकसान हो प्रतिकर देने के पश्चात, हटा सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा ऐसी रुकावट या बाधा का लंबे समय तक जारी रहना या अन्यथा, ऐसे निष्कासन या परिवर्तन से क्षति से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने के बाद;

(ञ) जलमार्गों के तल में या उससे कचरा फेंकने, सामग्रियों के संनिक्षेपण या वहां से उनको हटाने जैसे क्रियाकलाप को नियंत्रित करना और अपेक्षित स्वागत सुविधाएं और ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करना;

(ट) उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर एक नदी, झील और अन्य जल निकाय के अवाह क्षेत्र का अवधारण और वर्गीकरण, अवधारित और परिभाषित अवाह क्षेत्र के भीतर क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण;

(ठ) पोतपरिवहन और नौपरिवहन की सुरक्षा और सुविधा और अंतर्देशीय जलमार्गों के सुधार के लिए संरक्षण उपाय करना;

(ड) अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और बेहतर उपयोग के लिए जलराशि सर्वेक्षण और अन्वेषण करना और दिन और रात के नौपरिवहन के लिए नौपरिवहन सहायता प्रदान करने वाले नदी चार्ट प्रकाशित करना, लेकिन यह रेडियो संचार तक सीमित नहीं है;

(ढ) अंतर्देशीय जलमार्गों के बारे में नौपरिवहन मौसम संबंधी जानकारी का प्रसार करना;

(ण) राष्ट्रीय जलमार्ग पर अन्तर्देशीय जल परिवहन का परिवहन के अन्य प्रकारों से समन्वय सुनिश्चित कर सकेगा;

(त) उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के भीतर स्थित अंतर्देशीय जलमार्गों पर यान मार्गदर्शन की व्यवस्था कर सकेगा और बनाये रख सकेगा, जिनके संबंध में केंद्र सरकार ने कुछ भी विनिर्दिष्ट नहीं किया है;

(थ) अंतर्देशीय जलमार्गों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं, जल पर्यटन, ड्रेजिंग, नदी प्रशिक्षण, तटबंध, इत्यादि की स्थापना सहित अंतर्देशीय जल में पोतपरिवहन और नौपरिवहन से सुसंगत किसी भी क्रियाकलाप को प्रदान या अनुमति देना;

(द) अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनलों के निर्माण, टर्मिनलों तक/से लोडिंग और अनलोडिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग मार्गों पर जलयान से जलयान पोतांतरण को विनियमित करना;

(ध) उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर मशीनीकृत और गैर–मशीनीकृत अंतर्देशीय जहाजों के लिए यात्री किराए और माल भाड़े के लिए अधिकतम दरें नियत करने की शक्ति;

(न) पोंटून पुलों का विनियमन;

(प) अंतर्देशीय जल यातायात डेटा का विश्लेषण करना और उत्तर प्रदेश राज्य में समग्र अंतर्देशीय जलमार्ग विकास पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग यातायात मांग के लिए अनुमान लगाना और जलयान/कार्गो/फेरी संचालकों को उनकी विस्तार योजनाएँ तैयार करने में सहायता करना;

(फ) जल परिवहन और पर्यटन, और पोतपरिवहन और नौपरिवहन से संबंधित मामलों में वैज्ञानिक और व्यावहारिक अनुसंधान में संचालन और लगाया जाना;

(ब) अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन सेवा प्रदाता, अंतर्देशीय जलयान मालिकों और चालक दल, प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित हितधारकों की क्षमता निर्माण के प्रयोजन से एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के साथ–साथ भारत के भीतर और बाहर तकनीकी प्रशिक्षण के कार्यक्रम की व्यवस्था करना;

(भ) अंतर्देशीय जलमार्ग, जल परिवहन और पर्यटन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना;

(म) राज्य सरकार द्वारा इसे समनुदेशित अन्य संबंधित कार्य करना;

(य) इसके समुचित कामकाज के लिए विनियम और विस्तृत मार्गदर्शन तैयार करना और कार्यकारी निर्देश जारी करना;

(ककक) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित समस्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें;

(2) उप–धारा (1) के अधीन अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण कर सकता है–

(क) पर्यावरणीय, आर्थिक, सुरक्षा प्रबंधन और आपातकालीन योजनाओं को अनुमोदित करना और कार्यान्वित करना,

(ख) राज्य सरकार को इस अधिनियम में संशोधन की सिफारिश करेगा;

(ग) उपभोक्ताओं और व्यापार के लाभ के लिए मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करना;

(घ) इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी, निजी भागीदारी और आउटसोर्सिंग को प्रोत्साहित करना;

(ङ) इस अधिनियम के लिए आनुसंगिक किसी भी शक्ति के प्रयोग या किसी भी कार्य के निर्वहन के लिए समस्त आवश्यक कदम उठाना;

(च) राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किसी भी अन्य कृत्य, कर्तव्य और जिम्मेदारी का निष्पादन;

(छ) अंतर्देशीय जल परिवहन संचालकों, नौका सेवा प्रदाताओं, अंतर्देशीय जल यातायात सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के न्यूनतम मानक अधिकथित करना; और

(ज) सेवा की निरंतरता, विश्वसनीयता और गुणवत्ता से संबंधित निर्धारित प्रदर्शन मानकों की अनुश्रवण एवं लागू करना।

(3) उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मुआवजे से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद का निर्धारण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक भूमि के मामले में इसी तरह के विवादों से संबंधित कानून के अनुसार किया जाएगा।

प्राधिकरण को सिविल न्यायालय के समान ही शक्तियां प्राप्त होंगी

15–इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय प्राधिकरण को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) के अधीन वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात–

(एक) लोगों को समन करना एवं हाजिर कराना और उन्हें शपथ के साथ मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों या चीजें प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना;

(दो) दस्तावेज़ों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की आवश्यकता;

(तीन) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(चार) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपियों की अपेक्षा करना।

पारदर्शिता और सुशासन

16–प्राधिकरण समस्त हितधारकों के साथ सम्यक परामर्श करके और अपने समस्त विनिश्चयों को सार्वजनिक सूचना के लिए पूर्ण रूप से प्रलेखित और उपलब्ध कराकर इस अधिनियम के अधीन प्रतिस्थापित शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए सुशासन, पारदर्शिता और औचित्य को सुनिश्चित करेगा।

अध्याय–4

संपत्ति और अनुबंध

राज्य सरकार की आस्तियों और देनदारियों का प्राधिकरण को हस्तांतरण

17–(1) ऐसे दिन से, जिसे राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है–

(क) ऐसे दिन से ठीक पूर्व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निहित अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन से संबंधित या सम्बद्ध समस्त संपत्तियां और अन्य संपत्तियां, प्राधिकरण में निहित होंगी;

(ख) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में ऐसे दिन से ठीक पूर्व राज्य सरकार द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए जाने वाले समस्त उपगत ऋण, दायित्व और देनदारियां, किए गए समस्त अनुबंध और किए जाने वाले समस्त मामले और चीजें प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ, या उसके लिए किया गया और किया जाने वाला माना जायेगा;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के प्रयोजनों के लिए या के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उस दिन तक उपगत किए गए समस्त गैर–आवर्ती व्यय और राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय घोषित किए जाने पर, ऐसे निबंधन और शर्तों के अध्यधीन होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को प्रदान की गई पूंजी के रूप में माना जाएगा;

(घ) ऐसे दिन से ठीक पहले अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के संबंध में राज्य सरकार को देय समस्त धनराशि प्राधिकरण को देय समझी जाएगी;

(ङ) अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन, जल पर्यटन और पोत परिवहन के सम्बन्ध में किसी भी मामले के संबंध में समस्त वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों जो राज्य सरकार द्वारा या उसके खिलाफ शुरू की गई हैं और लंबित हैं, या जो इस तरह से संस्थित किया जा सकता था, ऐसी तारीख से ठीक पहले, ऐसी तारीख को और उसके बाद प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जाएगा या संस्थित किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण को उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेने या सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार नियमित कर्मचारियों या संविदा कर्मचारियों को स्वयं के स्वामित्व पर नियुक्त करने की शक्ति होगी।

बशर्ते कि प्राधिकरण के साथ ऐसे किसी भी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, प्राधिकरण ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में राज्य सरकार या संबंधित विभाग को उसके अवकाश वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए ऐसा योगदान देगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जा सकता है:

परन्तु यह और कि कोई भी ऐसा कर्मचारी जिसे, अपनी नियमित सेवा में शामिल करने के प्राधिकरण के प्रस्ताव के संबंध में, प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचित किया हो, कि वह नियनित कर्मचारी बनने का अपना आशय रखता है, प्राधिकरण द्वारा अपनी नियनित सेवा में समाहित कर लिया जाएगा।

(3) यदि कोई विवाद या संदेह उठता है कि राज्य सरकार की कौन सी संपत्ति, अधिकार या देनदारियां प्राधिकरण को अंतरित कर दी गई हैं या राज्य सरकार के अधीन सेवारत कर्मचारियों में से किसे इस धारा के अधीन प्राधिकरण के साथ प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा, ऐसे विवाद या संदेह का निर्णय राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के परामर्श से किया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी भी राज्य कानून के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, इस धारा के अधीन, प्राधिकरण द्वारा किसी भी कर्मचारी को अपनी नियनित सेवा में समावेशित करने से ऐसा कर्मचारी उस अधिनियम या अन्य कानून के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा और किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा संविदाएँ

18–इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कोई संविदा करने और पालन करने के लिए सक्षम होगा।

प्राधिकरण की ओर से संविदाओं को निष्पादित करने की रीति

19–(1) प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक संविदा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य या ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जो प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त सामान्यतया या विशेष रूप से सशक्त हों और विनियमों में विनिर्दिष्ट ऐसे संविदाओं या संविदाओं की श्रेणी प्राधिकरण की सामान्य मुहर के साथ मुहरबंद की जाएगी:

परन्तु ऐसे मूल्य या रकम से अधिक का कोई अनुबंध नहीं किया जाएगा जो राज्य सरकार समय–समय पर आदेश द्वारा इस निमित्त तय कर सकती है, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इसे पूर्व में अनुमोदित न किया गया हो;

परन्तु यह और कि स्थावर संपत्ति के अर्जन या विक्रय के लिए कोई संविदा या तीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी संपत्ति का पट्टा तथा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय–समय पर आदेश द्वारा ऐसे मूल्य या रकम से अधिक की कोई अन्य संविदा निश्चित नहीं होगी जब तक इसे राज्य सरकार द्वारा पूर्व में अनुमोदित नहीं किया गया हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन कोई संविदा करने की प्ररूप और रीति ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(3) कोई भी संविदा जो इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन विनियमों के अनुसार नहीं है, वह प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।

अध्याय–5

वित्त, लेखा लेखा परीक्षा तथा वार्षिक रिपोर्ट

फीसों और प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण

20–(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पोत परिवहन, नौचालन, अवसंरचनात्मक सुविधाओं के प्रयोजनों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग के संबंध में प्रदान की गई सेवाओं या लाभों के लिए ऐसी दरों पर फीस और प्रभार का उद्ग्रहण कर सकता है, इसमें यात्रियों के लिए सुविधाएं और जहाजों की ठहरने से संबंधित जलयानों को घाट पर लगाने से संबंधित सुविधाएं, स्थोरा की उठाई–धराई और स्थोरा का भण्डारण शामिल है।

(2) उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत फीस और प्रभार ऐसी रीति से संगृहीत किये जाएंगे जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित किये जाएं।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान और ऋण

21–राज्य सरकार, राज्य विधानमण्डल द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गये सम्यक विनियोग के पश्चात प्राधिकरण को ऐसी धनराशि का अनुदान और ऋण दे सकेगी, जो आवश्यक समझे।

प्राधिकरण की उधार लेने की शक्तियां

22–प्राधिकरण, ऐसी रीति से और राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है या बंधपत्रों, डिबेंचरों या अन्य लिखितों, को, निर्गमित करके, किसी स्रोत से धन उधार ले सकता है जैसा वह इस अधिनियम के अधीन अपने समस्त या किसी कृत्य के निर्वहन के लिए उचित समझे।

निधि का गठन

23–(1) "उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि" नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे–

(क) केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिया गया कोई अनुदान और ऋण;

(ख) इस अधिनियम के अधीन और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (अधिनियम संख्या 24 सन् 2021) के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त फीस और प्रभार;

(ग) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(घ) अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की किसी विशिष्ट परियोजना के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई भी राशि;

(ङ) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त राशियाँ, जिन पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

(2) निधि को निर्वहन के लिए उपयोजित किया जाएगा –

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किसी विशेषज्ञ व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है) और उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण के व्यय;

(ग) अपने मुख्य कार्यालय और अन्य उप–कार्यालयों की स्थापना में प्राधिकरण के खर्च, या तो नए निर्माण के माध्यम से या किराए पर लेने के माध्यम से।

बजट

24–प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

निधियों का विनिधान

25–प्राधिकरण अपनी निधियों (किसी भी आरक्षित निधि सहित) का विनिधान राज्य और केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में या ऐसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, कर सकेगा।

प्राधिकरण के बैंकर्स

26–प्राधिकरण के बैंकर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) के अर्थ में कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए।

लेखा और लेखापरीक्षा

27–प्राधिकरण के खातों का रख–रखाव और लेखा–परीक्षा उस रीति से की जाएगी जो उत्तर प्रदेश के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और प्राधिकरण अपनी लेखापरीक्षित प्रति और उसके आधार पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ ऐसी तिथि से पहले जो विहित की जाय, ऐसी राज्य सरकार को देगा।

वार्षिक रिपोर्ट

28–प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा विवरण देते हुए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाना

29–राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी।

अध्याय–6
विविध

राज्य सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति

30–(1) इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो राज्य सरकार समय–समय पर उसे लिखित रूप में दे:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व प्राधिकरण को यथासाध्य जहाँ तक हो सके अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) राज्य सरकार का यह विनिश्चय कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं अंतिम होगा।

प्राधिकरण के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन

31—प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित कोई भूमि लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जायेगी और ऐसी भूमि का प्राधिकरण के लिए अर्जन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य तत्समान विधि के उपबन्धों के अधीन किया जा सकेगा।

कुछ विधियों का लागू होना आदि

32—(1) इस अधिनियम के उपबंध भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और विशेष रूप से इस अधिनियम में कुछ भी भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) के अधीन किसी भी बंदरगाह के संरक्षक या किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा प्रयोग, निष्पादित या निर्वहन के लिए आवश्यक किसी भी क्षेत्राधिकार, कार्यों, शक्तियों या कर्तव्यों को प्रभावित नहीं करेगा, या किसी भी प्रमुख बंदरगाह के लिए न्यासी बोर्ड या प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) के अधीन किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, ऐसे बंदरगाह या प्रमुख बंदरगाह की सीमा के भीतर आने वाले अंतर्देशीय जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग सहित) के किसी भी हिस्से के संबंध में।

(2) इस अधिनियम में कुछ भी अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 24) या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम (भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 15) के अलावा और प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 1) या किसी भी राष्ट्रीय जलमार्ग पर पोत परिवहन और नौचालन के संबंध में इस अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले प्रवृत्त कोई राज्य अधिनियम, संचालन को प्रभावित नहीं करेगा।

प्रवेश करने की शक्ति

33—इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत कोई व्यक्ति जब भी इस अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तब सभी युक्तियुक्त समयों पर किसी भूमि या परिसर में प्रवेश कर सकेगा, और—

(क) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन अथवा जांच कर सकेगा ;

(ख) तल मापन कर सकेगा ;

(ग) अपमृदा की खुदाई या वेधन कर सकेगा ;

(घ) सीमाओं और संकर्म का आशयित रेखांकन कर सकेगा ;

(ङ) चिह्न लगाकर और खाइयां काट कर ऐसी तल सीमाओं और रेखाओं को चिह्नित कर सकेगा ; या

(च) ऐसे अन्य कार्य या बातें कर सकेगा, जो विहित की जाएं :

परन्तु ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन में या किसी निवास-गृह से संलग्न किसी परिवृत्त आंगन या उद्यान में प्रवेश (जब तक कि वह प्रवेश उसके अधिभोगी की सम्पत्ति से न हो) ऐसे अधिभोगी को पहले, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम चौबीस घंटों की लिखित सूचना देकर ही करेगा।

प्रत्यायोजन

34—प्राधिकरण लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों और कृत्यों को (इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

प्राधिकरण के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन

35—प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और प्राधिकरण द्वारा निष्पादित सभी अन्य लिखतें, इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना

36—प्राधिकरण के सगत सदस्यों, अधिकारियों, और अन्य कर्मचारियों, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं, उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाई के लिए संरक्षण

37—(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम या नियमों अथवा विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही प्राधिकरण के विरुद्ध नहीं होगी और विशेषतया प्राधिकरण का यह उत्तरदायित्व नहीं होगा कि वह ऐसे अनुतोष उपायों के लिए उपबंध करे जो बाढ़ या संक्रमणों के टूट जाने और पूरा न होने के कारण आवश्यक हो गए हैं।

राज्य सरकार की प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति

38–(1) यदि, किसी राज्य सरकार की यह राय हो कि–

(क) गंभीर आपात के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या इसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं ; या

(ख) प्राधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्त्तव्यों के निर्वहन में बार–बार व्यतिक्रम किया है और उस व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या किसी राष्ट्रीय जलमार्ग प्रशासन को हानि हुई है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, अधिक से अधिक छह मास की इतनी अवधि के लिए जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस अधिनियम में वर्णित कारणों से इस अधिनियम के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, राज्य सरकार, प्राधिकरण को यह कारण दर्शित करने के लिए उचित अवसर देगी कि उसे अतिष्ठित क्यों न कर दिया जाए और प्राधिकरण के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर ;

(क) सभी सदस्य, अतिष्ठित किए जाने के दिनांक से, उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता, तब तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा, जिन्हें राज्य सरकार निदेश देगी;

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्ति जब तक इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है राज्य सरकार में निहित होगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण काल की समाप्ति पर, राज्य सरकार–

(क) अधिक्रमण काल को अधिक से अधिक छह मास तक की इतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जितनी आवश्यक समझे ; या

(ख) नई नियुक्ति द्वारा प्राधिकरण का पुनर्गठन कर सकेगी और ऐसी दशा में वे व्यक्ति जिन्होंने उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन अपने पद रिक्त किए हैं, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन मूलतः विनिर्दिष्ट अथवा इस उपधारा के अधीन बढ़ाई गई अधिक्रमण काल की समाप्ति के पूर्व किसी समय, इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना को और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई की तथा उन परिस्थितियों की जिनके कारण ऐसी कार्रवाई की गई है, पूरी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखवाएंगी।

नियम बनाने की शक्ति

39–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष और सचिव के निबंधन और शर्तें;

(ग) इस अधिनियम में संदर्भित सलाहकार समिति और विषय विशेषज्ञों के पैनलीकरण से संबंधित मामले;

(घ) वह प्रपत्र जिसमें, और जिस समय, प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपना बजट और इस अधिनियम के अधीन अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा;

(ङ) वह रीति जिसमें प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने निधि का विनिधान कर सकता है;

(च) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के खातों को बनाए रखने और सम्परीक्षा किये जाने की रीति;

(छ) इस अधिनियम के अधीन प्रवेश करने की शक्ति के प्रयोग के संबंध में शर्तें और निर्बंधन; और

(ज) कोई अन्य मामला जो ऐसे उपबंधों के कार्यान्वयन और प्रशासन के प्रयोजन से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्धारित किया जाना आवश्यक है या किया जा सकता है।

विनियम बनाने की शक्ति

40–(1) प्राधिकरण, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, साधारणतया इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप नियम बना सकता है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) वह रीति जिसमें और वे प्रयोजन जिनके लिए प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ग) ऐसी संविदाएं या ऐसे वर्ग की संविदाएं जो प्राधिकरण की सामान्य मुहर से प्रमाणित की जानी हैं और वह रीति और प्रारूप जिसमें प्राधिकरण द्वारा संविदा की जा सकेगी ;

(घ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अध्यधीन इस अधिनियम में निर्दिष्ट विषयों के संबंध में कोई कृत्य किए जा सकेंगे ;

(ङ) अन्तर्देशीय जलमार्ग पर पथ के नियम;

(च) अवसंरचनाओं और अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं का सुरक्षित, दक्षतापूर्ण और सुविधाजनक उपयोग, प्रबंध और नियंत्रण;

(छ) अन्तर्देशीय जलमार्ग पर लाए गए माल का ग्रहण, भंडारण और निष्कासन और माल का प्रभार लेने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो लैंडिंग से पहले क्षतिग्रस्त हो सकती है या कथित तौर पर इतनी क्षतिग्रस्त हो सकती है;

(ज) ऐसे डॉकों, घाटों, जेट्टियों और उतराई मंचों को जिन पर माल जलयानों से उतारा जाएगा और जलयानों के फलक पर लादा जाएगा, को विनियमित करना, घोषित करना और परिभाषित करना;

(झ) वह रीति जिसमें और वे शर्तें जिनके अधीन अन्तर्देशीय जल मार्ग पर, जलयानों पर माल लादा और उनसे उतारा जाएगा, को विनियमित करना; और

(ञ) उपद्रवियों या अन्य अवांछनीय व्यक्तियों तथा अतिचारियों को राष्ट्रीय जलमार्ग से हटाना;

(ट) बंधपत्रों, डिबेंचरों या अन्य लिखतों को जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें;

(ठ) अपनी बैठकों में कार्य संचालन के संबंध में समय, स्थान और प्रक्रिया के नियम, जिसमें इस अधिनियम के अधीन उसकी गणपूर्ति भी सम्मिलित है।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) से खंड (ञ) तक के अधीन बनाए गए किसी विनियम में यह उपबंध किया जा सकेगा कि उसका उल्लंघन जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन चालू रहता है वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् चालू रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

नियमों और विनियमों का राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाना

41–इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13

42–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों : कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्षों के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-42 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने गये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, आज हम मा0 सदन के सामने जो प्रस्ताव लेकर आये हैं वह जी0एस0टी0 से सम्बन्धित है। इसका पारण पहले 11 अगस्त को केन्द्रीय काउंसिल में हो चुका है और उत्तर प्रदेश राज्य से और अन्य बहुत से राज्यों से यह अपेक्षा की गयी थी कि वह भी अपने-अपने राज्यों से इसको पारित करा दें। इसमें मैटर यह है कि ऑनलाइन गेमिंग में पहले केवल यही था कि उसमें पहले पैसे के लेन-देन की बात नहीं थी, क्योंकि बहुत से लोगों का यह तर्क था कि यह गेम आफ स्किल है। जैसे चेस है गेम आफ स्किल है। लेकिन ज्यादा लोगों का

मत यह था और जो ज्यूडिशियली देख सकते थे कि यह ऑनलाइन गेमिंग गेम आफ स्किल नहीं है, गेम ऑफ चांस है। यह इसका बोन आफ कन्टेंशन है। यानी कि यहीं से यह बात शुरू हुयी। जब यह बात जी0एस0टी0 काउंसिल के सामने आयी। अभी तक उसमें सिर्फ यह लाइन थी कि ऑनलाइन गेमिंग। उसमें मनी की कोई बात नहीं आती थी। चूंकि हमारा स्टेट ऐसा है कि यहाँ पर न तो रेसकोर्स है, न कैसीनो है, न ही ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग है। लेकिन नई जनरेशन में जबसे यह ऑनलाइन गेमिंग शुरू हुयी तबसे यह इसमें काफी इन्वाल्व है। इसमें बड़े पैमाने पर लोग रुचि लेते हैं। हमारे बहुत से बच्चे खासकर जो कम्प्यूटर वगैरह ज्यादा यूज करते हैं वह एक तरीके से इसमें एडिक्ट हो गये और वह तमाम तरीके के ऑनलाइन गेम खेलते हैं और बेटिंग और गेमिंग करते भी हैं। खास तौर से एक्शनेबल क्लेम के बारे में यह हम संशोधन लेकर आये हैं। इस विधेयक में तीन परिभाषाओं में संशोधन कर रहे हैं, परिभाषा-2, परिभाषा-24 और एक अनूसूची-3 केवल इतनी बात है और यह इसलिए लाये हैं, क्योंकि अभी तक यह लोगों को अटपटा इसलिए लगता है, क्योंकि लोगों को यह समझ ही नहीं आता है कि यह हो क्या रहा है। इसलिए उसकी जड़ बताना जरूरी है। ऑनलाइन गेमिंग में हमने खासतौर से ऑनलाइन मनी गेमिंग को जोड़ दिया और जितने भी द्यूत के सम्बन्ध में जितनी भी उसकी वैराइटीज थीं जैसे दांव लगाना, किसी प्रकार का कैसीनो, किसी प्रकार की द्यूत क्रीड़ा, घुड़दौड़, लाटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। अभी तक जो शब्द हटाया गया उसकी जगह पर एक्शनेबल क्लेम जोड़ दिया गया और एक्शनेबल क्लेम के अन्तर्गत यह सभी चीजें आती हैं बेटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हार्स रेसिंग, लाटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। अर्थात् ऑनलाइन मनी गेमिंग में यह सारी चीजें आती हैं। उसको गेम ऑफ स्किल नहीं माना गया, उसको गेम ऑफ चांस माना गया। ऑनलाइन गेमिंग में यह होता है कि हम अपनी-अपनी टीम बनाते हैं और टीम के माध्यम से उसमें खेल होता है और खेल में कौन कितने रन बनायेगा, कौन कितने विकेट लेगा यह सब कुछ बाइचांस है। इसको किसी भी प्रकार से गेम ऑफ स्किल नहीं कहा जा सकता है। जैसे चेस है, चेस पूरी तरीके से गेम ऑफ स्किल है। तो इस आधार पर जी0एस0टी0 काउंसिल में इस पर लगभग डेढ़ साल तक चर्चा हुयी।

मा0 अध्यक्ष जी, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और रेसकोर्स यानी हॉर्स रेसिंग, इन तीनों को एक कैटेगरी में रखकर उन्होंने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया और अल्टीमेटली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन यह आई कि इसके ऊपर मैक्सिमम टैक्स लगना चाहिए अर्थात् 28 प्रतिशत टैक्स लगे और ग्रॉस गेमिंग रेवन्यू पर नहीं जो इसको सप्लाई करता है, जो इसको खिलाता है। अभी तक यह व्यवस्था थी कि जो इसको खिलाता है वह जितना दे दे उसके हिसाब से इसके ऊपर टैक्स लग जाए अर्थात् बेटिंग के एमाउण्ट को बांटकर उसके पास जितना बचे, उसमें से हमको मिल जाए। हमें सिर्फ 3-4 प्रतिशत मिलता था। पैक्ड एवं लेबिल आंटा पर 5 प्रतिशत टैक्स है और जो परिवार 5-5 करोड़ रुपये की गाड़ी से रेसकोर्स खेलने जाते हैं

वह यह कहते थे कि यह जो ऑनलाइन गेमिंग है या फिर रेसकोर्स है, हार्स रेसिंग गेम ऑफ स्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2021 से एक ही स्टैंड लिया था कि हम यह कहते थे कि किसी भी तरीके से न तो हार्स रेसिंग, न ही ऑनलाइन गेमिंग और न ही कसिनो, यह गेम ऑफ स्किल नहीं है। उन्होंने कैसिनो को तो शुरू में ही मान लिया था कि यह स्टेबल क्लेम के अन्तर्गत आता है, लेकिन ऑल इण्डिया लेबल पर हॉर्स रेसिंग के ऊपर करीब डेढ़ साल तक कम से कम 7-8 बैठकें हुई। उसके ऊपर जो जी0ओ0 बनाया गया उसकी भी 6-7 बैठकें हुईं। अल्टीमेटली वहां से यह निष्कर्ष आया कि इसमें जी0एस0टी0 का अधिकतम रेट लगना चाहिए और हम सीधे-सीधे पैसा लें, यह नहीं कि उसके पास जो कुछ बचे वह हम लें अर्थात् ग्रास गेमिंग रेवन्यू को वह कहते थे कि यह वर्ल्ड वाइड फिनॉमिना है, यह इण्टरनेशनल प्रैक्टिस है कि जी0जी0आर0 के ऊपर टैक्स पड़ता है अर्थात् जो भी सप्लायर या जो भी खिलवाते हैं उसके पास जो पैसा बचे उसमें से आप 28 प्रतिशत पैसा ले लो। अभी तक का जो रेवन्यू है उसमें मात्र 3-4 प्रतिशत ही पैसा मिलता था। उसको ठीक करने के लिए हमने 28 प्रतिशत कर दिया और जब हम इण्ट्री लेते हैं तो उस समय भी 28 प्रतिशत ले लेंगे अर्थात् चाहे हॉर्स रेसिंग में इण्ट्री हो, चाहे कैसीनो में इण्ट्री हो और चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो। हॉर्स रेसिंग, कैसीनो एवं ऑनलाइन गेमिंग को एक ही कैटेगरी में रखकर, इसमें अधिकतम टैक्स पड़े और 28 प्रतिशत के साथ-साथ इसमें जो कुछ भी करेंगे उसको इण्ट्री के वक्त ही ले लें अर्थात् जब कोई 1000 रुपये देकर इण्ट्री करेगा तो उससे टैक्स के रूप में पहले ही 280 रुपये जमा करा लेंगे। कितना जीता, कितना हारा यह सप्लायर तय करेगा, हिस्सा भी वही तय करेगा, पैसा भी वही लेगा और आखिर में वही बांटेगा और हमसे कहता है कि इतना पैसा ले लो, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गयी और आखिरकार यह प्रिवेल किया और इसमें ज्यादातर राज्यों ने इसको ओके भी किया।

आज की स्थिति यह है कि हमने अध्यादेश इसलिए जारी किया कि भारत सरकार से दिनांक 01 सितम्बर, 2023 को एक पत्र आया कि किसी भी तरीके से इसको 01 अक्टूबर से लागू करना है, चूंकि असेम्बली सेशन में नहीं थी। इसलिए इसको अध्यादेश के माध्यम से किया गया। श्री पंकज कुमार, अपर सचिव, जी0एस0टी0, भारत सरकार का दिनांक 01-09-2023 का पत्र है और हमने दिनांक 30-09-2023 को अध्यादेश जारी किया और आज आपके सामने हम यह प्रतिस्थानी विधेयक लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो बहुत ज्यादा डिस्कशन वाली हो। अगर किसी मा0 सदस्य को कुछ बोलना हो तो हम उसका स्वागत करेंगे। दूसरी चीज यह है कि ऑनलाइन गेमिंग को बाहर से बैठकर कंट्रोल करते हैं। इसलिए हमने कहा कि हमारे यहां पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा अर्थात् धारा-24 का जो संशोधन लाए हैं उसमें यह है कि वह या उसका कोई एजेण्ट अगर इसमें पार्टीसिपेट करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में कराना जरूरी होगा, इसलिए हम संशोधन लेकर आए हैं और जहां

तक पास होने का सवाल है उसमें 21 राज्य पास हो गये हैं। जे0के0 ने आर्डिनेन्स किया है, झारखण्ड ने आर्डिनेन्स किया है, राजस्थान ने आर्डिनेंस किया है।

तेलंगाना ने ऑर्डिनेन्स किया है, केरल ने ऑर्डिनेन्स किया है और छत्तीसगढ़ एवं पंजाब ने ऑर्डिनेन्स किया है बाकी 21 स्टेट्स ने असेम्बली से पास कराया और बाकी जगह पर ऑर्डिनेन्स हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि यह ऐसा विषय है कि अभी तक हमको जो 18 प्रतिशत टैक्स जी0जी0आर0 पर मिलता था अब हमको 14 प्रतिशत मिलेगा अर्थात् 28 प्रतिशत में आधा हमें मिलता है और आधा केन्द्र को मिलता है, अभी तक 18 प्रतिशत में से 9 प्रतिशत हमें मिलता था और 9 प्रतिशत केन्द्र को मिलता था। उसमें बिल्कुल न के बराबर मिलता था, 3-4 प्रतिशत का कोई मायने नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग पर 3-4 प्रतिशत टैक्स मिलता था, इसलिए इसकी तत्काल आवश्यकता थी, इसलिए इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया और अध्यादेश के बाद हम प्रतिस्थानी बिल लेकर आए हैं। हमारा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाये एवं इसे पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

कोई सदस्य इस पर विचार व्यक्त करना चाहें। (श्री समरपाल सिंह, सदस्य ने हाथ खड़ा किया) समरपाल जी, आज बहुत पढ़कर आए हो। (हंसी)

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय खन्ना जी से पूछना चाहता हूँ कि यह बोझ तो सारा कन्ज्यूमर पर पड़ेगा, एन्ट्री पर फीस ले रहे हैं। जो अन्दर बैठाकर खिला रहा है वह और फीस बढ़ा देगा, इसमें तो कन्ज्यूमर ही मरेगा। कुछ ऐसा माध्यम बनाओ कि इस पर बिल्कुल बैन लग जाये। मा0 खन्ना जी जो ऐप चल रहे हैं उससे कई बच्चे बर्बाद हो गये हैं, आप सही कह रहे थे। परिवार के परिवार में एक-एक बच्चा जुआ खेल रहा है, लॉटरी खेल रहा है। इसको बिल्कुल बैन करा देना चाहिए, मेरा आपसे यह अनुरोध है। वह जो पुरानी लॉटरी थी न, जो टिकटों से बिकती थी ऐसा ही धंधा इन्होंने ऐप के माध्यम से चला रखा है। कई लोग अपने बच्चों को साथ में लेकर आते हैं कि इसका क्या करें, पुलिस के हाथों में दे दिया फिर भी ये नहीं समझता। कई-कई बार बच्चों के कर्जे उतारे, उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है उसे उतार दो, आगे से नहीं खेलूंगा फिर पता चला कि वह फिर से खेलने लगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर बिल्कुल बैन लगा दीजिए जो फोन के माध्यम से चलता है।

श्री सचिन यादव-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने इस पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थाने बने हैं वे पहले से ही उतने सशक्त नहीं हैं, उतना सीरियसली वे आई0टी0 क्राइम्स को लेते नहीं हैं। यह जो ऑनलाइन गेमिंग है

यह मोस्टली आई0टी0 से रिलेटेड है। इस विधेयक में कुछ ऐसे भी स्टेप्स लेने चाहिए थे जिससे ऑनलाइन क्राइम्स हैं उसको उतना ही सीरियसली लिया जाये। जो हमारे थाने हैं, ऑनलाइन क्राइम्स को उतना सीरियस नहीं लेते हैं। अभी इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना चाहिए वहाँ पर ऐसे लॉज्स इसमें रखने चाहिए जिससे जो ऑनलाइन फॉड्स हैं उसको भी रोका जाये तभी हम प्रॉपर रेवन्यू ले पायेंगे अन्यथा ऑनलाइन फ्रॉड्स होते रहेंगे और पुलिस इसको सीरियस नहीं लेगी। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री समरपाल सिंह जी एवं श्री सचिन यादव जी ने इस पर विचार व्यक्त किये। मान्यवर, इसे हम रोक नहीं सकते, यह हमारे बस की बात नहीं है। मोबाइल के सारे कान्फिग्रेशन्स मालूम भी नहीं है उसमें जितने कान्फिग्रेशन्स हैं, हम उसके सारे कान्फिग्रेशन्स को इस्तेमाल करके मोबाइल को ठीक प्रकार से ऑपरेट भी नहीं कर सकते, लेकिन यह रोक सकते होते तो रोक चुके होते। मैंने शुरू में ही कहा कि हमारी नई जनरेशन, जब इसकी शुरुआत हुई, आज की डेट में शेयर मार्केट में 10 करोड़ लोग इन्वाल्व हैं, उसमें काफी चीजें साइंटिफिक हैं, उसमें मालूम होता है कि हमारा प्रमोटर कौन होगा। उसमें इण्ड्रस्ट्री कौन लगा रहा है यह मालूम होता है, कौन सी फर्म कौन चला रहा है यह पता होता है, लेकिन इसमें तो कुछ मालूम ही नहीं है, यह बिल्कुल अंधा गेम है और आज की तारीख में भारत में 14 करोड़ लोग इसमें इन्वाल्व हैं। यह बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़ा है। इसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता है। देखिए, साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम लगातार ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके बारे में वेल-इक्यूप्ड हो सकें, लेकिन जो करने वाले हैं वे ज्यादा स्मार्ट हो गये हैं तभी क्राइम में सफल हो रहे हैं। योगी सरकार में इसे रोकने की हर तरह से कोशिश की जा रही है, पहले प्रदेश में सिर्फ दो ही थाने थे, नोयडा और लखनऊ में, लेकिन अब हर जिले में एक थाना खोलने की योजना है और जितने भी लोगों ने हम से अप्रोच किया, हमने यह कोशिश जरूर की कि साइबर क्राइम किसी प्रकार का अगर हो तो उसको हम टेल तक जरूर पहुँचा दें, अर्थात् उसमें रिजल्ट दिलवा दें, क्योंकि उसी समय अगर पता चल जाता है कि किसी ने पैसा फ्रॉड करके निकलवाया है, ए0टी0एम0 कहाँ लगा हुआ है और दूसरे प्रदेशों से यहाँ पर क्राइम कर रहे हैं और उससे हमारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसे रोकना बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, उपचार हमारे बस में है कि जो भी उपचार सम्भव हो सकेगा, हम हर तरीके का उपचार करेंगे और कोई भी चीज संज्ञान में आयेगी तो उनको छोड़ेंगे नहीं। यह माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ। यह एक ऐसी विधा है और इस पर पूरी जी0एस0टी0 काउन्सिल एक राय थी कि किसी भी तरीके से इस पर टैक्स बढ़ाया जाए और इनीसिएशन उत्तर प्रदेश ने किया। बाद

में बहुत से लोग यह कहने लगे कि नहीं साहब, जी0जी0आर0 पर ले लिया जाए। हमने कहा कि जी0जी0आर0 पर तो किसी हालत में नहीं मानेंगे और कभी आप प्रोसीडिंग देख लेना जो 11 अगस्त को हुई और 11 अगस्त के पहले भी दो प्रोसीडिंग जी0एस0टी0 में केवल इसी में हुई और सिर्फ उत्तर प्रदेश ने स्टैंड लिया। फिलहाल मैं ही उत्तर प्रदेश को रिप्रजेंट कर रहा हूँ और बाद में खासतौर से उन्होंने 12 तारीख को इण्डियन एक्सप्रेस के दिल्ली एडिशन में छापा भी है कि 'इट इज ओनली बिकाज ऑफ यू0पी0' जो यह सस्टेन हुआ है, नहीं तो वह जी0जी0आर0 में कर लेते और फिर उनका गेम सफल हो जाता। लेकिन खासतौर से जब हम इस प्रकार की प्रैक्टिस को रोक नहीं सकते तो अधिकतम जितना हो सके, डिसकरेजमेंट एक यह भी है कि हम उस पर टैक्स बढ़ा दें। अब गोवा के कैसीनो वाले यह कहते थे कि हमारी इन्डस्ट्री बन्द हो जायेगी। हमने कहा कि बन्द हो जायेगी तो विकल्प ढूँढ लो। अब कैसीनो के मामले में भी अगर हम यह लेकर चलेंगे कि 28 परसेण्ट टैक्स नहीं होगा या हम जी0जी0आर0 पर ले लेंगे, जी0जी0आर0 का मतलब तो जो सप्लायर को बचे, उसमें से ले लो, लेकिन कौन सा वह सही बता देगा। कौन सही दिखायेगा, कैसीनो तो आप वैसे ही चला रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि जो बचे, उससे ले लो। इसलिए सारी परिस्थिति को देखते हुए बेटरमेंट सोचा गया और उसे बेटर करने की कोशिश की जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक के ऊपर चर्चा हुई है। माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे हैं और उनका निराकरण माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के द्वारा किया गया है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया है कि यह इण्टरनेशनल लेवल पर हो रहा है, तो उसको कैसे डिसकरेज किया जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स कैसे लगे, यह महत्वपूर्ण है। इसमें एक बात यह है कि जागरूकता के माध्यम से, अब किसी को यह बात बतानी है कि अगर 100 रुपये की किसी ने बेट लगायी तो उसमें से 28 रुपये टैक्स लग गया, अब बचेगा कितना, 72 रुपये, फिर 72 रुपये के ऊपर फिर 28 परसेण्ट टैक्स लग जायेगा, फिर एक समय शून्य हो जायेगा। इसलिए खेलने वालों को यह बताने की जरूरत है कि तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इस बात के लिए सावधान रहो। माननीय समरपाल जी ने जो बात कही है, इस बात का भी हम लोग सन्देश दे सकते हैं कि सट्टे को खेलने वाले के पल्ले कुछ नहीं पड़ना है। सरकार उसके ऊपर विजलेंट है और उसके ऊपर जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, साइबर थाने खोले गए हैं, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, यह प्रसंशनीय है। समाज में जागरूकता के नाते से भी हम सब लोग इसमें आगे आयेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अब मैं प्रश्न रख रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, संक्षिप्त नाम और 2023 कहा जायेगा।

(2) यह तारीख 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा-2 में,

(क) खण्ड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(80क) ''ऑनलाइन गेम खेलना'' से इण्टरनेट या इलेक्ट्रानिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत हैऔर इसके अन्तर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है;

(80ख) ''ऑनलाइन धनीय गेम खेलना'' से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;

(ख) खण्ड (102) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(102क) 'विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे' से,-

(i) दांव लगाने;

(ii) कैसिनो;

(iii) द्यूत क्रीड़ा;

(iv) घुड़दौड़;

(v) लाटरी; या

(vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना,''

में अन्तर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।

(ग) खण्ड (105) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिये डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबन्धन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जायेगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किये जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिये धन या धन के मूल्य, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी है, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किये जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिये जाते हैं और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार पर लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के सम्बन्ध में कर का संदाय करने के लिये दायी पूर्तिदाता हो।''

(घ) खण्ड (117) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(117क) 'आभासी डिजिटल आस्ति' का वही अर्थ होगा, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-2 के खण्ड (47क) में उसके लिये समनुदेशित है''।

धारा-24 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-24 में,-

(क) खण्ड (xi) में, अन्त में आने वाला शब्द 'और' निकाल दिया जायेगा;

(ख) खण्ड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और''।

अनुसूची-3 का संशोधन

4-मूल अधिनियम में, अनुसूची 3 में, पैरा 6 में शब्द 'लाटरी, दांव और द्यूत' के स्थान पर, शब्द 'विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों' रख दिये जाएंगे।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

5-इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, संक्रमणकालीन घुड़दौड़, लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-16 सन् 2005

6-(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 को पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

अब मैं याचिकाएं ले रहा हूँ। जो मा0 सदस्य उपस्थित होंगे उनकी याचिकाएं स्वीकार होंगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय (अनुपस्थित), श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भईया' (अनुपस्थित), श्री सचिन यादव (उपस्थित), श्री प्रभात कुमार वर्मा (उपस्थित), डॉ0 एम0पी0 आर्य (उपस्थित), श्री वाचस्पति (उपस्थित), श्री अमिताभ बाजपेई (उपस्थित), डॉ0 वीरेन्द्र यादव (उपस्थित), श्री रमेश चन्द्र मिश्र (अनुपस्थित), श्री मौ0 फहीम इरफान (अनुपस्थित), श्री दुर्गा प्रसाद यादव (उपस्थित), श्री शलभ मणि त्रिपाठी (उपस्थित), श्री वीर विक्रम सिंह (अनुपस्थित), श्री जवाहर लाल राजपूत (उपस्थित), श्री राम रतन कुशवाहा (उपस्थित), श्रीमती आशा मौर्या (उपस्थित), श्री जय प्रकाश अंचल (उपस्थित), श्री संदीप सिंह (उपस्थित), श्रीमती पूजा (अनुपस्थित), डा0 नीरज बोरा (उपस्थित), श्रीमती जय देवी (उपस्थित) श्री बम्बालाल (उपस्थित), श्री अनिल कुमार (उपस्थित), श्री प्रसन्न कुमार (उपस्थित), श्री महेन्द्र नाथ यादव (उपस्थित), श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित), श्री रविदास मेहरोत्रा (अनुपस्थित), श्री अतुल प्रधान (अनुपस्थित), श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' (अनुपस्थित), श्री बाबूलाल (उपस्थित), श्री रामफेरन पाण्डेय (उपस्थित), डॉ0 रागिनी (उपस्थित), श्री सुरेन्द्र मैथानी (उपस्थित)।

(सभी स्वीकार मानी गईं याचिकाएं संलग्न हैं।)

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार के अन्तर्गत खरौली तीर के पुरवा ऊँचाहार से खाली हो रहे पीपे के पुल को हमीरमऊ अथवा कोयलहा घाट में शिफ्ट कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री राजीव कुमार सिंह ''बब्बू भईया'', सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राजीव कुमार सिंह ''बब्बू भईया'', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बदायूं की विधान सभा क्षेत्र दातागंज के ब्लाक समरेर व ब्लाक दातागंज में सामुदायिक केन्द्र

† छापी नहीं गयीं।

(ऑडिटोरियम) का कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जबर सिंह कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम मेम में सुरेश के घर से शौकीन के घर तक सी0सी0 मार्ग व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शौकीन व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड मनकापुर के अन्तर्गत अमवा-वीरपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रक्षाराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 एम0पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम चेना से गंगापुर, मजरा बड़ागाँव तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के बारा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतापपुर में यमुना नदी पर बने पीपा पुल के स्थान पर नवीन पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर में आवास विकास के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शा पास किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश, निवासी जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गईं।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा ढढ़नी के रणवीर राय पुरवा में राजेन्द्र यादव के घर से हृदय कुमार के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश राय व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जौनपुर के ब्लाक महाराजगंज के अन्तर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज चौबे व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी मुख्यालय पर ग्राम न्यायालय आरम्भ होने के बाद उक्त तहसील व ग्राम न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण को चैम्बर निर्माण कराये जाने के लिये जगह आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में श्री आफाक हुसैन, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के सी0एच0सी0, पी0एच0सी0, जिला चिकित्सालय तथा चक्रपानपुर में चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मार्कन्डे शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र देवरिया सदर के अन्तर्गत देवरिया-गोरखपुर मार्ग से बैतालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम सभा बलुआ, केशवबारी बाजार होते हुए गौरी बाजार-हाटा सम्पर्क मार्ग तक दो लेन पिच सड़क (लगभग 12 किमी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद शाहजहाँपुर की तहसील तिलहर के अन्तर्गत युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये खेल स्टेडियम का निर्माण

---

† छापी नहीं गईं।

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी की तहसील मोंठ के ग्राम व पोस्ट भरोसा के अन्तर्गत आवास विकास परिषद्, झांसी की तालपुर योजना में आवंटित व्यावसायिक भू-खण्ड सं0-बी/कॉम-6 के निरस्तीकरण का आदेश स्थगित करने के सम्बन्ध में श्रीमती मनोरमा, निवासी जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राम रतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र 226 के अन्तर्गत ललितपुर में आजाद चौक के पास शहजाद नदी पर सेतु निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती आशा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती आशा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के तम्बौर-महमूदाबाद मार्ग (जिला प्रमुख मार्ग) पर किमी0 50 में शारदा नहर पर नूरपुर के पास स्थित पुल के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोपालनगर (टॉड़ी) में भूमि का पट्टा आवंटन व मुख्य मंत्री आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुदर्शन यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत माण्डा खास में भगीरथ मौर्या के घर के पास पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगीरथ, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गईं।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में विधान सभा क्षेत्र मेहनगर के ग्राम सभा बासूपुर, विकास खण्ड पल्हना में ट्रान्सफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुयी।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला में चकबन्दी प्रक्रिया पूरी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार बाजपेई व अन्य की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के ब्लॉक काकोरी की ग्राम पंचायत भटऊ जमालपुर काकोरी में गुरू शर्मा के घर से बृजेन्द्र सैनी के घर तक आर0सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के वि0ख0 मियांगंज के मुख्य सड़क रसूलाबाद-बीरमपुर सम्पर्क मार्ग से पैगम्बरपुर, गौराखेड़ा तक लगभग 03 किमी0 जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने से सम्बन्धित श्री बाबू सिंह व अन्य की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के वि0ख0 पुरकाजी में गंगनहर के कैनाल से बसेड़ी तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्तजार व अन्य की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के ग्राम कुड़ाना में शामली भोरकलॉ मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुड़ाना तक लगभग 400 मी0 जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र सिंह व अन्य की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पकड़ी नासिर में राम सुभाव की दुकान से जमातुल्लाह के खेत के बगल पिच रोड तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुक्तेश्वर यादव की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हरदोई की ग्राम पंचायत लखनौर में बारात घर बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश अग्निहोत्री व अन्य की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ की नगर निगम के अम्बेडकर नगर वार्ड संख्या-08 में स्थित नाला राजू टिम्बर स्टोर से राजगीर मिस्त्री कन्हैया के मकान तक 80 मी0 नाले को आर0सी0सी0 स्लैब डालकर कवर किये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 सफीर सिद्दीकी व अन्य की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद मेरठ के प्राइवेट अस्पतालों द्वारा मरीजों से वसूली जा रही भारी भरकम फीस को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन कटारिया व अन्य की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम के अन्तर्गत गंगा नदी के कटान से बेघर हुए ग्राम शेखनपुरवा मजरा कटरी परसोला, तहसील बिलग्राम के निवासियों को पुनर्वासित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के ग्राम मंगौली खुर्द से राजस्थान सीमा तक की कच्ची सड़क को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रकाश लोधी व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गईं।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के अन्तर्गत मथुरा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज दुबे व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर की ग्राम सभा गौहर में कमलेश यादव के घर से अच्छेलाल यादव के घर (यादव बस्ती) तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर में नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत डाली गयी गहरी सीवर लाइन की गुणवत्ता एवं मानकों के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन सविता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 29 नवम्बर, 2023 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 90 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयी।

पहली सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की विधान सभा क्षेत्र ऊँचाहार में 132 के0वी0ए0 का विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रभु नरायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के विकास कार्यों में शिलापटों पर भेद-भाव के आधार पर जनप्रतिनिधियों के नाम न लिखे जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रवि शर्मा की आर्य कन्या इण्टर कालेज, झाँसी की भूमि को कूटरचित तरीके से हड़पने तथा उक्त विद्यालय के चारों तरफ दुकानों का निर्माण कर धन उगाही के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री मौहम्मद फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद में ग्राम शीलपुर में पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में है एवं डॉ0 रागिनी की क्षेत्रीय विकास निधि के कार्यों में जनपद के अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव को लम्बित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

पहली सूचना डॉ0 मंजू शिवाच की विधान सभा क्षेत्र मोदी नगर के पालिका क्षेत्र में कच्चे नाले का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है एवं दूसरी सूचना डॉ0 राजेश्वर सिंह

† छापी नहीं गईं।

की विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर (लखनऊ) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-पिपरसण्ड में लखनऊ विश्वविद्यालय के कृषि संकाय हेतु भूमि हस्तान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हैं।

पहली सूचना श्री सन्दीप सिंह की जनपद प्रयागराज के प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत कतिपय मार्ग निर्माण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की कृषि विपणन विभाग के अन्तर्गत संचालित राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, उ0 प्र0 में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री अतुल प्रधान की जनपद मेरठ में मेसर्स न्यूटिमा हेल्थकेयर प्राइवेट लि0, गढ़ रोड द्वारा किये गये अवैध निर्माण व अनियमितताओं की जाँच कराकर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री पंकज पटेल की जौनपुर में नगर पालिका परिषद्, मुंगराबादशाहपुर में उपरिगामि सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में कोई धान क्रय केन्द्र न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री सर्वेश सिंह की जनपद मेरठ के नई सड़क गढ़ रोड शास्त्री नगर के लघु व्यापारियों को हटाकर उन्हें बेरोजगार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 वर्मा, इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद प्रयागराज के थाना सोरांव के ग्राम नयापूरा कुरगांव, सोरांव में दिनांक 18-11-2023 को हुई घटना की जाँच न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली में इंजीनियरिंग, दर्शनशास्त्र आदि वित्त/स्ववित्त पोषित कार्यक्रम कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की जनपद सिद्धार्थनगर, थाना कठेला समयमाता के ग्राम हीरखास में पंजीकृत मुकदमा सं0-193/2022 में पुलिस उप निरीक्षक द्वारा की जा रही अनियमितता की उच्च स्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में है एवं दसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र यादव की विधान सभा क्षेत्र जंगीपुर के अन्तर्गत ग्राम लहुरापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पूर्ण क्षमता से क्रियाशील कराये जाने के सम्बन्ध में है, ये सभी सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है :-

श्री राम रतन कुशवाहा, श्री शाहिद मंजूर, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री प्रसन्न कुमार, श्री वाचस्पति, श्री धीरेन्द्र सिंह, श्रीमती जयदेवी, श्री मनोज कुमार पारस, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री राम अचल राजभर, श्री गणेश चन्द्र चौहान, श्री हिमांशू यादव, श्री सचिन यादव, श्री स्वामी ओउमवेश, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री बम्बा लाल, डा0 पल्लवी पटेल, श्री अमरेश कुमार, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, प्रो0 (डॉ0) श्याम बिहारी लाल, डॉ0 डी0सी0 वर्मा, श्रीमती आशा मौर्य, श्री गौरी शंकर वर्मा, श्री पल्टू राम, श्री ओमकुमार, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री देवेन्द्र निम, श्री रमेश जयसवाल, श्री प्रभात कुमार वर्मा (एडवोकेट), श्री प्रेम सागर पटेल, श्री रमा शंकर सिंह पटेल, श्री अजय सिंह, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री लक्ष्मीराज सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री तुफानी सरोज, श्री श्याम सुन्दर,

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री जियाउर्रहमान बर्क, श्री अनिल कुमार, श्री गुलाम मौहम्मद, श्री चन्दन चौहान, श्री समरपाल सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री पंकज गुप्ता, श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भईया', इंजी0 बृजेश कठेरिया, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री जयप्रकाश अंचल, श्री विरेन्द्र चौधरी, श्री मनीष रावत, श्री नफीस अहमद, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री राम चन्द्र यादव, श्री निर्मल वर्मा, श्री मोहित सोनकर, श्री बेचई सरोज, डॉ0 विनोद कुमार बिंद, ई0 सरवन कुमार निषाद, श्री राम सिंह, श्री विजयपाल (आढ़ती), श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री अनिल प्रधान, श्री पंकज गुप्ता, श्री अखिलेश यादव, डॉ0 असीम कुमार, श्रीमती केतकी सिंह, श्री बाबू राम पासवान तथा श्री मुकेश चौधरी।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल सुबह 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 03 बजकर 14 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक, 29 नवम्बर, 2023 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-05 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-15-20 पर)

अनुपूरक सामग्री

(4) Where an amount collected as tax levied by a State under Article 246A has been used for payment of the tax levied under clause (1), such amount shall not form part of the Consolidated Fund of the State.

(5) Parliament may, by law, formulate the principles for determining the place of supply, and when a supply of goods, or of services, or both takes place in the course of inter-State trade or commerce.".

10. **Amendment of Article 270** – In Art. 270 of the Constitution,–

(i) in clause (1), for the words, figures and letter "Articles 268, 268A and 269", the words, figures and letter "Articles 268, 269 and 269A" shall be substituted;

(ii) after clause (1), the following clauses shall be inserted, namely :

"(1A) The tax collected by the Union under clause (1) of Article 246A shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).

(1B) The tax levied and collected by the Union under clause (2) of Article 246A and Article 269A, which has been used for payment of the tax levied by the Union under clause (1) of Article 246A, and the amount apportioned to the Union under clause (1) of Article 269A, shall also be distributed between the Union and the States in the manner provided in clause (2).".

11. **Amendment of Article 271** – In Article 271 of the Constitution, after the words "in those articles", the words, figures and letter "except the goods and services tax under Article 246A," shall be inserted.

12. **Insertion of new Article 279A** – After Article 279 of the Constitution, the following article shall be inserted, namely :

"**279A : Goods and Services Tax Council**

(1) The President shall, within sixty days from the date of commencement of the Constitution (One Hundred and First Amendment) Act, 2016, by order, constitute a Council to be called the Goods and Services Tax Council.

(2) The Goods and Services Tax Council shall consist of the following members, namely :

(a) the Union Finance Minister ..... Chairperson;

(b) the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance ..... Member;

(हरि लाल प्रजापति)
संयुक्त आयुक्त (जी०एस०टी०)

(c) the Minister in charge of Finance or Taxation or any other Minister nominated by each State Government ..... Members.

(3) The Members of the Goods and Services Tax Council referred to in sub-clause (c) of clause (2) shall, as soon as may be, choose one amongst themselves to be the Vice-Chairperson of the Council for such period as they may decide.

(4) The Goods and Services Tax Council shall make recommendations to the Union and the States on—

(a) the taxes, cesses and surcharges levied by the Union, the States and the local bodies which may be subsumed in the goods and services tax;

(b) the goods and services that may be subjected to, or exempted from the goods and services tax;

(c) model Goods and Services Tax Laws, principles of levy, apportionment of goods and services tax levied on supplies in the course of inter-State trade or commerce under Article 269A and the principles that govern the place of supply;

(d) the threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from goods and services tax;

(e) the rates including floor rates with bands of goods and services tax;

(f) any special rate or rates for a specified period, to raise additional resources during any natural calamity or disaster;

(g) special provision with respect to the States of Arunachal Pradesh, Assam, J&K, Manipur; Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and Uttarakhand; and

(h) any other matter relating to the goods and services tax, as the Council may decide.

(5) The Goods and Services Tax Council shall recommend the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit (commonly known as petrol), natural gas and aviation turbine fuel.

(6) While discharging the functions conferred by this article, the Goods and Services Tax Council shall be guided by the need for a harmonised structure of goods and services tax and for the development of a harmonised national market for goods and services.

(7) One-half of the total number of Members of the Goods and Services Tax Council shall constitute the quorum at its meetings.

(8) The Goods and Services Tax Council shall determine the procedure in the performance of its functions.

(9) Every decision of the Goods and Services Tax Council shall be taken at a meeting, by a majority of not less than three-fourths of the weighted votes of the members present and voting, in accordance with the following principles, namely :

(a) the vote of the Central Government shall have a weightage of one-third of the total votes cast, and

(b) the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of two-thirds of the total votes cast, in that meeting.

(10) No act or proceedings of the Goods and Services Tax Council shall be invalid merely by reason of—

(a) any vacancy in, or any defect in, the constitution of the Council; or

(b) any defect in the appointment of a person as a Member of the Council; or

(c) any procedural irregularity of the Council not affecting the merits of the case.

(11) The Goods and Services Tax Council shall establish a mechanism to adjudicate any dispute —

(a) between the Government of India and one or more States; or

(b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other side; or

(c) between two or more States,

arising out of the recommendations of the Council or implementation thereof.".

13. **Amendment of Article 286** – In Art. 286 of the Constitution,-

(i) in clause (1),—

(A) for the words "the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place", the words "the supply of goods or of services or both, where such supply takes place" shall be substituted;

(हरि लाल प्रजापति)
संयुक्त आयुक्त (जी०एस०टी०)
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

नत्थी (ख)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-37-40 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र–2023 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री पंकज पटेल, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–11 की अनुपूरक सामग्री।

1. जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्यवाही का विवरणः

उ0प्र0 के अन्तर्गत 14 नदियों यथा यमुना, वरूणा, काली, हिंडन, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरयू, आमी, तमसा तथा सई नदियों के प्रदूषित अंशों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन तथा जल गुणता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु कार्य योजनायें सरकार द्वारा कियान्वित की जा रही है। उक्त कार्य योजनाओं के समयबद्ध रूप से कियान्वयन का मासिक अनुश्रवण जिलाधिकारी के स्तर पर गठित जिला पर्यावरण समितियों एवं कृषि उत्पादन आयुक्त उ0 प्र0 की अध्यक्षता में गठित 'रीवर रीजुवेनेशन कमेटी' द्वारा किया जाता है।

जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों में समुचित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयत्र की स्थापना तथा उत्प्रवाह का शोधन निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाना अनिवार्य है। अतिप्रदूषणकारी प्रकृति के आसवनी उद्योगों के लिए शून्य उत्प्रवाह निस्तारण के प्रावधान लागू है। समस्त प्रदूषणकारी उद्योगों का नियमित अनुश्रवण करते हुए दोषी इकाईयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

घरेलू, मल–जल के शोधन हेतु वर्तमान में प्रदेश में 131 सीवेज शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित है जिनमें से 118 सीवेज शुद्धीकरण संयंत्र संचालित है। संचालित सीवेज शुद्धीकरण संयंत्रों का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा रहा है।

वर्तमान में प्रदेश के प्रमुख नदियों/अन्य जल स्त्रोतो में कुल 155 चिन्हित बिंदुओं पर मासिक रूप से जलगुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश की प्रमुख 14 नदियों यथा यमुना, वरूणा, काली, हिंडन, गोमती, गंगा, रामगंगा, बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरयू, आमी, तमसा तथा सई के पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में कुल 109 बिन्दु सम्मिलित है। वर्ष–2023 (जनवरी से अक्टूबर) में वर्ष–2019 (जनवरी से अक्टूबर) के सापेक्ष प्रदेश के उक्त प्रमुख 14 नदियों के पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच में कुल 109 बिन्दुओं में से 55 बिन्दुओं पर जलगुणता के प्रमुख प्रदूषणकारी प्रचालक बी0ओ0डी0 की औसत मात्रा में 0.45 से 73.93 प्रतिशत तक की कमी तथा 56 बिन्दुओं पर टोटल कोलीफार्म की औसत मात्रा में 0.36 से 97.18 प्रतिशत तक की कमी पायी गयी।

- **औद्योगिक प्रदूषण**

जल प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगो में समुचित जल प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र (ई0टी0पी0) की स्थापना एवं निस्तारित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। समस्त प्रदूषणकारी उद्योंगों का नियमित अनुश्रवण करते हुए दोषी इकाईयों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

- **जलगुणता में सुधारः–**

वर्ष–2023 (जनवरी से अक्टूबर) में वर्ष–2019 (जनवरी से अक्टूबर) के सापेक्ष जलगुणता के महत्वपूर्ण प्रचालक बी0ओ0डी0 की मात्रा में पायी गयी कमी का विवरण :–

क्र0 सं0	नदी का नाम	अनुश्रवण बिंदुओं की संख्या	अनुश्रवण बिंदु, जिनमें सुधार पाया गया है	नदी जल में प्रदूषण स्तर (बी0ओ0डी0) की मात्रा में प्रतिशत कमी
1	हिण्डन	07	07	8.99–73.93
2	यमुना	20	10	2.01–60.40
3	घाघरा	02	02	24.61–36.62
4	राप्ती	02	02	20.56–40.80
5	बेतवा	01	01	53.72
6	काली नदी (पूर्वी)	10	06	3.62–31.64
7	वरूणा	02	01	51.78
8	गोमती	11	05	2.00–30.13
9	तमसा	05	03	28.46–42.56
10	गंगा	31	07	0.45–15.00
11	आमी	03	03	14.81–60.28
12	सई	08	03	4.62–14.41
13	रामगंगा	06	04	10.20–36.46
14	सरयू	01	01	6.25

वर्ष–2023 (जनवरी से अक्टूबर) में वर्ष–2019 (जनवरी से अक्टूबर) के सापेक्ष जलगुणता के महत्वपूर्ण प्रचालक टोटल कोलीफार्म की मात्रा में पायी गयी कमी का विवरण :–

क्र0 सं0	नदी का नाम	अनुश्रवण बिंदुओं की संख्या	अनुश्रवण बिंदु, जिनमें सुधार पाया गया है	नदी जल में प्रदूषण स्तर (टोटल कोलीफार्म) की मात्रा में प्रतिशत कमी
1	हिण्डन	07	01	45.47
2	गंगा	31	19	5.11–92.71
3	काली नदी (पूर्वी)	10	02	5.85–7.21
4	वरूणा	02	02	0.36–83.03
5	यमुना	20	11	4.83–86.85
6	गोमती	11	10	14.35–83.64
7	रामगंगा	06	06	40.81–97.18
8	सई	08	04	0.92–47.73
9	सरयू	01	01	56.75
10	घाघरा	02	00	–
11	राप्ती	02	00	–
12	बेतवा	01	00	–
13	आमी	03	00	–
14	तमसा	05	00	–
कुल		109	56	प्रतिशत कमी : 0.36 से 97.18

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतही जल हेतु निर्धारित श्रेणियॉ एवं उनका विवरण निम्नवत् है–

जलगुणता हेतु निर्धारित मानक

क0 सं0	प्रचालक	श्रेणी				
		ए	बी	सी	डी	ई
1.	घुलित आक्सीजन मिग्रा/ली (न्यूनतम)	6	5	4	4	–
2.	बायोकेमिकल आक्सीजन डिमाण्ड मिग्रा/ली (अधिकतम)	2	3	3	–	–
3.	टोटल कोलीफार्म (एमपीएन/100 मिली)	50	500	5000	–	–
4.	टोटल डिसाल्वड सालिड मिग्रा/ली	–	–	–	–	2100

श्रेणी – ए	बिना पारम्परिक उपचार लेकिन जीवाणु नाशन के पश्चात् पीने हेतु उपयुक्त।
श्रेणी –बी	स्नान हेतु उपयुक्त।
श्रेणी –सी	पारम्परिक उपचार एवं जीवाणु नाशन के पश्चात् पीने हेतु उपयुक्त।
श्रेणी –डी	मत्स्य पालन हेतु उपयुक्त।
श्रेणी–ई	सिंचाई, इण्डस्ट्रीयल कूलिंग हेतु उपयुक्त।

नत्थी (ग)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-17 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-44-46 पर)

सोलर सेक्टर से संबंधित एम.ओ.यू का विवरण

क.सं.	कम्पनी का नाम	एमओयू जनपद	प्रोजेक्ट विवरण	निवेश (करोड में)
1	सन्चय न्यू एज डेवलपमर्स प्रा.लि	जालौन	820 मेगावाट सौर पावर	1000
2	एवमे क्लीनटेक सल्यूशन प्रा.लि	चित्रकूट	5 गीगावाट सौर पावर	27500
3	एजेवीएन ग्रीन इनर्जी लि0	जालौन	3 गीगावाट सौर पावर	20000
4	श्रीस्टी ग्रुप	आगरा	2 गीगावाट सौर पावर	15000
5	टुस्को लि0	ललितपुर	2.7 गीगावाट सौर पावर	12000
6	इन्फीनिटी ग्लोबल	झांसी	2 गीगावाट सौर पावर	11000
7	टोरेन्ट पावर लि0	लखनऊ	2 गीगावाट सौर पावर	10850
8	रिन्यू पावर प्रा.लि.	बुलन्दशहर	7000 मेगावाट सौर पावर	10000
9	एनटीपीसी लि0	झांसी	2 गीगावाट सौर पावर	10000
10	एनएचपीसी रिन्यूवबल इनर्जी लि0	जालौन	सोलर पावर परियोजनायें,	10000
11	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लि0	जालौन	2000 मेगावाट सौर पावर	10000
12	इनकोर विजनेस सिस्टमस लि0	सिद्वार्थनगर	सोलर पावर परियोजनायें	9000
13	इन्फीनिटी ग्लोबल	बांदा	500 मेगावाट सौर पावर	8000
14	जेसी4यी लि0	गौतमबुद्व नगर	सौर पावर परियोजनायें	7500
15	टुस्को लि0	ललितपुर	460 मेगावाट सौर पावर	6500
16	टुस्को लि0	मुरादाबाद	155 मेगावाट सौर पावर	6227
17	एनटीपीसी लि0	अयोध्या/सोनभ्रद	190 मेगावाट सौर पावर	6000
18	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लि0	जालौन	1800 मेगावाट सौर पावर	6000
19	अवादा ग्रुप	झांसी	1000 मेगावाट	5000
20	ओपेरा इनर्जी प्रा.लि	सोनभ्रद	2000 मेगावाट सौर पावर	5000
21	टुस्को लि0	चित्रकूट	800 मेगावाट	4700
22	वन्डर होम बिल्डर वन्डर होम बिल्डर	मऊ	1100 मेगावाट	4185
23	आनिस स्टक्चर प्रा.लि	प्रयागराज	1000 मेगावाट	4000
24	ओपेरा इनर्जी प्रा.लि	ललितपुर	01 गीगावाट	4000
25	ब्लूस्टोन इन्वेस्टमेंट	बागपत	सौर पावर परियोजनायें	4000
26	टुस्को लि0	ललितपुर	600 मेगावाट	3450
27	टुस्को लि0	झांसी	600 मेगावाट	3430
28	श्रीस्टी ग्रुप	मथुरा	200 मेगावाट	3000
29	बीएन ग्रुप	मेरठ	500 मेगावाट	2500
30	इवरन्यू इनर्जी प्रा.लि	झांसी	सौर पावर परियोजनायें	2500
31	रेज पावर इन्फा प्रा.लि	मैनपुरी	500 मेगावाट	2000
32	डीएनडी ग्रीन्स प्रा.लि	प्रयागराज	250 मेगावाट	2000
33	आरजी स्टेटजीस ग्रुप	गोरखपुर	350 मेगावाट	1772
34	निप्पा टेक्सटाइल्स	गाजियाबाद	300 मेगावाट	1620
35	2बी इट्कोट इण्डिया प्रा.लि	गौतमबुद्व नगर	300 मेगावाट	1610
36	टुस्को लि0	निर्जापुर	245 मेगावाट	1593
37	टुस्को लि0	ललितपुर	300 मेगावाट	1500
38	टुस्को लि0	ललितपुर	300 मेगावाट	1500
39	फोर्थ पार्टनर इनर्जी	झांसी	100 मेगावाट	1200
40	फोर्थ पार्टनर इनर्जी	झांसी	70 मेगावाट	1200
41	वीएनबीसी सर्विसेस पावर लि0	महोबा	250 मेगावाट	1100
42	टुस्को लि0	महोबा	155 मेगावट	1008
43	इनर्जी इफिसियेन्सी सर्विसेस लि0	अयोध्या	सौर पावर परियोजनायें	1000
44	क्लीनमेक्स इन्वायरो इनर्जी सल्यूशन प्रा.लि	जालौन	सौर पावर परियोजनायें	900
45	आरजी स्टेटजीस ग्रुप	बुलन्दशहर	175 मेगावाट	887
46	आरजी स्टेटजीस ग्रुप	बुलन्दशहर	175 मेगावाट	887
47	निप्पा टेक्सटाइल्स	गाजियाबाद	175 मेगावाट	886
48	एएमपी इनर्जी इण्डिया	बलिया	75 मेगावाट	815
49	एनएचपीसी रिन्यूवबल इनर्जी लि0	जालौन	100 मेगावाट	700
50	टुस्को लि0	ललितपुर	100 मेगावाट	650
51	टुस्को लि0	झांसी	155 मेगावट	611
52	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0	प्रयागराज	112.5 मेगावाट	600
53	सनसोर्स इनर्जी	झांसी	10 मेगावाट	600
54	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लि0	मिर्जापुर	100 मेगावाट	550

55	इनरसेल एलोएज एण्ड स्टील प्रा.लि	अमरोहा	100 मेगावाट	550
56	यूएसएसआर रिन्यूबल इनर्जी	चित्रकूट	सौर पावर परियोजनायें	504
57	एमएनआरई सोलर पावर प्रा.लि	वाराणसी	सौर पावर परियोजनायें	500
58	गेल इण्डिया	हमीरपुर	100 मेगावाट	500
59	टीपी रिन्यूबल माइक्रोग्रिड टाटा पावर लि0	बहराइच	सौर पावर परियोजनायें	500
60	डेटान पावर प्रा.लि	झांसी	सौर पावर परियोजनायें	500
61	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लि0	मिर्जापुर	100 मेगावाट	414
62	भास्कर सोलरटेक प्रा.लि	गोरखपुर	सौर पावर परियोजनायें	400
63	क्लीनमैक्स इन्चायरो इनर्जी सल्यूशन प्रा.लि	कासगंज/बदाँयू	50 मेगावाट	400
64	एसएईएल एग्री कमोडिटिस लि.	गोरखपुर	सौर पावर परियोजनायें	400
65	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लि0	जालौन	65 मेगावाट	324
66	एमप्लस सोलर शक्ति प्रा.लि	झांसी	50 मेगावाट	300
67	पसवारा इनर्जी एलएलपी	प्रयागराज	50 मेगावाट	300
68	जीबीएम ग्रुप	झांसी	50 मेगावाट	250
69	ओरिना पावर प्रा.लि	ललितपुर	50 मेगावाट	250
70	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लि0	सोनभद्र	50 मेगावाट	250
71	ऊर्जा ग्लोबल लि0	कानपुर नगर	सौर पावर परियोजनायें	200
72	वाइब्रेन्ट इनर्जी होल्डिंगस प्रा.लि.	झांसी	50 मेगावाट	200
73	यामराज नर्सिंग एण्ड फार्मेसी कालेज	झांसी	50 मेगावाट	200
74	वाइब्रेन्ट इनजा होल्डिंगस प्रा.लि.	हमीरपुर	50 मेगावाट	200
75	बुन्देलखण्ड सौर ऊर्जा लि0	जालौन	45 मेगावाट	194
76	इन्टीको टेक्निकल सर्विसेस प्रा.लि	चित्रकूट	30 मेगावाट	150
77	इन्टीको टेक्निकल सर्विसेस प्रा.लि	महोबा	30 मेगावाट	150
78	सोलराईज सोलर सल्यूशन एलएलपी	बस्ती	25 मेगावाट	120
79	ग्रीनब्लूम इनर्जी प्रा.लि	मिर्जापुर	20 मेगावाट	120
80	ग्रीनब्लूम इनर्जी प्रा.लि	चित्रकूट	30 मेगावाट	100
81	ग्रीनब्लूम इनर्जी प्रा.लि	चित्रकूट	30 मेगावाट	100
82	ग्रीनब्लूम इनर्जी प्रा.लि	जालौन	30 मेगावाट	100
83	अजय आनन्द एसोसियेट	मऊ	सौर पावर परियोजनायें	100
84	रिन्यूबल इनर्जी	वाराणसी	25 मेगावाट	100
85	एसपीरिटिव क्रियेटिव वेन्चर्स	प्रयागराज	10 मेगावाट	100
86	सोलर पावर प्रोजेक्ट	औरैया	सौर पावर परियोजनायें	100
87	पसवारा इनर्जी एलएलपी	एटा	12 मेगावाट	100
88	अकूंर टेडर्स इनर्जीनिरिंग प्रा.लि	गाजियाबाद	सौर पावर परियोजनायें	100
89	एनएचएल प्राफाईल्स लि0	जालौन	15 मेगावाट	83.5
90	आईवी वीगाट सोलर फार प्रा.लि	महोबा	10 मेगावाट	80
91	बोन सोलर टेक	मेरठ	05 मेगावाट	75
92	अमृत बाटलर प्रा.लि	अमेठी	10 मेगावाट	70
93	हीरा फयूचर इर्जीज प्रा.लि	प्रतापगढ	10 मेगावाट	60
94	पसवारा इनर्जी एलएलपी	हापुड़	सौर पावर परियोजनायें	60
95	पसवारा इनर्जी एलएलपी	मेरठ	सौर पावर परियोजनायें	60
96	इर्जा फोटोवोल्टेक प्रा.लि	गाजियाबाद	200 मेगावाट	50
97	ईवीए इन्टरप्राइजज	कानपुर नगर	सौर पावर परियोजनायें	50
98	वाइब्रन्ट इनर्जी होल्डिंगस प्रा.लि.	हमीरपुर	10 मेगावाट	45
99	वाइब्रन्ट इनर्जी होल्डिंगस प्रा.लि.	हमीरपुर	10 मेगावाट	45
100	अकूर टेडर्स इनर्जीनिरिंग प्रा.लि	गाजियाबाद	सौर पावर परियोजनायें	45
101	प्रकाश इण्डस्ट्रीज प्रा.लि	झांसी	05 मेगावाट	40
102	सर्वाश्री मर्डीटारनिक	गाजीपुर	05 मेगावाट	35
103	इमैर्जीन पावरटी प्रा.लि	लखनऊ	सोलर ट्री	25
104	टीपी रिन्यूबल माइक्रोग्रिड टाटा पावर लि0	श्रावस्ती	30 कि.वा	25
105	क्लीनमैक्स इन्चायरो इनर्जी सल्यूशन प्रा.लि	आजमगढ़	सोलर पार्क	25
106	वैशनवी इन्टप्राइजज	कानपुर नगर	2.5 मेगावाट	10
107	आईवीवाई मैनेजमेंट कन्सल्टेंसी प्रा.लि	गाजियाबाद	सोलर रूफटॉप गाजियाबाद	10
108	इन्डीकोटेक	बिजनौर	02 मेगावाट	9
109	सायलेट ग्रीन इनर्जी प्रा.लि.	गोरखपुर	सौर पावर परियोजनायें	6
110	श्री टेक्नोकेट	बाराबंकी	सोलर पावर ट्रेडिंग	5
111	गुप्ता एण्ड सन्स	वाराणसी	सोलर रूफटॉप वाराणसी	5
112	श्री श्याम इन्टरप्राईजज	कुशीनगर	1.0 मेगावाट	4

113	लगन प्लेस	सीतापुर	आफग्रिड सोलर पावर प्लाट	1.5
114	दुर्गा एण्ड सन्स इम्पायर प्रा.लि	फतेहपुर	200 कि.वा	1.5
115	अभय सिंह इन्टरप्रारजेज	महोबा	सौर पावर परियोजनायें	1
116	माउण्डोलिव इनर्जी इन्फ्रा	झांसी/जालौन/बांदा	1000 मेगावाट	3000
117	रिलायंस इण्डस्ट्रीज लि0	बुन्देलखण्ड	10000 मेगावाट	42250
118	ग्रीनब्लूम इनर्जी प्रा.लि	प्रयागराज	40 मेगावाट	240
119	हाइड्रोवाट पावर सल्यूशन प्रा.लि	बदायूं	10 मेगावाट	63.62
120	इनरीच इनर्जी लि0	महोबा	मैन्यूफैक्चरिंग सोलर सेल	250
121	आर2 ग्रीन इनर्जी प्रा.लि.	हापुड	मैन्यूफैक्चरिंग सोलर सेल	200
122	आरजी स्टेटजीस ग्रुप	अयोध्या	700 मेगावाट	3575
123	ट्रफलगर स्कवायर कैपिटल	शॉहजहापुर	300 मेगावाट	4500
124	ग्रीन एग्रीटेक एलएलपी	जालौन	01 मेगावाट	10
125	इण्डियन नेचुरल रिसोर्सेज	शाहँजहापुर	20 मेगावाट	155
126	रिमझिम इस्पात लि0	फिरोजाबाद	200 मेगावाट	500
127	एसजेवीएन ग्रीन इनर्जी लि0	ललितपुर	सौर पावर परियोजनायें	5000
128	एसजीईएल	हमीरपुर	सोलर पावर प्रोजेक्ट	3500
129	एसजीवीएन ग्रीन इनर्जी	झांसी	सौर पावर परियोजनायें	3000
130	एसजेवीएन ग्रीन इनर्जी लि0	चित्रकूट	सोलर पावर प्रोजेक्ट	2000
131	सनश्योर इनर्जी प्रा.लि	बांदा	750 मेगावाट	3000
132	सूर्यऊर्जा फोर प्रा.लि	ललितपुर	10 मेगावाट	150
133	बद्री प्रसाद एण्ड सन्स	प्रयागराज	1 मेगावाट	7.5
134	माउण्डोलिव इनर्जी इन्फ्रा	मऊ	4000 मेगावाट	20000
135	सनश्योर सोलरपार्क फाईफ प्रा.लि.	आगरा	10 मेगावाट	65
136	सनश्योर सोलरपार्क फाईफ प्रा.लि.	बांदा	10 मेगावाट	62
137	सनश्योर सोलर पार्क एट प्रा.लि	बांदा	10 मेगावाट	62
138	एसजेवीएन ग्रीन इनर्जी लि0	झांसी	सौर पावर परियोजनायें	3500
139	एसजेवीएन ग्रीन इनर्जी लि0	ललितपुर	1000 मेगावाट	5000
140	इत्तराया इनर्जी टू प्रा.लि	आगरा	10 मेगावाट	150
141	डेटान पावर प्रा.लि	पीलीभीत	10 मेगावाट	60
142	डेटान पावर प्रा.लि	पीलीभीत	10 मेगावाट	60
143	इत्तराया इनर्जी टू प्रा.लि	झांसी	10 मेगावाट	150
144	गेल इण्डिया	चित्रकूट	100 मेगावाट	500
145	पुरसातन ओरा प्रा.लि	सीतापुर	10 मेगावाट	40
146	एएमपी इनर्जी इण्डिया	मऊ	50 मेगावाट	340
147	एएमपी इनर्जी इण्डिया	बलिया	70 मेगावाट	476
148	किर कार्फाएक्शनस प्रा.लि.	कानपुर नगर	75 कि.वा	1
149	जगंर रिन्यूबल प्रा.लि	चित्रकूट	20 मेगावाट	125
150	रिवायु प्रोजेक्टस प्रा.लि.	चित्रकूट	25 मेगावाट	114
151	एवम क्लीनटेक सल्यूशन प्रा.लि	ललितपुर	5 गीगावाट	27500
			कुल योग	401089.62

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-53 पर)

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित शहरों के विवरण

(अ) केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी योजना

क0सं0	शहर का नाम
1	आगरा
2	अलीगढ़
3	बरेली
4	झांसी
5	कानपुर
6	लखनऊ
7	मुरादाबाद
8	प्रयागराज
9	सहारनपुर
10	वाराणसी

(ब) राज्य स्मार्ट सिटी योजना

क0सं0	शहर का नाम
1	अयोध्या
2	फिरोजाबाद
3	गोरखपुर
4	गाजियाबाद
5	मथुरा–वृन्दावन
6	मेरठ
7	शाहजहाँपुर

नत्थी (ङ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-13 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-55 पर)

पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी के अन्तर्गत रिवैम्प्ड योजना में लॉस रिडक्शन के कार्य के अन्तर्गत पुराने जर्जर लाईनों के तार बदलने तथा एल0टी0 लाईन के खुले तारों को ए0बी0 केबिल से बदलने का विवरण निम्नवत् है:- (पत्र संख्या-1087 दिनांक 30.10.2023)

कम सं0	जनपद का नाम	कुल आवंटित राशि (करोड में)	जर्जर तार/खुले तार बदलने का पूर्ण कार्य (सर्किटकि0मी0)
1	प्रयागराज	702.60	1669.30
2	कौशाम्बी	198.92	326.00
3	फतेहपुर	278.52	406.10
4	प्रतापगढ	233.00	730.10
5	आजमगढ	114.96	397.00
6	मऊ	157.15	247.80
7	बलिया	231.24	301.60
8	बस्ती	73.99	52.90
9	संतकबीरनगर	27.99	48.40
10	सिद्धार्थनगर	141.90	50.00
11	वाराणसी	448.48	539.60
12	जौनपुर	247.18	299.80
13	गाजीपुर	184.95	233.80
14	चन्दौली	84.44	305.20
15	गोरखपुर	165.87	222.60
16	देवरिया	100.56	260.30
17	कुशीनगर	53.42	134.00
18	महराजगंज	53.08	137.90
19	मीरजापुर	110.95	88.60
20	भदोही	100.82	58.70
21	सोनभद्र	132.42	58.80

प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ के अंतर्गत आने वाले निम्न जनपदों में वर्ष 2021 से दिनांक 28.08.2023 तक किये गये कार्यों का विवरण-
(पत्र संख्या-8787 दिनांक 23.11.2023)

क्र0सं0	जनपद	बजट (करोड़ में)	जर्जर तार (कि0मी0)
1	मेरठ	110.83	262.82
2	बागपत	32.20	122.18
3	बुलन्दशहर	19.20	269.00
4	हापुड़	19.92	141.00
5	गाजियाबाद	193.38	423.02

6	नोएडा	120.81	65.46
7	सहारनपुर	238.34	361.45
8	मुजफ्फरनगर	156.54	259.92
9	शामली	28.75	228.04
10	मुरादाबाद	104.02	340.43
11	सम्भल	28.60	106.77
12	अमरोहा	11.34	153.48
13	बिजनौर	280.62	706.27
14	रामपुर	2.84	42.94

द0वि0वि0नि0लि0, आगरा के अंतर्गत आने वाले निम्न जनपदों में किये गये कार्यों का विवरण।

(पत्र दिनांक 24.11.2023)

क्र0सं0	जनपद	बजट (करोड़ में)	(सर्किट कि0मी0)
1	आगरा	92.25	486.04
2	अलीगढ	168.50	425.90
3	औरैया	94.64	433.08
4	बांदा	55.90	602.78
5	चित्रकूट	38.25	214.08
6	एटा	67.64	94.59
7	इटावा	93.78	595.79
8	फर्रूखाबाद	77.00	502.70
9	फिरोजाबाद	84.23	161.49
10	हमीरपुर	35.97	273.77
11	हाथरस	52.57	266.98
12	उरई	101.65	419.42
13	झांसी	65.42	322.53
14	कन्नौज	68.37	432.36
15	ानपुर देहात	45.29	394.05
16	कानपुर नगर	41.07	485.57
17	कासगंज	57.45	60.27
18	ललितपुर	44.28	249.80
19	महोबा	34.36	338.59
20	मैनपुरी	70.08	190.34
21	मथुरा	148.43	661.71

EE

निदेशक (वितरण)

मा0वि0नि0लि0, लखनऊ के अंतर्गत आने वाले निम्न जनपदों में किये गये कार्यों का विवरण।
(पत्र संख्या–2305 दिनांक 22.11.2023)

क्र0सं0	जनपद	बजट (करोड़ में)	(सर्किट कि0मी0)
1	लखनऊ	48.12	45.51
2	लखीमपुर	14.14	108.24
3	हरदोई	25.53	209.04
4	रायबरेली	13.27	0.50
5	सीतापुर	27.28	6.65
6	उन्नाव	32.34	3.87
7	अयोध्या	32.02	57.42
8	अम्बेडकर नगर	27.67	20.03
9	अमेठी	25.92	15.90
10	बाराबंकी	38.73	77.53
11	सुल्तानपुर	28.11	95.77
12	गोण्डा	63.22	106.92
13	बहराइच	38.42	44.48
14	बलरामपुर	26.64	65.05
15	श्रावस्ती	17.69	40.80
16	बरेली	17.18	0.00
17	बदायूं	9.86	15.96
18	पीलीभीत	27.79	2.81
19	शाहजहांपुर	22.38	0.00

कों, कानपुर के अंतर्गत आने वाले निम्न जनपदों में किये गये कार्यों का विवरण।
(पत्र संख्या–जी0–107/5086 दिनांक 20.11.2023)

क्र0सं0	जनपद	बजट (करोड़ में)	कि0मी0
1	केस्को, कानपुर	94.63	641.00

EE

नत्थी (च)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-51 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-75-76 पर)

जनपद शामली मे विधानसभा कैराना मे लोक निर्माण विभाग सम्बन्धित मार्गो की अद्यतन स्थिति

क्रम सं	यूनिकोड	जनपद	खण्ड का नाम	विधानसभा	विभाग का नाम	श्रेणी	मार्ग का नाम	लम्बाई	अद्यतन स्थिति
1	730002	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	राज्य मार्ग	कैराना-खतौली मोरना (राज्य मार्ग)	5.000	चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत है। वर्तमान मे धनाभाव के कारण कार्य बन्द है।
1	राज्य मार्ग का योग							5.000	
1	730021	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	शितलखेड़ा से पानीपत खटीमा मार्ग	8.140	सन्तोषजनक है।
2	730077	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	कैराना सिंघाना (भूरा) मार्ग से पानीपत खटीमा मार्ग	6.500	सन्तोषजनक है।
3	730113	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	सिंहोली पीपला मार्ग	13.160	एस0आर0 मे स्वीकृत है
4	730114	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	कैराना सिंघाना उन बानभट्टन मार्ग	43.100	मार्ग का पाकालन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है।
5	730120	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	मूण्ड से जटपुरी मगनपुर होते हुए दूनाहेड़ी बरनावी मार्ग	7.075	सन्तोषजनक है।
6	730124	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	उन पैसाना मार्ग से ग्राम पोखा गंगानगर पोड़की होते हुए शामली बागपत हाते हुए मोदी नगर नित्त तक	6.000	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
7	730125	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	पैसाना बसी पुलिपारी मार्ग द्वारा शामली पैसाना	9.000	सन्तोषजनक है।
8	730126	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	कैराना दुधाना दूनाहेड़ी बरनावी मार्ग	14.000	सन्तोषजनक है।
9	730130	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	उन पैसाना मार्ग	9.900	सन्तोषजनक है।
10	730131	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	मेरठ बनवास मार्ग से नगला डाकपुत्र मार्ग	8.750	सन्तोषजनक है।
11	730166	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	ऊन गांव से पोखा दूनीन मार्ग	13.080	सन्तोषजनक है।
12	730332	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	पैसाना से मुण्डेट मार्ग	15.600	सन्तोषजनक है।
13	730443	शामली		कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	मेरठ बनवास मार्ग पर टिटौली पुलिया से शामली होकर बनवासी कांधला होते हुए पानीपत खटीमा मार्ग तक	6.000	सन्तोषजनक है।
14	730445	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	कैराना तितरखेड़ा इस्लामपुरदीन मार्ग	12.750	सन्तोषजनक है।
15	730445	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	कांधला गंगेरू इस्लामपुरदीन मार्ग	9.830	सन्तोषजनक है।
16	737479	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	अन्य जिला मार्ग	शामली गांगरसी दुस्साखेड़ी अन्य जिला मार्ग	23.840	सन्तोषजनक है।
अन्य जिला मार्ग का योग								206.695	
1	730103	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	शहरी मार्ग	कैराना तितरावा बाइपास मार्ग	0.150	सन्तोषजनक है।
2	730136	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	शहरी मार्ग	पानीपत खटीमा मार्ग से कैराना शहरी भाग	4.190	सन्तोषजनक है।
3	730150	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	शहरी मार्ग	पानीपत खटीमा मार्ग (शामली शहरी भाग)	13.300	सन्तोषजनक है।
शहरी मार्ग का योग								17.640	
1	730004	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना आर्यपुरी से कैराना बाईपास मार्ग तक	0.900	सन्तोषजनक है।
2	730005	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना बाईपास से भूरा कण्डेला मार्ग	4.000	सन्तोषजनक है।
3	730006	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	इण्डूखेड़ा से गढ़ी रामसवैर मार्ग	2.150	सन्तोषजनक है।
4	730007	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पावटी कांसी से बीबीपुर हटिया मार्ग	1.900	सन्तोषजनक है।
5	730010	शामली	ब्ला.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कंजनपुर रामसवैर मार्ग	0.600	सन्तोषजनक है।

जनपद शामली मे विधानसभा कैराना मे लोक निर्माण विभाग सम्बन्धित मार्गो की अद्यतन स्थिति

क्र0 सं0	यूनिकोड	जनपद	खण्ड का नाम	विधानसभा	विभाग का नाम	श्रेणी	मार्ग का नाम	लम्बाई	अद्यतन स्थिति
6	730011	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मूरा से गन्द्राव मार्ग	4.000	विशेष मरम्मत हेतु प्रस्तावित
7	730012	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मलकपुर से मौहम्दपुर राई मार्ग	1.425	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
8	730013	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना झिंझाना मार्ग से गोगवान मार्ग	1.000	सन्तोषजनक है।
9	730014	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मलकपुर से गन्द्राव मार्ग	1.180	सन्तोषजनक है।
10	730016	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना झिंझाना मार्ग के किमी0 10 से पावटी कलां	0.450	सन्तोषजनक है।
11	730019	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना तितरवाडा से बुच्चाखेडी	0.950	सन्तोषजनक है।
12	730020	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	गंगेरू से के0जी0आई0टी0 मार्ग वाया गढी रामकौर मार्ग	2.300	सन्तोषजनक है।
13	730022	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पंजीठ से बुच्चाखेडी मार्ग	1.800	सन्तोषजनक है।
14	730025	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	खेडा कुर्तान से जनपद बागपत सीमा तक मार्ग	1.000	सन्तोषजनक है।
15	730029	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पानीपत खटीमा मार्ग के किमी० 23 से पंजीठ मार्ग	1.350	सन्तोषजनक है।
16	730033	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	झिंझाना ऊन मार्ग से रंगाना मार्ग	1.825	सन्तोषजनक है।
17	730038	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग के किमी0 80 से बीबीपुर मार्ग	1.250	सन्तोषजनक है।
18	730039	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	घैसाना गढी हसनपुर मार्ग से दथेडा की ओर	1.080	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
19	730041	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	शामली शामला मार्ग से लावदाऊदपुर मार्ग	2.000	सन्तोषजनक है।
20	730046	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	दथेडा से पान्धुपुरा सहारनपुर सीमा तक	2.100	सन्तोषजनक है।
21	730047	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	शामली शामला मार्ग से खेडी खुशनाम मार्ग	3.200	सन्तोषजनक है।
22	730049	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग से उलादीनपुर मार्ग	1.600	सन्तोषजनक है।
23	730050	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	खानपुर जाटान से डेरा भगीरथ मार्ग	0.770	सन्तोषजनक है।
24	730053	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	ऊन थानाभवन मार्ग से सांपला	0.700	सन्तोषजनक है।
25	730055	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	अलाउद्दीननगर से खोखसा होते हुए सींगरा आमवाली बावरिया कालोनी तक	1.390	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत हैं।
26	730056	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना झिंझाना ऊन थानाभवन मार्ग से ऊन सम्पर्क मार्ग	0.860	सन्तोषजनक है।
27	730058	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	के0जी0यू0टी0 मार्ग के किमी0 21 से भमेडी शाहपुर मार्ग	1.920	सन्तोषजनक है।
28	730064	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मुन्डेट से खेडी होते हुए दथेडा की ओर	2.500	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
29	730067	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना राजवाहे से कैराना कांधला मार्ग तक	4.500	सन्तोषजनक है।
30	730068	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	सियाना कस्बा से शीतलगढी मार्ग	1.100	सन्तोषजनक है।

जनपद शामली मे विधानसभा कैराना मे लोक निर्माण विभाग सम्बन्धित मार्गो की अद्यतन स्थिति

क्र0 सं0	यूनिकोड	जनपद	खण्ड का नाम	विधानसभा	विभाग का नाम	श्रेणी	मार्ग का नाम	लम्बाई	अद्यतन स्थिति
32	730071	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	ऊन थानाभवन मार्ग से बड़ोडी	0.500	सन्तोषजनक है।
33	730072	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग से सूपरी	2.100	सन्तोषजनक है।
34	730074	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	झिंझाना ऊन मार्ग से होसंगपुर	3.500	सन्तोषजनक है।
35	730075	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	धौंदीपुर हटिया से डेरा सरदार मार्ग	1.000	सन्तोषजनक है।
36	730078	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	हिंगोलेडी से कसेरवा राजवाहे की पुलिया तक मार्ग	1.940	सन्तोषजनक है।
37	730079	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पीरमाजरा से कैराना रामड़ा मार्ग	1.100	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
38	730080	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मंसूरा मार्ग से बेदखेडी मार्ग	0.500	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
39	730081	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	ऊन पैसाना मार्ग से बल्लानाजरा मार्ग	0.500	विशेष मरम्मत हेतु प्रस्तावित है।
40	730082	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पैसाना मुण्डेट मार्ग से नाई नंगला मार्ग	2.600	सन्तोषजनक है।
41	730084	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	झिंझाना ऊन मार्ग से सिकन्दरपुर मार्ग	0.250	सन्तोषजनक है।
42	730090	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना झिंझाना मार्ग के किमी0 12 से जमालपुर पावटी कलां होते हुए धौंदीपुर हटिया मार्ग	4.700	सन्तोषजनक है।
43	730091	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	शामली कैराना रोड से जगनपुर	2.300	सन्तोषजनक है।
44	730092	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	बेहडा से रंगाना	1.400	सन्तोषजनक है।
45	730093	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग से रामनगर मार्ग	1.590	सन्तोषजनक है।
46	730094	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना झिंझाना मार्ग से रज्जाक नगर मार्ग	1.100	सन्तोषजनक है।
47	730095	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	झाड खेडी से बुच्चा खेडी होते हुए पंजीठ मामौर मार्ग	3.100	सन्तोषजनक है।
48	730101	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मन्ना माजरा बाईपास मार्ग के छूटे भाग का निर्माण	1.100	सन्तोषजनक है।
49	730102	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	झारखेडी से ऊपाठे गाठँव	3.500	सन्तोषजनक है।
50	730104	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	गंगेरू से इस्सोपुरटील से कन्या जूनियर हाईस्कूल इस्सोपुरटील मार्ग	1.780	सन्तोषजनक है।
51	730137	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	नंगला राई रामड़ा मार्ग	1.300	सन्तोषजनक है।
52	730139	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना तितरवाड़ा से ऊंचा गाठँव मार्ग	2.850	विशेष मरम्मत हेतु प्रस्तावित है।
53	730140	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	हुंडुखेडा से इस्सोपुर टील मार्ग	2.700	सन्तोषजनक है।
54	730144	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पानीपत खटीमा मार्ग से ऐरटी अलीपुर मार्ग	5.600	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
55	730148	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	शामली फैराना मार्ग से शेखपुरा मार्ग	2.500	सन्तोषजनक है।
56	730154	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कांधला इस्सोपुर टील मार्ग से इस्सोपुर राजवाहा मार्ग	1.200	सन्तोषजनक है।

जनपद शामली मे विधानसभा कैराना मे लोक निर्माण विभाग सम्बन्धित मार्गो की अद्यतन स्थिति

क्र0 सं0	यूनिकोड	जनपद	खण्ड का नाम	विधानसभा	विभाग का नाम	श्रेणी	मार्ग का नाम	लम्बाई	अद्यतन स्थिति
57	730155	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	जहानपुर से अलीपुर मार्ग	1.040	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
58	730161	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना से जहानपुरा	2.800	विशेष मरम्मत हेतु प्रस्तावित है।
59	730162	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना झिंझाना मार्ग से सरकारी अस्पताल	0.350	सन्तोषजनक है।
60	730165	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	टिटौली कसेरवा मार्ग	1.835	सन्तोषजनक है।
61	730167	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पानीपत खटीमा मार्ग से पंजीठ होते हुए मामौर ग्राम से तीतरवाडा बाईपास होते हुए कुंया गाॅव की ओर (पी0एम0जी0एस0वाई0 के अधिन है)	2.400	सन्तोषजनक है।
62	730169	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पावटी कलां से जन्धेडी मार्ग	1.300	सन्तोषजनक है।
63	730170	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना बाईपास से जाहिद के मकान तक	0.830	सन्तोषजनक है।
64	730172	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मौहम्मदपुरराई से नंगला राई तथा केराने की ओर	1.000	सन्तोषजनक है।
65	730175	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	दभेडी खुर्द लिंक मार्ग	2.950	सन्तोषजनक है।
66	730176	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मदो गैर अहतमाल मार्ग	0.800	सन्तोषजनक है।
67	730178	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मण्डावर लिंक मार्ग	1.200	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
68	730182	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना राजबाहे की पटरी	5.800	सन्तोषजनक है।
69	730184	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना कांधला मार्ग से किशोरपुर मार्ग	1.200	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
70	730185	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	भोग माजरा से मिलवाली काली सडक तक	3.550	सन्तोषजनक है।
71	730187	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मंसूरा से वेदखेडी मार्ग से मंगलपुर होते हुए दीवीपुर जलालाबाद	2.600	सन्तोषजनक है।
72	730189	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना इस्सोपुरटीस मार्ग से गंगेरू वाया गढीरामकौर मार्ग	3.900	सन्तोषजनक है।
73	730198	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	खन्द्रादत्ती से विन्दड्ढा मार्ग	2.200	सन्तोषजनक है।
74	730201	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	ऊन चैसाना मार्ग के किमी0 7 से महेन्द्रगढ मार्ग	2.240	सन्तोषजनक है।
75	730202	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	बिडौली चैसाना मार्ग से उदपुर मार्ग	1.000	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
76	730203	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग से तिसंग	3.600	सन्तोषजनक है।
77	730204	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	तिसंग से औदरी मार्ग	0.720	सन्तोषजनक है।
78	730205	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	आमवाली से मछरौली मार्ग	3.100	सन्तोषजनक है।
79	730209	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मछरौली बाईपास मार्ग	1.200	सन्तोषजनक है।
80	730217	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	बिडौली चैसाना मार्ग से अलीपुर मार्ग	1.010	सन्तोषजनक है।

जनपद शामली मे विधानसभा कैराना मे लोक निर्माण विभाग सम्बन्धित मार्गो की अद्यतन स्थिति

क्र0 सं0	यूनिकोड	जनपद	खण्ड का नाम	विधानसभा	विभाग का नाम	श्रेणी	मार्ग का नाम	लम्बाई	अद्यतन स्थिति
82	730219	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	बिडौली चैसाना मार्ग से साल्हापुर सम्पर्क मार्ग	2.250	सन्तोषजनक है।
83	730220	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	हाशंगपुर सम्पर्क मार्ग	0.330	सन्तोषजनक है।
84	730221	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	अभयनगर सम्पर्क मार्ग	0.220	सन्तोषजनक है।
85	730222	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	रामगढ मजरा सम्पर्क मार्ग	0.600	सन्तोषजनक है।
86	730225	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	अकबरपुर सुनहैटी से पठेत मार्ग	1.500	सन्तोषजनक है।
87	730226	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	संसूरा से युसुफपुचैतरा मार्ग	3.400	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
88	730240	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	छुरगान नया गाव से मण्डादर मार्ग	2.100	सन्तोषजनक है।
89	730293	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना बाईपास मार्ग से नगंलाराई	5.000	सन्तोषजनक है।
90	730294	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना छुरगान मार्ग से बसेडा मार्ग	1.600	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
91	730295	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग के किमी0 75 से रजाकनगर मार्ग	0.610	सन्तोषजनक है।
92	730305	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	गंगेरू खेडाकुर्तान मार्ग से गढी मियां मार्ग	1.100	सन्तोषजनक है।
93	730312	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	जमालपुर से पावटी खुर्द मार्ग	3.050	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
94	730322	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना साल्हाखेडी खन्द्रावली मार्ग	6.610	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
95	730325	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	टथेडा से बसी चुन्धियारी मार्ग	3.600	सन्तोषजनक है।
96	730328	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	सिंगरा से अलीनगर मार्ग	8.560	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
97	730329	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग से बिडौली सईद मार्ग	1.050	सन्तोषजनक है।
98	730330	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	चैसाना से अमलापुर मार्ग	0.260	सन्तोषजनक है।
99	730333	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	उन से चैन्दाहेडी मार्ग	0.900	सन्तोषजनक है।
100	730335	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग से धर्मपुरा	1.125	सन्तोषजनक है।
101	730337	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	भूरा से कसेरवा खुर्द मार्ग	5.665	सन्तोषजनक है।
102	730339	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कुरतान से गढी मिया मार्ग	1.444	सन्तोषजनक है।
103	730340	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	चैसाना बिडौली से गुज्जरपुर	1.185	सन्तोषजनक है।
104	730342	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	नगलाराई से भडी	3.600	विशेष मरम्मत हेतु प्रस्तावित है।
105	730343	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग से टभेडी बुजुर्ग मार्ग	2.500	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
106	730348	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	सीगरा अलीनगर झिंझाना मार्ग से रगांना फार्म मार्ग	2.340	विशेष मरम्मत हेतु प्रस्तावित है।

जनपद शामली मे विधानसभा कैराना मे लोक निर्माण विभाग सम्बन्धित मार्गो की अद्यतन स्थिति

क्र0 सं0	यूनिकोड	जनपद	खण्ड का नाम	विधानसभा	विभाग का नाम	श्रेणी	मार्ग का नाम	लम्बाई	अद्यतन स्थिति
108	730354	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	सुन्दरनगर सम्पर्क मार्ग	0.400	सन्तोषजनक है।
109	730355	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	सिंगापुर सम्पर्क मार्ग	0.900	
110	730356	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	झिंझाना ऊन से मेरठ करनाल मार्ग बाया घन्दनपुरी सम्पर्क मार्ग	1.000	पुनःनिर्माण मे प्रस्तावित
111	730358	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	भूरा सम्पर्क मार्ग	1.950	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
112	730359	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	दुद्धपुरा से दराला मार्ग	1.500	विशेष मरम्मत हेतु प्रस्तावित है।
113	730361	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	जन्धेडी से मंगलपुर मार्ग से सुनहेटी मार्ग	2.500	सन्तोषजनक है।
114	730362	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	के0टी0आई0टी0 से इन्द्रखेड़ा मार्ग	0.500	सन्तोषजनक है।
115	730363	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पानीपत खटीमा मार्ग से मायापुर मार्ग	2.300	सन्तोषजनक है।
116	730364	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पानीपत खटीमा मार्ग से साजरा मार्ग	1.050	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
117	730365	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पानीपत खटीमा मार्ग से हिगोखेडी मार्ग	1.500	सन्तोषजनक है।
118	730367	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	कैराना पब्लिक इण्टर कालिज से जगनपुरा मार्ग	3.700	सन्तोषजनक है।
119	730368	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पैंसाना मुण्डेट मार्ग से दादीनगर मार्ग	2.135	सन्तोषजनक है।
120	730369	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पैंसाना मुण्डेट मार्ग से कुण्डा मार्ग	1.380	सन्तोषजनक है।
121	730370	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	सकोती नाई नगला मार्ग	1.500	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
122	730371	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	बिडौली पैंसना से लक्ष्मीपुरा मार्ग	2.510	सन्तोषजनक है।
123	730372	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग से आनन्दपुर मार्ग	2.480	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
124	730373	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	सूबरी से थाली सम्पर्क मार्ग	2.080	सन्तोषजनक है।
125	730374	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग से खेडी जुनारदार याहियापुर शाहपुर मार्ग	2.800	सन्तोषजनक है।
126	730375	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	तिसंग जैनपुर मार्ग	0.800	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
127	730376	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	सूबरी से उत्लैनी मार्ग	0.915	सन्तोषजनक है।
128	730377	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मेरठ करनाल मार्ग से खेडी अजीजपुर मार्ग	3.000	सन्तोषजनक है।
129	730413	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मंसूरा मार्ग के किमी0 2 से पावटी खुर्द मार्ग	1.660	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
130	730414	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मंसूरा मार्ग से रंतोध होते हुए श्यामनगर मार्ग	2.060	सन्तोषजनक है।
131	730415	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मंसूरा मार्ग से आशरफपुर मार्ग	0.500	सन्तोषजनक है।
132	730416	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मंसूरा चैलैरा मार्ग से फतहेपुर	1.060	सन्तोषजनक है।

जनपद शामली मे विधानसभा कैराना मे लोक निर्माण विभाग सम्बन्धित मार्गो की अद्यतन स्थिति

क्र0 सं0	यूनिकोड	जनपद	खण्ड का नाम	विधानसभा	विभाग का नाम	श्रेणी	मार्ग का नाम	लम्बाई	अद्यतन स्थिति
134	730421	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	हरसाना से भमेडी शाहपुर मार्ग	1.400	सन्तोषजनक है।
135	730425	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	दधेडा से बसी की ओर मार्ग का निर्माण	0.700	सन्तोषजनक है।
136	730426	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	पानीपत खटीमा मार्ग से रामडा मार्ग	2.050	सन्तोषजनक है।
137	730427	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मामौर से सरदारो का डेरे से होकर यमुना बांध तक मार्ग	2.200	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
138	730428	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	सरदारो के डेरे से गडरियों के डेरो तक मार्ग	1.000	विशेष मरम्मत हेतु स्वीकृत है।
139	730437	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	झिंझाना से अगडीपुर मार्ग	1.600	सन्तोषजनक है।
140	737452	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	मालेण्डी से झिंझाना राजवाहे की पटरी मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	2.300	सन्तोषजनक है।
141	737466	शामली	प्रा.ख. शामली	कैराना	लोक निर्माण विभाग	ग्रामीण मार्ग	सुन्दरनगर से भडी मार्ग	4.000	सन्तोषजनक है।
141	ग्रामीण मार्गो का योग							274.454	

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
शामली

नत्थी (छ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-80 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-89 पर)

राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत नगर निगम, फिरोजाबाद हेतु स्वीकृत कार्यो का विवरण

क0 सं0	कार्य का नाम	कार्य लागत (रू0 लाख में)	भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	अभ्युक्ति
1	आई0टी0एम0एस0	4233.00	95%	100%	–
2	स्मार्ट मार्ग	3112.55	70%	50%	–
3	सूर्य नमस्कार स्टैचू	25.60	70%	0%	–
4	हेल्थ ए0टी0एम0	18.16	0%	0%	निविदा प्रक्रियाधीन
5	सीनियर केयर सेन्टर	236.74	0%	0%	
6	सी0सी0टी0वी0 कैमरा इन्टीग्रेशन	387.453	0%	0%	
	कुल योग	**8013.50**			

नत्थी (ज)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-83 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-90-91 पर)

Justice (Retd.) R. M. Lodha Committee
(in the matter of PACL Ltd.)

Ref. No. JRMLC/PACL/ DT/943/2023/09/11/2023

21 July, 2023

महानिदेशक
संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय,
16 - विधान सभा मार्ग, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश - 226001

Director General
Department of Institutional Finance, Insurance & Externally Aided Programme
16 – Vidhan Shabha Marg, Lucknow,
Uttarpradesh - 226001

महोदय/महोदया / Sir/Madam,

विषय: पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों को पैसा लौटाने के संबंध में
Sub: Refund of monies to investors of PACL Limited

यह पत्र उपरोक्त विषय से संबंधित आपके तारीख 22 जून, 2023 के पत्र (सं. 2410/शि.प्र.-01 (पी.ए.सी.एल.)/2023-24) के संदर्भ में है ।
This is reference to your letter No. 2410/SP-01(PACL)/2023-24 dated 22 June, 2023 on the captioned subject.

इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुब्रत भट्टाचार्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मामले (सी.ए. नं. 2015 की 13301) [CA No. 13301 of 2015] में तथा दूसरे संबंधित मामलों में, तारीख 02.02.2016 के आदेश के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को पीएसीएल लि. की संपत्तियों की बिक्री करने (को डिस्पोज़ ऑफ करने) के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निदेश दिया, ताकि बिक्री से मिलने वाले पैसों (सेल प्रोसीडस) से निवेशकों को भुगतान किया जा सके । तदनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) दवारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा की अध्यक्षता में एक समिति (इसका उल्लेख यहाँ आगे "समिति" के रूप में किया गया है) का गठन किया गया ।
In this regard, it is submitted that the Hon'ble Supreme Court vide order dated 02.02.2016 in the matter of C. A. No. 13301 of 2015 titled Subrata Bhattacharya Vs. SEBI and other connected matters directed Securities and Exchange Board of India ("SEBI") to constitute a Committee under the Chairmanship of Justice (Retd.) R M Lodha for disposing of the properties of PACL Ltd, so that the sale proceeds can be distributed to the investors. Accordingly, SEBI constituted a committee under the chairmanship of Justice (Retd.) R.M. Lodha (hereinafter referred to as the "Committee").

Justice (Retd.) R. M. Lodha Committee
(in the matter of PACL Ltd.)

Ref. No. JRMLC/PACL/ :: 2 ::

समिति के पास जो भी जरूरी जानकारी है वह समस्त जानकारी सेबी के वेबसाइट पर इस शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध करा दी जाती है : "पीएसीएल संबंधी मामले" । इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायलय के समक्ष समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही हैं, जो सेबी के वेबसाइट पर भी दी हुई हैं । इतना ही नहीं, समिति समय-समय पर सार्वजनिक सूचनाएँ जारी करके भी निवेशकों को यह जानकारी देती रहती है कि अब-तक कितना पैसा लौटाया जा चुका है । ये सार्वजनिक सूचनाएँ सेबी के वेबसाइट पर भी डलवाई जाती हैं ।

All requisite details that are available with the Committee are put up on the SEBI website under the head "PACL matters". Further, status reports are being filed periodically with the Hon'ble Supreme Court and the same are also available on the SEBI website. The updated status of refund made to investors is informed to the investors by way of Public Notices issued by the Committee from time to time and is available on the SEBI website.

जिन संपत्तियों की बिक्री की जा रही है उनके ब्यौरों के लिए ये लिंक देखें: https://www.sebiauctionpacl.com और https://www.sebipropertiespacl.com ।

The details of properties which are available for sale are accessible on the site https://www.sebiauctionpacl.com and https://www.sebipropertiespacl.com.

भवदीय / Yours sincerely,

(नोडल अधिकारी-सह-सचिव)
(Nodal Officer cum Secretary)
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति (पीएसीएल लिमिटेड के मामले से संबंधित)
Justice (Retd.) R. M. Lodha Committee (In the matter of PACL Limited)

नत्थी (झ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-125 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-112 पर)

सलग्न

विधान सभा हण्डिया के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कराये गये कार्यो का विवरण

क्रम सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	[illegible]	[illegible]
नवनिर्माण के कार्य				
1	जिला योजना	हरीपुर देवा सम्पर्क मार्ग से चतुरपट्टी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	0.65	30.14
2	नाबार्ड	रेखीपुर–सुकरपुर मार्ग (अ0जि0मा0) के किमी0–11 से जगदीशपुर संसारीपुर मार्ग से खुर्रमशाहपुर पसियान बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.10	65.52
3	पं0 दीन दयाल उपाध्याय	भीटी हटवारा सम्पर्क मार्ग	2.10	106.56
4	पं0 दीन दयाल उपाध्याय	मुगरांव से नुनियान सम्पर्क मार्ग	2.00	98.19
5	राज्य सड़क निधि	जगुआसोधा शुक्लान बस्ती होते हुए जबराडीह सम्पर्क मार्ग	2.00	101.08
6	राज्य सड़क निधि	असवा दाउदपुर रहिमाबाद बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.00	50.31
7	राज्य सड़क निधि	पूरे गोबई हरिजन बस्ती होते हुए छीड़ी तक सम्पर्क मार्ग	1.00	50.37
8	राज्य सड़क निधि	झिरिहरी भुजवान बस्ती से अहिरान केवटान बस्ती होते हुए जोगापुर बार्डर तक सम्पक मार्ग	1.75	88.56
9	राज्य सड़क निधि	अरई पिच मार्ग से मन्दर हरिजन बस्ती सम्पर्क मार्ग	0.80	40.92
10	राज्य सड़क निधि	घाटमपुर पिच मार्ग से ठाकुर बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.00	51.51
11	राज्य सड़क निधि	ग्राम जबराडीह नाहरपुर पसियान बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.20	56.90
12	राज्य सड़क निधि	ग्राम उपरदहा से चकमदा चौहान बस्ती सम्पर्क मार्ग	1.50	75.79
13	राज्य सड़क निधि	शारदा सहायक नहर से रामलीला मैदान सींकी खुर्द यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग	2.00	101.08
14	राज्य सड़क निधि	मुगरांव हरिजन बस्ती मार्ग	2.00	98.15
15	राज्य सड़क निधि	बीरापुर कसौधन अहिरान मार्ग	1.20	60.93
16	राज्य सड़क निधि	डिघरी अहिरान सम्पर्क मार्ग	1.50	74.50
17	राज्य सड़क निधि	मवैया हिन्दुवानी मार्ग से मवैया मौर्या पटेल बस्ती होते हुए प्रा0पा0 चकहौदा तक मार्ग का नव निर्माण कार्य	1.40	50.14

क्रम सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत मात्रा (किमी0 में)	स्वीकृत लागत (रु0 लाख में)
18	राज्य सड़क निधि	जी0टी0 मार्ग किमी0–41 से महुआडीह हरिजन बस्ती (पहाड़पुर) सम्पर्क मार्ग (शहीद नन्दलाल यादव)	4.00	226.80
19	राज्य सड़क निधि	बरौत टेला सम्पर्क मार्ग के किमी0–2 से हिन्दलाल विश्वकर्मा के घर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	59.05
20	राज्य सड़क निधि	रावतपुर कन्दला मार्ग के किमी0–1 से पक्की सड़क से हरीलाल निषाद के घर होते हुए लक्षागृह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	1.00	58.79
21	राज्य सड़क निधि	भीटी हिंसूनगर से कस्तुरिया भीटी ज्ञानचन्द्र के घर से पहलवान वीर के स्थान दयाराम के घर तक सी0सी0 एवं नाली का निर्माण कार्य (छूटी कड़ी)	0.60	73.36
		उपनिर्माण का योग	30.80	1618.65

नवीनीकरण के कार्य

1	नवीनीकरण	जेरांव से ममरखा सम्पर्क मार्ग	1.90	18.67
2	नवीनीकरण	एस0पी0एच0 मार्ग किमी0–60 से हण्डिया दमगढा मार्ग	0.80	7.91
3	नवीनीकरण	जंघई धौरहरा मार्ग से सदुलहा सम्पर्क मार्ग	1.00	9.86
4	नवीनीकरण	लालापुर से चकनन्दू सम्पर्क मार्ग	0.75	7.34
5	नवीनीकरण	नेशनल हाईवे (भीटी) से हरचन्द्रपुर सम्पर्क मार्ग	3.00	29.44
6	नवीनीकरण	नव्वे चौराहा से रामनाथी होते हुए होला तक सम्पर्क मार्ग	3.50	34.37
7	नवीनीकरण	रामनाथी डिहा बस्ती अवसानपुर सम्पर्क मार्ग	2.00	19.59
8	नवीनीकरण	औरा सम्पर्क मार्ग	1.50	14.78
9	नवीनीकरण	बरौत गंगाराम इण्टर कालेज से बनकट तक सम्पर्क मार्ग	1.50	14.78
10	नवीनीकरण	चतुरपटटी (मुसहर) सम्पर्क मार्ग	0.10	1.25
11	नवीनीकरण	मुसहर बस्ती (चतुरपटटी) सम्पर्क मार्ग	0.10	1.25
12	नवीनीकरण	भोज का पूरा (दमगढ़ा) सम्पर्क मार्ग	0.60	7.34
13	नवीनीकरण	यादव बस्ती (अढ़नी) सम्पर्क मार्ग	2.30	28.19
14	नवीनीकरण	खरहवा (दमगढ़ा) सम्पर्क मार्ग	1.40	17.19

| क्रम सं0 | योजना/कार्य | [illegible] | [illegible] | [illegible]

क्रम सं0	योजना का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई (किमी0 में)	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)
35	नवीनीकरण	बल्दिहों से धनकेसरा थुलमा तक सम्पर्क मार्ग	2.00	19.59
36	नवीनीकरण	बेनीपुर से भदवों तक सम्पर्क मार्ग	1.00	9.86
37	नवीनीकरण	बलीपुर से पट्टीराम साढा तक सम्पर्क मार्ग	3.00	29.44
38	नवीनीकरण	हकीमपट्टी से घंसीपुर तिराहा तक सम्पर्क मार्ग	2.00	19.59
39	नवीनीकरण	गौहरपुर से एकडला पुलिया तक सम्पर्क मार्ग	2.00	19.59
		नवीनीकरण का योग	58.78	616.89

सलग्न-सूची-2

विधान सभा हण्डिया के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में कराये गये कार्यो का विवरण

क्रम सं0	योजना का नाम	कार्य का भाग	स्वीकृत लागत (लाख रु0)	स्वीकृत लागत (लाख रु0)
नवनिर्माण के कार्य				
1	नाबार्ड	शिवौटा सम्पर्क मार्ग धाया मुलनापुर दरोगापुर का निर्माण का कार्य	3.00	190.85
2	नाबार्ड	बन्दीपट्टी (पण्डितान चनाहा) सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य	1.30	83.76
3	नाबार्ड	शुकुलपुर (मुस्लिम एरिजन बस्ती) सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कार्य	1.40	90.26
4	पं0 दीन दयाल उपाध्याय	जसवा घमरौटी सम्पर्क मार्ग	3.00	151.87
5	राज्य सड़क निधि	एन0एच0–2 उपरदहा से रिदापुर (अहिरान बस्ती) रेलवे क्रासिंग सम्पर्क मार्ग	1.00	50.37
6	राज्य सड़क निधि	मसाढी सम्पर्क मार्ग से भारतीया बस्ती होते हुए खुदनपुर तक मार्ग का नव निर्माण कार्य	2.00	85.58
7	राज्य सड़क निधि	ब्लाक धनूपुर परिसर से विकास भौर्या के घर होते हुए जेरौंव हरिजन व ठाकुर बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य	1.80	64.27
8	राज्य सड़क निधि	रामापुर सम्पर्क मार्ग से रामापुर तिवारीपुर होते हुए दुबे बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य	0.60	43.99
9	राज्य सड़क निधि	कटहरा दमगढ़ा मार्ग से मुलनापुर सन्त लाल यादव के मकान से संजय भौर्या, ठकुरिया बस्ती होते हुए नीमी सीमा तक मार्ग का नव निर्माण कार्य	2.00	78.47
		नवनिर्माण का योग	16.10	839.42
नवीनीकरण के कार्य				
1	नवीनीकरण	ढोली सैदहा से हसनपुर तक सम्पर्क मार्ग	1.10	11.61
2	नवीनीकरण	दांदूपुर से पकरी सम्पर्क मार्ग	1.10	11.61
3	नवीनीकरण	अमौरा नहर से बमैला रामलीला मैदान तक सम्पर्क मार्ग	0.90	9.51
4	नवीनीकरण	पटेल चौराहा से जुडई का पुरा सम्पर्क मार्ग	0.65	6.91
5	नवीनीकरण	असढिया बाजार से पंडित का पुरा सम्पर्क मार्ग	0.55	5.79
6	नवीनीकरण	हरिहरपुर सम्पर्क मार्ग	4.00	52.96
7	नवीनीकरण	फूलपुर सैदाबाद से यीयी बारी सम्पर्क मार्ग	3.30	45.78
		नवीनीकरण का योग	11.60	144.17

नत्थी (अ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-139 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-118-119 पर)

4. The Development Authority.—(1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, constitute for the purposes of this Act, an Authority to be called the Development Authority for any development area.

(2) The Authority shall be a body corporate, by the name given to it in the said notification, having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall by the said name sue and be sued.

(3) The Authority in respect of a development area which includes the whole or any part of a city as defined in the [1][Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959], shall consist of the following members, namely—

(*a*) a Chairman to be appointed by the State Government;

(*b*) a Vice-Chairman to be appointed by the State Government;

[2][(*c*) the Secretary to the State Government, incharge of the Department in which, for the time being, the business relating to the Development Authorities is transferred, *ex-officio*;]

(*d*) the Secretary to the State Government, incharge of the Department of Finance, *ex-officio*;

(*e*) the Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, *ex-officio*;

[3][(*f*) the Managing Director of the Jal Nigam, established under the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, *ex-officio*;]

(*g*) the Mukhya Nagar Adhikari, *ex-officio*;

(*h*) the District Magistrate of every district any part of which is included in the development area, *ex-officio*;

(*i*) four members to be elected by Sabhasads of the Nagar Mahapalika for the said city from amongst themselves;

Provided that any such member shall cease to hold office as such as soon as he ceases to be Sabhasad of the [4][Municipal Corporation];

(*j*) such other members not exceeding three as may be nominated by the State Government.

(4) The appointment of the Vice-Chairman shall be whole time.

(5) The Vice-Chairman shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowance and be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of the State Government in this behalf.

(6) A member referred to in Clause (*c*), Clause (*e*) or Clause (*f*) of Sub-section (3) may instead of attending a meeting of the Authority himself depute an officer, not below the rank of Deputy Secretary in the department, in the case of a member referred to in Clause (*c*) or Clause

1. *Subs.* by U.P. Act 3 of 1997.
2. *Subs.* by U.P. Act 21 of 1985. *vide* Section 3 (w.e.f. 3rd October, 1975).
3. *Subs.* by U.P. Act 19 of 1976. *vide* Section 2 (w.e.f. 3rd October, 1975).
4. *Subs.* by U.P. Act 3 of 1997.

4. विकास प्राधिकरण—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी विकास क्षेत्र के लिए एक प्राधिकरण का गठन कर सकेगी, जो विकास प्राधिकरण कहा जायेगा।

(2) प्राधिकरण उस नाम से एक नियमित निकाय होगा, जो उक्त अधिसूचना में दिया गया है, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी, उसे जंगल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति को अधिगृहीत करने, धारित करने और निस्तारित करने की शक्ति होगी, संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम में वाद लाने का अधिकार होगा और उसके विरुद्ध उक्त नाम में वाद लाया जायेगा।

(3) विकास क्षेत्र, जिसमें [1][उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959] में यथापरिभाषित नगर पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सम्मिलित हो, के सम्बन्ध में प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगा—

(क) चेयरमैन, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये,

(ख) उपचेयरमैन, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये,

2[(ग) सचिव, राज्य सरकार, जो उस विभाग का प्रभारी हो, जिसमें तत्समय विकास प्राधिकरणों से सम्बन्धित कारोबार का अन्तरण किया गया हो, पदेन,]

(घ) सचिव, राज्य सरकार, वित्त विभाग, पदेन,

(ङ) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, पदेन,

3[(च) प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं सीवर अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत स्थापित, पदेन,

(छ) मुख्य नगर अधिनियम पदेन,

(ज) हर जिले के जिलाधिकारी, जिस जिले का कोई भी भाग विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया गया हो, पदेन,

(झ) उक्त नगर के लिए नगर महापालिका के सभासदों द्वारा अपने आप में से चुने गये चार सदस्य,

परन्तु ऐसे किसी सदस्य का कार्यकाल उस समय समाप्त हो जायेगा, जब वह 4[नगर निगम] का सभासद न रह जाये,

(ञ) ऐसे अन्य सदस्य, जो तीन से अधिक नहीं होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये जायें।

(4) उपचेयरमैन की नियुक्ति पूर्णकालिक होगी।

(5) उपचेयरमैन प्राधिकरण के कोष से ऐसा वेतन और भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा नियन्त्रित होगा जो राज्य सरकार द्वारा, निर्मित सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, निर्धारित की जायें।

(6) उपधारा (3) के खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ) अथवा खण्ड (च) में निर्दिष्ट सदस्य प्राधिकरण की बैठक में भाग लेने के बदले में, खण्ड (ग) अथवा खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट सदस्य की दशा में, विभाग में उप सचिव से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को, और खण्ड (ङ) में

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1985 द्वारा प्रतिस्थापित (3 अक्टूबर, 1975 से लागू)।
3. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, सन् 1976 द्वारा प्रतिस्थापित (3 अक्टूबर, 1975 से लागू)।
4. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।

Home | Housing & Urban Planning Department | UP

CHAPTER II
The Development Authority and its Objects

3. Declaration of development, areas.-

If in the opinion of the State Government any-area within the State requires to be developed according to plan it may, by notification in the Gazette. declare the area to be a development area.

4 The Development Authority-

(1) The State Government may, by notification in the Gazette, constitute for the purposes of this Act, an Authority to be called the Development Authority for any development area.

(2) The Authority shall be a body corporate, by the name given to it in the said notification, having perpetual succession and a common seal with power to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable and to contract and shall by the said name sue and be sued.

(3) The Authority in respect of a development area which includes whole or any part of a city as defined in the [Uttar Pradesh Municipal Corporation Act. 1959), shall consist of the following members namely-

a Chairman to be appointed by the State Government:

a Vice-Chairman to be appointed by the State Government:

the Secretary to the State Government, in charge of the Department in which, for the time being, the business relating, to the Development Authorities is transferred, ex-officio:)

the Secretary to the State Government in charge Of the Department of Finance, ex-officio.

the Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh ex-officio:

the Managing Director of the Jal Nigam established under the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975. ex-officio)

the Mukhya Nagar Adhikari, ex-officio:

the District Magistrate of every district any part of W Included in the development area ex-offtcio:

four members to be elected by Sabhasads of the Nag Mahapalika for the said city from amongst themselves,

Provided that any such member shall cease to hold office as such as soon as he ceases to be Sabhasad of the (Municipal Corporation)

(j) such other members not exceeding three as may be nominated by the State Government.

(4) The appointment t of the Vice-Chairman shall be whole time.

(5) The Vice-Chairman shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowance-and be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of the State Government in this behalf.

(6) A member referred to in Clause (c) Clause (d) Clause (e) or Clause (f) of Sub-section (3) may instead of attending a meeting of the Authority himself depute an officer, not below the rank of Deputy secretary in the department, in the case of a member referred to In Clause (c) or Clause (d) and below the rank of Town Planner in the case of a member referred to in Clause (e) and not below the rank of Superintending Engineer in the case of a member referred to in clause (f) to attend the meeting. The officer so deputed shall have the right to take part in the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote.

(7) The Authority in respect of a development area other than that mentioned in Sub-Section (3) shall consist of a Chairman, a Vice Chairman and not less than five and not more than eleven such other members, including at least one member from Municipal Boards and Notified Area Committees having each jurisiction in the development area, who shall hold office for such period and on such terms and conditions as may be determined by general or special order of the State Government I this behalf.

Provided that the Vice-Chairman

दिनांक 23.06.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय, मोतीझील स्थित सदन सभागार में आहूत मा0 सदन की बैठक का कार्यवृत्त।

अध्यक्ष ने अपराह्न 03:30 बजे बैठक की कार्यवाही आम सहमति हेतु 20 मिनट के लिये स्थगित की।

.....

स्थगन अवधि पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

श्री हाजी सुहेल अहमद ने कहा कि अध्यक्ष महोदया हम लोगों के बीच आम सहमति नहीं बन पाई है।

तदोपरान्त अध्यक्ष ने कानपुर विकास प्राधिकरण के 04 सदस्यों के चुनाव हेतु निर्वाचन की घोषणा करते हुए नगर आयुक्त को चुनाव की समय सारिणी से सदस्यों को अवगत कराने हेतु कहा। नगर आयुक्त ने अध्यक्ष महोदया की अनुमति से चुनाव की समय सारिणी को सभी सदस्यों के समक्ष सदन पटल पर निम्नवत प्रस्तुत किया :–

कानपुर विकास प्राधिकरण के 04 सदस्यो के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम

वर्ष–2023

1.	नाम निर्देशन प्रपत्रो का वितरण	सायं 04:00 बजे से	सायं 04:25 बजे तक
2.	नाम निर्देशन प्रपत्रो को भर कर निर्वाचन अधिकारी को प्राप्त कराने एंव वापसी की समयावधि	सायं 04:30 बजे से	सायं 05:10 बजे तक
3.	नाम निर्देशन प्रपत्रो की जांच एवं वैध तथा अवैध पाये गये नाम निर्देशन प्रपत्रो एवं प्रत्याशियों की घोषणा	सायं 05:10 बजे से	सायं 05:40 बजे तक
4.	नाम वापसी की समयावधि निर्धारण एवं वापसी के उपरान्त अंतिम रूप से निर्वाचन हेतु प्रत्याशियों की संख्या की घोषणा	सायं 05:40 बजे से	सायं 06:10 बजे तक
5.	निर्वाचन प्रकिया प्रारम्भ करने की घोषणा(निर्वाचन अधिकारी द्वारा)	सायं 06:10 बजे से	सायं 06:15 बजे तक
6.	मतपत्रो का मुद्रण	सायं 06:15 बजे से	सायं 07:15 बजे तक
7.	मतदान की अवधि	सायं 07:20 बजे से	सायं 09:20 बजे तक
8.	मतपत्रो की गणना	सायं 09:30 बजे से	समाप्ति तक
9.	कानपुर विकास प्राधिकरण के चुनाव परिणाम की घोषणा		

कानपुर विकास प्राधिकरण के सदस्यों के चुनाव हेतु भाजपा के श्री अरूण कुमार गर्ग, श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी, श्री सौरभ देव, श्री अवधेश त्रिपाठी के साथ ही समाजवादी पार्टी से श्री अनुप्रिया दुबे एवं कॉग्रेस से श्री हाजी सुहेल अहमद द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कॉग्रेस पार्षद दल के नेता हाजी सुहेल अहमद एवं समाजवादी पार्टी पार्षद दल के नेता जावेद अख्तर गुड्डू द्वारा अध्यक्ष/निर्वाचन अधिकारी, के0डी0ए0 बोर्ड को सम्बोधित पत्र उल्लेख किया गया कि चुनाव प्रक्रिया सम्बन्धित नोटिस में दर्शायी गयी अधिसूचना में मतदान की प्रक्रिया जारी करने वाले अधिकारी का नाम नहीं छपा है और न ही मतदान प्रक्रिया प्रदर्शित है। वरीयता क्रम के बिना मतदान करने का कोई औचित्य नहीं है। कृपया पारदर्शिता के अनुसार संवैधानिक रूप में नई अधिसूचना को जारी करने का कष्ट करें।

तत्पश्चात् अध्यक्ष/निर्वाचन अधिकारी द्वारा सचिव नगर निगम से पूर्व में हुए कानपुर विकास प्राधिकरण के निर्वाचन की पत्रावली तलब की। सचिव नगर निगम द्वारा वर्ष 1997, 2003 एवं 2007 की पत्रावली उपलब्ध करायी गयी। अध्यक्ष/निर्वाचन अधिकारी द्वारा वर्ष 1997, 2003 एवं 2007 की निर्वाचन पत्रावली के अवलोकन मे पाया गया कि उक्त वर्षो में सभी निर्वाचन टिक (√) पद्धति से हुए है। तदोपरान्त अध्यक्ष/निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व में हुए निर्वाचन पद्धति से निर्वाचन कराये जाने का आदेश जारी किया गया।

अध्यक्ष/निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व पद्धति से निर्वाचन कराये जाने के आदेश के उपरान्त भारतीय जनता पार्टी से श्री अवधेश त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी से श्री अनुप्रिया दुबे एवं कॉग्रेस से श्री हाजी सुहेल अहमद द्वारा अपना आवेदन वापस लिया गया।

शेष बचे कानपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड के 04 सदस्यों को निर्विरोध चुने जाने की घोषणा अध्यक्ष द्वारा सदन पटल पर की गयी।

क्र0	पार्षद का नाम	वार्ड संख्या
1	श्री अरूण कुमार गर्ग	61
2	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	58
3	श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	52
4	श्री सौरभ देव	15

अध्यक्ष द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण चुने गये 04 सदस्यों का स्वागत किया।

अन्त में राष्ट्रगान के पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0 .....

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर/अध्यक्ष

यथावत प्रतिलिपि

20-11-23
सचिव
नगर निगम, कानपुर

नत्थी (ट)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-166 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-135 पर)

नगर पालिका परिषद कैराना द्वारा करायी गयी फोगिंग का दिनांक व मौहल्लेवार विवरण

क्र0सं0	दिनांक	फोगिंग कराये गये स्थान/मौहल्लो का नाम	फोगिंग मशीन का प्रकार
1	01-07-2023	आलकलां वार्ड–06 (टीचर्स कालौनी, राजेन्द्र कालौनी, बस स्टैण्ड, तहसील परिसर आदि)	बडी फोगिंग मशीन
2	02-07-2023	आलकलां वार्ड–09 (मांगा बस्ती, बरादरी मस्जिद का क्षेत्र आदि)	बडी फोगिंग मशीन
3	03-07-2023	छडियानं वार्ड–10 (छडियान चौक, खारी कुई, ख्वाजबक्श, आदि)	बडी फोगिंग मशीन
4	04-07-2023	दरबारखुर्द वार्ड–13 (रतेवाला, रोडोवाला, कश्यप बस्ती आदि)	बडी फोगिंग मशीन
5	05-07-2023	दरबारखुर्द वार्ड–05 तितरवाडा रोड, दरबारकलां रोड आदि	बडी फोगिंग मशीन
6	06-07-2023	दरबारकलां वार्ड–07 दरबारकलां गेट, जौडवां मस्जिद का क्षेत्र आदि	बडी फोगिंग मशीन
7	07-07-2023	बेगमपुरा वार्ड–16 चौक बाजार, देवी मन्दिर तालाब, नवीन नगर, आदि क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन
8	08-07-2023	आलदरम्यान वार्ड–12 सरकारी अस्पताल रोड, इकरामपुरा आदि क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन
9	09-07-2023	आलदरम्यान वार्ड–01 अम्बेडकर कालौनी, वाल्मिकी बस्ती, गाडो वाली बस्ती आदि क्षेत्र सेलर रोड आदि	बडी फोगिंग मशीन
10	10-07-2023	आलखुर्द वार्ड–04 वाल्मिकी बस्ती, प्राईमरी पाठशाला रोड, अन्सारियों वाली बस्ती आदि	बडी फोगिंग मशीन
11	11-07-2023	आलखुर्द वार्ड–03 अन्सारियो वाली बस्ती, पीरबाला, फकीरो वाली बस्ती, हरिजनो वाली बस्ती आदि क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन
12	12-07-2023	बिसातियान वार्ड–08 मौ0 खटीकयान, खुरगान रोड, ईदगाह रोड, आदि	बडी फोगिंग मशीन
13	13-07-2023	खैलकलां वार्ड–22 ईदगाह बस्ती, नई बस्ती, आदि	बडी फोगिंग मशीन
14	14-07-2023	खैलकलां वार्ड–23 नई बस्ती, काजी का बाग आदि	बडी फोगिंग मशीन
15	15-07-2023	अफगानान वार्ड–24 कलालान, काजी का बाग आदि	बडी फोगिंग मशीन
16	16-07-2023	अफगानान वार्ड–25 पालिका बारातघर रोड, घोस्साचुंगी, नवाब तालाब, आदि	बडी फोगिंग मशीन
17	17-07-2023	खैलखुर्द वार्ड–21 इस्लामिया स्कूल रोड, शैखो वाली बस्ती, आदि	बडी फोगिंग मशीन
18	18-07-2023	सरावज्ञान वार्ड–15 जामा मस्जिद रोड, जुडवां कुंआ, गुम्बद, आदि	बडी फोगिंग मशीन
19	19-07-2023	पीरजादगान वार्ड–17 नवाब दरवाजा, मुंडा मस्जिद रोड, टावर वाली गली आदि	बडी फोगिंग मशीन
20	20-07-2023	आलदरम्यान वार्ड–18 हसन चबूतरा, शीतला माता मन्दिर रोड, गाडो वाली बस्ती, मेंढकी दरवाजा रोड आदि	बडी फोगिंग मशीन
21	21-07-2023	आलकलां वार्ड–02 लाल कुंआ, गुली वाली गली, वाल्मिकी बस्ती आदि	बडी फोगिंग मशीन
22	22-07-2023	कायस्थवाडा वार्ड–14 कायस्थवाडा, पीपलोतला, पटटोवाला आदि	बडी फोगिंग मशीन
23	23-07-2023	आलकलां वार्ड–11 थाने के सामने वाली गली भाटटो वाला कुंआ आदि	बडी फोगिंग मशीन
24	24-07-2023	जैर अन्सारियान वार्ड–19 कस्साबान, शैखबद्धा, आदि	बडी फोगिंग मशीन
25	25-07-2023	अन्सारियान वार्ड–20 सीदरयान, बडा इमामबाडा, छोटा इमामबाडा आदि	बडी फोगिंग मशीन
26	26-07-2023	आलकलां वार्ड–02 लाल कुंआ, गुली वाली गली, वाल्मिकी बस्ती आदि	बडी फोगिंग मशीन
27	27-07-2023	आलकलां वार्ड–09 (मांगा बस्ती, बरादरी मस्जिद का क्षेत्र आदि)	बडी फोगिंग मशीन
28	28-07-2023	गुलशननगर–26 का सम्पूर्ण क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन
29	29-07-2023	इस्लाम नगर–27 का सम्पूर्ण क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन

30	30-07-2023	आर्यपुरी–28 का सम्पूर्ण क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन
31	31-07-2023	आलकलां वार्ड–06 (टीचर्स कालौनी, राजेन्द्र कालौनी, बस स्टैण्ड, तहसील परिसर आदि)	बडी फोगिंग मशीन
32	01-08-2023	आलकलां वार्ड–06 (टीचर्स कालौनी, राजेन्द्र कालौनी, बस स्टैण्ड, तहसील परिसर आदि)	बडी फोगिंग मशीन
33	02-08-2023	आलकलां वार्ड–09 (मांगा बस्ती, बरादरी मस्जिद का क्षेत्र आदि)	बडी फोगिंग मशीन
34	03-08-2023	छडियानं वार्ड–10 (छडियान चौक, खारी कुई, ख्वाजबक्श, आदि)	बडी फोगिंग मशीन
35	04-08-2023	दरबारखुर्द वार्ड–13 (रितेवाला, रोडोवाला, कश्यप बस्ती आदि)	बडी फोगिंग मशीन
36	05-08-2023	दरबारखुर्द वार्ड–05 तितरवाडा रोड, दरबारकलां रोड आदि	बडी फोगिंग मशीन
37	06-08-2023	दरबारकलां वार्ड–07 दरबारकलां गेट, जौडवां मस्जिद का क्षेत्र आदि	बडी फोगिंग मशीन
38	07-08-2023	बेगमपुरा वार्ड–16 चौक बाजार, देवी मन्दिर तालाब, नवीन नगर, आदि क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन
39	08-08-2023	आलदरम्यान वार्ड–12 सरकारी अस्पताल रोड, इकरामपुरा आदि क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन
40	09-08-2023	आलदरम्यान वार्ड–01 अम्बेडकर कालौनी, वाल्मिकी बस्ती, गाडो वाली बस्ती आदि क्षेत्र सैलर रोड आदि	बडी फोगिंग मशीन
41	10-08-2023	आलखुर्द वार्ड–04 वाल्मिकी बस्ती, प्राईमरी पाठशाला रोड, अन्सारियों वाली बस्ती आदि	बडी फोगिंग मशीन
42	11-08-2023	आलखुर्द वार्ड–03 अन्सारियो वाली बस्ती, पीरबाला, फकीरो वाली बस्ती, हरिजनो वाली बस्ती आदि क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन
43	12-08-2023	बिसातियान वार्ड–08 मौ0 खटीकयान, खुरगान रोड, ईदगाह रोड, आदि	बडी फोगिंग मशीन
44	13-08-2023	खैलकलां वार्ड–22 ईदगाह बस्ती, नई बस्ती, आदि	बडी फोगिंग मशीन
45	14-08-2023	खैलकलां वार्ड–23 नई बस्ती, काजी का बाग आदि	बडी फोगिंग मशीन
46	15-08-2023	अफगानान वार्ड–24 कलालान, काजी का बाग आदि	बडी फोगिंग मशीन
47	16-08-2023	अफगानान वार्ड–25 पालिका बारातघर रोड, घोस्साचुंगी, नवाब तालाब, आदि	बडी फोगिंग मशीन
48	17-08-2023	खैलखुर्द वार्ड–21 इस्लामिया स्कूल रोड, शैखो वाली बस्ती, आदि	बडी फोगिंग मशीन
49	18-08-2023	सरावज्ञान वार्ड–15 जामा मस्जिद रोड, जुडवां कुंआ, गुम्बद, आदि	बडी फोगिंग मशीन
50	19-08-2023	पीरजादगान वार्ड–17 नवाब दरवाजा, मुंडा मस्जिद रोड, टावर वाली गली आदि	बडी फोगिंग मशीन
51	20-08-2023	आलदरम्यान वार्ड–18 हसन चबूतरा, शीतला माता मन्दिर रोड, गाडो वाली बस्ती, मेंढकी दरवाजा रोड आदि	बडी फोगिंग मशीन
52	21-08-2023	आलकलां वार्ड–02 लाल कुंआ, गुली वाली गली, वाल्मिकी बस्ती आदि	बडी फोगिंग मशीन
53	22-08-2023	कायस्थवाडा वार्ड–14 कायस्थवाडा, पीपलोतला, पटटोवाला आदि	बडी फोगिंग मशीन
54	23-08-2023	आलकलां वार्ड–11 थाने के सामने वाली गली भाटटो वाला कुंआ आदि	बडी फोगिंग मशीन
55	24-08-2023	जैर अन्सारियान वार्ड–19 कस्साबान, शैखबद्धा, आदि	बडी फोगिंग मशीन
56	25-08-2023	अन्सारियान वार्ड–20 सीदरयान, बडा इमामबाडा, छोटा इमामबाडा आदि	बडी फोगिंग मशीन
57	26-08-2023	आलकलां वार्ड–02 लाल कुंआ, गुली वाली गली, वाल्मिकी बस्ती आदि	बडी फोगिंग मशीन
58	27-08-2023	आलकलां वार्ड–09 (मांगा बस्ती, बरादरी मस्जिद का क्षेत्र आदि)	बडी फोगिंग मशीन
59	28-08-2023	गुलशननगर–26 का सम्पूर्ण क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन
60	29-08-2023	इस्लाम नगर–27 का सम्पूर्ण क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन
61	30-08-2023	आर्यपुरी–28 का सम्पूर्ण क्षेत्र	बडी फोगिंग मशीन

62	31-08-2023	आलकलां वार्ड–06 (टीचर्स कालौनी, राजेन्द्र कालौनी, बस स्टैण्ड, तहसील परिसर आदि)	बडी फोगिंग मशीन
63	01-09-2023	आलकलां वार्ड–06 (टीचर्स कालौनी, राजेन्द्र कालौनी, बस स्टैण्ड, तहसील परिसर आदि)	बडी फोगिंग मशीन
64	02-09-2023	आलकलां वार्ड–09 (मांगा बस्ती, बरादरी मस्जिद का क्षेत्र आदि)	बडी फोगिंग मशीन
65	03-09-2023	छडियानं वार्ड–10 (छडियान चौक, खारी कुई, ख्वाजबक्श, आदि)	बडी फोगिंग मशीन
66	04-09-2023	दरबारखुर्द वार्ड–13 (रितेवाला, रोडोवाला, कश्यप बस्ती आदि)	बडी फोगिंग मशीन

उपजिलाधिकारी/
अधिशासी अधिकारी (अति0प्रभार)
नगर पालिका परिषद कैराना
जनपद–शामली

नगर पालिका परिषद देवबन्द द्वारा करायी गयी फोगिंग का दिनांक व मौहल्लेवार विवरण

क्रमांक	फोगिंग का दिनांक	फोगिंग कराये जाने वाले स्थान/मौहल्ले का नाम	फोगिंग मशीन (छोटी/बड़ी मशीन)
1.	02-06-2023	टी0पी0एस0 इन्टर कॉलेज कैम्प कार्यालय	छोटी फोगिंग मशीन
2.	03-06-2023	मौहल्ला कायथवाड़ा, आबाकारी रोड, मुलतानियान, कोहला बस्ती	छोटी फोगिंग मशीन
3.	05-06-2023	शकुन्तला विहार, अग्रसेन विहार, ब्रहमपुरी कालोनी, टी0पी0एस0 इन्टर कॉलेज	छोटी फोगिंग मशीन
4.	06-06-2023	मौहल्ला गुज्जरवाड़ा, कुटी रोड	छोटी फोगिंग मशीन
5.	09-06-2023	मौहल्ला जनकपुरी, चाहपारस, कानूनगोयान, जोशीवाड़ा	छोटी फोगिंग मशीन
6.	10-06-2023	मौहल्ला कायथवाड़ा, शिव चौक, मिश्रा कालोनी सफेद हवेली, आबाकारी रोड	छोटी फोगिंग मशीन
7.	12-06-2023	मौहल्लाकिला, तहसील परिसर, नीम तला	छोटी फोगिंग मशीन
8.	13-06-2023	पठानपुरा लाम, पुरानी जामा मस्जिद	छोटी फोगिंग मशीन
9.	15-06-2023	मौहल्ला सरायपीरजादगान, मजनू वाला रोड, रेलवे रोड, शास्त्री चौक, सुभाष चौक	छोटी फोगिंग मशीन
10.	19-06-2023	जनता कालोनी, बालाजी विहार, इण्डस्ट्रीयल एरिया, पुलिस चौकी	छोटी फोगिंग मशीन
11.	20-06-2023	मौहल्ला छोटी खानकाह, बड़ी खानकाह, खूनी मस्जिद, पुलिस चौकी	छोटी फोगिंग मशीन
12.	21-06-2023	रोशन कालोनी, वक्फ दारूल उलूम, दीवान, अबुलबरकात, सरसटा चौक, कासमी कालोनी	छोटी फोगिंग मशीन
13.	26-06-2023	मौहल्ला शाहजीलाल, इमली तला, छिम्पीवाड़ा, दाखोवाली, नीला गेट, लहसवाड़ा, मदीना कालोनी, गढ़ढा कालोनी	छोटी फोगिंग मशीन
14.	28-06-2023	सांपला रोड, करेसर कालोनी,	छोटी फोगिंग मशीन
15.	06-07-2023	मौहल्ला सराय काहारान, सराय मालियान, बड़जियाउलहक, नया बांस, जाटव बस्ती, अबुलबरकात	बड़ी फोगिंग मशीन
16.	18-07-2023	मौहल्ला मौहल्ला जनकपुरी, चाहपारस, कानूनगोयान, जोशीवाड़ा, छिम्पीवाड़ा	बड़ी फोगिंग मशीन
17.	19-07-2023	बाल्मिकी बस्ती, एच0एस0वी0 इन्टर कॉलिज, मस्जिद के पास वाले नाले के आसपास का क्षेत्र, सैनी कालोनी, सराय काहारान, सराय मालियान,	बड़ी फोगिंग मशीन
18.	20-07-2023	सड़क रेल, शिक्षक नगर, ब्रहमपुरी कालोनी	बड़ी फोगिंग मशीन
19.	21-07-2023	रविदास मार्ग, कोहला बस्ती, गुज्जरवाड़ा	बड़ी फोगिंग मशीन
20.	22-07-2023	रेलवे रोड, कैलाशपुरम, अग्रसेन विहार, गणेशपुरम	बड़ी फोगिंग मशीन
21.	24-07-2023	पठानपुरा बेरियान, कश्यप कालोनी, नाईयों का चौक, इन्दिरा कालोनी, शास्त्री चौक	बड़ी फोगिंग मशीन
22.	28-07-2023	एस0डी0एम0 कोर्ट, गेस्ट हाउस, सिविल कोर्ट, देवीकुण्ड मन्दिर का क्षेत्र	बड़ी फोगिंग मशीन
23.	29-07-2023	मौहल्ला कायस्थवाड़ा, तीरगर, माता वाली गली, शिव चौक	बड़ी फोगिंग मशीन
24.	01-08-2023	मौहल्ला गुज्जरवाड़ा, भूमिया खेड़ा, कुटी रोड, फौलादपुरा	बड़ी फोगिंग मशीन
25.	02-08-2023	मौहल्ला शाहबुखारी, अन्दरून कोटला, बैरून कोटला	बड़ी फोगिंग मशीन
26.	03-08-2023	मौहल्ला नेचगलढ़, दगड़ा, मटकोटा	बड़ी फोगिंग मशीन
27.	22-08-2023	एस0डी0एम0 कोर्ट, गेस्ट हाउस, सिविल कोर्ट, देवीकुण्ड मन्दिर का क्षेत्र	बड़ी फोगिंग मशीन
28.	28-08-2023	रेलवे रोड, पठानपुरा, कैलाशपुरम, अग्रसेन, सुभाष चौक, शास्त्री चौक, इन्दिरा कालोनी	बड़ी फोगिंग मशीन
29.	04-09-2023	मौहल्ला जनकपुरी, चाहपारस, जोशीवाड़ा, सरसटा रोड, हनुमान चौक,	छोटी फोगिंग मशीन

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
देवबन्द (सहारनपुर)

नत्थी (ठ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-195 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-150 पर)

वितीय वर्ष 2022–23 में बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजनान्तर्गत जनपद शामली में विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में स्थापित सोलर स्ट्रीट लाईटों की संख्या

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र	चयनित ग्राम का नाम	विकास खण्ड	स्थापित सोलर स्ट्रीट लाईटों की सख्या
1	कैराना	ऊँचा गांव	कैराना	10
2		दथेडा	ऊन	10
3		इस्सोपुरटील	कांधला	10
4		हिंगोखेडी	कैराना	10
5		कन्डेला	कैराना	10
6		खेडीखुशनाम	ऊन	10

वितीय वर्ष 2023–24 में बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजनान्तर्गत जनपद शामली में विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में स्वीकृत सोलर स्ट्रीट लाईटों की संख्या

क्र0 सं0	विधान सभा क्षेत्र	चयनित ग्राम का नाम	विकास खण्ड	स्वीकृत सोलर स्ट्रीट लाईटों की सख्या
1	कैराना	सांपला	ऊन	10
2		बुच्चाखेडी	कैराना	10
3		डून्डू खेड़ा	कांधला	10
4		डूढार	कांधला	10
5		बिडोली	ऊन	10
6		उल्हेनी	कैराना	10

पी0एस0यू0पी0-एल0 32 विधान सभा (42)-11-06-2024-25 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।